खण्ड-352, अंक-2
बुधवार, 25 भाद्रपद, शक संवत् 1903
(16 सितम्बर, 1981 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 352 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	253–257
प्रश्नोत्तर	259–346
आजमगढ़ के जिला पूर्ति कार्यालय में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 321 के अन्तर्गत सूचना	346
थाना बड़ा गांव, जिला वाराणसी की पुलिस द्वारा कतिपय व्यक्तियों को एनकाउन्टर दिखा कर गोली से मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	347
पौड़ी गढ़वाल एवं चमोली जिलों में धान की फसल में कुरमुला रोग से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	348
ग्राम कबला, थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर में श्री सम्पत राय व धनपत राय के घर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	348–349
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	349
उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन, 1978–79 (सदन के पटल पर रखी गया)	349
उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	349
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	349–350
उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	350
दि इंडियन टरपेनटाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की चौअनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1977–78 (सदन के पटल पर रखी गयी)	350
दि इंडियन टरपेनटाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की पचपनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1978–79 (सदन के पटल पर रखी गयी)	350
विधान सभा सदस्य, श्री सन्त बक्श रावत व श्री जमुना प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना	350–351
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की याचिका समिति (1980–81) का अष्टम प्रतिवेदन (सदन में प्रस्तुत किया गया) ..	351

विषय	पृष्ठ–संख्या
किच्छा थाने के थाना इंचार्ज व उपनिरीक्षक, श्री मोहन सिंह खुन्नू के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	351–355
लखनऊ से प्रकाशित "दैनिक जागरण" समाचार–पत्र के सम्पादक श्री नरेन्द्र मोहन के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	355–358
जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, जालौन के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	358–360
श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना को लिये जाने की मांग	360
श्री परमई लाल, विधायक, हरदोई के घर में घुसकर शहर कोतवाल, महेन्द्र कुमार, दरोगा, श्री श्रीराम त्रिपाठी व सिपाहियों द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य	361
मुख्य मन्त्री द्वारा मन्डलों में मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	361–362
वित्त मन्त्री द्वारा बजट की गोपनीयता भंग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	362–363
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	363
गढ़वाल में उप चुनाव कराये जाने की मांग पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	364–378
1981–82 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा ..	378–408
1981–82 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मन्डल.... (स्वीकृत)	409
अनुदान संख्या 3––मन्त्रि परिषद्....(स्वीकृत) ..	409
अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग....(स्वीकृत) ..	409
अनुदान संख्या 6––संस्थागत वित्त विभाग––(वृत्ति कर एवं बिक्री–कर)....(स्वीकृत)	410
अनुदान संख्या 8––संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	410
अनुदान संख्या 9––स्वायत शासन एवं नगरपालिका विभाग (स्वीकृत)	410
अनुदान संख्या 11––परिवहन विभाग (स्वीकृत) ..	410–411

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 12—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी कर) (स्वीकृत)	411
अनुदान संख्या 17—सचिवालय (स्वीकृत)	411
अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	411
अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	412
अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग (स्वीकृत)	412
अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ..	412
अनुदान संख्या 23—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	413
अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	413
अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ..	413
अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) :	414
अनुदान संख्या 27—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) (स्वीकृत)	414
अनुदान संख्या 28—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	414
अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	415
अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत) ..	415
अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग (स्वीकृत) ..	415
अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	416
अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	416
अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	416
अनुदान संख्या 41—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)	417
अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग...(स्वीकृत)	417
अनुदान संख्या 44—श्रम विभाग (श्रम कल्याण)...(स्वीकृत)..	417
अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	417-418
अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग...(स्वीकृत) ..	418
अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग...(स्वीकृत)	418

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 51--नियोजन विभाग...(स्वीकृत) ..	418
अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि)...(स्वीकृत) ..	419
अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)...(स्वीकृत)	419
अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग...(स्वीकृत) ..	419
अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग...(स्वीकृत) ..	419-420
अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग...(स्वीकृत) ..	420
अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग...(स्वीकृत)	420
अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)... (स्वीकृत)	420
अनुदान संख्या 62--वन विभाग...(स्वीकृत)	421
अनुदान संख्या 67--विद्युत् विभाग...(स्वीकृत)	421
अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)... (स्वीकृत)	421
अनुदान संख्या 69--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)...(स्वीकृत) ..	421-422
अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)... (स्वीकृत)	422
अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)...(स्वीकृत)	422
अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)...(स्वीकृत)	422-423
अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)...(स्वीकृत)	423
अनुदान संख्या 85--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग-पूंजीगत परिव्यय...(स्वीकृत)	423
अनुदान संख्या 86--सहकारिता विभाग - पूंजीगत परिव्यय... (स्वीकृत)	423-424
अनुदान संख्या 87--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय... (स्वीकृत)	424
अनुदान संख्या 88--उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय...(स्वीकृत)	
अनुदान संख्या 92--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय... (स्वीकृत)	424-425
अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग-पूंजीगत परिव्यय...(स्वीकृत) ..	425
अनुदान संख्या 101--मत्स्य विभाग-पूंजीगत परिव्यय...(स्वीकृत)	425

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या 104--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)...(स्वीकृत)	425-426
अनुदान संख्या 105--सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)...(स्वीकृत)	426
अनुदान संख्या 106--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)...(स्वीकृत)	426
अनुदान संख्या 107--परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय...(स्वीकृत)	426-427
अनुदान संख्या 113--आवास विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	427
अनुदान संख्या 116--उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	427
अनुदान संख्या 117--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	427
अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	428
अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	428
अनुदान संख्या 123--क्षेत्रीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	428
अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	429
अनुदान संख्या 125--विद्युत् विभाग--ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	429
अनुदान संख्या 126--परिवहन विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	429
अनुदान संख्या 128--पर्यटन विभाग-ऋण और अग्रिम...(स्वीकृत)	430
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 (पारित)	430-440
विधान सभा सदस्य, श्री मुहम्मद आजम खां की गिरफ्तारी की सूचना	440
एक बस के गंगा नदी में गिरने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना	440
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	440-441
तारांकित	443-467

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--366

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुल्तन भैया) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० प्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला सहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुवर बहादुर मिश्र, (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर मन्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खुरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)

गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरा देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह, विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जिया राम शुक्ल 'विकल सकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनोराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
बंशीधर, श्री (रामपुर)

बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अमीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पांण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)

राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम सनुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री
(टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राय कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
सिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर
(पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौन थ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुडिया, श्री (नैनीताल)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीब सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)

सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)
(गाजियाबाद)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)

हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री
(मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

संसद टीवी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 16 सितम्बर, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

हरदोई जिले की कुरसठ टाउन एरिया के उन्नाव डिवीजन में आने वाले नाले का निर्माण एवं अटवा अली मर्दानपुर ड्रेन की सफाई

*1—श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के माधोगंज विकास खण्ड के अन्तर्गत उन्नाव डिवीजन में आने वाले कुरसठ टाउन एरिया के चारों ओर विशाल तालाब का पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि अटवा अली मर्दानपुर ड्रेन की सफाई गत वर्ष ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान से कराने का प्रयास किया गया किन्तु सफाई पूरी न हो पाने के कारण पूरा क्षेत्र तबाह रहता है ? यदि हां, तो विगत कई वर्षों से अटवा अली मर्दानपुर ड्रेन की सफाई विभाग द्वारा न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत टाउन एरिया के चारो ओर तालाबों का पानी सई नदी में निकालने हेतु लगभग चार किलोमीटर लम्बाई में नाला के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जा रहा है । तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी ।

जी नहीं ।

प्रत्येक ड्रेन की सफाई प्रति वर्ष कराया जाना सम्भव एवं आवश्यक नहीं है । इस वर्ष बरसात से पूर्व पूरी लम्बाई में प्रश्नगत ड्रेन की सफाई करा दी गई है ।

[बुधवार 16 सितम्बर, 1981 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तरकाशी नगर ज्ञानसू में बाढ़ से हानि तथा राहत कार्य

*1—श्री बल्देव सिंह आर्य (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी नगर ज्ञानसू में गत वर्ष बाढ़ से जो हानि हुई है और उससे नगर को भविष्य में जो खतरा पैदा हो गया है उसके बचाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और अब तक नगर की सुरक्षा के लिए क्या-क्या निर्माण कार्य हुए हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ज्ञानसू नाले के ऊपरी भाग एवं उसमें कचमेट क्षेत्र में वन विभाग द्वारा, तटों के दोनो ओर भूमि संरक्षण विभाग द्वारा तथा नीचे के भाग में भागीरथी नदी तक 900 मीटर की लम्बाई में सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किये गये हैं। तीनों विभागों द्वारा लिये गये कार्य लगभग पूरे हो गये हैं। किये गये निर्माण कार्य संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं।

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 443 पर।

*2--श्री राम नरायन--

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

समाज कल्याण विभाग एवं हरिजन कल्याण विभाग को पृथक करने का निर्णय

*3--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या समाज कल्याण मन्त्री को ज्ञात है कि सरकार ने दिनांक 28 जनवरी, 1981 को समाज कल्याण विभाग एवं हरिजन कल्याण विभाग को पृथक-पृथक करने का निर्णय लिया था ? क्या यह सत्य है कि हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री जी ने उक्त निर्णय को क्रियान्वित न करने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी हां।

उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने का विषय अभी शासन के विचाराधीन है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब समाज कल्याण विभाग एवं हरिजन कल्याण विभाग को अलग-अलग करने का निर्णय ले लिया गया तो फिर उक्त फैसले को जानबूझ कर क्यों रोक दिया गया ? मैं जानना चाहता हूं कि कब तक शासन इस पर विचार कर लेगा ?

श्री गुलाब सेहरा--

अभी विचार चल रहा है, यथाशीघ्र निर्णय हो जायगा।

*4--श्री राम स्वरूप वर्मा--

[5 वें सोमवार मे तारांकित प्रश्न सं0 1 के अर्न्तगत स्थानान्तरित।]

लोक सेवा आयोग द्वारा मैकेनिकल सुपरवाइजरों के पद का चयन

*5--श्री राम आसरे वर्मा--(अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1971 में लोक सेवा आयोग द्वारा मैकेनिकल सुपरवाइजरों के पदों के लिए अनुमोदित, अभ्यर्थियों का स्थायीकरण अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या यह सही है कि स्थायी पद विभाग में रिक्त हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अक्तूबर, 1971 में लोक सेवा आयोग द्वारा मेकेनिकल सुपरवाइजर के पद पर चयन नहीं किया गया था। अतः स्थायी-करण का प्रश्न नहीं उठता। अवर अभियन्ता यांत्रिक के 324 स्थाई पद रिक्त हैं। प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा इन पर स्थायीकरण को कार्यवाही की जा रही है।

नलकूप मण्डल, बरेली के वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक के विरुद्ध शिकायती पत्र

*6--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल, बरेली के किसी वरिष्ठ आलेक एवं प्रालेखक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता एवं श्री मसरूर जाफरी, विधायक द्वारा कोई शिकायती पत्र क्रमशः दिनांक 1-10-80 एवं 30-12-80 को शासन एवं मुख्य अभियन्ता नलकूप को भेजा गया प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इन पत्रों में क्या आरोप लगाए गए थे एवं किस अधिकारी द्वारा कब जांच की गयी और इस सम्बन्ध से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

नलकूप मण्डल, बरेली के वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक श्री राम गोविन्द शक्ला के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता श्री मित्रसेन यादव एवं श्री मसरूर जाफरी विधायक के क्रमशः दिनांक 29-12-80 एवं 1-10-80 के शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे इन पत्रों में जो आरोप लगाये गये थे उनका विवरण संलग्न है। जांच अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बरेली द्वारा श्री मसरूर जाफरी के शिकायती पत्र पर 1/80 एवं श्री मित्रसेन यादव के शिकायती पत्र पर 1/81 से शुरू की गयी। जांच परिणाम विचाराधीन है। कथित वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक श्री रामगोविन्द शुक्ला का स्थानान्तरण आदेश नलकूप मन्डल, बरेली से किया जा चुका है। तथा यह भी आदेश दिये गये थे कि जब तक श्री रामगोविन्द शुक्ला, नलकूप मन्डल बरेली में कार्यरत रहे तब तक उक्त मन्डल में इनके पुत्र को जो शिकायती पत्रों में उल्लिखित दो फर्मों के पार्टनर हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य न दिया जाय।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 444 पर।)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि जांच परिणाम विचाराधीन है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जांच की गयी वह कौन कौन से बिंदुओं पर की गयी और जो जांच परिणाम विचाराधीन है, उस पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जांच चल रही है, कोशिश की जायेगी कि जल्दी हो जाय।

श्री मित्रसेन--

कौन-कौन सी ऐसी शिकायतें हैं जिन पर जांच की गयी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल—

यह जांच रिपोर्ट किस महीने में शासन को प्राप्त हो गयी है और अब तक निर्णय न लेने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन को 1-10-80 को शिकायती पत्र प्राप्त हुआ और उसके बाद श्री मित्रसेन यादव का शिकायती पत्र भी प्राप्त हुआ दोनों की शिकायतों पर जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने तक यह मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

*7—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

देवरिया जनपद के कतिपय ग्रामों का छोटी गण्डक से कटान एवं बचाव

*8—श्री रुद्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद देवरिया तहसील के अन्तर्गत ग्राम मथुरा द्वापर—मुन्डेरा मिश्र पहुबो, बैकुन्ठ पुर ग्राम छोटी गन्डक से कट रहे हैं ? यदि हां, तो इन गावों को बचाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, ग्राम मथुरा छपरा व महुबी की सुरक्षा हेतु प्रस्तावित दो ठोकरों का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है । ग्राम मुन्डेरा मिश्र में 3 टैपर्स निर्मित किये जा चुके हैं । ग्राम बकुन्ठपुर में ठोकरों का निर्माण कार्य 1980 में ही करा दिया गया था जहां इस वर्ष कोई कटान नहीं हुआ ।

*9—श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त ।]

लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

---

*10—श्री मोहन सिंह—

क्या सरकार ने 1-1-1981 ई0 को कोई ऐसा शासनादेश जारी किया है कि वर्ष 1979-80 के लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति 30-5-80 तक उपलब्ध रिक्तियों पर की जायें ? यदि हां, तो क्या प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के यहां इस श्रेणी की कितनी रिक्तियां 30-6-80 को उपलब्ध थी और क्या उन सभी पदों पर चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा उन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में दिनांक 30-6-80 को नैत्यिक कोटि लिपिकों के 7 पद रिक्त थे जिन पर जिला चयन समिति के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिसम्बर, 1980 में की गई ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो चयनित अभ्यर्थी थे इनमें से सभी की नियुक्ति कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जो लिस्ट थी वह कुल 16 आदमियों की थी । चयन समिति ने 16 आदमियों को नियुक्ति के लिए चुना था उनमें से सात को बुलाया गया । उन सातों में से बहुत से नहीं आए और बहुत से रिजाइन करके चले गए । इस तरह से जिस तरह से जिस आदमी का लिस्ट में 16वां नम्बर था उसको भी एप्वाइन्टमेन्ट मिल गया, अब कोई खाली पद नहीं है ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय संघ की मांग

*11--श्री मोहम्मद अबरार अहमद (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय संघ की इस मांग को मानने में क्या बाधा है कि उक्त कार्यालय के अनुसचिवीय कर्मचारियों को 3 से 5 वर्ष के अन्तर पर कार्यालय के अधिष्ठान निर्माण अनुभाग में विविध अनुभागों में स्थानान्तरित किया जावे ताकि उन्हें सभी प्रकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सके ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के अनुसचिवीय संघ की मांग को मानने में कोई बाधा नहीं है । इसी के अनुरूप ही सामान्यतः एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग को स्थानान्तरण किए जाते हैं ।

*12--श्री राम लाल वर्मा--

[20वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*13--श्री विमल कुमार तिवारी--

[17वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*14--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

शारदा नहर खंड, उन्नाव में अनुसूचित जाति के सींच परिवेक्षक, श्री रघुनाथ प्रसाद की सींचपाल के पद पर प्रत्यावर्तन

*15--श्री बदन सिंह तथा श्री प्रियदशी जेतली (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि शारदा नहर खंड, उन्नाव में अनुसूचित जाति के सींच परिवेक्षक (श्री रघुनाथ प्रसाद) को सींचपाल के पद पर जनवरी, 1981 में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है जबकि उक्त खंड में सींच परिवेक्षक के

28 पदों में से केवल दो पर ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तथा शासनादेश के अनुसार 18 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया ? क्या सरकार उक्त खंड में अनुसूचित जाति के कोटे की पूर्ति कराने की अविलम्ब व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां ।

जिलेदार के पद पर एक अस्थायी रिक्ति को भरने के लिए एक सींच पर्यवेक्षक को प्रोन्नत किया गया । इसके फलस्वरूप सींच पर्यवेक्षक के पद पर होने वाली इस अल्पकालिक रिक्ति में श्री रघुनाथ प्रसाद सींचपाल को अल्पकालिक प्रबन्ध में सींच पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया ।

नियमित जिलेदार के कार्यभार ग्रहण करने पर सींच पर्यवेक्षक अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो गए और उसी क्रम में श्री रघुनाथ प्रसाद भी सींचपाल के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो गए । क्योंकि यह एक अल्पकालिक व्यवस्था थी।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न संख्या 15 में श्री बदन सिंह तथा श्री प्रिय दर्शी जेतली का नाम था, मैंने सिर्फ बदन सिंह को बुलाया था, श्री जेतली को नहीं बुलाया था। श्री जेतली मौजूद हैं इसलिए पहले वह प्रश्न पूछ लें।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

माननीय, मुझे इसका उत्तर नहीं मिला और जब उत्तर नहीं मिला तो मैं इसका कोई सप्लीमेंटरी लेकर नहीं आया । न विभाग ने ही मेरे पास उत्तर भेजा और न यहां ही मुझको कोई कागज मिला । इसलिए इसको पोस्टपोन करके दूसरी तिथि लगाई जाय ताकि मैं इस पर प्रश्न पूछ सकूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिला ?

श्री प्रियदर्शी जेतली---

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो लाबी में भी रखा जाता है । आपको दिया जाता है और उसके साथ ही साथ लाबी में रखा जाता है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

लाबी में भी मुझको कोई कागज नहीं मिला। कहीं से मुझको दिला दीजिए ।

(प्रश्न संख्या 17 पुकारे जाने पर)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

अब मिला है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

अब मिला है तो जब प्रश्न समाप्त हो जायेंगे तब मैं आपको समय दे दूंगा, आप पूरक प्रश्न कर लीजिएगा।

सेवा निवृत्त, अधिशासी अभियन्ता, श्री वेद प्रकाश की पेंशन का भुगतान

*16--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या सिंचाई मन्त्री बतने की कृपा करेंगे कि श्री वेद प्रकाश, सेवा निवृत्त अधिशासी अभियन्ता को तीन वर्ष सेवा निवृत्त हुए पर उन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिलनी शुरू हुई? और उनका सेवा निवृत्ति से पहले का 6 वर्ष का वेतन भगतान भी आज तक नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों? उक्त सम्बन्ध में सेवा निवृत्त अधिशासी अभियन्ता के मामले में प्रश्नकर्ता के पत्र 5-10-80 व 14-11-80 पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री वेद प्रकाश अधिशासी अभियन्ता को शासन देश दिनांक 31-12-77 द्वारा तीन माह की नोटिस पर अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था। उक्त नोटिस उन्हें दिनांक 17-1-78 को हस्तगत कर ई गई थी। श्री वेद प्रकाश के विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित होने के कारण उनके पेंशन का भुगतान न किया जा सका। अनन्तः दिनांक 15-11-80 को अन्तिम पेंशन के भुगतान के आदेश शासन द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं।

श्री वेद प्रकाश दिनांक 24-5-72 से 18-4-78 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। अतः उक्त अवधि के वेतन का भुगतान न किया जा सका।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन में प्राप्त हुए तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही की गई।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

मैं मान्यवर, मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जांच का विषय क्या था, जांच अधिकारी कौन था और जांच किस दिनांक को पूरी कर दी गई?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कहा गया है कि ये अनुपस्थित रहे कई वर्ष तक गायब रहे। 24-4-72 से 18-4-78 तक। इनका कम्पलसरी रिटायरमेंट हो गया। इनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है उसी के बाद इनको कोई सुविधा दी जा सकती है।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

जांच किस अधिकारी ने की, किस दिनांक को आदेश हुए, जांच कब समाप्त हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा कि विजिलेंस की जांच चल रही है और जब···।

श्री अध्यक्ष--

आप पूछ रहे हैं कि कब शुरू हुई जांच, कब समाप्त हुई और किस अधिकारी ने जांच की ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बिना छुट्टी लिये कई वर्ष तक गायब रहे, इन सब चीजों को देख कर स्क्रीनिंग कमेटी ने 31-12-77 को उनको रिटायर कर दिया। इनके खिलाफ कई अन्य शिकायतें थीं जिन पर विजिलेंस की जांच हो रही है।

श्री हुकम सिंह--

1977 में मान्यवर, सेवा से मुक्त कर दिए गए, 4 साल हो गए, लेकिन सरकार अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि जांच कब तक पूरी होगी, बता सकें, हो सकता है, 4-5 साल और लग जाय, ये रहेंगे या नहीं। तो क्या कठिनाई है, क्या कोई समय निर्धारण करेंगे इसके लिए ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विजिलेंस को जांच में बहुत सी जानकारी करनी पड़ती है, कई लोगों से मिलना होता है, कागज आदि नहीं मिल पाते हैं, इसलिए विलम्ब होता है। लेकिन उनसे कहा जायेगा कि इसमें शीघ्रता करें।

श्री हुकम सिंह--

पेंशन देने में क्या कठिनाई है 4 साल तो हो गए ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच के दौरान कहा गया है कि 15-11-80 को अनन्तिम पेंशन के भुगतान के आदेश कर दिए गए हैं।

श्री रियासत हुसैन--

अगर इजाजत हो तो एक प्रश्न मैं कर लूं। अभी आया हूं, खन्ना जी की मेहमानदारी करके।

एक सदस्य--

आपकी लाल टोपी कहां रह गई ?

श्री रियासत हुसैन--

कांग्रेस वालों ने सिवाय इज्जत उतारने के कोई काम नहीं किया है, मेरी टोपी भी उतार ली।

श्री मोहन सिंह--

जेल में लाल टोपी पक्के लोगों को पहनाते हैं।

(हंसी)

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विजिलेंस की इन्क्वायरी चल रही है और 3 साल तक उस व्यक्ति को जो वेतन नहीं

मिला तो वह कितने एमाउन्ट का, कितने रुपये का इमाल्यूमेन्ट है जिसकी इन्क्वायरी विजिलेंस कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, वेतन तो उस समय का नहीं मिला जितने दिन उन्होंने काम नहीं किया और बिना छुट्टी लिए गायब रहे क्योंकि बिना काम किए और बिना छुट्टी मंजूर हुए तो वेतन नहीं दिया जा सकता। विजिलेंस द्वारा तो करप्शन के केसेज की जांच हो रही है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जायेगी तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके ऊपर क्या-क्या चार्ज हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि जितने दिन वह छुट्टी पर रहे उसका वेतन उनको नहीं मिला है और उस छुट्टी का अभी निर्णय नहीं हुआ है तो यह काम तो शासन को तय करना है, इसका विजिलेंस की इन्क्वायरी से कोई मतलब नहीं है। इस सम्बन्ध में शासन को निर्णय लेने में क्यों देरी हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शासन ने तो यह निर्णय लिया है कि जितने दिन वह गायब रहे उस समय का उनको वेतन नहीं दिया जायेगा। विजिलेंस तो करप्शन की जांच कर रहा है।

श्री वी० पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रिग्स खण्ड, कानपुर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

*17--श्री राम औतार दीक्षित, श्री श्याम नरायन तिवारी तथा श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि श्री वी० पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रिग्स खण्ड, कानपुर के उनके रिग्स खण्ड, बनारस के कार्यालय में की गई अनियमितताओं के लिए शासनादेश 333/अधि०/76/23, दिनांक 22-5-76 से निलम्बित कर दिया गया था एवं बिना जांच पूर्ण हुए ही शासनादेश 3902/76/23, दिनांक 24-6-76 से निलम्बन से मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसी अभियन्ता के विरुद्ध रिग्स खण्ड, कानपुर एवं नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर के इनके कार्यकाल में की गई अनियमितताओं पर जांच चल रही है ? यदि हां, तो आरोप और जांच का माध्यम क्या है ? ऐसे अधिकारी को किस आधार पर वर्तमान समय में महत्वपूर्ण पद पर (रिग्स खण्ड, कानपुर) अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थापित किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, श्री वी० पी० सिंह के निलम्बन आदेश को लोक सेवा अधिकरण द्वारा स्थगित कर दिया गया था। न्याय विभाग के परामर्शानुसार श्री सिंह के निलम्बन आदेश को 13 जुलाई, 1976 के आदेश द्वारा वापस भी ले लिया गया था।

श्री सिंह के विरुद्ध रिग्स खंड कानपुर की कोई जांच नहीं चल रही है। नलकूप खंड, शाहजहांपुर के कार्यकाल के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन यादव तथा

[श्री वीर बहादुर सिंह---]

श्री सैयद अनवर जमील के शिकायती पत्रों पर क्रमशः मुख्य अभियन्ता, नलकूप मेरठ तथा अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, बरेली से जांच करायी जा रही है । मुख्य आरोप मोल्डों की आपूर्ति में अनियमितता तथा बिजली की चोरी से सम्बन्धित है ।

श्री सिंह को अधिशासी अभियन्ता रिग्स प्रखंड, कानपुर में जनहित में तैनात किया गया है ।

श्री राम औतार दीक्षित---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी अनियमिततायें सम्बन्धित अधिकारी के विषय में पायी गयीं, जिनके आधार पर निलम्बन किया गया और जब तक उनके खिलाफ जांच की कार्यवाही चल रही है, निलम्बन का आदेश किस तरह से वापस किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

अधिशासी अभियन्ता जब रिग्स खड में थे तब उनके विरुद्ध मशीनों की मरम्मत आदि में अनियमितताओं के सम्बन्ध में माननीय ऊदल जी ने विधान सभा में प्रश्न उठाया था । निलम्बन का आदेश होने के बाद वे वहां से लोक सेवा अधिकरण में चले गये थे । जब वे सन् 1976 में वहां चले गये तो लोक सेवा अधिकरण ने निलम्बन का आदेश वापस लेने की बात कही और इस तरह से उनके विरुद्ध निलम्बन का आदेश वापस ले लिया गया ।

सुल्तानपुर बस स्टेशन की कैन्टीन के ठेके का आधार

*18---श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15-1-81 को सुल्तानपुर बस स्टेशन की कैन्टीन के सम्बन्ध में किस-किस के कितने-कितने रुपये के टेंडर प्राप्त हुए ? क्या यह सही है कि उनमें से सबसे ऊंची बोली वाले को न आवंटित करके किसी अन्य व्यक्ति को डेलीवेजेज के आधार पर ठेका दिया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रणाली से कितने की हानि रोजाना हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर तथा पाइन्स नैनीताल के छात्रों द्वारा क्रमिक अनशन तथा मांगे

*19---श्री ऊदल---

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र बक्शी का तालाब, लखनऊ, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर तथा पाइन्स, नैनीताल के छात्र 23 फरवरी, 1981 से सामूहिक अनशन विधान भवन, लखनऊ के सामने छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी, अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था एवं उपकरण अनुदान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ? और इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को 27-1-81 तथा हरिजन कल्याण मंत्री एवं निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को प्रार्थना पत्र भी दिए थे ? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा--

1--विधान भवन लखनऊ के सामने राजकीय औद्योगिक केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर तथा पाइन्स, नैनीताल के छात्र 23 फरवरी, 1981 से क्रमिक अनशन पर रहे तथा प्रार्थना-पत्र 27-1-81 भी प्राप्त हुआ था ।

2--इस सम्बन्ध में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब लखनऊ एवं लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर के छात्रावासी प्रशिक्षार्थियों के छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि 45 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति माह प्रतिछात्र कर दी गयी है एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पाइन्स, नैनीताल के छात्रावासी छात्रों की दरें 50 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 70 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र कर दी गई हैं ।

3--उत्तीर्ण छात्रों को 500 रु0 तक के उपकरण क्रय कर दिये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

4--प्रशिक्षार्थियों के अप्रेन्टिसशिप की सुविधा की व्यवस्था हेतु निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0 प्र0, लखनऊ को लिख दिया गया है, साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया गया है कि उत्तीर्ण हुए छात्रों की सूची वे निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0 प्र0 को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे की यह जो 45 रुपये की जगह 60 रु0 किया गया हैं और 60 रु0 की जगह 70 रु0 किया गया है, आज के युग में इन हरिजन छात्रों को नैनीताल, बक्शी का तालाब और गोरखपुर जैसे स्थानों में रहने के लिए इतना बढ़ने पर भी बहुत कम है, इसलिए क्या इसको कम से कस 100 रु0 करने पर विचार करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्री ऊदल जी ने कहा वह ठीक ही है, उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री ऊदल--

इस सम्बन्ध में सरकार ने यह नियम बनाया हुआ है कि हरिजन छात्रों को पालीटेकनिक अप्रेंटिस के रूप में तीन जगह ट्रेनिंग दी जायेगी । नियमतः उसकी लिस्ट प्रधानाचार्य की तरफ से सेवा योजन निदेशक को भेजी जायेगी । वह लिस्ट अब तक नहीं भेजी जाती थी । तो क्या सरकार उन प्रधानाचार्यों को निदेश देगी कि वे अपनी लिस्ट अप्रेंटिसशिप की सेवायोजन निदेशक के पास अवश्य भेजें, इसके लिए वे सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो लोग इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लें उनको अप्रिंटिसशिप मिल जाय यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

नलकूप खन्ड द्वितीय, आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री मुश्ताक अहमद, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण

*20--श्री मारकन्डेय चन्द्र (अनुपस्थित)--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में नलकूप खन्ड द्वितीय के अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 9-12-80 को श्री मुश्ताक अहमद अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण दिनांक 3-12-1980 के शासनादेश के विरुद्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खन्ड द्वितीय आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री मुश्ताक अहमद, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण 9-12-80 को उनके निजी अनुरोध पर पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, नलकूप उपखंड तृतीय में रिक्त पद पर इस शर्त पर किया गया कि उन्हें यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 3-12-80 को अधिशासी अभियन्ता, नलकूप आजमगढ़ को 23-12-80 को तथा अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खन्ड द्वितीय, आजमगढ़ को 13-1-81 को प्राप्त हुआ । उपरोक्त परिस्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पनकी तापीय विद्युत गृह में विस्फोट

**1--श्री हरिवंश सहाय तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ऊर्जा मन्त्री बतायेंगे कि पनकी पावर हाउस, जिला कानपुर में अगस्त, 1981 के दूसरे सप्ताह में विस्फोट हुआ था ? यदि हां, तो विस्फोट का क्या कारण था, कितने का नुकसान हुआ तथा उसके दोषी कौन लोग हैं ?

ऊर्जा उपमन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

जी हां ।

पनकी तापीय विद्युत गृह में 10 अगस्त, 1981 को 32 मेगावाट क्षमता का टरबो जेनेटर नं0 2 विस्फोटक ध्वनि के साथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया इन सभी मुद्दों पर विस्तृत जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा करायी जा रही है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने का नुकसान हुआ, यह प्रश्न में दिया है इस का उत्तर नहीं आया । दूसरा कौन कौन अधिकारी उस समय कार्यरत थे जिस समय विस्फोट हुआ ?

श्री सुनील शास्त्री--

चूंकि अभी हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यह समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी तभी हमें सही क्षति जो हुई

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्न समाप्त हो गये ।

उस की धनराशि का पता चलेगा । जहां तक अधिकारियों का सवाल है, वहां पर उस समय कार्यरत थे एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सिफ्ट पर, दूसरे अधिकारी थे एसिस्टेन्ट इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स और टरबाइन आपरेटर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि पावर हाउस की कुल क्षमता कितनी थी और उस समय वह किस क्षमता पर चल रहा था । क्या यह सही है कि उसके जो आटोमेटिक रिलीजर थे वह खराब हो चुके थे जिससे वह कितनी क्षमता से चल रहा है इसकी जानकारी नहीं हो पा रही थी ।

श्री सुनील शास्त्री—

पनकी में पर यूनिट की क्षमता 32 मेगावाट है और 32 मेगावाट की मशीन उस समय 22 मेगावाट पर चल रही थी । जब ग्रिड में फेल्योर आया तो वह मशीन 22 मेगावाट से 33 मेगावाट पर गयी । उस समय जो वहां पर अधिकारी थे उन्होंने मैनुअली, हाथ से, उस मशीन को रोका । जहां तक वाल्व के बारे में बात है जब तक जो समिति गठित की गई है वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे देगी अभी ऊपर से यह कह देना कि मशीन के वाल्व खराब थे यह सम्भव नहीं है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो जांच समिति बनाई गई है उसमें कौन-कौन लोग हैं और उन के क्या-क्या नाम हैं ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, एक समिति श्री बी० सिन्हा, डाइरेक्टर जनरल, पावर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सोसाइटी की अध्यक्षता में गठित की गई है । इसमें अन्य सदस्य हैं श्री एम० के० सेठ, डिप्टी मैनेजर, कमीशनिंग, नार्दन रीजन, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् श्री एस० सी० टन्डन, चीफ हैं इन्डस्ट्रियल मैट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्ट के अधिकारी जिनको केन्द्रीय इलैक्ट्रिसिटी एथारिटी, सी० ई० ए० ने नियुक्त किया है ।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी ने स्वयं पनकी पावर हाउस को देखा है और देखने के बाद ऐसा अन्दाजा लगता है कि एक करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में मैं पहले कह चुका हूं जब तक रिपोर्ट पूरी नहीं हमारे पास आयेगी तब तक यह कहना कि उस पर क्या नुकसान हुआ (व्यवधान) जहां तक मेरा सवाल है मैंने स्वयं उस का निरीक्षण किया और वहां पर ऐसी कोई बात अभी तक साबित नहीं होती है कि इसमें किसी का हाथ हो या जहां तक तकनीकी बात का प्रश्न है, तकनीकी फाल्ट के कारण ही वह मशीन गिरी है । बाकी इसकी विस्तृत जानकारी रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकती है ।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा गया था कि इससे कितने की क्षति हुई थी उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि उसके टरबाईन और जनरेटर बुरी तरह क्षति ग्रस्त हो गये थे । इसकी क्षति का अनुमान लगभग 1 करोड़ रुपये से अधिक है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मशीन कब खरीदी गई थी, किस कम्पनी से खरीदी गई थी और किस अधिकारी द्वारा खरीदी गई थी ?

श्री अध्यक्ष--

इसके सम्बन्ध में आप अलग से प्रश्न कर लीजियेगा । इससे यह नहीं उठता है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें । मुख्य मन्त्री जी बताना भी चाहते हैं । इससे सदन को मालूम हो जायेगा कि किस कम्पनी से मशीन खरीदी गई थी, किस अधिकारी द्वारा खरीदी गई थी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं सूचना दे दूं कि यह मशीन यूगोस्लेविया से खरीदी गई थी ।

स्थानीय विकास एवं अन्त्योदय योजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय पर रोक

**2--श्री बलवीर सिंह (रामपुर) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने दिनांक 27 जुलाई, 1981 को जिला परिषदों द्वारा अन्त्योदय (स्थानीय विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत ऋण वितरण पर पूर्ण रूपेण प्रतिबन्ध लगा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

25 जुलाई, 1981 के रेडियोग्राम द्वारा स्थानीय विकास एवं अन्त्योदय योजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय पर रोक लगा दी गयी । तदुपरान्त 10 अगस्त, 1981 के शासनादेश द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 1 अगस्त, 1981 के पश्चात् कोई नया व्यय न करने तथा बचनबद्ध धनराशि व्यय करने तथा विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लिए भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग अन्त्योदय योजना के लक्षित वर्ग (केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों) के लिए पूर्ववत् करते रहने का आदेश दिया गया है ।

प्रदेश शासन द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनतम व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जा रही थी । भारत सरकार से 50 प्रतिशत सहायता प्राप्त एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के 2 अक्तूबर, 1980 से प्रदेश के समस्त विकास खंडों में लागू होने के फलस्वरूप अन्त्योदय योजना के अभिलक्षित वर्ग को भी इस योजना के अन्तर्गत सहायता देना सम्भव हो गया । प्रदेश शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अन्त्योदय तथा एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत समान लक्षित वर्ग को उसी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय विकास एवं अन्त्योदय योजना को उपलब्ध धनराशि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया । अन्त्योदय के अन्तर्गत लक्षित परिवारों को अब एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में लाभान्वित किया जा रहा है ।

श्री बलबीर सिंह--

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अन्त्योदय परिवारों का चयन किया जा चुका था अथवा लक्षित जो परिवार हैं उनको ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । ले लिया गया है और लिया जायेगा । उनको वे सभी सुविधायें जैसे अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत मिलती थीं वे आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत मिलेंगी ।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, मैंने पूछा है कि ग्राम्य विकास योजना में क्या उन सभी ग्रामों को लिया गया है जिनका चयन अन्त्योदय ग्रामों के अन्तर्गत लिया गया था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना प्रदेश के सभी विकास खंडों में लागू की गई है ।

श्री बलबीर सिंह--

मेरा प्रश्न यह है कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत हर ग्राम सभा में से 6 परिवारों को चयनित किया गया था, लेकिन एकीकृत ग्राम विकास योजना में कुछ ही ग्राम लिए गए हैं जिसमें केवल 600 परिवार हैं । तो उन अन्त्योदय परिवारों का क्या होगा जिनको एकीकृत ग्राम विकास योजना में नहीं लिया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऐसा नहीं है, जो परिवार अन्त्योदय में चयन हो चुके हैं उन्हें भी रखा जायेगा । कुल मिलाकर 6 सौ परिवार हर ब्लाक में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए सेलेक्ट किए जायेंगे ।

श्री बलबीर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन परिवारों को एकीकृत ग्राम विकास योजना में चयनित किया गया है यानी 6 सौ परिवारों का चयन किया गया है क्या उनकी लिस्ट विकास में प्रकाशित कर दी गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है वैसे शासनादेश हो चुका है । आशा की जाती है कि वहां पर 6 सौ परिवारों का चयन हो गया होगा ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है । आज किसान ग्राम सेवकों के मोहताज बने हुए हैं जो लोग पैसा दे रहे हैं उन्हें वह चयन कर रहे हैं । मेरे प्रश्न का अभिप्राय यह है कि इस सम्बन्ध में आप सूचना उपलब्ध करा दें ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसके लिए आप अलग से प्रश्न करें जो सूचना आप चाहेंगे मंगा कर दे दी जायेगी ।

श्री अकबाल हुसैन--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऋण वितरण का जो कार्य जिला परिषदें करती थीं क्या अब भी उसके लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ? क्योंकि यह शिकायत आम आई है कि लीड बैंक जैसे हमारे यहां गोंडा में लीड बैंक, इलाहाबाद बैंक हैं । वहां पर गैंसड़ी विकास खंड वगैरह में लीड बैंक ऋण उपलब्ध नहीं कराता है । पहले जिला परिषदों से कुछ पैसा मिल जाता था और अब वह समाप्त कर दिया गया है जिससे वहां कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है तो क्या अब जिला परिषद से ऋण दिलायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, कुछ शिकायतें जरूर आई हैं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वह कुछ बाधायें क्रियेट करते हैं, कहीं-कहीं नहीं दे रहे हैं । तो इसके लिए जिलाधिकारियों को लिखा जायेगा और राष्ट्रीयकृत बकों को भी लिखा जायेगा कि वह इस योजना को सफल बनाने में योगदान दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय बलबीर सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा था उसी को मैं इस तरह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पहले जो योजना थी उसके अनुसार सब्सिडी का पूरा-पूरा पैसा सरकार जिला परिषदों के माध्यम से स्वयं वहन करती थी । मेरे जिले में कई सौ आवेदन-पत्र उनकी पत्रावली सब तरह से कम्प्लीट होकर जिला परिषद के विचाराधीन थी । अब यह जो 6 सौ परिवारों का चयन किया गया है इसमें हो सकता है कि जिन गांवों के लोगों के पत्रावली जमा हो गयी हैं वह लोग इस एकीकृत योजना में न शामिल हो सके हों । तो मैं स्पष्टरूप से जानना चाहता हूं कि जो आवेदन-पत्र पूरी तरह से जांच पड़ताल कर जिला परिषदों के पास पड़े हुए थे उनको आपने 25 जुलाई, से बन्द कर दिया है तो उनके सम्बन्ध में क्या नीति है । क्या उनको उन शर्तों पर ऋण दिलवायेंगे या उन्हें ट्रान्सफर कर देंगे या नए सिरे से आवेदन वह देंगे ?

दूसरी बात बैंकों के सम्बन्ध में है । कुछ बैंक आपने भी कहा ऋण नहीं दे रहे हैं और कहा कि उनको लिखेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि शासन का ध्यान पहली बार इस सम्बन्ध में कब गया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मैं इस सिलसिले में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो 10 अगस्त, 1981 को शासनादेश प्रसारित किया गया था उसकी मंशा यह थी कि जो कमिटमेन्ट 1 अगस्त से पहले चयनित परिवारों के लिए हो गए थे या जिसको एक या दो किस्त मिल गई थी, उन परिवारों को आगे भी वह सुविधाएं दी जायेंगी, पुरानी शर्तों पर ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरे प्रश्न के उत्तरार्द्ध का उत्तर नहीं आया, बैंक जो हैं, वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बाधा उपस्थिति कर रहे हैं यह जानकारी आपको कब मिली और उसको दूर करने के लिए आपने क्या उपाय किए ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसकी मुझे निश्चित जानकारी नहीं है कि इसकी निश्चित सूचना कब मिली है, लेकिन यह जानकारी मुझे लोगों ने बतायी और डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने भी। इस पर हम विचार कर रहे हैं और राष्ट्र यकृत बैंकों और जिलाधिकारियों को लिखा जायेगा, ताकि उनमें परस्पर कोआर्डिनेशन हो सके और वह उनको दूर करने को कोशिश करें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

एक ब्लाक में 6 सौ परिवारों को जो चुनने की बात है और पहले 15 परिवार की शर्त थी, तो मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि इन 600 लोगों को चुनने का मापदन्ड क्या है ? या सरकारी आदमी रिपोर्ट देते हैं उसके आधार पर चुनते हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसको गांव सभाएं ही चुनेंगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

यह प्रति गांव सभा के हिसाब से आप ले रहे हैं या 600 का कलस्टर बना रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह रेवेन्यू विलेज के हिसाब से इनका सेलेक्शन होगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मेरे प्रश्न का उत्तर साफ नहीं हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव--

600 चूंकि हैं और जितने रेवेन्यू विलेजेज हैं, उसके हिसाब से इसको किया जायेगा ।

श्री मित्रसेन--

आपने बताया कि उन प्रार्थना-पत्रों पर जिन पर भुगतान किया है, उनको तो करा देंगे, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनको कोई किस्त भुगतान नहीं हुई है, क्या उनको भी आप एकीकृत योजना में शामिल करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जो प्रार्थना-पत्र जा चुके हैं, मैंने पहले ही प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि 1 अगस्त से पहले जिनके कमिटमेन्ट्स हो चुके हैं, किस्त मिल चुकी है, उनके लिए कमिटमेन्ट्स पूरे किए जायेंगे । अब जिनको लाभान्वित होना है, वे अपनी

अप्लीकेशन एकीकृत विकास योजना में लगायेंगे और ऐसे लोगों की सहायता की जाएगी ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब तक एकीकृत विकास योजना में चयनित परिवार कितने हैं ? और क्या मेरी बात को सही मानकर कि मेरे क्षेत्र में अब तक चयनित परिवारों में से 10 प्रतिशत परिवारों को भी बैंकों के माध्यम से ऋण नहीं दिया गया है, जब डाक्टर अम्मार रिजवी उसके मंत्री थे तो मैंने उनसे भी इस बारे में कई बार कहा था कि बैंकों के द्वारा चयनित परिवारों को धन नहीं दिया जा रहा है और शासन को खामख्वाह गुमराह किया जा रहा है और मुख्य मंत्री से भी कहा है इस बात के लिए, तो शासन यदि इसको सही ढंग से कार्यान्वित करना चाहता है तो मेरा सुझाव है कि जैसा गुप्त जी ने अभी कहा, जिस तरीके से अन्त्योदय परिवारों को पहले सुविधा दी जा रही थी जिला परिषदों और ब्लाकों के माध्यम से उसी प्रकार से फिर चयनित परिवारों को यह सुविधा दी जाए । क्या यह सरकार ऐसा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय जसवंत सिंह बिष्ट जी का पूरा भाषण हो गया । मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जहां तक बैंकों का प्रश्न है, सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को परसुएड करके हर ब्लाक में एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन परिवारों को ऋण मिला है उनको कोई किताब नहीं मिली है जिससे वे जान सकते कि उन्हें कितना ऋण मिला, कितनी उन्हें छूट मिलेगी, कब उन्हें किस्त जमा करनी होगी । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे सभी परिवारों को जिनको ऋण मिला है, किताब दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री विजा सागर नौटियाल—

पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे अपनी अपनी ही सीमाओं के कारण अपनी परिधि से आठ किलोमीटर बाहर धन वितरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम स्टाफ होता है । तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे क्षेत्रों में जो निर्बल वर्ग के लोगों को ऋण बांटा जाय वह जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से बांटा जाय ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस पर शासन विचार कर लेगा ।

श्री शंकर सिंह—

देखा यह गया है कि जिन परिवारों का चयन होता है उनके सम्बन्ध में सरकारी अधिकारी और बैंक के अधिकारी कुछ पैसा घसीटने के चक्कर में

सिर्फ देर किया करते हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा प्रोग्राम बनायेंगे जिससे जिनकी औपचारिकतायें पूरी हो जायं तो उनको एक निश्चित अवधि के अन्दर निश्चित रूप से ऋण दे दिया जाय ।

श्री बलराम सिंह यादव--

अवश्य विचार किया जायेगा ।

श्री मेंहदी असगर--

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात है कि ऋण के लिए दरख्वास्त दी गयी, वे बिल्कुल मुकम्मल हैं लेकिन जब प्रार्थी बैंक में पहुंचते हैं तो वहां के अधिकारी जानबूझकर उनको ऋण नहीं देते हैं तो क्या मंत्री जी जिलाधिकारियों को कोई विशेष अधिकार देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस तरह के आदेशों के बारे मे मेरे पास सूचना नहीं है । वैसे जिलाधिकारियों को अलग से लिखा जायेगा ताकि अगर कहीं पर इस प्रकार की शिकायतें हों तो वे तुरन्त इन्टरवीन करके कार्यवाही कर सकें ।

श्री केदार नाथ सिंह--

जिस 600 परिवारों को चयनित करने की बात कही गयी है वे कितने विकास खंडों म चयनित किये जा चुके हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह तो बड़ा विस्तृत प्रश्न है ।

श्री केदार नाथ सिंह--

इस प्रश्न की अहमियत इसी विषय से है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी परिवारों को चयनित नहीं किया गया है लेकिन विकास खंडों पर सौदे बाजी की जा रही है । किसानों से भरपूर पैसा वसूला जा रहा है । अगर इसकी सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं करायी गयी तो ग्राम सभाओं को प्रदेश के किसानों को लूटने की पूरी छूट होगी ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बलबीर सिंह--

जिन 600 परिवारों को चयनित किया गया है वे केवल 20 ग्राम सभाओं में से लिए गय हैं । उनके अतिरिक्त जो परिवार अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित किए गये हैं वे एकीकृत ग्राम विकास योजना में नहीं हैं तो उनके लिए शासन द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ? क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि उनको एकीकृत योजना में लिया ही जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, मैंने बताया कि जो अन्त्योदय योजना है उसको इस ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत मिला दिया गया है । एक अगस्त, 1981 से पहले जिन लोगों की एपलीकेशन्स आ चुकी थीं या जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं उनको आगे भी इस योजना के अन्तर्गत भी उसी अनुसार मिलती रहेगी ।

लेकिन अब जो योजना शुरू की गयी है इसमें अन्य लोग भी लाभान्वित होना चाहेंगे तो वे लाभान्वित हो सकेंगे ।

श्री माधव प्रसाद—

बेरोजगार योजना के अन्तर्गत जो 600 परिवार चुने गये हैं, मेरा निवेदन यह है कि जो छोटे छोटे कम जोत वाले काश्तकार हैं उनको राष्ट्रीयकृत बैंक कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है । तो क्या मंत्री जी ऐसे लोगों की सहायता करने के लिये इस बेरोजगार योजना के अन्तर्गत कोई ऐसी अन्य योजना बनायेंगे जिससे कि ऐसे कम जोत वाले लोगों को कर्ज मिल सके ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह तो नहीं कहा जा सकता कि बैंक सहायता नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं पर अगर कोई शिकायत आती है तो इन्तजाम किया जाता है । कोई अलग एजेन्सी का निर्माण करना मुमकिन नहीं है ।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय मंत्री जी ने जो हर ब्लाक से 600 परिवार लेने की बात कही है, यह कोई हार्ड ऐन्ड फास्ट रूल नहीं है, मेरे ब्लाक में 931 परिवार चुने गये । तो क्या मंत्री जी कोई ऐसे आदेश देंगे कि जिससे हर ग्राम सभा से कम से कम 5 परिवार का चयन अवश्य हो ।

श्री बलराम सिंह यादव—

इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्रकुमार गुप्त—

मंत्री जी ने कई बार कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे देखें कि बैंक अपना सहयोग दें । मैं यह जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों के पास ऐसे कौन से अधिकार हैं जिसके तहत वे अपने यहां के राष्ट्रीयकृत बैंकों को बाध्य कर सकेंगे कि वे इस योजना के अन्तर्गत लोन दें । एक दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी कि वह केन्द्रीय सरकार को लिखे कि वे इन बैंकों को, क्योंकि यह बैंक केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आते हैं, बाधित करे कि बैंक इस स्कीम के अन्तर्गत 5000 रुपये से कम की लोनिंग के लिये भी एक निर्धारित प्रतिशत तय करें और सुविधायें प्रदान करें ।

श्री बलराम सिंह यादव—

केन्द्रीय सरकार को इसके लिये लिखा जायेगा । जिलाधिकारियों के बारे में कोई ऐसे आदेश हैं, यह तो मैं इस वक्त नहीं बतला पाऊंगा पर चूंकि वह जिले का सबसे बड़ा अफसर होता है वह अपने प्रभाव से इन बैंकों से बात करके कुछ न कुछ करा सकता है । जैसा मैंने कहा, हम केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे कि वह इस योजना के अन्तर्गत ब्लाकों में इस वितरण प्रणाली की सुविधा प्रदान कराये ।

नोटः—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

आपातकाल में सेवाच्युत किये गये रोडवेज कर्मचारी तथा उनकी पुर्नियुक्ति

1--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति में दिनांक 30-9-75 को 76 स्थायी एवं अस्थायी परिचालक विभिन्न आरोपों में सेवा निवृत्त कर दिये गये थे ? क्या भारत सरकार ने 1976 में ऐसे आदेश दिये गये थे कि भारत सरकार तथा स्थानीय निकायों के समस्त कर्मचारी जो आपातकाल में निकाले गये थे पुनः सेवारत कर दिये जायं ? क्या इन निकाले हुए रोडवेज कर्मचारियों में से अधिकांश को वापस नौकरी में लिया गया है ? जिन परिचालकों को अबतक सेवारत नहीं किया गया उनके नाम क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप खंड, शाहजहांपुर के कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नियुक्तियां

2--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सिंचाई मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में वर्ष 1977 से 1980 तक कार्य प्रभावित अधिष्ठान में नियुक्तियां अनियमित ढंग से बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मांगे की गयीं ? क्या मुख्य अभियन्ता ने नई नियुक्तियां न करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नलकूप खंड, शाहजहांपुर में वर्ष 1977 से 1980 तक कार्य प्रभारित अधिष्ठान में 17 नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नाम मांगकर एवं 79 नियुक्तियां सीधे (बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाये) की गईं मुख्य अभियन्ता ने पत्र संख्या 7946/ई-5, दिनांक 2-9-74 द्वारा 6 नई नियुक्तियां न करने के आदेश दिये थे तथा इस पत्र में यह भी कहा गया था कि जनहित में बहुत आवश्यक होने पर ही कार्यप्रभारी कर्मचारी नियुक्त किये जा सकते हैं । इस प्रकार उपयुक्त नियुक्तियां कार्य की आवश्यकता को देखते हुये जनहित में मुख्य अभियन्ता के उपयुक्त आदेशानुसार की गयी हैं।

नलकूप खंड, शाहजहांपुर में स्वीकृत किये गये 150 सी० सी० पाइप मोल्ड तथा उनका वजन

3--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में माप पुस्तिका 1607 के पेज 43-46 पर अनुबन्ध संख्या 3/ईई-77-78 से 150 सी० सी० पाइप मोल्ड निर्धारित माप दन्ड से निम्न स्तर के स्वीकार किये गए थे ? क्या अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 15-5-78 को अपनी चेकिंग में इन मोल्डों का निर्धारित वजन से कम वजन का पाया था ? यदि हां, तो यह घटिया स्तर के मोल्ड किस आधार पर स्वीकार किए गये ? दोषी पर्यवेक्षीय अधिकारियों, जिन्होंने इस आपूर्ति पर पूर्ण भुगतान स्वीकृत किया था, पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी ?

सिचाई राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

जी हां। नलकूप खंड, शाहजहांपुर में माप पुस्तिका संख्या 1607 के पेज 43-46 पर अंकित माप के अनुसार अनुबन्ध संख्या 3/ईई/77-78 के विरुद्ध 150 सी० सी० पाइप मोल्ड जिनके फैलेन्जेज निर्धारित मापदन्ड से निम्नस्तर के थे स्वीकार किये गये। अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 15-5-78 को अपनी चेकिंग में इन मोल्डों के फलेन्जेज निर्धारित वजन से कम वजन पाया था। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

नलकूप खंड, शाहजहांपुर में नलकूपों हेतु उपलब्ध स्टार्टर

4--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सिचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में वर्ष 1978-79 में कितने स्टार्टर कितने नलकूपों के लिए उपलब्ध थे एवं अन्य कितने स्टार्टरों की मांग की गई ? कुल कितने स्टार्टरों का क्रय वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में किय गया ? क्या वह क्रय अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित (अधिकतम न्यूनतम) सीमा से अधिक किया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

नलकूप खंड, शाहजहांपुर के केन्द्रीय भंडार में वर्ष 1978-79 में (1-4-78) को 20 स्टार्टर नलकूपों के लये नलकूपों पर लगे हुए स्टार्टरों के अतिरिक्त उपलब्ध थे एवं विभिन्न मेक के 100 स्टार्टरों की मांग की गयी थी। वर्ष 1977-78, 1978-79 एव 1979-80 में 218 (25+99+94) स्टार्टरों का क्रय किया गया। अधीक्षण अभियन्ता द्वार स्टार्टरों के क्रय हेतु कोई सीमा (अधिकतम-न्यूनतम) निर्धारित नहीं थीं। अतः अधीक्षण अभियन्त द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक स्टार्टरों का क्रय किये जाने तथा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

परिवहन विभाग, जिला आजमगढ़ में अनियमित ढंग से परिचालकों की नियुक्ति

5--श्री लालसा--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ परिवहन विभाग में भ्रष्ट तरीकों के कुछ परिचालकों को नियुक्त करने हेतु बनी चुनाव की सूची वर्ष 1980 शासन द्वारा रद्द कर दी गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से उक्त सूची में कुछ परिचालकों को डियूटी पर कार्य करने हेतु रखा गया जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच कराकर ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यव ही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय जिलों में स्थापित नये चिकित्सालय

6--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक में पर्वतीय जिलों के लिए कितने अलग-अलग पद्धति के चिकित्सालय स्वीकर

किए गये थे ? उनको खोलने के लिए क्या आधार रहा था तथा किस-किस विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर चिकित्सालय खोले गये हैं ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक में 50 ग्रामीण एलोपैथिक 10 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक एवं 5 महिला चिकित्सालयों तथा 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राविधान किया गया था । ये सभी चिकित्सालय एवं केन्द्र पर्वतीय जनपदों के विभिन्न विकास खंडों में जनसंख्या दूरी विशेष भौगोलिक परिस्थिति तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन आदि को ध्यान में रखते हुये खोले गये हैं । इन चिकित्सालयों की जिलावार सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 446 पर ।)

गंगा नहर विभाग, मेरठ मंडल के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

7--श्री मन्जूर अहमद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मंडल के मध्य गंगा नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपयों के सम्बन्ध में दिनांक 19-1-81 को वहां की जनता का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 18 जनवरी, 1981 जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित था, के साथ श्री राधेश्याम शर्मा का दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ जिस पर सतर्कता जांच के आदेश 21 फरवरी, 1981 को दिये जा चुके हैं । चूंकि जांच प्रचलित है अतः जनहित एवं गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है ।

8--श्री प्रियदर्शी जेतली--

[16 मार्च, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 15 की पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद बदायूं के प्रथम एवं द्वितीय नलकूप खंड के वर्क चार्ज में कार्यरत कूप चालक

9--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-1-81 को जनपद बदायूं के दोनों नलकूप खंड प्रथम एवं द्वितीय में कितने कूप चालक वकचार्ज में कार्यरत हैं, इनमें से बोर्ड द्वारा चुने गये कितने कूप चालक हैं ? इनको अब तक रेगुलर क्यों नहीं किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद बदायूं के नलकूप खंड प्रथम व द्वितीय में दिनांक 31-1-81 को कुल 95 कूप चालक वर्कचार्ज में कार्यरत थे ।

ये सभी कार्य प्रभारित कूप चालक बोर्ड द्वारा चुने गये थे ।

इनमें से 5 कूप चालकों को नियमित अधिष्ठान में रेगुलर कर दिया गया है ।

शेष कूप चालकों को नियमित अधिष्ठान में पद रिक्त न होने के कारण रेगुलर नहीं किया जा सका है ।

ग्राम अधकटा नजराना पर नदी का कटान तथा अनुमोदित निर्माण कार्य

10—श्री चेतराम गंगवार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको जिला बरेली में तहसील नवाबगंज के ग्राम अधकटा नजराना के निवासियों श्री राम मूर्ति, गजाधर प्रसाद, प्रभवा प्रसाद, उमाशंकर और अनोखे लाल आदि द्वारा दिया गया पत्र दिनांक 23-12-80 को मिला है जिसमें ग्रामवासियों ने ग्राम को अफसरहा नदी के कटान से रोकने तथा बचाने की बात कही है ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस प्रार्थना-पत्र पर ग्राम को कटाव से बचाने के लिए आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम अधकटा नजराना के नहीं बल्कि ग्राम अधकटा रब्बानी बेगम के प्रार्थीगणों का इन्हीं नामों से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है । कार्यकाल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम अधकट नजराना पर भी नदी का कटान हो रहा है । इस क्षेत्र की बाढ़ सुरक्षा योजना लागत 1.08 रु0 लाख का तकनीकी सलाहकार समिति ने अपनी 67वीं बैठक में अनुमोदित कर दिया है । योजना का निर्णय कार्य प्रारम्भ कराने के आदेश भी दिये जा चुके हैं ।

कनहर प्रायोजना के कार्यों पर व्यय तथा प्रगति

11—श्री विजय सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के कनहर परियोजना में अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? अब तक कितना कार्य हुआ है तथा उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कनहर परियोजना के कार्यों पर जुलाई, 1981 तक 1,282.81 लाख रुपये व्यय हुआ है । बांध स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य एवं बांध स्थल पर सर्वेक्षण लगभग पूर्ण हो चुका है । अन्य मुख्य कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है—

(1) बांध के कोर ट्रेन्च की खुदाई	42.4 प्रतिशत
(2) बांध नींव ग्राउटिंग	9.5 प्रतिशत
(3) मुख्य नहर एवं शाखाओं के निर्माण में मिट्टी का कार्य	5.5 प्रतिशत

इस परियोजना हेतु 27.75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत है ।

जनपद मुजफ्फरनगर व सहारनपुर को सोलानी नदी में बांध बनाने हेतु योजना

12--श्री मेंहदी असगर--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मुजफ्फर नगर व सहारनपुर की सरहद में सोलानी नदी में बांध बनाने हेतु शासन के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक निर्मित करा दिया जायेगा

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमायूं आदर्श मोटर कोआपरेटिव यातायात सोसाइटी, रानीखेत, अल्मोड़ा को अतिरिक्त परमिट जारी करने पर विचार

13--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर, मचूंला देवघाट तथा मचूंला सैपरवाल किमगाड़ी खाल के लिए कुमायूं आदर्श मोटर कोआपरेटिव यातायात सोसाइटी रानीखेत, अल्मोड़ा को अतिरिक्त परमिट जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद में निर्माणाधीन "नरेन्द्रालय" आडीटोरियम का निर्माण कार्य एवं प्रगति

14--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979 से फैजाबाद शहर में स्व0 आचार्य नरेन्द्र देव के नाम पर बनने वाले आडीटोरियम के निर्माण का कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो किन कारणों से और क्या सरकार उसके निर्माण को पूरा करने पर विचार करेगी ?

सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

नगरपालिका, फैजाबाद द्वारा फैजाबाद में निर्माणाधीन "नरेन्द्रालय" आडीटोरियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है । वर्ष 1980-81 में सांस्कृतिक कार्य अनुभाग द्वारा 2 लाख रुपये का अनुदान आडीटोरियम की जल आपूर्ति सैनेटरी फिटिंग्स एवं साज सज्जा के लिए दिया गया था, जिसका उपभोग नगरपालिका फैजाबाद द्वारा किया जा रहा है ।

बाराबंकी मुख्यालय में खोला गया रोडवेज डिपो

15--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बाराबंकी मुख्यालय पर वर्ष 1980 में रोडवेज का जो डिपो खोला गया था वह पहली जनवरी, 1981 से तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

बाराबंकी डिपो खोले जाने की तिथि से अब तक कार्यरत है ।

ठेकेदार, श्री मोल्हे प्रसाद का अवशेष का भुगतान

16--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री मोल्हे प्रसाद पुत्र श्री नन्हें लाल, निवासी अनवारी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के हक में दिनांक 28-2-79, 22-3-79, 2-12-79, 26-6-79, 16-2-79, 25-6-79 को क्रमशः वर्क आर्डर नम्बर 12/5, 23/5, 11/5, 44/5, 23/83, 39/5 अधिशासी अभियन्ता मंताटीला बांध प्रखण्ड, झांसी द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उसका शेष धन रु0 9327 रुपए के अब तक भुगतान न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह सही नहीं है कि श्री मोल्हे प्रसाद पुत्र श्री नन्हे लाल के हक में उल्लिखित तिथियों को बताये गये वर्क आर्डर अधिशासी अभियंता मंता टीला बांध प्रखण्ड झांसी द्वारा निर्गत किये गये थे । बल्कि यह कार्यादेश सहायक अभियंता द्वारा निर्गत किये गये थे । ठेकेदार अन्तिम भुगतान हेतु उपस्थित न होने के कारण उसे भुगतान नहीं किया जा सका था ।

ठेकेदार के उपस्थित होने पर 27-3-1981 एवं 30-3-1981 को रु0 8734.45 का भुगतान कर दिया गया है । अब ठेकेदार का कोई भुगतान शेष नहीं है ।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा सेब का विपणन

17--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपदों में उद्यानपतियों द्वारा उत्पादित सेब का विपणन किया है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? उद्यानपतियों को सेब की कीमत किस भाव से दी गई और निगम को कितना लाभ हुआ ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां, गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा इस वर्ष 31 अगस्त, 1981 तक कन्साइनमेन्ट के आधार पर कुल 140.00 मी0 टन सेब का विपणन किया गया । उद्यानपतियों को रु0 1.25 से रु0 1.60 पैसे प्रति किलो की दर से

भुगतान किया गया । इस वर्ष की लाभ हानि की स्थिति सेब विपणन कार्य की समाप्ति पर ही ज्ञात हो सकेगी ।

गढ़वाल मण्डल में आश्रम पद्धति विद्यालय तथा उनमें जनजाति के छात्र

18--श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कहां-कहां आश्रम पद्धति विद्यालय शासन की ओर से चलाये जा रहे हैं और उन विद्यालयों में जन जाति के कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं ? और उनको किस दर्जे तक शिक्षा दी जाती है ? क्या सरकार यह भी बतलायेंगी कि 1981-82 के वित्तीय वर्ष में कहां-कहां नये आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने का विचार है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

गढ़वाल मण्डल में 5 आश्रम पद्धति विद्यालय शासन की ओर से चलाये जा रहे हैं । इनमें से एक थिरपाक, जिला चमोली, अनुसूचित जाति के लिये है । शेष जनजाति के हैं, जिसके सम्बन्ध में वांछित विवरण संलग्न है । वर्ष 1981-82 में नये आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 450 पर ।

उत्तरकाशी व टिहरी गढ़वाल के नवनिर्मित मार्गों पर बस सेवा शुरू करने पर विचार

19--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी व टिहरी-गढ़वाल की नवनिर्मित--(1) उत्तरकाशी लम्बगांव (2) बड़ेक-बलचौरा (3) उत्तरकाशी घनारी (4) सिलक्यारा-बड़गांव तथा टिहरी गढ़वाल में (1) कछूखाल-कुमाल्ड-रामपुर (2) नैनबाग घोड़ा खोकी (3) अगला-थत्यूड सुअखोली थत्यूड़-भवानी मोटर मार्गों पर कब से बस सेवा शुरू की गयी है और नहीं की गयी है तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तरकाशी जनपद में पांचवी पंचवर्षीय योजना हेतु सिंचाई के लम्बित कार्य

20--श्री बलदेव सिंह आर्य--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद में पांचवीं योजना के सिंचाई के कितना काम बकी हैं और उन कार्यों के पूरा होने की कब तक सम्भावना है और इसमें हुए विलम्ब का क्या कारण था ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जनपद उत्तरकाशी में पंचम पंचवर्षीय योजना की दस सिंचाई योजनाओं के कार्य बाकी हैं, जिनमें से पांच योजनाओं के शेष कार्यों को वर्ष 1981-82 में तथा पांच योजनाओं के शेष कार्यों को 1982-83 में पूर्ण करना प्रस्तावित है । उक्त योजनाओं में से दो योजनाओं का निर्माण स्थानीय जनता द्वारा विवाद उठाने के परिणाम स्वरूप देर से आरम्भ किया जा सका एवं आठ योजनाओं के कच्चे कार्य लगभग पूर्ण हैं किन्तु पक्के कार्य सीमेन्ट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के फलस्वरूप पूर्ण नहीं हो पाये हैं ।

षष्ठम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उत्तरकाशी जनपद में सिंचाई परियोजनाएं

21--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तरकाशी जनपद में सिंचाई की कितनी परियोजनाएं ली गई हैं और उनके सम्पन्न होने में कितनी भूमि सिंचित होगी ? तथा इसके लिए कुल धन कितना आवंटित किया गया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

षष्ठम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में 120 किलोमीटर पर्वतीय नहरें, 12 हाइड्राम योजनायें, 7 लिफ्ट योजनायें, 33 टैंक एवं 3 स्प्रिंकलर की योजनायें 277·00 लाख रुपये की लागत से निर्माण कराकर लगभग 1547 हेक्टर सिंचन क्षमता का सृजन करना प्रस्तावित है ।

भटवाड़ी बांध निर्माण योजना का क्रियान्वयन

22--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद में भटवाड़ी बांध का कार्य कब से प्रारम्भ होगा और उसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है और उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तरकाशी जनपद में भटवाड़ी बांध निर्माण की कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है ।

नहरों की पटरियों को पीच या कंकड़ रोड बनाने की योजना

23--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नहरों की पटरियों को पीच या कंकड़ रोड़ बनाकर किसानों को सौंपने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । धनाभाव के कारण यह संभव नहीं है ।

देवरिया-महुआडीह मार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवायें

24--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंग कि देवरिया-महुआडीह मार्ग पर परिवहन निगम की बस चल रही थी जो बन्द हो गई हैं ? यदि हां तो बन्द होने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । प्रश्नगत मार्ग पर बस सेवायें बन्द नहीं की गयी, वरन् इन्हें और आगे हेतिमपुर तक संचालित किया जा रहा है ।

25--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया महुआडीह हाटा मार्ग पर परिवहन निगम की बस चलाने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । देवरिया से महुआडीह तक, जिसकी दूरी 15 कि0 मी0 है, देवरिया-महुआडीह-हेतिमपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है, जिस पर निगम की सेवायें संचालित है । महुआडीह से आगे हाटा, जिसकी दूरी 16 कि0 मी है, अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर प्राइवेट बसें संचालित है ।

गाजीपुर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की दशा में सुधार

26--श्री राम नरायन--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि गाजीपुर राज्य सड़क परिवहन की अधिकांश बसें पुरानी तथा टूटी दशा में बिन हेड लाइटों बिना लेल्पो की हैं जिसके कारण कई बस दुर्घटनायें हो गयी हैं ? यदि हां, तो गाजीपुर जनपद की 20 लाख जनसंख्या को देखते हुए गाजीपुर के राज्य सड़क परिवहन विभाग की बुरी दशा में सुधार लाने हेतु कौन-कौन कदम उठाने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की गाजीपुर में 61 बसों में से जिसमें से 35 बसें 5 वर्ष से पुरानी माडल की है । परन्तु ये बसें बिना हेड लाईट व सेल्प के मार्ग पर संचालित नहीं की जाती है । इन साधनों के अभाव में कोई बस दुर्घटनायें नहीं हुई है ।

बस बेड़े को सुदृढ़ करने के लिए 6 नई बसें उपलब्ध करायी गई ।

जनपद आजमगढ़ के औरा नाला पर ड्रेन बनाने की योजना

27--श्री राजकुमार राय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में फतेहपुर मडाव ब्लाक में औरा नाला पर ड्रेन बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और कब तक उसे कार्यान्वित करने का शासन का विचार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले में गण्डक-3 के अधीन गंडक नदी पर सठियांव से मानिकपुर तक निर्मित बांधों पर व्यय

28--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत गण्डक-3 के अधीन छोटी गण्डक नदी पर कितने लागत का बांध सठियांव से मानिकपुर तक 31 मार्च, 1981 तक बना है तथा कितना लम्बा अभी गैप है ? बांधों के मरम्मत हेतु 31 मार्च, 1981 तक कितने धन अलग-अलग रिचों पर व्यय हुआ है, बाढ़ से बांधों की रक्षा हेतु कितना धन वर्ष 1980 में खर्च हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

देवरिया जिले में गण्डक खण्ड-3 के अंतर्गत छोटी गंडक नदी पर सठियांव से मनिकपुर तक मार्च, 1981 तक निर्मित बंधों पर कुल 59·54 लाख रुपया व्यय हुआ है। अभी 2·20 कि0 मी0 गैप है। मार्च 1981 तक अलग-अलग रिचों पर हुए व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। बाढ़ से बांध की रक्षा हेतु वर्ष 1980-81 में बांधों पर 0.55 लाख रुपया व्यय हुआ है जो मूल व्यय में सम्मिलित है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 451 पर।)

बाबा राघव दास सेवा संस्थान, देवरिया में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु हैन्डलूम भवन के निर्माण की योजना

29--श्री हरिवंश सहाय--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघव दास सेवा संस्थान, देवरिया में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु हैन्डलूम भवन के निर्माण के लिए 90 हजार रुपए का अनुदान सन् 1977-78 में मिला है ? यदि हां, तो भवन कब बना है और सेव संस्थान के किस खसरा नम्बर में बना है ? पुनर्वास योजना कब से चालू है ? तथा उसमें कितना उत्पादन चालू तिथि 28 फरवरी, 1981 तक हुआ ?

श्री गुलाब सेहरा--

बाबा राघव दास सेवा संस्थान, देवरिया के कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास हेतु हैन्डलूम भवन के निर्माण के लिए वर्ष 1977-78 में भारत सरकार द्वारा दो किश्तों में 60,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है। दिनांक 23-1-79 को (1978-79) में भवन का निर्माण कर्य पूर्ण हो गय है। भवन का गाटा संख्या 151 मौज दनवपुर, देवरिया में हुआ है। ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन हेतु सभी अवश्यक सामग्री क्रय कर ली गई है परन्तु सूत आदि का कोटा उपलब्ध नहीं है जिससे उत्पादन कर्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

बाबा राघवदास सेवा संस्थान, देवरिया के नेहरू बाल भवन में निराश्रित बालकों को स्वीकृत अनुदान तथा हउस मदर अध्यापक एवं कर्मचारियों की योग्यता

30--श्री हरिवंश सहाय--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघव दास सेवा संस्थान, देवरिया के नेहरू बाल भवन में कुष्ट रोगियों के अनाथ कितने बच्चों ने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक प्रवेश लिया ? उन पर सरकार से कितना अनुदान माहवारी मिलता है ?

श्री गुलाब सेहरा--

बाबा राघव दास सेवा संस्थान, देवरिया के नेहरू बाल भवन में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक कुष्ठ रोगियों के किसी अनाथ बच्चे ने प्रवेश नहीं दिया। संस्था में 100 बच्चे निवास करते हैं जिसमें 22 बच्चे कुष्ठ रोगियों के हैं, जिनका प्रवेश 1 जनवरी, 1980 के पहले हुआ है। गत वर्ष 1980-81 में निराश्रित बालकों के रख-रखाव की केन्द्र पुरो निधानित योजना के अन्तर्गत

संस्था को 28,215 रु0, 30,375 रु0 तथा 58,730 रु0 कुल 1,17,320 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है जिसके बैंक ड्राफ्ट जिलाधिकारी, देवरिया को संस्था को भुगतान हेतु भेजे जा चुके हैं। यह अनुदान 76·50 रु0 की दर से प्रतिमाह प्रति बालक भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार दिया जाता है।

31--हरिवंश सहाय--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघवदास सेवा-संस्थान, देवरिया के नेहरू बाल भवन में कितनी हाउस मदर हैं उनकी योग्यता क्या है? कितने अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी हैं उनके नाम व योग्यतायें क्या हैं?

श्री गुलाब सेहरा--

बाबा राघव दास सेवा संस्थान, देवरिया के नेहरू बाल भवन में 4 हाउस मदर हैं, उनकी योग्यतायें निम्न हैं :--

1--श्रीमती यदुरानी देवी--हाउस मदर, मिडिल विदुषी, बी0 टी0 सी0।

2--श्रीमती कुसुम देवी, हाऊस मदर, मिडिल।

3--श्रीमती फूलवारी, हाऊस मदर, हाई स्कूल।

4--श्रीमती विद्या देवी, हाऊस मदर, प्राइमरी।

इसके अतिरिक्त निम्न अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी योग्यतायें निम्न हैं :--

क्रम-सं0	नाम	पद	योग्यता
1	श्री ध्रुव नारायण मिश्रा	सुपरवाइजर	एम0ए0,एल0टी0
2	श्री नथुनी पांडे	सुपरवाइजर	बी0 ए0
3	श्री कैलाश प्रसाद	शिक्षक	इंटर, बी0टी0सी0
4	श्री राम प्रवेश	शिक्षक	,,
5	कु0 उर्मिला वर्मा	शिक्षक	हाई स्कूल
6	श्री जनार्दन भक्त	भंडारी	4 पास
7	श्री महेश्वर तिवारी	,,	मिडिल
8	श्री राधा कान्त	,,	,,
9	श्री रामाश्रय	,,	साक्षर
10	श्री राज कुमार	रात्रि सेवक	प्राइमरी

ग्राम प्रतापपुर, जिला नैनीताल के पास रेगुलेटर बनाने हेतु विचाराधीन योजना

32—श्री हरिवंश सहाय—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल जिलान्तर्गत बरौर में ग्राम प्रतापपुर के पास रेगुलेटर बनाने हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? क्या सिंचाई मन्त्री के नैनीताल आगमन पर 2 अक्तूबर, 1980 को रेगुलेटर बनाने का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

प्रश्नगत आश्वासन के अनुसार कार्य की स्वीकृति विचाराधीन है ।

33—श्री राम नारायन—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

34—श्री राम नारायन—

[3रे बुधवार के लिये स्थगित ।]

35—श्री राम नरायन—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद गाजीपुर में बाल आहार योजनान्तर्गत वस्तुओं का वितरण

36—श्री राम नारायन—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में बाल आहार योजना कब से लागू है ? किन-किन विकास खंडों म कितनी धन-राशि एवं सम्बन्धित वस्तुओं के वितरण वर्ष 1978 से 25 फरवरी, 1981 तक हुआ है ?

श्री गुलाबसेह रा—

जनपद गाजीपुर में केयर संस्था के सहयोग से बालाहार योजना वर्ष 1972 से संचालित है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत खाद्य सामग्री के क्रय हेतु जनपदों को शिक्षा विभाग द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है क्योंकि खाद्यान्न केयर संस्था के सहयोग से उपहार स्वरूप निःशुल्क प्राप्त होता है ।

इस समय गाजीपुर जनपद के 11 विकास खंडों के 24,000 विद्यालयीन एवं पूर्व विद्यालयीन बच्चे योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे हैं तथा उन्हें वर्ष 1978 से मई, 1981 तक वितरित किये गये खाद्यान्न की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 453 पर ।)

37—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

बांसी–नौगढ़ सड़क से पूरब तरफ नरकटहा से सोनरपुर बाँध का निर्माण

38—श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि बस्ती जनपद में बांसी–नौगढ़ सड़क से पूरब तरफ नरकटहा से सोनरपुर बाँध बन रही है उसमें मिट्टी लेने हेतु खड़ी फसल युक्त जमीन का अधिग्रहण हुआ है ? अगर नहीं, तो जबरदस्ती फसल उखाड़ कर मिट्टी कैसे ली जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित बांध, बांसी–नौगढ़ सड़क के पूरब तरफ विभाग द्वारा नहीं बनाया जा रहा है अतः मिट्टी लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप खंड, शाहजहांपुर के केन्द्रीय भंडार में कमी का मामला तथा सम्बन्धित अवर अभियन्ता से वसूली आदेश

39—श्री तपेश्वर तथा श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में केन्द्रीय भंडार में कमी का मामला प्रकाश में आन पर क्या सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध वसूली आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के पत्रांक 12973/नलकूप 29–12–0 ए/77 एवं सी0 सी0 ए0 रूल पैरा 55 बी के आधार पर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? और निर्धारित नियमों के उल्लंघन के लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में केन्द्रीय भंडार में कमी का मामला प्रकाश में आने पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध वसूली आदेश निर्गत करने से पूर्व मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के पत्रांक 12973/नलकूप, दिनांक 29 दिसम्बर, 1977 एवं सी0 सी0 ए0 रूल के पैरा 55 बी के अनुसार उन्हें बचाव का अवसर नहीं दिया गया था ।

परन्तु वसूली आदेश निर्गत करने के तुरन्त बाद उपरोक्त नियमानुसार अवर अभियन्ता को पूर्ण बचाव का अवसर प्रदान किया गया और अवर अभियन्ता ने अपने पत्रांक 2/पी0 एफ0, दिनांक 24 अगस्त, 1980 से अपना बचाव भी प्रस्तुत किया जो कि संतोषजनक न पाये जाने के कारण वसूली आदेश पूर्ववत् जारी रहे ।

चूंकि अवर अभियन्ता को बचाव का पूर्ण अवसर प्रदान किया जा चुका है । अतः नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

आजमगढ़ जनपद की ताल पटाक्ष ड्रेन की लम्बाई तथा व्यय

40—श्री राज कुमार राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद की ताल पटाक्ष ड्रेन की लम्बाई क्या है, और वर्ष 1979–80, 1980–81 में उस पर कुल कितना व्यय हुआ और वर्ष 1981–82 में पुनः कितना व्यय किए जाने की योजना है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

ताल पटाक्ष ड्रेन की लम्बाई 18.45 किलोमीटर है । वर्ष 1979–80 में इस पर 0.179 लाख रुपया एवं वर्ष 1980–81 में 0.218 लाख रुपया व्यय हुआ है । वर्ष 1981–82 में जून, 81 तक 0.011 लाख रुपया व्यय हुआ है एवं अभी लगभग 0.30 लाख रुपया व्यय होने की सम्भावना है ।

बहराइच से बरेली/शाहजहांपुर जाने वाली बसों को मिहीपुरवा होकर जाने के निर्देश

41—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच रोडवेज बस स्टेशन से होकर बरेली व शाहजहांपुर आने व जाने वाली मेल बसों के मिहीपुरवा के के बस स्टाप तक न जाने से यात्रियों को तीन किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है जिसके सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दो शिकायती–पत्र दिनांक 26 अगस्त, 1980 एवं 18 फरवरी, 1981 वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी, बहराइच को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

बहराइच से बरेली/शाहजहांपुर आने–जाने वाली समस्त बसें मिहीपुरवा से होकर जाने के विभागीय आदेश हैं और समस्त बसें मिहीपुरवा होकर ही आती जाती हैं ।

प्रश्नकर्ता के दोनों शिकायती–पत्र प्राप्त हुए हैं । संबन्धित चालक/परिचालक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर दी गयी है । उन्हें भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है, तथा पुनः डिपो प्रबन्धक, बलरामपुर को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि समस्त बसें मिहीपुरवा होकर ही आये जायें ।

42—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मन्त्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त] ।

43—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त] ।

44—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त] ।

45—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त] ।

दोहरीघाट डिपो को एयर–कूल्ड बसें देने का विचार

46—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायगे कि शासन की कोई योजना लगभग सभी डिपो को एयर कूल्ड बसें देने की है ? यदि हां, तो आजमगढ़ के दोहरीघाट बस डिपो को कब और कितनी एयर कूल्ड डिलेक्स बसें देंगे ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सभी डिपो को एयर कूल्ड डिलक्स बसें देने की ऐसी कोई योजना नहीं है और फिलहाल दोहरीघाट डिपो को कोई एयर-कूल बसें देने का प्राविधान नहीं है। यदि वित्तीय दृष्टिकोण से वहां पर ऐसी बस लाभदायक प्रतीत होगी तब उपलब्धता के आधार पर प्राविधान किया जायगा।

"बालेश्वर दास" बनाम "उत्तर प्रदेश सरकार" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तथा सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

47--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के दूसरे बुधवार के निर्धारित प्रश्नकर्ता अतारांकित प्रश्न संख्या 12-13 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि संशोधित सूची कब तक बनकर तैयार हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री बालेश्वर दास आदि बनाम राज्य सरकार तथा अन्य सिविल अपील संख्या 1317-18/76 रिट पिटीशन संख्या 864/79 तथा 251/1980 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर ज्येष्ठता सूचियां बनाई जा रही थी। इसी बीच मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या पर चार याचिकायें मा0 सर्वोच्च न्यायालय में निवेदित की जा चुकी हैं। एन0 सी0 रस्तोगी बनाम राज्य तथा अन्य की याचिका संख्या 1105/81 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने ज्येष्ठता सूचियों को अन्तिम रूप न देने के निर्देश दिए हैं तथा याचिका संख्या 2839 आफ 1981 आनन्द स्वरूप जौहरी बनाम राज्य में दिनांक 9-6-81 को "स्टेट्स क्वो" के आदेश दिये हैं। अतः अन्तरिम ज्येष्ठता सूचियों का प्रसारण भी स्थगित कर दिया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर्यन्त ज्येष्ठता सूचियां बनाना संभव नहीं है।

चौकिया रजबहे की शेरवा शाखा के भोंका नाला क्रासिंग पर कुलाबा लगाने के आदेश

48--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा सदस्य श्री कल्लूराम रत्नाकर द्वारा सिंचाई मन्त्री को लिखे गये पत्र दिनांक 22-11-1980 पर मन्त्री द्वारा दिये गये आदेशानुसार मिर्जापुर जिले में (चुनार तह0) सेरवां माइनर पर लठिया सहजनी रेगुलेटर जो एक फिट का कुलाबा 26-11-1980 को लगा दिया गया था उसे जनवरी अथवा फरवरी, 1981 में किस दिन उखाड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उखाड़ने का कारण क्या था ? तथा किसके आदेश से उखाड़ा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चौकिया राजबाहे की शेरवा शाखा के भोंका नाला क्रासिंग पर 12 इंच व्यास का कुलाबा नवम्बर, 1980 में लगवाया गया था। उक्त स्थान पर कुलाबा लग जाने के कारण जल का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा था तथा अल्पिका के टेल भाग में भी पानी की कमी हो रही थी। अतः अधीक्षण अभियन्ता ने मुख्य अभियन्ता (पूर्व) से विचार-विमर्श कर दिनांक 7-1-81 को इस कुलाबा को उखड़वाने के आदेश दिये। कुलाबा 3-2-81 को उखाड़ दिया गया है। उपर्युक्त थान पर छोटा कुलाबा लगान के आदेश दिये जा रहे हैं।

परिवहन निगम के कानपुर रीजन में सीनियर फोरमैन की सेवा निवृत्ति

49--श्री विश्राम दास--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन में वर्ष 1978 में सीनियर फोरमैन (ग्रेड प्रथम) के पद पर सेवा निवृत्त हुए व्यक्ति को उनकी ग्रेच्युटी व पेन्शन आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उनका भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

परिवहन निगम के कानपुर रीजन के अन्तर्गत वर्ष 1978 में सीनियर फोरमैन (ग्रेड प्रथम) के पद पर कार्यरत कोई कर्मचारी सेवा निवृत्त नहीं हुआ है । अतः ग्रेच्युटी व पेन्शन आदि के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

50--श्री श्याम नरायन तिवारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के आदेश तथा उक्त स्कूल का शासन द्वारा अधिग्रहण

51--श्री राम आसरे वर्मा--

समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति के तत्वाधान में सरकारी अनुदान से संचालित प्रगति आश्रम हाई स्कूल' बालागंज, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के आदेश शासन ने जारी कर दिए हैं ? उक्त स्कूल को इलाहाबाद के प्रगति आश्रम हाई स्कूल की भांति अधिग्रहीत किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी किस तिथि से सेवा-मुक्त कर दिए गये हैं तथा उक्त स्कूल को कब तक शासन अधिग्रहीत कर लेगा एवं स्कूल को अधिग्रहीत करने में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिया गया है ।

विकास विद्यालय, ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद का अधिग्रहण अभी नहीं किया गया है । प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ को अधिग्रहीत किये जाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

52--श्री मोहन सिंह--

[दिनांक 16-3-80 के तारांकित प्रश्न संख्या 18 की पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन की मरम्मत

53--श्री मोहन सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन काफी जर्जर अवस्था में है और वर्षा के समय उसमें बैठे यात्रियों को जलपान करने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो कन्टीन भवन की मरम्मत के लिये अविलम्ब कार्यवाही किए जाने के आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील चुनार, विकास खंड राजगढ़, जिला मिर्जापुर में जामुन चूआं बन्धी का निर्माण

54--श्री राम चरण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जामुन चूआं बन्धी तहसील चुनार, विकास खण्ड राजगढ़, जिला मिर्जापुर में बन्धी बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? इस सम्बन्ध में 10-11-80 को प्रश्नकर्ता ने सिंचाई मन्त्री को पत्र भी दिया था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त बन्धों का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

तहसील चुनार विकास खंड राजगढ़, जिला मिर्जापुर में जामुन चुआं बन्धी बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 10-11-80 को प्राप्त हुआ था। बन्धी स्थल का सर्वेक्षण प्रगति में है । सर्वेक्षण उपरान्त, योजना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य होने पर स्वीकृत उपरान्त भूमि अध्याप्ति एवं धन उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना संभव होगा ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, मुपतीगंज में नलकूपों का अभाव

55--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुपतीगंज के अन्तर्गत देवाकलपुर मुपतीगंज (भोगीपट्टी) पेसारा और मेहोड़ा के नलकूप वर्षों से बिगड़े पड़े हैं और किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार इन नलकूपों को शीघ्र ठीक कराकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करयेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुपतीगंज के अन्तर्गत देवाकलपुर मुपतीगंज (भोगीपट्टी) स्थिति दोनों नलकूप चलित दशा में ह । गतवर्ष नलकूप देवाकलपुर स्टार्टर चोरी के कारण पांच माह बन्द रहा था । शेष दोनों पेसारा व मेहोड़ा में स्थित नलकूपों का पानी खारा होने के कारण बन्द कर दिये गये हैं ।

तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर की दरबान माइनर का निर्माण तथा प्रगति

56—श्री रामचरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दरबान माइनर ब्लाक राजगढ़, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर का निर्माण अब तक क्यों नहीं किया गया ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने सिंचाई मन्त्री को 6-11-80 को पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो इस क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए उक्त माइनर का निर्माण कराने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अल्पिका का सर्वेक्षण कार्य प्रगति में है ।

जी हां ।

अल्पिका का सर्वेक्षण करने के उपरान्त तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य होने पर निर्माण की कार्यवाही की जायेगी ।

ब्लाक कटेहरी, जिला फैजाबाद में दरबन झील के नाले पर पुलिया का निर्माण

57—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

क्या सरकार बतने की कृपा करेगी कि ब्लाक कटेहरी, जिला फैजाबाद में दरबन झील के नाले पर कोई अवरोधक बनाया जा रहा है ? इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ? क्या यह प्रलयकारी झील की बाढ़ के बहाव में बाधक होगा ? यदि हां, तो ऐसा कार्य क्यों किया जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, ब्लाक कटेहरी जिला फैजाबाद में दरबन झील के नाले केन कि0 मी0 2·0 पर 1·4 मीटर का एक ग्रामीण मार्ग पुलिया एवं फाल का निर्माण 1980-81 में किया गया है ।

ग्रामीण मार्ग पुलिया एवं फाल के निर्माण पर रु0 4,67,321·24 का व्यय हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

58—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में कार्यरत किन-किन अध्यापकों/कर्मचारियों की सेवायें 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त किस-किस तिथि से समाप्त की गई हैं ? क्या सेवा समाप्ति किए जाने की तिथि के बाद भी किसी अध्यापक/कर्मचारी की

सेवा में बनाये रखकर वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो सरकार अनियमित रूप से वेतन के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की सबन्धित व्यक्ति से वसूली हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के निम्नलिखित अध्यापकों/कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा मुक्त किया गया :--

(1) श्री राजेन्द्र मिश्रा, प्रधानाचार्य की दिनांक 30-6-1979 से ।

(2) श्री रवि दत्त शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, को दिनांक 31-3-1981 से ।

(3) श्रीमती कनक लता मिश्रा, चपरासी, दिनांक 30-6-1981 से।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में नियुक्तियों के नियम

59--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में जब शिक्षा संहिता के नियम लागू होते हैं तो क्या उन विषयों में जिला विद्यालय निरीक्षक का परामर्श एवं अनुमोदन स्कूल की प्रबन्ध समिति द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनमें ऐसा किया जाना अपेक्षित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सर्वश्री राजेन्द्र नाथ मिश्र, रविदत्त शर्मा, महेश चन्द्र वर्मा आदि के मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षक का परामर्श एवं अनुमोदन प्राप्त किया गया था ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं । शासनादेश के अनुसार प्रगति आश्रम के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, लेखाकार तथा मुख्य लिपिक की नियुक्तियां, पदोन्नतियां, सेवासमाप्ति एवं निलम्बन आदि की कार्यवाही निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0, के परामर्श से की जाती है । अन्य नियुक्तियां स्वैच्छिक संस्था अपने साधनों के अनुसार स्वयं करती है ।

ये नियुक्तियां शासनादेश के अनुसार की गयी हैं ।

60--श्री मोतीलाल देहलवी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

61--श्री मोतीलाल देहलवी--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

श्री भानु प्रकाश राय, अवर अभियन्ता का बकाया वेतन

62—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भानु प्रकाश राय, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) लिफ्ट सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद का वेतन जनवरी, 1979 से 3 जुलाई, 1979 तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

श्री भानु प्रकाश राय, अवर अभियन्ता स्वेच्छा से एवं बिना किसी से अनुमति प्राप्त किये दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 से 3 जुलाई, 1979 तक अपने कार्य से अनुपस्थित रहे इस कारण प्रश्नगत अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया गया । अनुपस्थित के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान है ।

लिफ्ट सिंचाई निर्माण खंड, इलाहाबाद के अधिशासी अभियन्ता, श्री सुरेश बिहारी मित्तल द्वारा आमंत्रित निविदायें

63—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि लिफ्ट सिंचाई निर्माण खंड इलाहाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री सुरेश बिहारी मित्तल द्वारा दिनांक 24 मई, 1979 को निविदा मांगी गई थी और उसी दिन खोली गई ? क्या यह सही है कि उक्त निविदा का अनुबन्ध मार्च, 1980 में किया गया और कार्य आज तक नहीं कराया गया ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

श्री सुरेश बिहारी मित्तल, अधिशासी अभियन्ता द्वारा 24 मई, 1979 के बजाय 15 मई, 1979 के अपरान्ह 3 बजे तक निविदायें आमंत्रित की गई थीं तथा उसी दिन खोली भी गई थीं ।

उक्त निविदा के अन्तर्गत दो प्रकार के कार्य थे जिनमें प्रथम प्रकार के कार्य का कोई अनुबंध नहीं किया गया तथा द्वितीय प्रकार के कार्य का अनुबन्ध मार्च, 1980 में किया गया । शेष सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री भानु प्रकाश राय, अवर अभियन्ता लिफ्ट सिंचाई निर्माण खंड, इलाहाबाद का अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

64—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भानु प्रकाश राय, अवर अभियन्ता (यांत्रिक) लिफ्ट सिंचाई निर्माण खंड, इलाहाबाद का पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1979 जो उक्त खंड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, मुख्य अभियन्ता सिंचाई लखनऊ तथा जिला अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? तथा

उसकी किस अधिकारी से जांच कराई गई हैं तथा उसके क्या परिणाम निकले, जांच रिपोर्ट पर 28 फरवरी, 1981 तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

श्री राय के उक्त पत्र की मुख्य शिकायतें निम्न हैं :--

1--श्री राय की अनुपस्थिति में उनके स्टोर से सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा सामान निकालना ।

2--श्री राय को माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1979 का वेतन भुगतान न करना ।

3--अधिशासी अभियन्ता द्वारा श्री राय का दुर्भावना से स्थानान्तरण करना ।

4--श्री राय की अनुपस्थिति में अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा फर्जी भुगतान करना ।

उपर्युक्त शिकायतों में से प्रथम शिकायत में लगाया गया आरोप जांचोपरान्त असत्य पाया गया । माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 1979 में श्री राय अनुपस्थित रहे अतः श्री राय को उक्त अवधि का वेतन नहीं दिया गया । स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के लिए श्री राय को आरोप-पत्र देकर विधिवत जांच की जा रही है ।

बिन्दु (3) तथा (4) में उल्लिखित आरोप अस्पष्ट हैं अतः इनकी जांच सम्भव नहीं है ।

श्री भारत भूषण शुक्ल, अवर अभियन्ता, नलकूप खंड शाहजहांपुर के स्थानान्तरण की संस्तुति

65--श्री राम औतार दीक्षित--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भारत भूषण शुक्ल, अवर अभियन्ता (भंडार) नलकूप खंड, शाहजहांपुर के स्थानान्तरण की संस्तुति अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता ने मार्च, 1978 में की थी और श्री शुक्ल का चार्ज पूर्ण कराये बिना ही उन्हें 20 जून, 1978 से कार्य मुक्त मान लिया था ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर उन्हें मुख्य अभियन्ता सिंचाई द्वारा मई, 1978 में उस मंडल से बाहर स्थानान्तरित किया गया । श्री शुक्ल के स्थानान्तरण आदेश किये जाने से पहले दिनांक 27 सितम्बर, 1977 को अधिशासी अभियन्ता ने श्री शुक्ल को आदेशित किया था कि वह केन्द्रीय भंडार का चार्ज अन्य अवर अभियन्ता को दे दें, परन्तु आदेश की तिथि से 8 महीने तक उन्होंने पूर्ण चार्ज नहीं दिया था अतः उन्हें 20 जून, 1978 से कार्यमुक्त मान लिया गया ।

जनपद जौनपुर विकास क्षेत्र जलालपुर में मझगंवा का खराब नलकूप तथा किसानों को असुविधा

66—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत मझगंवा का नलकूप कितने दिनों से बिगड़ा पड़ा है ? क्या यह भी सत्य है कि इन नलकूप के बिगड़ जाने से क्षेत्रीय किसानों को घोर असुविधा हो रही है और सिंचाई के साधन के अभाव में गत रबी और खरीफ की फसलें सूख गई ? क्या सरकार इस नलकूप को ठीक कराकर क्षेत्रीय जनता की सिंचाई के साधन उपलब्ध करायेगी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जी हां, जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत मझगवां का नलकूप गत वर्ष अधिकतर खराब रहा जिसकी वजह से कृषकों की खरीफ एवं रबी में समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध न हो सकी । अब यह नलकूप दिनांक 7-4-81 से ठीक चल रहा है ।

गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद में लालपुर माइनर का निर्माण

67—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद में प्रस्तावित माइनर लालपुर के सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मन्त्री महोदय का आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1980 को चकबन्दी में सामूहिक कटौती के आधार पर जमीन लेकर निर्माण कराये जाने के लिये हो चुका है ? यदि हां, तो आदेश के मुताबिक माइनर निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

वांछित भूमि अभी तक चकबन्दी में सामूहिक कटौती से उपलब्ध नहीं हो सकी है । विभाग में भूमि अध्यप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति करने की भी कार्यवाही की जा रही है । माइनर का निर्माण शीघ्र करने हेतु जिस प्रक्रिया से भी भूमि पहले मिल जायेगी, निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

छोटी गंडक नदी पर रुपई से मानिकपुर तक बांधों व रीवों पर व्यय तथा उन पर सोलिंग का कार्य

68—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत छोटी गंडक नदी पर रुपई से मानिकपुर तक बने बन्धे में कितने रिच हैं जिसमें कितने रिच टेंडर कोटेशन एवं वर्क अर्डर से बनाये गए तथा उनके अलग-अलग रेट क्य हैं ? इन्हीं रिचों पर 31-3-81 तक कितना-कितना धन मरम्मत में खर्च हुआ ? अब प्रत्येक रिच की लागत क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

छोटी गंडक नदी के बांयें एव दायें किनारे पर ग्राम रुपई से मानिकपुर तक बांधों पर मार्च, 1981 तक 16 रिचों में कार्य हुआ है जिन पर मार्च, 1981 तक 59.64 लख रु0 व्यय हुआ है। इस व्यय के अन्तर्गत 50.00 लख रु0 अनुमन्य द्वारा तथा 9.64 लख रु0 कार्यवश द्वारा व्यय हुआ है। इन बांधों पर अनुबन्धों तथा कार्यदेशों द्वारा किये गये व्यय तथा दिये गये दर के विवरण संलग्न तालिक में दर्शाय गया है। उपर्युक्त व्यय में केवल बांधों का निर्माण सेक्शन पूरा करने तथा वर्षा से हुई क्षति की मरम्मत का कार्य हुआ है। इन कार्यों के अतिरिक्त वर्ष 1980 के वर्षाक ल म बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु 00.55 लाख रु0 व्यय हुआ है यह व्यय 59.64 ल ख रु0 में सम्मिलित है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 454 पर।)

69--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिचाई मंत्री बतलायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत छोटी गंडक नदी मे रुपई से मानिकपुर के बीच बने बन्धों पर 31-3-81 तक किन-किन रिचों पर सीलिंग का कार्य हुआ है तथा कितने रिचों पर सीलिंग का कार्य बाकी है? प्रत्येक रिच पर सीलिंग हेतु कितना धन अलग-अलग व्यय हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

छोटी गंडक पर बांयें एवं दांयें किनारों ग्राम रुपई से मानिकपुर तक 11 रिचों म 43.41 कि0 मी0 तक सीलिंग का काय प्रस्तावित था तथा मार्च, 1981 तक 19.795 कि0 मी0 पूरा हो गया था उसका विवरण संलग्न तालिका में दिखाया गया है। मार्च, 1981 तक 13.73 लाख रु0 व्यय हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 456 पर।)

ब्लाक बनकटा, भाटपाररानी एवं भटनी, जिला देवरिया में नलकूपों का आवंटन

70--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सिचाई मंत्री बतायेंगे कि ब्लाक बनकटा भाटपाररानी, भटनी, जिला देवरिया में वर्ष 1980-81 में कहां-कहां ट्यूबवेल लगाया गया तथा वर्ष 1981-82 में कहां-कहां ट्यूबवेल लगाने की योजना विचाराधीन है?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

वष 1980-81 में ब्लाक बनकटा, भाटपाररानी एवं भटनी, जिला देवरिया में निम्न ग्रामों में नलकूप लगाये गये --

ब्लाक का नाम	ग्राम जहां नलकूप लगाये गये
1--बनकटा	1--सिकरहटा
	2--गजरहवा
	3--भैंसही

ब्लाक का नाम	ग्राम, जहां नलकूप लगाये गये
2—भाटपाररानी	1—छोटकागांव
	2—बहियारी बघेल
	3—सोहनपार
3—भटनी	1—जैजपुरा
	2—सकरापार
	3—चौथिया

वर्ष 1981-82 में देवरिया जनपद हेतु अब तक 9 राजकीय नलकूपों का आवंटन किया गया है। स्थानों का चयन जिला सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा किया जाना है।

एल0 एन0 फारेस्ट वर्कशाप, कानपुर में मेकेनिकों की भर्ती

71—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1981 में एल0एन0 फारेस्ट वर्कशाप, कानपुर में मेकेनिकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने विभागीय और कितने बाहर के परीक्षार्थियों ने भाग लिया था ? क्या उस परीक्षा में बैठने के लिए सूचना विज्ञापनों के माध्यम से की गई थी ? कितने व्यक्तियों को मेकेनिक रखा गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर जिले में स्थापित मूक बधिर विद्यालय का सरकार द्वारा अधिग्रहण

72—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में स्थापित मूक बधिर विद्यालय की शैक्षणिक व आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार उसके अधिग्रहण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां, इस विद्यालय के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज व मुन्डेरा बाजार क्षेत्र में नहरों एवं बांधों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा

73—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज व मुन्डेरा बाजार क्षेत्र में बनी नहरों एवं बांधों के निर्माण में कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और इसमें किन-किन नहरों व बंधों में पड़ी किसानों की भूमि का मुआवजा दिनांक 20 फरवरी, 1981 तक भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसे कब तक दिला दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री सुदर्शन सिंह और श्री के0 एन0 दूबे, अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच

74—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के ड्रेनेज खंड के जे0 ई0 लोगों के विरुद्ध माह जनवरी, 1981 में स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को कितनी गंभीर शिकायतें श्री योगेन्द्र सिंह, ग्राम कमपेयरगंज-गोरखपुर नेता कांग्रेस (आई) से प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । श्री योगेन्द्र सिंह को श्री सुदर्शन सिंह और श्री के0 एन0 दूबे, अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थी । श्री सुदर्शन सिंह, अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र की जांच अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज प्रखन्ड, द्वारा की गयी और आरोपों को निराधार पाया गया । श्री के0 एन0 दुबे, अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत की जॉच की जा रही है ।

बिल्हौर बस स्टेशन, जी0 टी0 रोड पर समस्त बसों को रुकने के आदेश

75—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्होंने जनवरी, 1981 व फरवरी, 1981 में जनपद कानपुर के अन्तर्गत बिल्हौर बस स्टेशन पर जी0 टी0 रोड पर चलने वाली समस्त बसों को रुकने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अभी तक उस आदेश का पालन न होने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हरवंश लाल सिंघाना, हेड ड्रिलर नलकूप मण्डल, कानपुर का स्थानान्तरण

76–श्री मोती लाल देहलवी––

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि रिग्स डिवीजन कानपुर हेड ड्रिलर श्री एच0 एल0 सिंघाना लगभग 8 वर्षों से लगातार कानपुर में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो नियमानुसार उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां ।

श्री हरवंश लाल सिंघाना, नलकूप मण्डल, कानपुर के अधीनस्थ रिग्स खण्ड कानपुर में दिनांक 1–3–73 से हेड ड्रिलर के पद पर कार्यरत हैं । स्थानान्तरण सम्बन्धी सामान्य आदेश नलकूप निर्माण कर्मचारियों पर लागू नही होते । उनका कार्यस्थल सीमित न होने के कारण उन्हें विभिन्न जिलों में नलकूप निर्माण कार्य करना पड़ता है । अतः रिग्स मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं किए जाते हैं । इसी कारण श्री सिंघाना का स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

77–श्री मोती लाल देहलवी––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

रिग्स प्रखण्ड के प्रथम उपखण्ड, जनपद कानपुर द्वारा के0 जी0 खोसला "कम्प्रेशर" से हुआ कार्य तथा मरम्मत पर व्यय

78–श्री मोती लाल देहलवी––

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिग्स डिवीजन प्रथम उपखण्ड, जनपद कानपुर द्वारा के0 जी0 खोसला "कम्प्रेशर" से 30 अक्तूबर, 1980 से 10 फरवरी, 1981 तक कितना कार्य किया गया और उस पर सरकार का कितना धन खर्च हुआ ?

श्री निर्भय नारायण सिंह––

रिग्स प्रखण्ड के प्रथम उपखण्ड, जनपद कानपुर द्वारा के0 जी0 खोसला कम्प्रेशर से 30 अक्तूबर, 1980 से 10 फरवरी, 1981 तक टूविंग इक्विपमेन्ट खराब होने के कारण किसी भी नलकूप का निस्तारण नहीं किया गया । सिर्फ कार्य प्रभारी कर्मचारियों का वेतन रु0 3,309.60 आहरण किया गया । कम्प्रेशर की मरम्मत आदि पर इस अवधि में कोई व्यय नहीं किया गया ।

79–श्री श्याम नरायन तिवारी––

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जिला जेल, बदायूं के अधीक्षक श्री उदय नरायण सिंह के विरुद्ध कार्यवाही

80–श्री मोती लाल देहलवी––

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि विगत 1 फरवरी, 1981 की रात को लगभग 2 बजे सिविल लाइन, जनपद

बदायं में एक कमरे के अन्दर अविवाहित दो युवतियों के साथ बदायूं के कारागार अधीशक श्री उदयनारायण सिंह को अन्दर पाकर उनके अवैध सम्बन्धों के कारण जनता के विशाल जन समूह ने क्रुद्ध होकर उन्हें घेर लिया और तब वहां पुलिस अधीक्षक व एक मजिस्ट्रेट पहुंचे तथा दोनों युवतियों व कारागार अधीक्षक को थाने लाकर तीनों का डाक्टरी परीक्षण कराया ? यदि हां, तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कारागार अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कारागार मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

यह सही नहीं है कि विगत 1 फरवरी, 1981 की रात को लगभग 2 बजे सिविल लाइन जनपद, बदायूं में एक कमरे के अन्दर अविवाहित दो युवतियों के साथ बदायूं के कारागार अधीक्षक श्री उदय नारायण सिंह को अन्दर पाकर उनके अवैध सम्बन्धों के कारण जनता के विशाल समूह ने क्रुद्ध होकर उन्हें घेर लिया बल्कि जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बदायूं से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30 जनवरी, 1981 को शाम के 7.30 बजे लगभग 50 कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ताओं ने सिविल लाइन, बदायूं में केन्द्रीय आबकारी कार्यालय के पास स्थित एक मकान को यह जानकारी मिलने पर घेर लिया कि उसके भीतर जिला जेल, बदायूं के अधीक्षक श्री उदय नारायण सिंह 2 लड़कियों के साथ हैं । घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक और ए0 डी0 एम0 पहुंचे और उन्होंने तीनों को थाने लाकर डाक्टरी परीक्षण के लिए भेजा । मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध के घटित होने की पुष्टि नहीं हो सकी है ।

81-श्री हरिवंश सहाय--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

कुमायूं में भिन्डारी लेसियर योजना का क्रियान्वयन

82-श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं में जल के अभाव को देखते हुए शासन भिन्डारी लेसियर योजना बनाने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब योजना कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुदर्शन सिंह, अवर अभियन्ता ड्रेनेज उप खंड, बर्डपुर, जनपद बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

83--श्री श्याम नरायन तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री सुदर्शन सिंह, अवर अभियन्ता ड्रेनेज उप खंड, बर्डपुर, जनपद बस्ती के विरुद्ध श्री रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव का शिकायती-पत्र जो माननीय सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से दिनांक 24 मार्च, 1981 को मुख्य अभियन्ता सिंचाई को प्रेषित किया गया है तथा जिसमें लाखों रुपयों के शासकीय धन का दुरुपयोग सम्मिलित है, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शिकायती-पत्र की जांच की जा रही है ।

बेलन बकहर पोषक नहर परियोजना के लाट संख्या 12 के कार्यो की टेक्नीकल आडिट सेल द्वारा जांच

84--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलन बकहर पोषक नहर परियोजना सिंचाई निर्माण मंडल मिर्जापुर के लाट नं0 12 पर कोई नया अनुबन्ध बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या तह सत्य है कि लाट नं0 12 पर कोई कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लाट नं0 12 में किये गये कामों की जांच टेक्नीकल आडिट सेल द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बेलन बकहर पोषक नहर परियोजना के लाट संख्या 12 के अवशेष राक डलास्टिंग के कार्य हेतु जनवरी, 1981 में अनुबंध किया गया है तथा कार्य प्रगति में है । कार्यों की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा कराने की आवश्यकता नहीं है ।

बेलन-बकहर पोषक नहर परियोजना में हुये कार्य तथा कार्यों की दर्ज माप एवं अनुमानित तथा अनुबन्धित दरें

85--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पोषक नहर परियोजना में कब से काम हो रहा है और लाट नं0 10, 11, 12 में कब से काम किया गया और तब से लेकर मई, 80 से उपरोक्त लाटों पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बेलन-बकहर पोषक नहर परियोजना पर, वर्ष 1976-77 से कार्य चल रहा है तथा इस परियोजना के लाट सं0 10, 11 एवं 12 में निर्माण कार्य नवम्बर, 1976 से प्रारम्भ किया गया था । इन लाटों के निर्माण कार्यों पर माह मई, 1980 तक 16·79 लाख रुपये व्यय किया गया है ।

86--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त लाटों में पहले किये हुये कार्यों की पैमाइश कम दर्ज करायी गयी और अब उसकी अपने कामों में शुमार किया गया है और मंडल स्तर पर शिड्यूल आफरेट में बिना परिवर्तन हुये ही पूर्व के अनुबन्ध में चार गुना तथा इस्टीमेट रेट से दो गुना अधिक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि पहले के अनुबन्ध में 27 से 30 रु0 प्र0 घ0 मि0 राक डलास्टिंग की दरें थीं और इस्टीमेट रेट 39 रु0 से 48 रु0 था और अब 95 रु0 50 घन मीटर की दर से अनुबन्ध किया गया है ? ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उक्त नहर के लाट सं0 10, 11 व 12 में वर्ष 1976 के अनुबन्धों के अन्तर्गत किये गये कार्यों की माप कम नहीं दर्ज कराई गई है । लाट सं0 11 व 12 में किये गये कार्यों की जांच तीन अधिशासी अभियंताओं की समिति द्वारा की गयी । वर्ष 1976-77 से कार्यरत अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता लाट सं0

10 में किय गये कार्यों को माप से सहमत थे। अतः समिति द्वारा इस लाट में किये गये कार्य की जांच नहीं की गयी ।

वर्ष 1976–77 व 1980–81 की अनुमानित एवं अनुबन्धित दरों का विवरण नीचे दिया जा रहा है––

लाट सं0	कार्य का विवरण	वर्ष 1976–77		वर्ष 1980–81	
		अनुमानित दरें (प्रति घ0 मीटर)	अनुबंधित दरें (प्रति घ0 मीटर)	अधिशासी अभियंता द्वारा अनुमानित दरें (प्रति घ0 मीटर)	अनुबंधित दरें (प्रति घ0 मीटर)
1	2	3	4	5	6
10	(1) मिट्टी का कार्य	2·49	8·00	..	..
	(2) राक ब्लास्टिंग	45·85	29·00	76·00	90·00
11	(1) मिट्टी का कार्य	2·65	8·00	..	..
	(2) राक ब्लास्टिंग	46·87	30·00	76·00	89·75
12	(1) मिट्टी का कार्य	2·35	3·00	..	..
	(2) राक ब्लास्टिंग	39·42	27·00	59·30	83·00

वर्ष 1976 की अनुमानित दरें पूरी गहराई के कार्य हेतु तैयार की गयी थीं, परन्तु इन अनुबन्धों के अन्तर्गत ठेकेदार ने ऊपर का सरल कार्य कर अधूरा छोड़ दिया । वर्ष 1976 की तुलना में 1980 में सामग्री एवं मजदूरों की दरों में वृद्धि के कारण एवं शेष कार्य, किये गये कार्य से, कठिन होने के कारण अनुमानित दरों में अन्तर स्वाभविक है । वर्ष 1980 में शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु अनुमानित दरें पुनः तैयार कर लाट सं0 10 एवं 11 के लिए तीन बार एवं लाट संख्या 12 के लिए चार बार निविदायें आमंत्रित कर एवं ठेकेदारों से दर कम करने हेतु बातचीत कर लाट संख्या 10 एवं 11 हेतु वर्ष 1980 तथा लाट संख्या 12 के लिये वर्ष 1981 में मुख्य अभियन्ता द्वारा तीनों अनुबंधों के लिये दरें अनुमोदित होने के बाद अनुबंध किये गये ।

बाबतपुर रजबहे के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण तथा किसानों को मुआवजा देने पर विचार

87––श्री ऊदल––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खंड 38 की बाबतपुर रजबहा जो बड़ागांव ब्लाक एवं पिंडरा ब्लाक जिला वाराणसी से निकाला जा रही है उसमें पड़ने वाले गांव बरही कलां, बरही जेवादा, फतेपुर,

बीकापुर असवारी, हमीरपुर वगैरह गांवों के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और नहर को एक वर्ष पूर्व से ही खोदा जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, बाबतपुर रजबहे का निर्माण बड़ागांव ब्लाक एवं पिन्डरा ब्लाक, जिला वाराणसी के बरहीकलां, बरही, नेबादा, फतेहपुर, बीकापुर, असवारी, हमीरपुर आदि ग्रामों से होकर किया जा रहा है जिसके लिए भूमि सिंचाई विभाग को सरल डेवलपमेन्ट ऐक्ट (1948) के अन्तर्गत अधिग्रहण कर उपलब्ध कराई गयी है । इसके स्थायी रूप से अध्याप्ति करने की कार्यवाही हो रही है और धारा 6 मय धारा 17 की विज्ञप्ति गजट में 30-5-81 को प्रकाशित की जा चुकी है । विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी को प्रतिकर बांटने के लिए 30.00 लाख रुपये चेक सं० 8/164482, दिनांक 28-2-81 द्वारा जमा कराया जा चुका है । एवार्ड घोषित करने और प्रतिकर बांटने की कार्यवाही की जा रही है ।

वाराणसी जिले में नाद नदी के उत्तर-दक्षिण तथा बरुणा नदी के उत्तर के ग्रामों में नलकूपों के निर्माण हेतु सर्वे

88--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में नाद नदी के उत्तर गांव कामापुर, नदीप भेदउली, चितौरा, छतांव, बसन्तपुर तथा नाद नदी के दक्षिण सराय देवराई पिंडरा पश्चिमी, असवालपुर, चेहरा बिन्दा बड़ेपुरा बेलवां कहरका कंथेउली, करमाईपुर मलहथ तथा फत्तूपुर कठिरांव व वरुणा नदी के उत्तर गांव कौड़ीलौर, असुआ सेरवानीपुर दुर्जनपुरा महिमापुर, मधूमखियां एवं हरेहूं बलुआ में ट्यूबवेल लगाने हेतु सर्वे किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने माननीय सिंचाई मंत्री को एक पत्र 28 जनवरी, 1981 को मिलकर दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी थी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां । प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित ग्रामो का सर्वे कराया गया । इन ग्रामों में नलकूपों का निर्माण तकनीकी उपयुक्तता उपरान्त जिला सिंचाई सलाहकार समिति तथा जिला स्थल चयन समिति की संस्तुति के अनुसार किया जायगा ।

विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत कतिपय गांवों में नलकूप लगाने की योजना

89--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंककी परियोजना के अन्तर्गत गांव उषोपुर कठरवां विक्रमपुर द्वितीय रेलवे के पश्चिम तथा जौनपुर-वाराणसी रोड के पूरब ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में नलकूप लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है और नाद नदी के दक्षिणी किनारे चेहरा बिन्दा, सराय देवराई में भी उक्त योजना के अन्तर्गत सर्वे कराया गया है और 40 ट्यूबवेलों के लिए सर्वे करके ब्लाक पिंडरा एवं बड़ागांव, जिला वाराणसी में नक्शा बनाया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत गांव उधोपुर में एक नलकूप प्रस्तावित है । ग्राम कठरवा म नलकूप प्रस्तावित नहीं है । ग्राम विक्रमपुर को रेलवे लाइन के पश्चिम को क्षेत्र ग्राम मानी के, प्रस्तावित विश्व बैंक परियोजना के नलकूप के कमाण्ड में आता है । शेष क्षेत्र राजकीय नलकूप विक्रमपुर के कमाण्ड में आता ह ।

जौनपुर वाराणसी रोड के पूरब तथा रेलवे लाइन के पश्चिम ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में ग्राम मानी, प्रह्लादपुर तथा उधोपुर में तीन नलकूप प्रस्तावित हैं ।

नाद नदी के दक्षिणी, किनारे ग्राम चेहरा बिन्दा, सराय देवराई का क्षेत्र नहरी कमाण्ड में है । अतः नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

वाराणसी के ब्लाक पिंडरा एवं बड़ागांव में विश्व बैंक के और 40 नलकूप लगाने का कोई नक्शा नहीं बनाया गया है । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अली हसन उप चालक चकोड़ा नलकूप विभाग, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी का निलम्बन तथा सस्पेंशन एलाउन्स

90—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अली हसन, उप चालक, चकोड़ा नलकूप विभाग (भदोही) ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को अधीक्षण अभियन्ता वाराणसी मंडल के आदेश से सन् 1976 में निलम्बित कर दिया गया है और आज तक निलम्बित ही रखा गया है और आज तक आरोप पत्र नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

91—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज सार्टीफिकेट ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेकर 28-8-1977 को उपस्थित होन पर और सिविल सर्जन की काउन्टर साइन करा कर देने पर भी उक्त उपचालक बहाल नहीं किया गया और न तो सस्पेंशन एलाउन्स ही दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण ह ? क्या यह सही है कि उक्त कूप चालक ने अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी, सिंचाई मंत्री तथा अन्य अधिकारियों को 20-12-1978 को प्रार्थना पत्र भेजा ह ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, टनकपुर, जिला नैनीताल के सेवा-निवृत्त जूनियर फोरमैनों के कटौतियों का भुगतान

92—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, टनकपुर, जिला नैनीताल के उन जूनियर फोरमैनों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें

सन् 1975 में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया था ? क्या इन जूनियर फोरमैनों के वेतन से प्रोविडेन्ट फंड, जी० पी० एफ०, ई० पी० एफ० में योगदान हेतु कटौतियां की गई थीं ? यदि हां, तो क्या उक्त मदों में जमा धनराशियां उन्हें भुगतान कर दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उक्त मदों में देय धनराशि के शीघ्र भुगतान की कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ए० आर० टी० ओ०, बुलन्दशहर के व्यवहार व आचरण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

93--श्री भीखा लाल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए० आर० टी० ओ०, बुलन्दशहर के व्यवहार व आचरण के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 18-2-81 श्री झारखंडे राय, संसद सदस्य द्वारा भेजा गया, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गई अथवा नहीं और उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

बधिर विद्यालय तथा बधिर अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान तथा विभिन्न संस्थाओं से सहायता के रूप में प्राप्त धन

94--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ को विभाग से दो संस्थाओं, बधिर अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा बधिर विद्यालय के नाम से अलग-अलग अनुदान दिया जाता है ? क्या यह सही है कि दोनों संस्थाओं की प्रबन्ध समिति एक है, एक ही प्रधानाचार्य है, एक ही भवन है, एक ही कार्यालय है तथा एक ही कर्मचारी वर्ग है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में इन दोनों संस्थाओं के नाम से कितना-कितना अनुदान दिया गया और क्या अनुदान देने से पूर्व संस्थाओं के क्रिया-कलापों की जांच कराई जाती है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

बधिर विद्यालय तथा बधिर अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ दो अलग-अलग संस्थायें हैं तथा दोनों संस्थाओं को अलग-अलग अनुदान दिया जाता है । यह सही है कि दोनों संस्थाओं की प्रबन्ध समिति एक ही है जो इनका संचालन करती है, एक ही प्रधानाचार्य है, दोनों संस्थाओं का भवन एक ही है, एक ही कार्यालय है किन्तु दोनों संस्थाओं के कर्मचारी अलग-अलग हैं । वर्ष 1976-77 से 1980-81 तक लखनऊ बधिर विद्यालय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कुल रु० 5,70,714 तथा बधिर अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय को कुल रु० 4,27,568 का अनुदान दिया गया था । अनुदान देने से पूर्व जिला

हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ द्वारा संस्था के क्रिया-कलापों की जांच करके निरीक्षण आख्या एवं सस्तुति सहित अनुदान स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे जाते हैं । इस वर्ष से इस जांच को परगना मैजिस्ट्रेट तथा हरिजन समाज कल्याण अधिकारी संयुक्त रूप से किया करेंगे ।

95—श्री भीखा लाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बधिर विद्यालय एवं बधिर अध्यापक, प्रशिक्षण महाविद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ को पिछले पांच वर्षों में नगर महापालिका, स्वास्थ्य विभाग, लायन्स क्लब व अन्य जन सेवी संस्थाओं से कितना-कितना धन सहायता के रूप में मिला और क्या इन संस्थाओं के आय-व्यय के आडिट की कोई व्यवस्था हैं ? यदि है, तो पिछले पांच वर्षों में इसका आडिट हुआ ? यदि हुआ, तो आडिटर्स की मुख्य टिप्पणियां क्या हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में बधिर विद्यालय, लखनऊ को नगर महापालिका, स्वास्थ्य विभाग, लायन्स क्लब व अन्य जनसेवी संस्थाओं से कोई अनुदान नहीं मिला । केवल बधिर अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ को डिस्पेन्सरी की दवा, साज-सज्जा के लिए पिछले पांच वर्षों में कुल रु0 10,500 का अनुदान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बिभाग द्वारा स्वीकृत किया गया ।

संस्था का वार्षिक संपरीक्षण परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया जाना है किन्तु इस सस्था के लेखे में कोई अनियमितता न पाने के कारण आडिटर्स ने संस्था के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं अंकित की ।

बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ को कार्यशालाओं से आय, शासन से अनुदान, कर्मचारियों की संख्या तथा उनके भविष्य निर्वाह निधि और चौकीदार को वर्दी आदि के सम्बन्ध में जानकारी

96-99—श्री भीखा लाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ के पास अपना प्रेस है और सिलाई सेक्शन है ? यदि हां, तो इन दोनों कार्यशालाओं से पिछले पांच साल में कितनी-कितनी आय हुई ?

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ शासन से अनुदान प्राप्त करके चलाया जाता है लेकिन फिर भी विद्यार्थियों से 21 रुपया प्रति माह फीस और छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से 145 रुपया प्रतिमास खाने का शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में कितने कर्मचारी हैं और क्या उनके भविष्य निधि के खाते खोले गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंग कि बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में कार्यरत चौकीदार को शासन के आदेश के बावजूद वर्दी नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री गुलाब सेहरा---

बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ एक स्वैच्छिक संस्था है । इस संस्था को राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुरक्षण व्यय आदि के आधार पर अनुदान दिया जाता है । इस प्रश्न में माननीय सदस्य ने ऐसी जानकारी चाही है जो संस्था के आन्तरिक व्यवस्था से सम्बन्धित है जिसे उपलब्ध कराने के लिए संस्था बाध्य नहीं है ।

लखनऊ मन्डल के अन्तर्गत नलकूपों की स्वीकृति

100---श्री भीखा लाल---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मन्डल के प्रत्येक जिले में अब तक कितने राजकीय नलकूप चलाये गये, उनमें से कितने सही हालत में कार्य कर रहे हैं और कितने तकनीकी खराबियों के कारण बेकार पड़े हैं ? और क्या यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में प्रत्येक जिले के लिए कितने-कितने नलकूपों की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह---

लखनऊ मन्डल के अन्तर्गत नलकूपों के विषय में मांगी गई सूची संलग्नक में दी गई है ।

वित्तीय वर्ष 1980-81 में स्वीकृत नलकूपों का विवरण निम्न प्रकार है :

1---लखनऊ	24
2---उन्नाव	10
3---हरदोई	14
4---सीतापुर	44
5---लखीमपुर खीरी	14
6---रायबरेली	33
योग ..	139

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 457 पर ।)

उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा नदी के कटाव को रोकने हेतु बैराज बनाने का विचार

1---श्री भीखा लाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव और कानपुर के बीच गंगा नदी के कटाव से उन्नाव के काफी गांव कट कर नदी के पेटे में चले गये हैं ? यदि हां, तो यह कटाव कब से शुरू हुआ और अब तक कितने गांव कट चुके हैं ? क्या यह भी सही है कि शासन ने इस कटाव को रोकने के लिए एक बैराज बनाने का विचार किया था और उसका सर्वे करा के विस्तृत योजना और प्राक्कलन वर्ष 1973 में तैयार किया गया था ? यदि हां, तो उस योजना को केन्द्र सरकार के पास कब भेजा गया और उस पर केन्द्र की स्वीकृति प्राप्त हुई ? यदि हां, तो

कब और कितना धन केन्द्र द्वारा स्वीकृत किया गया है और बैराज निर्माण का काम कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। यह कटाव विशेषतः वर्ष 1963 से आरम्भ हुआ और अब तक 2 गांव पूर्ण रूप से तथा 12 गांव आंशिक रूप से कट चुके हैं।

शासन द्वारा सन् 1973 में बैराज बनाने हेतु प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार कराया गया था।

उक्त योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग को मई, 1979 में लिखा गया। केन्द्रीय अधिकारियों ने दिसम्बर, 1980 में कार्य स्थल का निरीक्षण कर कुछ संशोधन प्रस्तावित किये जिनके अनुसार अब सर्वेक्षण किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा कोई धनराशि इस समय तक बैराज निर्माण के लिए स्वीकृत नहीं की गई है। प्रदेश के प्लान परिव्यय (1981-82) में इस योजना के लिए 1 करोड़ रुपये का प्राविधान है। बैराज निर्माण से सम्बन्धित सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन बनाने का कार्य किया जा रहा है। प्राक्कलन के तयार होने तथा उसकी स्वीकृति होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

श्री दयाराम दुबे, बुकिंग क्लर्क, बस स्टेशन, बस्ती की वरिष्ठता सूची, प्रोन्नति तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में पत्र

102—श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उप प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को श्री दयाराम दूबे, बुकिंग क्लर्क, बस स्टेशन, जनपद बस्ती के वरिष्ठता सूची, प्रोन्नति तथा वार्षिक बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में दिनांक 19-2-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

तिलहर (शाहजहांपुर) बाई पास पर अस्थायी बुकिंग स्टेशन खोलने की व्यवस्था

103--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20 अप्रैल, 1981 अथवा उसके आस-पास प्रश्नकर्त्ता विधायक द्वारा सचिव, परिवहन मन्त्रालय एवं मुख्य सचिव को तिलहर (शाहजहांपुर) बाई पास बस स्टेशन के बारे में कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 20 अप्रैल, 1981 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। तिलहर बाई पास पर दूरगामी मेल सेवाओं को छोड़ कर अन्य समस्त सेवायें रोकन हेतु एक अस्थायी बुकिंग स्टेशन खोल दिया गया है। कर्मचारी को तैनात कर, बुकिंग की व्यवस्था कर दी गयी है।

जनपद गोंडा, तहसील उतरौला के तीनों ब्लाकों में नलकूपों का आवंटन

104—श्री मसरूर जाफरी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उतरौला (गोंडा) के तीनों ब्लाकों हेतु वर्ष 1980-81 में कुल कितने नलकूप आवंटित किये गये हैं ? क्या आवंटित नलकूपों के अतिरिक्त अन्य नलकूप लगाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कितने ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जनपद गोण्डा के तहसील उतरौला के तीनों ब्लाकों हेतु जिला-सिंचाई परामर्श दात्री समिति द्वारा वर्ष 1980-81 में कुल चार नलकूप आवंटित किये गये थे । आवंटित नलकूपों के अतिरिक्त नलकूप लगाने का प्रस्ताव वर्ष 1980-81 में नहीं था ।

ग्राम चिचौड़ी सहगिया में राप्ती नदी के कटान के नियंत्रण हेतु ठोकरों का निर्माण

105—श्री मसरूर जाफरी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उतरौला (गोंडा) में चिचौड़ी सहगिया पर नदी के कटाव से होने वाली हानि के बचाव हेतु क्या उपाय किये गये हैं और उन पर क्या व्यय आया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1980 में ग्राम चिचौड़ी सहगिया में राप्ती नदी के कटाव के नियंत्रण हेतु एक ठोकर का निर्माण किया गया था जिस पर 4403 रु0 व्यय हुआ था ।

बाल विकास परियोजनान्तर्गत आंगन बाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्ति का आधार

106—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत हाल में आंगन बाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति का आधार क्या है तथा इनका वेतनमान क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां । समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत आगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की निर्धारित शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा आयु 15-45 वर्ष है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर कक्षा 8 उत्तीर्ण अभ्यर्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्त किया जाता है किन्तु कक्षा 8 उत्तीर्ण कार्यकर्त्रियों की संख्या कुल कार्यकर्त्रियों की संख्या की 50% से अधिक नहीं होती है । इस पद के लिये केवल परियोजना क्षेत्र की स्थानीय महिला अभ्यर्थी सुपात्र है । यह अवैतनिक कार्यकर्त्री है । हाई स्कूल उत्तीर्ण को 175 रु0 तथा कक्षा 8 उत्तीर्ण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 125 रु0 प्रतिमास की दर से मानदेय दिया जाता है । समन्वित बाल विकास परियोजना के साथ प्रौढ़

महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता योजना चलाये जाने पर उक्त मानदेय के साथ 50 रु0 प्रति मास की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है ।

दुघटना से मृत परिचालक, श्री ब्रह्मदीन शुक्ल की पत्नी, शान्ती देवी को विभाग द्वारा देय धनराशियों का भुगतान

107—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, चुन्नीगंज, डिपो, कानपुर क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात 26 दिसम्बर, 1979 को बस संख्या यू0 आर0 डी0 1636 के दुर्घटना में मरे परिचालक श्री ब्रह्मदीन शुक्ल की उत्तराधिकारिणी पत्नी विधवा शान्ती देवी, निवासी ग्राम व पो0 चांदीपारा, जनपद इलाहाबाद को विभाग द्वारा देय धनराशि (अ) सामूहिक बीमा योजना की धनराशि रु0 12,500 (ब) ग्रेच्युटी, (स) इम्प्लाइज प्रावीडिन्ट फन्ड रु0 11,200 रु0 (द) जमानत की धनराशि तथा अन्य धनराशियां एवं सहायता राशि अभी तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सब देय धनराशियां मृतक की बेवा को भुगतान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के मलौनी बांध पर सड़क बनाने का विचार

108—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के मलौनी बांध पर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में 23 मार्च, 1978 को तत्कालीन सिंचाई उप मंत्री, शारदा प्रसाद रावत ने सड़क बनाये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो मलौनी बांध को सड़क बनाने व पक्का करने के लिए क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसे कोई आदेश उपलब्ध नहीं हो रहे हैं ? अतः इस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । इस बन्धे पर पूरी लम्बाई में ईटों की सोलिंग है ।

विकास खन्ड, राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद में उपलब्ध राजकीय सिंचाई सुविधा

109—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर में इस समय किसी प्रकार की राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या विभाग इस विकास खंड में राजकीय नलकूप लगाने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद के राजेपुर विकास खंड में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण राजकीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है । बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण कोई राजकीय नलकूप भी यहां लगाना प्रस्तावित नहीं है ।

गोरखपुर से मिर्जापुर बाजार तक बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार

110—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से मिर्जापुर बाजार तक सेवा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में मन्त्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1980 को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा गया, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो गोरखपुर से मिर्जापुर बाजार तक बस सेवा प्रारम्भ करने में विलम्ब का कारण क्या है ? क्या शीघ्र बस सेवा प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक निर्देश माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में मार्ग सर्वेक्षण किया गया, परन्तु उसे बस संचालन के उपयुक्त नहीं पाया गया । अतः वर्तमान में उक्त मार्ग पर बस सेवा प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है ।

सहायक अभियन्ता, मध्य गंगा नहर नवम्, गढ़मुक्तेश्वर द्वारा ठेकेदार, श्री राम पाल सिंह को दिया गया फर्जी भुगतान

111—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवकलन लाल, सहायक अभियन्ता, मध्य गंगा नहर नवम्, गढ़मुक्तेश्वर द्वारा श्री राम पाल सिंह, ठेकेदार को लाखों रुपयों का भुगतान फर्जी किये जाने के सम्बन्ध में मध्य गंगा नहर खंड 10, बुलन्दशहर के अधिशासी अभियन्ता ने 1979 में पुलिस थाने में कोई केस दर्ज कराया था ? यदि हां, तो उक्त सहायक अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री मिक्कन लाल, सहायक अभियन्ता, मध्य गंगा नहर नवम्, गढ़मुक्तेश्वर के उपखंड में श्री राम पाल सिंह, ठेकेदार ने कोई कार्य नहीं किया और न ही उक्त ठेकेदार को लाखों रुपये फर्जी भुगतान की कोई शिकायत तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा 1979 में पुलिस में दर्ज करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

112—श्री सुरेन्द्र कुमार—

[16 मार्च, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 की पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

कनवारा पम्प नहर, बांदा का नदी में डूबा हुआ वार्ज

113—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मास जुलाई, 1980 में कनवारा पम्प नहर, बांदा की मोटर बोट नदी में डूब गयी है ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जुलाई, 1980 में कोई मोटर वोट नहीं डूबा । 10/11 अगस्त, 1980 की रात्रि में भीषण तूफान एवं केन नदी में बाढ़ आने से रस्सा टूट जाने के कारण कनवारा पम्प नहर बांदा का बार्ज नदी में डूब गया था जिसे बाद में निकाल लिया गया ।

गुन्ता नाला बांध परियोजनान्तर्गत आवंटित धन

114—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में गुन्ता बांध से लिए कितना धन आवंटित किया गया था ? इसमें कितना धन खर्च हुआ है ? कितना कार्य हो चुका है तथा कितना बाकी है ? कब तक योजना पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गुन्ता नाला बांध के लिए अब तक रु0 265.00 लाख अधिकरण द्वारा आवंटित हुआ है । इसमें जुलाई, 1981 तक रु0 245.00 लाख खर्च हो चुका है ।

गुन्ता नाला बांध परियोजना के अन्तर्गत बांध का कार्य तथा 29.94 किलो मीटर नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । 12.64 किलोमीटर नहरों का कार्य तथा सिफन वे का निर्माण एवं नाला गैप का कार्य अवशेष है ।

योजना वित्तीय वर्ष 1982-83 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

बांदा विधान सभा क्षेत्र में निर्मित ट्यूबवेल

115—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 'बांदा विधान सभा क्षेत्र में 31 मार्च, 1981 तक कितने ट्यूबवेल निर्मित किए गए तथा कितने कार्यरत हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

बांदा विधान सभा क्षेत्र में 31 मार्च, 1981 तक 16 ट्यूबवेल निर्मित किए गए । इनमें से 14 ट्यूबवेल कार्यरत हैं तथा दो निर्माणाधीन हैं ।

बांदा नगर में निर्माणाधीन हरिजन छात्रावास

116—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा में (नगर में) कोई हरिजन छात्रावास बनना स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से स्वीकृत है ? कब तक बनकर तैयार हो जायगा ? अब तक न बन पाने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

शासन के निर्णय के अनुसार प्रत्येक जनपदीय मुख्यालय में हरिजन छात्रावास बनाया जाना है ।

प्रत्येक जनपदीय नगर में छात्रावास निर्माण की स्वीकृति, योजना की स्वीकृति के साथ ही हो जाती है ।

लगभग एक वर्ष का समय लगने की संभावना है ।

निर्माण इकाईयों का खाली न होने व धन उपलब्ध न होने का कारण ।

बेलन बकहर पोषक नहर परियोजना, मिर्जापुर में हुये घपले की जांच

117—श्री खैरुल बशर—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बेलन—बकहर पोषक नहर परियोजना, मिर्जापुर पर हुए 50 लाख रु0 के घपले के विषय में जांच कराने हेतु श्री राम दुलारे चौबे, भू0 पू0 प्रमुख नगरा रावर्ट्सगंज, मिर्जापुर द्वारा कोई शिकायती पत्र जनवरी, 1981 में दिया है तथा इसके पूर्व वर्ष 80 में भी अनेक प्रार्थना पत्र इसी व्यक्ति द्वारा दिए जा चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उनमें अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री आर0 पी0 पानिका, संसद सदस्य के पत्र दिनांक 8-12-80 के साथ सर्वश्री बनवारी राम, विजय सिंह, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 26-11-80 तथा श्री रामदुलारे चौबे, भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, नगवा, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर का पत्र दिनांक 26-11-80 प्राप्त हुआ था जिस पर दिनांक 7-1-81 को सतर्कता जांच के आदेश दिए जा चुके हैं । तदुपरन्त श्री चौबे भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख का ही एक और पत्र दिनांक 20-2-81 श्री ऊदल, विधायक के पत्र दिनांक 23-2-81 के साथ प्राप्त हुआ जिसको भी जांच में देखे जाने हेतु सतर्कता निदेशक को दिनांक 14-4-81 को भेजा जा चुका है । सतर्कता जांच प्रचलित है ।

चैनपुर गुलौरा पम्प नहर, जिला बलिया द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पानी न उपलब्ध होने के विषय में जांच

118—श्री खैरुल बशर—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चैनपुर—गुलौरा पम्प नहर, तह0 रसड़ा, जिला बलिया द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए उक्त नहर का पानी न उपलब्ध होने के विषय में श्री मो0 खलील अंसारी, महामन्त्री कांग्रेस (यू0), अल्पसंख्यक सेल, उ0 प्र0 लखनऊ का शिकायती पत्र शासन को जनवरी, 1981 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या शिकायतें हैं तथा उसमें क्या जांच की गई और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर में चालू नलकूप तथा प्रशिक्षित नलकूप चालकों को नियुक्ति

119—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में जनवरी, 1981 में कुल कितने नलकूप चालू और कितने खराब हालत में हैं और नलकूप चालकों की संख्या कितनी है ? क्या यह सच है कि गोरखपुर में 350 प्रशिक्षित नलकूप चालकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में फरवरी, 81 में अधीक्षण अभियन्ता नलकूप, गोरखपुर मण्डल ने मुख्य अभियन्ता नलकूप, उत्तर प्रदेश को इस सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो प्राशिक्षित नलकूप चालकों की नियुक्ति अब न किए जाने का कारण क्या था ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

गोरखपुर जनपद में जनवरी, 1981 में कुल 508 नलकूप चालू और 13 नलकूप खराब हालत में थे । नलकूप चालकों की कुल संख्या—436 है ।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, गोरखपुर ने 350 प्रशिक्षित नलकूप चालकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नहीं बल्कि कार्य प्रभारित अधिष्ठान में 196 कूप चालकों के पदों की मांग फरवरी, 1981 में मुख्य अभियन्ता, नलकूप (पूर्व), लखनऊ से की थी । प्रमुख अभियन्ता के आदेशों के अन्तर्गत कार्य प्रभारित अधिष्ठान में नव नियुक्तियां बन्द होने के कारण तथा दो नलकूपों पर एक नलकूप चालक रखने की नीति शासन के विचाराधीन होने के कारण प्रशिक्षित नलकूप चालकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है ।

तहसील बांसी में अशोगना, नगवा नामक बांध के मरम्मत पर व्यय

120—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिला के बांसी तहसील में अशोगना, नगवा नामक बांध बूढ़ी राप्ती नदी के दाएं किनारे पर है और उसकी मरम्मत का कार्य माह दिसम्बर, 1980 एवं जनवरी, 1981 में किया गया और उस मरम्मत के कार्य में भारी मात्रा में धन भी व्यय किया गया है । इस मरम्मत के अन्दर भारी घोटाले से सम्बन्धित वहां के नागरिकों द्वारा कोई आवेदन-पत्र बस्ती जिला के अधिशासी अभियन्ता को दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार इस मामले की जांच मुख्यालय से किसी उच्च अधिकारी को भेजकर करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत बांध के मरम्मत कार्य पर रु0 38,236·00 व्यय हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला जौनपुर की टंडवा पम्प कैनाल के सभी पाइप तथा पम्प निकाल देने की जांच

121—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टंडवा पम्प कैनाल, जिला जौनपुर की 60 क्यूसेक का 10/10 के 4 तथा 20 का एक पम्प दो माह से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह सही है कि सभी पम्प तथा पाइप अलग-अलग निकाल दिये गये थे जो दो सौ हार्सपावर से चलते हैं ? इसकी जिम्मेदारी किसकी है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कारागार, देवरिया के जेलर, श्री कामता सिंह के सम्बन्ध में शिकायती पत्र तथा जांच

122—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा 24-3-1981 को दिए गये शिकायती पत्र जो जिला कारागार, जनपद देवरिया, के जेलर श्री कामता सिंह के सम्बन्ध में था, जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच में कौन से तथ्य उभर कर सामने आये तथा उस पर कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हां ।

कुल 29 शिकायतों में से 23 शिकायतें निराधार/असत्य पायी गईं । शेष 6 शिकायतों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी को फिर से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं ।

देवरिया जिलान्तर्गत सेमरा माइनर चालू किये जाने पर विचार

123—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत सेमरा माइनर निकाली गई है ? और क्या माइनर बीच में अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां तो यह माइनर कब चालू कर दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत माइनर को जून, 1982 तक चालू किये जाने की आशा है ।

जनपद वाराणसी, पिन्डरा ब्लाक, ग्राम फूलपुर में नलकूपों का निर्माण

124—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में ट्यूबवेल कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

वाराणसी जनपद, पिंडरा ब्लाक के ग्राम फूलपुर में नलकूप का छिद्रण हो गया है, शेष कार्यवाही प्रगति पर है ।

देवरिया तहसील की छोटी गण्डक नदी पर महुआ पाटन घाट पर सेतु की लागत तथा आवागमन का प्रारम्भ

125—श्री रुद्रप्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि देवरिया जिले के देवरिया तहसील की छोटी गण्डक नदी पर महुआ पाटन घाट पर एक पुल बन रहा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या लागत लगी है और उपरोक्त पुल जनता के आवागमन के लिए कब खोल दिया जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां । इस सेतु की लागत अब तक 22'08 लाख रुपये है । यह लागत केवल सेतु की है । एप्रोच की लागत शामिल नहीं है ।

सेतु का कार्य माह मार्च, 1981 में ही खत्म हो गया है । एप्रोच का कार्य पूर्ण होने पर पुल आवागमन हेतु खोला जा सकेगा ।

अलीगंज परियोजना के लखीमपुर के अलीगंज शाखा नहर में साइफनों का निर्माण कार्य तथा उसकी टेक्निकल जांच पर कृत कार्यवाही

126—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज परियोजना के लखीमपुर के अलीगंज शाखा नहर के 16 किलोमीटर एवं 25-25 किलोमीटर पर किस सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता ने किस ठेकेदार से साइफन कार्य कराया है और उपरोक्त कार्य कितने रुपए का था ? क्या यह भी सही है कि 16.0 किलोमीटर एवं 25-25 किलोमीटर के साइफनों में लगने वाली सीमेन्ट नींव में 1:4:8 (सीमेन्ट, सैण्ड व गिट्टी) के अनुपात में नहीं थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टेक्निकल चेंकिंग कराने की कृपा करेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

श्री हरी प्रसाद महेश्वरी, सहायक अभियन्ता, श्री बिन्देश्वरी प्रसाद पाण्डे, अवर अभियन्ता एवं मजीद खां, ठेकेदार द्वारा उक्त दोनों साइफनों का निर्माण कार्य कराया गया था ।

उक्त कार्यों की अनुबन्धित लागत 5,05,000 रु0 एवं 52,000 रु0 थी ।

जी हां, दोनों साइफनों पर नींव की गिट्टी का परीक्षण अधिकारियों द्वारा किया गया था । 16-00 किलोमीटर की गिट्टी अस्वीकृत कर दी गई थी तथा 25-25 पर कम दर से ठेकेदार को भुगतान किया गया ।

अतः पुनः टेक्निकल चेंकिंग कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

127--श्री ऊदल--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 26-6-80 को उक्त दोनों साइफनों की गिट्टी एवं सीमेन्ट आदि को अधिशासी अभियन्ता ने जांच की थी और उसमें सीमेन्ट विहीन गिट्टी जो शक्ति शून्य पाई और उक्त जांच रिपोर्ट पर दो सहायक अभियन्ताओं एवं एक अवर अभियन्ता तथा ठेकेदार के हस्ताक्षर कराये थे, जो किलोमीटर 16-0 के साइफन स्थल का था ? यदि हां, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । उस जांच के ऊपर दो सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर कराये थे । गिट्टी के निम्न स्तर की पाई जाने के कारण गिट्टी अस्वीकृत कर दी गई ।

अधिशासी अभियन्ता, लखीमपुर द्वारा साइफनों का भुगतान

128--श्री ऊदल--

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता, द्वितीय खण्ड-3, लखीमपुर ने अपने पत्रांक 191/30 खं0-2 डब्ल्यू-2, दिनांक 11-7-80 द्वारा अधिशासी अभियन्ता को कोई भुगतान न किए जाने के आदेश देने के बावजूद भी अधिशासी अभियन्ता ने साइफन 25-25 का भुगतान क्यों और किन परिस्थितियों में किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां, सहायक अभियन्ता ने पहले कथित पत्र लिखा था । परन्तु बाद में 5-10-80 को सहायक अभियन्ता ने यह लिख कर दिया कि उसका पत्र 11-7-80 से कोई सम्बन्ध नहीं है व उसे न माना जाय । उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई और 25-25 कि0 मी0 की साइफन का भुगतान हेतु जो बीजक दिनांक 5-10-80 में प्राप्त हुआ, उनका भुगतान किया गया ।

लखीमपुर, सिंचाई खण्ड तृतीय में चपरतला एवं कोरारा माइनर का निर्माण

129--श्री ऊदल--

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर सिंचाई खण्ड तृतीय में दो माइनर चपरतला एवं कोरारा निर्माणाधीन हैं ? क्या यह सत्य है कि इसका एलाइनमेंट जो स्वीकृत हुआ है उससे हटा कर खोदवा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दंडित करेगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड तृतीय लखीमपुर में सेन्ट्रल गोदाम खण्ड 3 से 34 बोरी सीमेन्ट की गलत ढंग से बिक्री तथा जांच

130--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड तृतीय लखीमपुर सेन्ट्रल गोदाम खण्ड 3 से 34 बोरी सीमेन्ट गलत ढंग से दे दी गयी हैं और मूल रसीद की दूसरी प्रति भी फाड़ दी गयी है और गोदाम के इंचार्ज की फर्जी दस्तखत बनाकर एक नयी रसीद प्रखण्डीय कार्यालय में दिसम्बर, 1980 में जमा की गई है ? क्या इसकी सूचना सहायक अभियन्ता गोदाम एवं अधिशासी अभियन्ता को इंचार्ज ने दे दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

इस मामले से सम्बन्धित अभिलेख सतर्कता प्रतिष्ठान (सिंचाई कोष्ठ) द्वारा ले लिये गये हैं जो इस मामले की छानबीन कर रहे हैं ।

अल्मोड़ा में नये वर्कशाप के निर्माण हेतु अध्याप्ति की गई भूमि

131--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे के अल्मोड़ा मुख्यालय में परिवहन विभाग ने वर्कशाप तथा कार्यालय हेतु भूमि क्रय कब व कितनी धनराशि देकर की है अब तक कितने भवन उक्त क्रय की गई भूमि में बन चुके हैं ? कब तक सम्पूर्ण भवन बन जायेंगे ? यदि भवन नहीं बने, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अल्मोड़ा में नये वर्कशाप के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति की गई है ।

इस भूमि पर कब्जा दिनांक 17-5-80 को प्राप्त किया गया है । इस भमि का मूल्य रु0 98,555.43 पैसे भुगतान किया गया है । अभी तक इस भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है । निगम के वर्ष 1981-82 के आय-व्ययक में भवनों के निर्माण हेतु धन का प्राविधान किया गया है तथा तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

इलाहाबाद से दादूपुर व मुबारकपुर पर प्राइवेट बसों के चलाने का लाइसेन्स

132--श्री राम नरायन--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि 30-4-81 को इलाहाबाद से दादूपुर व मुबारकपुर, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद के कितनी प्राइवेट बसों के चलाने का लाइसेन्स दिया गया है ? चलने वाली बसों का नम्बर, मालिकों का नाम और उनका रास्ता क्या है ? बसों में यात्रियों के लिए कितनी सीट की अनुमति है ? क्या निर्धारित सीटों के अनुसार ही लोग यात्रा करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वांछित सूचना संलग्न है । निर्धारित संख्या से अधिक यात्री ले जाने वाली बस क चेक होने पर च लान किया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'अ' अगले पृष्ठ 458 पर ।)

मोमिन अन्सार छात्रों को स्वीकृत छात्रवृत्ति

133--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन मोमिन अन्सार छात्रों को वर्ष 1979-80 में तथा इससे पूर्व वर्ष भी छात्रवृत्ति दी जाती रही है उन्हें इस च ल वर्ष में छात्रवृत्ति दी गई अथवा दी जा रही है ? यदि नहीं तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां, दी जा रही है ।

मोमिन अन्सार छात्रों को वर्ष 1979-80 तथा इससे पूर्व वर्षों में भी नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है । चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 में जनपदों को धनर शि का आवंटन किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री निर्मल सिंह सैनी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी पर गबन के आरोपों की जांच

134--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्य खेलकूद मंत्री को पता है कि अक्तूबर, 1980 में श्री भगवन्त चौकीदार को पीटने वाले क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी श्री निर्मल सिंह सैनी ने 25-4-1981 को कुश्ती के वरिष्ठ छात्र श्री प्रदीप को पीटा ? क्या शासन को जानकारी है कि श्री सैनी पर उनके इलाहाबाद और फैजाबाद के कार्य-काल के दौरान गबन के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक उनकी जांच न कराये जाने के क्या कारण है ?

श्री सच्चिदानन्द--

श्री निर्मल सिंह सैनी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी पर श्री भगवन्त चौकीदार की तथाकथित पिटाई के मामले की जिलाधिकारी के माध्यम से जांच कराई जा रही है । कुश्ती के वरिष्ठ छात्र श्री प्रदीप को पीटने का आरोप विभागीय जांच कराने पर, सिद्ध नहीं हुआ ।

तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शासन के विचाराधीन है ।

135--श्री हरगोविन्द वर्मा--

[16-3-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

गांव शहबाजपुर में राम गंगा नहर कटने से फसलों की क्षति तथा किसानों को प्राप्त मुआवजा

136--श्री मोती लाल देहलवी--

प्रश्नकर्त्ता द्वारा सिंचाई मंत्री को दिए गए पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1981 में लिखित विगत 9 अगस्त, 1980 को गांव शहबाजपुर में रामगंगा नहर के कट

जाने से हुई फसलों की हानि सम्बन्धी जो जांच श्री इरशाद हुसैन, उप राजस्व अधिकारी, रामगंगा चैनल निर्माण खंड ने की थी उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्षतिग्रस्त किसानों को उस रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

विगत 9 अगस्त, 1980 को गांव शहवाजपुर में रामगंगा नहर के कट जाने से हुई फसलों की हानि सम्बन्धी जो जांच श्री इरशाद हुसैन, उप राजस्व अधिकारी रामगंगा चैनल निर्माण खंड कानपुर ने की थी, उसकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है ।

क्षतिग्रस्त किसानों को उप राजस्व अधिकारी की प्रश्नगत जांच रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा दे दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 460 पर ।)

1 7---श्री प्रभू नारायण सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जौनपुर जनपद के अन्तर्गत भदेवरा एवं परउवा माइनर की खुदाई

138---श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत भदेवरा-परउआ माइनर की खुदाई कब की गई ? क्या यह भी सच है कि इस माइनर में ली गयी भूमि का मुआवजा काश्तकारों को आज तक नहीं दिया गया ? क्या सरकार काश्तकारों को शीघ्र मुआवजा दिलवायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जौनपुर जनपद के अन्तर्गत भदेवरा एवं परउआ माइनर की खुदाई वर्ष 1976-77 में की गयी थी । जी हां । काश्तकारों को मुआवजा शीघ्र दिलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जौनपुर डिपो में संचालित बसें

139---श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर डिपो से इस समय कितनी बसें संचालित होती हैं ? क्या यह सच है कि इस डिपो की लगभग आधी बसें रख-रखाव के अभाव में मार्गों पर चलने के अयोग्य हैं ? यदि हां, तो इन बसों को विधिवत ठीक कराकर चलने के योग्य बना दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर में पिलखिनी एवं नौनारी के पुलों का निर्माण कार्य

140--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शारदा सहायक नहर खंड 36 पर जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम पिलखिनी एवं नौनारी के पुलों का निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक पूरा नहीं हुआ ? क्या क्षेत्रीय जनता को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इन पुलों को शीघ्र निर्मित कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

पुलों के निर्माण का कार्य ठेकेदारों द्वारा बीच में छोड़ देने के कारण पूरे नहीं हो सके । यह आशा की जाती है कि ग्राम पिलखिनी का पुल मार्च, 1982 तथा ग्राम नोनारी (सोनारी) का पुल दिसम्बर, 1981 तक पूर्ण हो जायेंगे ।

रानीखेत परिवहन डिपो की कार्यशाला के निर्माण के सम्बन्ध में विचार

141--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत परिवहन डिपो को चिलियानौला में स्थान के अभाव के कारण अन्यत्र स्थानान्तरण करने हेतु भूमि का चयन किया गया है ? यदि हां, तो कहां और भवनों का निर्माण कब तक किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । रानीखेत परिवहन डिपो में स्थान की कमी के कारण वन विभाग की चिलियानाला स्थित 5 एकड़ भूमि का चयन किया गया है ।

प्रस्तावित भूमि पर परिवहन निगम को कब्जा प्राप्त हो जाने के पश्चात् कार्यशाला के निर्माण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

नलकूप खन्ड, बरेली के अधिशासी अभियन्ता, श्री खुशहाल सिंह के स्थानान्तरण की मांग

142--श्री अनवार मुहम्मद खां--

क्या सरकार को जानकारी है कि नलकूप खंड बरेली के अधिशासी अभियन्ता श्री खुशहाल सिंह के कार्य कलापों एवं दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर वहां के कर्मचारियों ने माह दिसम्बर, 1980 को पूर्ण हड़ताल, धरना आदि की थी ? जो मुख्य अभियन्ता नलकूप सिंचाई विभाग मेरठ ने एवं जिलाधीश महोदय बरेली की मध्यस्थता से इस शर्त पर वापिस की गयी थी कि उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण शीघ्रातिशीघ्र करा दिया जायेगा ? क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अधिकारी का स्थानान्तरण किए जाने हेतु माननीय मन्त्री श्री भानुप्रताप सिंह एवं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, उ० प्र० ने भी मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री को लिखा है ? यदि हां, तो ऐसी परिस्थितियों में स्थानान्तरण न किए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---!

प्रश्नगत खंड के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री खुशहाल सिंह के कार्य कलापों, दुर्व्यवहार के विरोध में तथा श्री लाल मणी कार्यप्रभारित ड्रिलर को सेवा में वापिस लेने एवं श्री खुशहाल सिंह अधिशासी अभियंता के स्थानान्तरण की मांग को लेकर नैनीताल में रिक्त मशीनों पर कार्यरत कर्मचारियों ने दिनांक 27-11-80 से 9-12-80 तक धरना व हड़ताल की थी जो अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन) बरेली की मध्यस्थता से दिनांक 9-12-80 को, समझौता वार्ता पर वापस हुई, जिसकी एक शर्त के अनुसार जिला प्रशासन एवं अवीक्षण अभियन्ता नलकूप मन्डल द्वारा श्री खुशहाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण की संस्तुति की जानी थी। श्री खुशहाल सिंह अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है और उनके स्थान पर श्री आर0 के0 मेहरोत्रा ने दिनांक 4-7-81 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है अतः श्री खुशहाल सिंह के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के भुइली ग्राम में खुदाई की प्रगति

143---श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत गौराबादशाह पुर से तारा डीवाई के खुदाई का कार्य गत दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था और भुइली ग्राम में आज तक खुदाई न होने से क्षेत्रीय कृषकों को सिंचाई की बार असुविधा हो रही है ? क्या नहर की इस शाखा की शीघ्र खुदाई कराकर किसानों को सिंचाईहेतु पानी उपलब्ध करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां। परन्तु काश्तकारों के अवरोध के कारण एवं उच्च न्यायालय में 'स्टे' हो जाने से उक्त कार्य रुक गया। इस कारण भुइली ग्राम में भी आज तक खुदाई में प्रगति न हो सकी। उक्त अवरोध समाप्त होने पर नहर की शाखा को शीघ्र खुदाई कराकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

जौनपुर जनपद के मुफ्तीगंज ब्लाक में थानपुर तथा सुरैला ग्रामों में जलोत्सारण हेतु प्रस्तावित ड्रेन का निर्माण

144---श्री प्रभूनारायण सिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर जनपद के मुफ्तीगंज ब्लाक के अन्तर्गत थानपुर सुरैला ग्रामों की सैकड़ों एकड़ जमीन जल निकासी के अभाव में बरसात के दिनों में जल प्लावित हो जाती है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त गावों से थोड़ी ही दूर उत्तर तरफ से एक नाला बहता है और यदि एक ड्रेन उक्त स्थान से नाले तक खोद दी जाय तो यह सारी भूमि कृषि योग्य हो जायेगी ? क्या सरकार उक्त स्थल पर शीघ्र ही ड्रेन खुदवा कर जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां, मुफ्ती ब्लाक में थानपुर सुरला ग्रामों में लगभग 100 एकड़ भूमि वर्षा में जल प्लावित हो जाती है।

इस क्षेत्र की जलोत्सारण के लिए थानपुर ड्रेन प्रस्तावित है। भूमि उपलब्ध होने पर इस ड्रेन का निर्माण कराया जायेगा।

जौनपुर जनपद में मुरारा ड्रेन की खुदाई कार्य की प्रगति

145--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत मुरारा ड्रेन की खुदाई का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और कब तक इसे पूरा कर लेना था ? क्या यह सत्य है कि इस ड्रेन की खुदाई अधूरी रहने से पानी निकासी नहीं होती है और सकड़ों एकड़ जमीन बरसात के दिनों में जलप्लावित हो जाती है । क्या सरकार इस अधूरे ड्रेन की पूरी खुदाई कराकर शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जौनपुर जनपद के मुफ्तीगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मुरारा ड्रेन की खुदाई 18-10-79 को आरम्भ की गई थी । कार्य 17-12-79 तक पूरा होना प्रस्तावित था परन्तु काश्तकारों के अवरोध के कारण पूरी खुदाई नहीं हो सकी है जिसके कारण इस क्षेत्र की भूमि जल प्लावित हो जाती है ।

भूमि का अधिकरण प्राप्त होने पर इस ड्रेन का कार्य पूरा करा दिया जायेगा ।

सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोपों की जांच

146-147--श्री भीखा लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता के भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में एक भूतपूर्व विधायक, आजमगढ़ ने एक प्रार्थना-पत्र मा0 मुख्य मन्त्री को तथा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 को दिनांक 17-4-81 को दिया है ? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड, आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अंग नई ड्रेन के सम्बन्ध में पचास हजार रुपए के फर्जी भुगतान का आरोप लगाते हुए पूरे विवरण के साथ आजमगढ़ के एक भूतपूर्व विधायक ने एक शिकायती-पत्र मुख्य मन्त्री, सिंचाई मन्त्री तथा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को दिनांक 19/20 अप्रैल, 1980 को दिया है ? यदि हां, तो उसकी जांच कराई गई अथवा नहीं और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई खण्ड आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आजमगढ़ जनपद के किसी भतपूर्व विधायक का शिकायती-पत्र दिनांक 17-4-81 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

श्री जफर आजमी, भूतपूर्व विधायक आजमगढ़ का शिकायती-पत्र दिनांक 17-4-81 प्राप्त हुआ है जिसमें उक्त खण्ड के अवर अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत की गई ह जिसकी जांच की जा रही है ।

जी हां ।

श्री लल्लू सिंह चौहान का एक शिकायती-पत्र दिनांक 20-4-80 सिंचाई प्रखण्ड आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता मंगनई ड्रेन पर 50,000 रु० के फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है।

जी हां।

आरोप निराधार पाया गया।

सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को संशोधित वेतन दरें तथा बकाया वेतन का भुगतान

148--श्री भीखा लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री वर्ष 1974 के विधान सभा तृतीय सत्र के पहले बुधवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 11 (ग्यारह) के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सभी पतरौलों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संशोधित वेतन दर निश्चित कर दी गई और उनको बकाया का भुगतान कर दिया गया है? क्या यह सही है कि अब भी दो पतरौलों और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्ति का आधार

149--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ में प्रधान लिपिक के पद पर नियुक्त श्री रविदत्त वर्मा इससे पूर्व निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में कार्यरत थे? क्या यह सही है कि उनके विरुद्ध महिला कर्मचारियों से अश्लील व अभद्र व्यवहार करने, सरकारी धन का गबन करने तथा जी० पी० एफ० लेखा पर्ची में जाल साजी करके अधिक रुपया प्राप्त करने आदि के आरोप थे जिसके बिना पर उनको 12-8-75 को सेवा निवृत्त कर दिया गया था? यदि हां, तो श्री वर्मा को किस विशेष योग्यता के आधार पर आश्रम में प्रधान लिपिक के पद पर पुर्नानयुक्त किया गया था और 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद भी अब तक क्यों नहीं हटाया गया?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं। श्री रविदत्त वर्मा नामक कोई भी लिपिक प्रगति आश्रम हाई स्कूल में नहीं नियुक्त किया गया।

जब श्री वर्मा जैसा कोई व्यक्ति लिपिक की हैसियत से नियुक्त ही नहीं हुआ तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राप्ती नदी से बंजरहा गांव में कटाव रोकने के लिए बोल्डरों की खरीद

150—श्री भीखा लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 1979 में राप्ती नदी के बनजरहा कटान को रोकने के लिए बोल्डरों की खरीद की गई थी लेकिन उक्त बोल्डर अभी भी रानीगंज सोनखर रोड पर जमा हैं? क्या यह सही है कि कागजों में इन बोल्डरों का कटान में लगाया जाना दिखाया गया है और इस प्रकार लगभग 80 हजार रुपए का गोलमाल किया गया है? यदि हां, तो सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1979 में राप्ती नदी से बंजरहा गांव में कटान रोकने के लिए बोल्डरों की खरीद की गई थी। उक्त सभी बोल्डरों को बंजरहा साइट पर ढुलाई कर दी गई थी। रानीगंज में कोई बोल्डर विभाग का शेष नहीं रहा।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नानक सागर जलाशय में सिंचाई विभाग की कृषि योग्य भूमि पर अवैधानिक कब्जे

151—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नानक सागर, जिला नैनीताल में सिंचाई विभाग की कितनी भूमि कृषि योग्य बेकार पड़ी है जिस पर लोगों के अवैधानिक कब्जे हैं? क्या उक्त भूमि को भूमिहीन खेत मजदूरों में बंटवाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नानक सागर जलाशय में सिंचाई विभाग की 795·70 एकड़ भूमि ऐसी है जो जलाशय के पूर्ण जल स्तर से ऊपर स्थित है और कृषि योग्य है। लगभग सभी क्षेत्र पर अनाधिकृत कब्जे हैं। इस भूमि को वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसलिए प्रश्नगत भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बांटने का प्रश्न नहीं उठता।

152—श्री सत्यपाल सिंह—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

153—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 82 पर स्थानान्तरित।]

श्री राधा मोहन सिंह, सेवा निवृत, कारापाल की पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान

154—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा निवृत्त कारापाल श्री राधा मोहन सिंह को जो 31 जुलाई, 1979 से सेवा निवृत्त हैं, पेंशन व ग्रेच्युटी

अभी तक किस कारण नहीं मिली ? क्या यह भी सही है कि श्री राधा मोहन सिंह ने कोई प्रार्थन-पत्र सितम्बर, 1980 में शासन को भी दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उन्हे पेंशन तथा ग्रेच्युटी कब तक दिला दी जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्री राधा मोहन सिंह, सेवा निवृत्त, कारापाल को पेंशन तथा आंशिक अनुग्रह धनराशि (ग्रेचयुटी) का भुगतान किये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

जी हां ।

श्री राधा मोहन सिंह के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही के उपरान्त ही श्री सिंह को पेंशन तथा आंशिक अनुग्रह धनराशि स्वीकृत की गई है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर व्यय

155--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0 प्र0 की बसों पर प्रति किलोमीटर कितना व्यय होता है ? तथा अनुबन्धित बसों की प्रति किलोमीटर किस दर से भुगतान किया जाता है और निगम उन्हें किराये के अतिरिक्त और क्या सुविधा देती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मार्च, 1981 के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार उ0 प्र0 राज्य एवं परिवहन निगम की बसों पर व्यय 2·69 रु0 प्रति किलोमीटर की दर से हो रहा है । निगम द्वारा अनुबन्धित बसों को निम्न दर से किराया भुगतान किया जाता है :--

(1) वर्ष 1978 से 1980 तक की माडल की गाड़ियों को 1·85 रु0 प्रति किलोमीटर की दर से ।

(2) वर्ष 1977 की माडल के गाड़ियों को 1·80 रु0 प्रति किलोमीटर की दर से ।

(3) वर्ष 1975-76 की माडल की गाड़ियों को 1·75 रु0 प्रति किलोमीटर की दर से ।

(4) वर्ष 1973-74 के माडल की गाड़ियों को 1·65 रु0 प्रति किलोमीटर की दर से ।

300 किलोमीटर प्रति दिन से अधिक संचालित किलोमीटर पर 5 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से देय दर में कमी कर दी जाती है ।

2--इसके अलावा अनुबन्धित दरों को निगम की बसों की भांति लगभग आवश्यक संचालन सुविधायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं ।

परिवहन विभाग में लिपिक वर्ग की प्रोन्नति सम्बधी ज्ञापन तथा लिपिक श्रेणियों का आधार

156--श्री भीखा लाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन लिपिक संगठन उ0 प्र0 केन्द्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा 21 जुलाई, 1978 को एक ज्ञापन प्रबन्ध

मण्डल को दिया गया था जिसमें लिपिक वर्ग के प्रोन्नति के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए गये थे और उ० प्र० शासन ने अपने पत्र संख्या 875-30--2-टी०सी०/81, दिनांक 17 मार्च, 1981 द्वारा प्रधान प्रबन्धक को समस्या को सुलझाने के निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

157--श्री मीखा लाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर में लिपिकों में दो श्रेणियां हैं, एक पेशनेबुल और दूसरे नान-पेंशनेबुल ? यदि हां, तो यह श्रेणियां किस आधार पर बनाई गई हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बहराइच-सरजू नहर निर्माण मण्डल से सम्बन्धी शिकायती-पत्र

158--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच-सरजू नहर निर्माण मण्डल से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित 10 फरवरी, 1981 का शिकायती-प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा कमेंट दिए जाने हेतु मार्च, 1981 को किसी तिथि में अधीक्षण अभियन्ता, बहराइच-सरजू नहर निर्माण मण्डल को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी और क्या कमेन्ट दिया गया ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

अधीक्षण अभियन्ता ने शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की । जांचोपरान्त सभी आरोप निराधार पाये गये ।

लिफ्ट सिंचाई खण्ड उरई, जालौन के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार का पेमेन्ट न करने की शिकायत

159--श्री शंकर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट सिंचाई खण्ड, उरई, जनपद जालौन में अनुबन्ध संख्या 30-क (72-73) के अन्तर्गत किया गया कार्य 15-3-75 को पूर्ण हो गया था जिसमें अधिशासी अभियन्ता की शिकायत होने पर आंख सतर्कता विभाग को दे दी गयी थी और ठेकेदार का पेमेन्ट सतर्कता विभाग की रिपोर्ट आये भी एक वर्ष से अधिक हो गया है परन्तु ठेकेदार का पेमेन्ट अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो पेमेन्ट न करने के क्या कारण हैं तथा कब तक पेमेन्ट करा दिया जायेगा ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां । कार्य अनुबंध सं० 30-क/72-73 के अन्तर्गत न करके अपितु अनुबंध संख्या 3/ई, ई/73-74 के अन्तर्गत किया गया और 15-3-75 को पूर्ण हुआ ।

यह सच है कि अधिशासी अभियन्ता को शिकायत होने पर जांच सतर्कता विभाग को सौंपी गयी । सतर्कता जांच के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप आरम्भ में ठेकेदार के भुगतान को रोकने के आदेश दिये गये थे । तत्पश्चात् वर्ष 1980 में अधीक्षण अभियन्ता ने ठेकेदार को अनुबंधित दरों पर भुगतान करने के आदेश दिये थे परन्तु भुगतान से पूर्व ज्ञात हुआ कि ठेकेदार को अनुबंधित दरों से अधिक का भगतान पहले ही किया जा चुका है । अतः उसे अवशेष भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण समिति की बैठक

160---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि मार्च, 1981 या इसके पूर्व के महीनों म हरिजन एवं समाज कल्याण समिति, जिला गोरखपुर की कोई बैठक विभिन्न अनुदानों के वितरण के सम्बन्ध में हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

विभिन्न अनुदानों के वितरण के सम्बन्ध में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण समिति की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 1981 को सम्पन्न हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा अनुदानों का वितरण

161---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि मार्च, 1981 में गोरखपुर जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने कितने धनराशि का कौन-कौन अनुदान किन-किन लोगों में वितरित किया तथा वितरण की प्रक्रिया क्या थी ?

श्री गुलाब सेहरा--

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर ने विमुक्त जाति के लोगों को कृषि उत्थान एवं कुटीर उद्योग के लिए क्रमशः 6,000 रु० तथा 3,000 रुपया वर्ष 1980-81 में संलग्न सूची के अनुसार स्वीकृत किया । धन का वितरण विभागीय सुपरवाइजरों की संस्तुति पर सम्बन्धित व्यक्तियों को चेक द्वारा किया गया ।

(देखिय नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 462 पर ।)

महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम, बरेली को विधायक, श्री सत्यपाल सिंह द्वारा भेजा गया पत्र

162--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा 13 फरवरी, 1981 अथवा उसके आस-पास अर्ध शासकीय पत्र महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम, बरेली को भेजा गया था ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

महाप्रबन्धक राज्य सड़क परिवहन निगम पदनाम का कोई पद बरेली में नहीं है । प्रश्नकर्ता विधायक का दिनांक 16 फरवरी, 1981 अथवा उसके आस-पास का कोई पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, बरेली को प्राप्त नहीं हुआ है ।

कृषि विभाग तथा सिंचाई विभाग के छंटनी शुदा कर्मचारियों की पुर्नियुक्ति

163---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 11 जून, 1979 को सिंचाई सचिव के कक्ष में कृषि सम्बन्धित एवं अन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी ? क्या उसमें यह निर्णय लिया गया था कि कृषि विभाग सिंचाई विभाग के छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को अपने विभाग में समायोजित करेगा तथा इनके बदले सिंचाई विभाग कृषि विभाग के छटनी-शुदा अमीनों व चपरासियों को समयोजित करेगा ? यदि ऐसा निर्णय हुआ था तो उसका क्रियान्वयन कब तक होगा तथा उक्त निर्णय का शासनादेश कब तक प्रसारित होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह---

जी हां ।

जी हां यह निर्णय लिया गया था कि कृषि विभाग के ग्रूप 3 के पदों पर 25 प्रतिशत रिक्तियां कृषि स्नातक अर्हता प्राप्त भूतपूर्व सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक के लिए आरक्षित की जायगी तथा सिंचाई विभाग में नलकूप चालक के पदों पर होने वाली 25 प्रतिशत रिक्तियां कृषि विभाग के छटनी शुदा अमीनों के लिए आरक्षित की जायेगी ।

उक्त निर्णयानुसार सिंचाई विभाग के 200 छटनीशुदा स्नातक कृषि प्रसार निरीक्षकों की नियुक्तियां कृषि विभाग में की जा चुकी हैं तथा कृषि विभाग के 200 छटनी शुदा अमीनों को सिंचाई विभाग में नलकूप चालक के पदों पर अब तक नियुक्त भी किया जा चुका है ।

सिंचाई विभाग के छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को पुर्नियुक्ति

164---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के 1,107 छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों में से सन् 1979 में 200 निरीक्षक कृषि विभाग में लिए गये थे ? सन् 1980 में लगभग 1,500 नई भर्तियां हुई थीं उक्त के अन्तर्गत शेष 907 निरीक्षकों को क्यों नहीं लिया गया ? क्या उक्त निरीक्षकों को अन्यत्र खपाए जाने का विचार शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप मन्डल बरेली में कार्यरत, श्री श्याम मोहन वर्मा, मुख्य सहायक एवं राम गोविन्द लिपिक के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति के आदेश

165--श्री मित्रसेन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मन्डल बरेली में कार्यरत श्री श्याम मोहन वर्मा मुख्य सहायक एवं राम गोविन्द लिपिक के विरुद्ध श्री रजनीश कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता के दिनांक 20-5-78, 22-6-78 व 20-10-78 के शिकायती-पत्र मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है और शिकायत के आधार पर सर्वश्री श्याम मोहन वर्मा एवं राम गोविन्द शुक्ल अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने के आदेश मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग ने दिये थे? यदि हां, तो अभी तक इन्हें सेवा निवृत्त न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति

166--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 के अन्तर्गत विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो उनको कब से लागू किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

परिवहन निगम के प्रथम श्रेणी के सेवा निवृत्त हुए अधिकारी

167--श्री सूबेदार सिंह तथा श्री अकबाल हुसेन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1980-81 में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के कितने प्रथम श्रेणी के अधिकारी अवकाश मुक्त हुए उनमें से अब तक किन-किन को पेंशन दी गई और किन-किन को नहीं और उन्हें अभी तक पेंशन न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1980-81 में परिवहन निगम के पांच प्रथम श्रेणी के अधिकारी सेवा-निवृत्त हुए जिनका विवरण निम्नवत है--

1--श्री एच0 सी0 पन्डे, सहायक प्रधान प्रबन्धक की पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

2--श्री वी0 एन0 माथुर उप प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही तथा अन्य जांच चल रही है। उन्हें अनन्तिम पेंशन स्वीकृत किये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

3--श्री के0 डी0 अरोड़ा, उप प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही तथा अन्य जांच चल रही हैं। इन्हें अनन्तिम पेंशन दिये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

4--श्री एच0 डी0 मनेकशा सेवा प्रबन्धक के पेंशन पेपर्स निगम मुख्य लय को अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

5--श्री आर0 पी0 वैश्य, प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 जांच तथा अन्य जांच चल रही हैं। इन्हें अनन्तिम पेंशन स्वीकृत किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

ग्राम बेतनार, जनपद बस्ती में पत्थर की सप्लाई में भ्रष्टाचार

168--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज तहसील, जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम बेतनार के ऊपर पत्थर की सप्लाई में भ्रष्टाचार के विरुद्ध दो माह पूर्व प्रश्नकर्ता ने पत्र दिया था ? और टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच नियुक्त की गयी थी ? यदि हां, तो टी0 ए0 सी0 ने किस तारीख को जांच की और जांच रिपोर्ट क्या है? क्या पूरी आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 प्राप्त हुआ था। शिकायत की जांच मु0 प्रा0 परीक्षक, सिंचाई विभाग से करायी गयी। जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। चूंकि जांच आख्या पर अभी अन्तिम रूप से कार्यवाही सम्पन्न नहीं हुई है अतः उसे सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है।

जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के कटान से कट रहे ग्राम तथा ठोकरों का निर्माण

169--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी के कटान से कट रहे ग्राम उत्तरी कोलिया घस्की कतर री, भरवलिया एवं गजपुर को बचाने के लिए सरकार कौन सा कदम उठायेगी ? क्या इन ग्रामों की कटान रोकने के सरकार द्वारा ठोकरों के निर्माण की योजना थी ? यदि हां, तो अब तक कितने ठोकरों का निर्माण किया गया ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

इस वर्ष प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों की आबादी के कटने की सूचना नहीं मिली है अतः इस समय इन स्थानों पर कोई योजना स्वीकृत नहीं है। 1981 की बाढ़ के पश्चात् इनका सर्वेक्षण करके आवश्यकता होने पर कार्यवाही की जायेगी।

भरवलिया ग्राम में 3 डैम्पनर बने हैं। गजपुर ग्राम में 3 पुरानी ठोकरें हैं जो सुरक्षित हैं। 20-5-81 को 4 डैम्पनर्स की योजना स्वीकृत हुई है।

षष्टम उप खण्ड शारदा नहर, उन्नाव के ठेकेदार, श्री काली शंकर पाल को भुगतान की गयी धनराशि

170—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नाव खण्ड षष्टम उप खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव के ठेकेदार श्री काली शंकर पाल को वर्ष 1979-80 में 90,836·00 का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो भुगतान की गयी धनराशि का कार्य नहरों की किस दूरी से कहां तक तथा किस-किस कार्य का और किस किस तिथि को किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

भुगतान सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 463 पर ।)

उन्नाव खंड षष्टम उप खंड शारदा नहर, उन्नाव के ठेकेदार, श्री उदय बहादुर सिंह द्वारा अवर व सहायक अभियन्ता के द्वारा की गयी अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच

171—श्री हरिवंश सहाय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 5वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की जांच अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खण्ड शारदा नहर ने की ? यदि हां, तो इनसे उच्च अधिकारी द्वारा जांच न कराये जाने का कारण क्या है जबकि मामला उक्त अधिशासी अभियन्ता से ही सम्बन्धित है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मामला अधिशासी अभियन्ता से सम्बन्धित न होकर सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता से सम्बन्धित है । लगाये गये आरोप जांचोपरान्त निराधार पाये गये । अतः उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

ठेकेदार, श्री उदय बहादुर सिंह द्वारा बनवाये गये एवं माइनरों पर किये गये कार्यों का भुगतान

172—श्री हरिवंश सहाय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 5वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के सन्दर्भ में सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार द्वारा दिनांक 17-9-80 को उन्नाव खण्ड शारदा नहर, उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता को किये गये कार्य का ब्योरा दिया था ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ? और क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पूर्ण

ब्योरे से अधिशासी अभियन्ता द्वारा इनकार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार ने 17-9-80 को यह लिखकर दिया था कि उनके द्वारा बनवाये गये स्तर के कार्य एवं माइनरों पर किये गये मिट्टी के कार्य का भुगतान नहीं किया गया है । यह भी निवेदन किया था कि उनके द्वारा कराये गये समस्त कार्यों की स्थल पर जांच करके उन्हें जायज भुगतान कराया जाय ।

जी नहीं । अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के ब्योरा को इन्कार नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव खण्ड, षष्टम उप खण्ड के अन्तर्गत नहरों के सम्बन्ध में जानकारी तथा उन पर कराये गये कथित कार्यादेशों का जांच की मांग

173--श्री हरिवंश सहाय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम बुधवार को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि सभी नहरें पुरवा ब्रांच के अन्तर्गत आती हैं ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

174--श्री हरिवंश सहाय--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उन्नाव खंड, षष्टम उप खंड शारदा नहर, उन्नाव के जूनियर इन्जीनियर व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतें

175--श्री हरिवंश सहाय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा सम्पूर्ण जांच की रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी इस विषय का गोपनीय जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खंड शाखा नहर उन्नाव द्वारा की गई थी । समस्त आरोप निराधार पाये गये । चूंकि जांचोपरान्त आरोप निराधार पाये गये हैं अतः गोपनीय जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर में नलकूपों की चोरी

176—श्री मित्र सेन—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि नलकूप खंड, शाहजहांपुर में वर्ष 1978 एवं 79 तथा 80 व 81 में सर्वाधिक मामले नलकूपों पर चोरी के हुए हैं ? कुल कितने स्टार्टरों एवं मोटरों की चोरी इस अवधि में हुई और खंड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा चोरी रोकने के क्या उपाय किये गये ? क्या यह भी सही है कि इस अवधि के अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरित होते ही चोरी के मामले लगभग समाप्त से हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

प्रश्नगत अवधि में (मार्च, 1981 तक) कुल मिलाकर 62 स्टार्टरों एवं 49 मोटरों की चोरी हुई । खंड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा चोरी रोकने के निम्न उपाय किय गये ।

नलकूपों से पानी की मांग न होने की दशा में मोटर व स्टार्टरों को खुलवा-कर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिये गये ।

चोरी की सूचना तुरन्त पुलिस को दी गई ।

यह नहीं कहा जा सकता कि इस अवधि के अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण होते ही चोरी के मामले लगभग समाप्त से हो गये ? क्योंकि दिनांक 23-9-80 को उनके स्थानान्तरित हो जाने के पश्चात् भी मोटर व स्टार्टर की चोरियों के 21 मामले मार्च, 1981 तक उक्त खण्ड में हुये । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला गोरखपुर, तहसील महराजगंज के कतिपय गावों में लघु का निर्माण

177—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के महराजगंज तहसील में बहने वाली चिलुआ नाला पर गोपाल गांव के पास बुल्ला बांध लक्ष्मीपुर देउरवा तथा उस्का आदि गावों के पास पुल बनवाने के लिए प्रश्नकर्ता ने गत वर्ष विभाग से मांग की थी एवं विभाग द्वारा सर्वेक्षण भी कराया गया था ? यदि हां, तो क्या पुल बनवाने का निर्णय विभाग ने लिया ? यदि हां, तो काम के प्रारम्भ न होने के क्या कारण हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

गत वर्ष ऐसा कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । नाले का प्रारम्भिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराया गया है किन्तु अभी लम्ब छिन्नक और पक्के कार्यों की स्वीकृति नहीं हुई है । बिना लम्ब छिन्नक एवं पक्के कार्यों की स्वीकृति कार्य प्रारम्भ कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

विकास क्षेत्र, परतावल, जिला गोरखपुर के गांव महमदा एवं पुरैना में अकारण नहर के पानी बहने से फसलों को क्षति

178—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र परतावल के गांव महमूदा एवं पुरैना में गत माह अकारण नहर में अधिक पानी

ऊपर बहने के कारण सैकड़ों एकड़ रबी फसल खेत में सड़ गयी जिसके मुआवजे की माग किसानों ने विभाग से की है ? यदि हां, तो कुल मुआवजा कितना बना, इसके लिए कौन कर्मचारी दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र परतावल के गांव महमदा एवं पुरैना में गत माह अकारण नहर में अधिक पानी के बहने के कारण सैकड़ों एकड़ रबी का फसल खेत में सड़ी नहीं।

अतएव मुआवजा देना एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बाबा राघव दास कुष्ट सेवाश्रम, देवरिया के मन्त्री एवं डाक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

179--श्री हरिवंश सहाय--

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघव दास कुष्ट सेवाश्रम, देवरिया के मन्त्री एवं डाक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 3-3-81 माननीय मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां। धन का दुरुपयोग, कम्बल, दवायें तथा दूध आदि रोगियों को न देकर उनका बेचा जाना तथा प्रवेश के समय रोगियों से जबरन दान के रूप में 50 रु0 की वसूली आदि मुख्य शिकायतें हैं किन्तु संस्था द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है फलस्वरूप फिलहाल जांच सम्बन्धी कार्यवाही सम्भव नहीं है।

सीनियर स्टेशन इंचार्ज एवं स्टेशन प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

180--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीनियर स्टेशन इंचार्ज देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 2-1-81 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

181--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्टेशन प्रबन्धक, देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25-10-80 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? तथा उसपर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया वर्कशाप में व्याप्त भ्रष्टाचार, से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

182—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया वर्कशाप में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितता से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र दिनांक 10-2-81 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया डिपो में बसें तथा उनकी मरम्मत

183—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया डिपो में 1-4-81 को कितनी बसें चालू हालत में हैं तथा कितनी खराब पड़ी हैं ? मरम्मत हेतु कितने रुपये का सामान 1-4-80 से 31-3-81 तक प्राप्त हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 1-4-81 को देवरिया डिपो को कुल 106 वाहनों में 87 वाहन चालू हालत में थी तथा 19 वाहन मरम्मत हेतु खड़ी थी । मरम्मत हेतु 1-4-80 से 31-3-81 तक कुल 16,28,199·89 रु0 का सामान उपलब्ध कराया गया ।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट परियोजना टेन्डर परियोजना अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

184—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत दोहरीघाट परियोजना टेन्डर में अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 9-10-80 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम वीर सिंहपुर, ब्लाक भटनी, जिला देवरिया में जमीन के कटान से बचाव

185—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम वीर सिंहपुर, ब्लाक भटनी, जिला देवरिया की छोटी गण्डक के कटान से बचाने के लिए प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 29-8-80 संलग्न सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

ग्राम वीर सिंहपुर, ब्लाक भटनी, जिला देवरिया में ग्राम से लगभग 200 मीटर दूरी पर जमीन का कटान हो रहा है, जिससे ग्राम की आबादी को अभी कोई खतरा नहीं है । ऐसी स्थिति में अभी किसी बचाव कार्य की आवश्यकता नहीं है ।

186—श्री हरिवंश सहाय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

सर्विस मैनेजर, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

187—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सर्विस मैनेजर, गोरखपुर के विरुद्ध पार्ट्स पुर्जे सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 8 मई, 1981 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

मामले की जांच की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 465 पर ।)

नेहरू बाल सदन, देवरिया में निराश्रित बच्चे

188—श्री हरिवंश सहाय—

क्या समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नेहरू बाल सदन, देवरिया में कितने निराश्रित बच्चे प्रतिमाह जुलाई, 1980 से 30 अप्रैल, 1981 तक रहे ? उनके नाम वल्दियत सहित पते क्या हैं ? भरण-पोषण हेतु कितना अनुदान मासिक मिलता है ? वर्ष 1980-81 में कितने शिकायतें शासन को प्राप्त हुयी ? शिकायतें क्या थीं तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

नेहरू बाल सदन, देवरिया में जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक क्रमशः 100, 100, 100, 98, 96, 99 तथा जनवरी, 1981 से अप्रल, 1981 तक क्रमशः 100, 100, 99 व 98 निराश्रित बच्चे रहे । बच्चों के विस्तृत विवरण माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं ।

केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं के प्रत्यक बालक को 76 रुपये 50 पैसे मासिक दर से भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है । इस मद पर हुये पूरे व्यय का 10 प्रतिशत संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जाता है ।

वर्ष 1980-81 में इस संस्था के विरुद्ध शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी । फलस्वरूप उन पर कार्यवाही करने का प्रश्न भी नहीं उठता ।

बाबतपुर राजबहा पर वाराणसी राजकीय मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य

189—श्री ऊदल—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा नहर 38वां खंड, बाबतपुर के नहर का वाराणसी-जौनपुर राजकीय मार्ग एवं वाराणसी-फैजाबाद, वाराणसी-जफराबाद डबल रेलवे लाइन का बड़ा पुल कब तक बनेगा ? क्या उक्त नहर में जौनपुर-इलाहाबाद रेलवे मार्ग में भी पुल बनने वाला है ? इसके लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाबतपुर राजबहा पर वाराणसी राजकीय मार्ग पर पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ कराया जा रहा है । यह कार्य जून, 1982 तक पूरा होने की आशा है ।

वाराणसी-फैजाबाद, वाराणसी-जफराबाद डबल रेल लाइन का निर्माण कार्य रेलवे विभाग द्वारा किया जा रहा है । इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रेलवे विभाग द्वारा मार्च, 1982 निर्धारित किया है । जौनपुर-इलाहाबाद (जंघई-जफराबाद) पर पुल बनने वाला है । रेलवे विभाग द्वारा कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

नलकूप नं0 82 अहरक, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की री-बोरिंग पर विचार तथा उक्त नलकूप से की गई सिचाई

190—श्री ऊदल—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप नं0 82 अहरक ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी कई वर्षों से खराब चल रहा है और पानी बहुत कम हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार री-बोरिंग कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

191—श्री ऊदल—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1979, 1980 व 1981 अप्रैल तक कितने एकड़ की सिचाई उक्त ट्यूबवेल से की गयी है ? क्या यह सत्य है कि प्रत्येक वर्षों में 30/40 एकड़ से ज्यादे सिचाई नहीं हुयी है ? यदि हां, तो सिचाई विभाग ने नया ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही किया है ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 में क्रमशः 144, 113, तथा 81 एकड़ भूमि को सिचाई उक्त नलकूप से की गई है । अतः नया नलकूप लगाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सोता राजबहा पर चंडीपुर ग्राम हेतु स्वीकृत पुल की उक्त ग्राम में ही बनाये जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्रों पर कृत कार्यवाही

192--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोता राजबहा चन्द्रप्रभा प्रखण्ड, वाराणसी में चंडीपुर के निवासियों के लिए एक पुल का निर्माण इस्टीमेट नं0 26 के मुताबिक सन् 77-78 में स्वीकृत किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त पुल को 1 मील 4 फलांग 230 फिट पर ग्राम चन्डीपुर पड़ता है लेकिन एक व्यक्ति के फायदे के लिए इसको 1 मील 3 फलांग किया गया और उसकी स्वीकृति कर दी गयी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चन्द्र प्रभा प्रखण्ड, वाराणसी में सोता राजवाहे के मील 1-3 पर ग्रामीण सड़क पुल के निर्माण हेतु प्राक्कलन संख्या 26/77-78 अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत किया गया है । चण्डीपुर ग्राम सोता राजवाहे के मील 1-4 के समीप है । पुल का निर्माण मौके पर मौजूदा ग्रामीण सड़क पर बनाया गया है तथा किसी एक व्यक्ति के फायदे के लिए ही नहीं किया गया है ।

193--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चण्डीपुर गांव निवासियों ने अधिशासी अभियन्ता चन्द्रप्रभा, वाराणसी को 1-3-81 को प्रार्थना-पत्र दिया कि उक्त पुल गांव चण्डीपुर में बनाया जाय । इस पर अधिशासी अभियन्ता ने सहायक अभियन्ताओं को आदेश दिया ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है ? क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चण्डीपुर गांव के निवासियों का अधिशासी अभियन्ता चन्द्र प्रभा प्रखण्ड, वाराणसी को दिया गया कथित प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-3-81 अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

194--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता चन्द्रप्रभा, वाराणसी, के आदेश को सहायक अभियन्ता, द्वितीय चन्द्रप्रभा ने कोई उत्तर भी नहीं दिया और उक्त पुल का निर्माण करा रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

उक्त पुल के सम्बन्ध में अन्य प्रार्थना पत्रों का उत्तर सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता को 21-5-81 को दिया। पुल का निर्माण फरवरी, 81 में प्रारम्भ कर मार्च, 81 में लगभग पूर्ण हो गया था ।

195--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्डीपुर के निवासियों ने पुनः 22-3-81 को अधिशासी अभियन्ता को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां,

तो क्या यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता ने उक्त पुल को न बनाने का आदेश दिया था जो सहायक अभियन्ता को दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त आदेश को सहायक अभियन्ता ने नहीं माना और पुल का निर्माण जारी रखा गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चण्डीपुर के निवासियों का दिनांक 22-3-81 को अधिशासी अभियन्ता को दिया गया कथित पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

196--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुल का निर्माण गांव चण्डीपुर से 1-1/2 फलांग दक्षिण किया जा रहा ह एसा क्यों ? सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी और गांव चण्डीपुर के लिए एक पुल का निर्माण करेगी ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

सोता राजवाहे के मील 1-3 पर पुल का निर्माण मौजूदा ग्रामीण सड़क पर किया गया है । मील 1-4-330 पर अतिरिक्त पुल के निर्माण का औचित्य नहीं है ।

गांव मूसाखाड, जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु चकरा माइनर

197--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव मूसाखाड तहसील चकिया, जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु जो चकर माइनर बन रहा थी व अधूरी छोड़ दी गयी है ? यदि हां, तो उसको पूरा क्यों नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि गांव मूसाखाड के निवासियों ने बहुत प्रार्थना-पत्र दिया ह और 15-10-80 को भी दिया है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

चकरा माइनर पूर्ण की जा चुकी है । ग्राम मूसाखाड के निवासियों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-10-80 चकरा माइनर की शाखा, नई बस्ती माइनर, को बढ़ाने के सम्बन्ध में है ।

इसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

शारदा सहायक शाखा, सुल्तानपुर में सीपेज के कारण क्षति

198--श्री मित्रसेन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक शाखा, सुल्तानपुर के सीपेज से गांव गोकुला धनेचा पारा वन्धुआ मलेथुआ तथा सिवौना में वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में कितनी क्षति हुई है किसानों की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

शारदा सहायक शाखा सुल्तानपुर से वर्ष 1979-80 में सीपेज के कारण कोई क्षति नहीं हुयी ।

वर्ष 1980-81 में सीपेज के कारण गोकुला, धनेचा एवं मलेथुआ गांवों में लगभग 64 एकड़ भूमि प्रभावित हुई । ग्राम सिवौना में सीपेज से कोई क्षति नहीं हुई है ।

कृषकों को क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिकर देने की कार्यवाही की जा रही ह ।

देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा एवं भाटपार रानी ब्लाकों में जलस्तर नीचा करने संबंधी पत्र

199—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा एवं भाटपाररानी ब्लाकों में जल स्तर ऊपर उठाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 5-10-80 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जल स्तर को नीचा करने के लिए कौन-कौन उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नौगढ तहसील के गांवों में राजकीय नलकूप लगाने पर विचार

200—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में जो गांव कड़ा और धोंधी नदियों के ढाचे में है जहां नहर आदि की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में राजकीय नलकूप लगाने पर विचार करेगी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[समय 11 बजकर 49 मिनट]

आजमगढ़ के जिला पूर्ति कार्यालय में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खरवार बशर—

प्रान्त की जनता सप्लाई विभाग द्वारा वितरण की नई व्यवस्था में पूरी तरह पिस रही है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ की जनता जिला सप्लाई अफसर के भ्रष्टाचार तथा चोर बाजारियों के साथ साठ गांठ के कारण बहुत अधिक पीड़ित है । चीनी, चावल और सीमेन्ट जनता को बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, अधिकांश भाग चोरबाजारी में बिक जाता है । पिछले दो महीनों में 14,000 बोरा सीमेन्ट के वितरण में बहुत बड़ी धांधली और घुटाला किया गया है । भवन निर्माण करने वाले को तीन बोरे सीमेन्ट लम्बी प्रतीक्षा के बाद दी गई, वहीं चोर बाजारी करने वालों को 20 बोरे से लेकर 100 बोरे तक सीमेन्ट दी गई । इस दुर्व्यवस्था के कारण आजमगढ़ का सप्लाई आफिसर अपने भ्रष्ट विभाग के सहयोग से हर महीने लाखों रुपयों का घुटाला कर रहा है । इस सबके कारण जनता में बड़ी तेजी से असन्तोष और रोष फैलता जा रहा है । 11-9-1981 को एक विशाल सभा में सप्लाई अफसर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर उसे मुअत्तल करने तथा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है । लोगों में इस बात का भी आश्चर्य है कि उसके स्थानान्तरण के बावजूद ऐसा भ्रष्ट अधिकारी कैसे रुका हुआ है । सीमेन्ट, चीनी और चावल के ब्लैक, भ्रष्टाचार और जनता में व्यापक असन्तोष के इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन के माध्यम से उचित कार्यवाही हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी की पुलिस द्वारा कतिपय व्यक्तियों को इनकाउन्टर दिखाकर गोली से मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ऊदल—

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तारीख 1-7-81 को रात थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी के एस० ओ० जोखनलाल तिवारी, स० ई० ताहिर खां तथा उनकी पुलिस पार्टी ने स्थान सरौंजन (मठ) के पास चार निरपराध व्यक्तियों, राधेश्याम, जगदीश मिश्र एवं दूधनाथ, गजापुर पतेर, थाना बड़ागांव तथा शिवबली दुबे, गांव धनुआं, थाना रामपुर, जौनपुर को गोली से उड़ाकर हत्या कर दी और पुलिस डाकू मुठभेड़ दिखाया। इन चारों की लाश को पुलिस ने लावारिश करार दिया और शिनाख्त नहीं करायी। परिवार वालों की प्रार्थना पर ए० डी० एम० (ई) तथा परगना हाकिम (दक्षिण) वाराणसी ने लाश शिनाख्त कर परजनों को देने का आदेश 3-7-81 को दिया। पुलिस ने उच्च आदेश को नहीं माना। 42 घंटा तक लाश को लावारिश करार देने के बाद मैं स्वयं कार्यकारी जिलाधीश, अमल कुमार वर्मा के यहां गया उनसे घटना का जिक्र किया। उन्होंने आदेश शिनाख्त का दिया और मुझे एक कापी दी जिसको लेकर चीर घर गया। 45 घंटा बाद शिनाख्त हुई। यदि मैं 20 मिनट विलम्ब से पहुंचता तो चारों लाश गंगा जी में पुलिस बहा देती। 6-7-81 को मुख्य सचिव, गृह सचिव से एक साथ मिला, ज्ञापन दिया। माननीय मुख्य मंत्री, आई० जी० नहीं मिले। इसलिए ज्ञापन दे दिया। बड़ा गांव, पुलिस के इस फर्जी सूरवीरता पर एस० एस० पी० ने 2000 का इनाम घोषित किया। जब फर्जी होने का पता चला तो इनाम वापस ले लिया। इतना ही नहीं एस० एस० पी० ने 24 जुलाई को प्रेस सम्मेलन में कहा, चारों मारे हुए व्यक्तियों के खिलाफ कोई अपराध कहीं भी दर्ज नहीं है।

इसके एक दिन पूर्व 30 जून को पास ही में गांव रमईपुर, पिंडरा, थाना फूलपुर, वाराणसी में फूलपुर की पुलिस ने एक भोज समारोह में रमाशंकर को गोली से उड़ा दिया और तीन व्यक्तियों को पकड़कर चालान किया और फर्जी पुलिस—डाकू मुठभेड़ दिखाया।

पुलिस के इस घृणित कार्य से वाराणसी जनपद में आक्रोश एवं आतंक पैदा हो गया है। ढाई माह बीत जाने के बाद भी उन पुलिस कर्मियों का न तो मुअत्तल किया गया और न 302 का मुकदमा ही कायम किया किया।

वहां की पुलिस आम जनता को आतंकित कर रही है। इसलिए लोक महत्व के प्रश्न को उठाते हुए आपकी अनुमति से मांग करता हूं कि पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया जाय और उनको मुअत्तल किया जाय और पुलिस आतंक को समाप्त करने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पौड़ी गढ़वाल एवं चमोली जिलों में धान की फसल में कुरमुला रोग से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

जिला पौड़ी गढ़वाल एवं चमोली में कुरमुला के भयंकर प्रकोप से धान की फसल अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है । काश्तकारों के निरन्तर निवेदन के बावजूद भी जिला प्रशासन एवं उ0 प्र0 सरकार मूक दर्शक बनी रही और प्रशासन एवं सरकार की ओर से कोई प्रभावी कदम रोकथाम हेतु नहीं उठाये गये । काश्तकारों ने कुरमुला की रोकथाम हेतु स्वयं जो कीट नाशक दवाइयां प्रयोग कीं वे भी प्रभावहीन रहीं । शासन एवं प्रशासन की उदासीनता एवं अकर्मण्यता से कोई प्रभावी कदम फसल को बचाने के लिए समय पर नहीं उठाया गया जिससे काश्तकारों को भारी क्षति हुई है । काश्तकारों में भयंकर असन्तोष, निराशा एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करते हैं कि चमोली एवं पौड़ी दोनों जनपदों के किसानों को कुरमुला से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति दें । ऋणों की वसूलियां रोकी जायं, छात्रों की शुल्क मुक्ति की जाये तथा काश्तकारों को लगान से मुक्ति दी जाये तथा भविष्य में कुरमुला के प्रकोप के रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाये जायं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

अध्यक्ष जी, इसमें अल्मोड़ा को जोड़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो दिया नहीं है, आप बैठें ।

ग्राम कबाल, थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर में श्री सम्पत राय व धनपत राय के घर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मेंहदी असगर—

मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान ग्राम कबाल, थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर में 3/4-9-81 को पड़ी डकैती की ओर दिलाना चाहता हूं । श्री सम्पत राय व उनके भाई, श्री धनपत राय जो सगे भाई हैं, के मकान पर करीब 20-22 डाकू जो पुलिस की वर्दी में थे डकैती डाली और करीब डेढ़ लाख रुपये का माल लूट कर चम्पत हो गये । स्व0 शील चन्द्र पुत्र श्री धर्मदास को मौके पर गोली मार कर हत्या कर दी गई । अपने पिता के एक मन्त्र एकलौते लड़के को भी बुरी तरह बेदर्दी के साथ मारा पीटा । श्री सम्पत जी तथा धनपत जी को भी काफी चोटें आईं । डाकुओं ने लौटते समय स्व0 नसीरुद्दीन को रास्ते में, जिसने डाकुओं का मुकाबला करने की कोशिश की उसको भी गोली से मार कर हत्या कर दी । स्व0 नसीरुद्दीन बहुत ही गरीब आदमी था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों के आश्रित परिवारों को तत्काल शासन द्वारा सहायता प्रदान किया जावे तथा डाकुओं को पकड़ने के लिए आप कृपया कड़े से कड़े कदम उठायें । चूंकि इन उपरोक्त काण्डों से जनपद में आतंक की स्थिति छायी हुई है ।

अतः इस मामले में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

[समय 11 बजकर 58 मिनट]

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियम वली, 1981†

शिक्षा राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रेमवती तिवारी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा (5) अनुभाग की अधिसूचना संख्या 5866/15(5)-81-यू0 पी0 ए0-34/1972-400(50)-79, दिनांक 17 जुलाई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का पांचवा वार्षिक प्रतिवेदन, 1978-79††

उद्योग उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन 1978-79 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) नियमावली, 1981†

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2476 (एच0 आई0)/36-2-102 (ए) एस0 एम0-77, दिनांक 30 जुलाई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या एस0 टी0-2-255/दस-900/(7)-69-उ0 प्र0 अधि0 15-

---

†छापी नहीं गयी ।

††छापा नहीं गया ।

[श्री अम्मार रिजवी--]

1948-नियम-1948-संशोधन (प्रथम)-1981, दिनांक 6 मई, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 24 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 से सम्बन्धित शुद्धि-पत्र†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या एस0 टी0-2-308/दस-3(1)-75-ऐक्ट 74/56-नियम-57-संशोधन (प्रथम)-1981, दिनांक 25 फरवरी, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981, जो दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को सदन के पटल पर रखी गयी थी, से सम्बन्धित शुद्धि पत्र संख्या एस0टी0-2-2305/दस-3(1)-75, दिनांक 2 मई, 1981 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि इंडियन टरपेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की चौअनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1977-78††

उद्योग उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि इंडियन टरपेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की चौअनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1977-78 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

दि इंडियन टरपेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की पचपनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1978-79††

उद्योग उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि इंडियन टरपेनटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की पचपनवीं वार्षिक रिपोर्ट, 1978-79 को कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

विधान सभा सदस्य, श्री सन्त बक्स रावत व श्री जमुना प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने 14 सितम्बर, 1981 के पत्र, जो इस सचिवालय में उसी दिन प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री सन्त बक्स

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

विधान सभा सदस्य, श्री सन्त बक्स रावत व श्री जमुना प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना

रावत, सदस्य, विधान सभा (लखनऊ) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को लगभग 1 बजे दोपहर को बन्दी किया गया और उन्हें केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में रखा गया है ।

जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी/एस0 डी0 एम0, नवाबगंज, बाराबंकी ने अपने वायरलेस संदेश, दिनांक 14 सितम्बर, 1981, जो इस सचिवालय में 15 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुए, में सूचित किया है कि श्री जमुना प्रसाद रावत, सदस्य, विधान सभा (बाराबंकी) को भारतीय दंड विधान की धारा 188/186/143 और क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत जेल भरो आंदोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये तथा वे नैनी जेल भेजे गये ।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की याचिका समिति (1980-81) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री यादवेन्द्र सिंह---

मैं सभापति याचिका समिति, उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की याचिका समिति (1980-81) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

किच्छा थाने के थाना इंचार्ज व उपनिरीक्षक, श्री मोहन सिंह खुम्बू के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अकबर अहमद---

मान्यवर, मैंने कल एक विशेषाधिकार के सम्बन्ध में आपको पत्र दिया था उसके विषय में आप कृपा करके बतायेंगे कि क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री अध्यक्ष---

आपकी सूचना जो थी वह माननीय गृह मंत्री को भेज दी गयी है । उनका उत्तर आने पर इसके सम्बन्ध में विचार होगा ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, इनकी सूचना क्या थी, बता दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, वह सूचना किसके खिलाफ थी ?

श्री अध्यक्ष---

नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला था । पुलिस के खिलाफ है ।

---

†छापा नहीं गया ।

श्री मोहन सिंह--

माननीय, सूचना पहले पढ़ दी जाती है और निर्णय बाद में दिया जाता है। माननीय, अपेक्षित होता है तो उस पर सुन लिया जाता है। माननीय, सूचना पढ़ दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

सूचना को सूक्ष्म रूप में मैंने बता दिया। पुलिस के विरुद्ध उनको विशेषाधिकार की सूचना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, अगर किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आप सुन लेते हैं।

श्री मोहन सिंह--

माननीय सदस्य के अपमान का मामला है। सुनने का अवसर दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, सूचना बता दीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि सूचना किस व्यक्ति के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष--

सूचना इस प्रकार है--उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत सदन की अवहेलना की सूचना, थाना किच्छा के थाना इंचार्ज तथा उप निरीक्षक मोहन सिंह खुन्नू के विरुद्ध देता हूं। घटना इस प्रकार है दिनांक 15-8-81 को रात में करीब 9 बजे मैं अपने किच्छा स्थित फार्म पर कांग्रेस (आई) कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहा था जिसमें किच्छा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, श्री अजीत सिंह, महामंत्री, गुरुनाम सिंह कोषाध्यक्ष, बुर्गाद स तथा किच्छा जेसीज के भूतपूर्व अध्यक्ष, डा0 वेद प्रकाश यादव, एम0 बी0 बी0 एस0 मौजूद थे। करीब साढ़े नौ बजे किच्छा निवासी, नरेन्द्र कुमार लूथरा पुत्र श्री राम प्रकाश लूथरा की वृद्धा मां का टेलीफोन आया कि कुछ अज्ञात हथियार बंद लोगों ने मेरे मकान को घेर रखा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने श्रीमती लूथरा को सलाह दी कि आप तुरन्त पुलिस से सम्पर्क स्थापित करें इस पर श्रीमती लूथरा ने कहा कि मैंने थाने पर फोन किया था परन्तु अभी तक थाने से कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर मैंने थाने फोन किया तो सिपाही ने फोन पर कहा कि बड़े दरोगा जी सो रहे हैं। मैं जगाने नहीं जा सकता। इसी के बाद श्रीमती लूथरा का टेलीफोन आया कि उन्हीं अज्ञात बदमाशों ने मुझे तथा मेरे लड़के को बन्दूकों के कुंदों से मारा है, मैं थाने रिपोर्ट लिखवाने गई तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आपकी कृपा होगी यदि आप यहां किच्छा आकर हमारी कुछ मदद करें। इस पर मैं श्रीमती लूथरा के घर पहुंचा तथा उनको व उनके लड़के हरेन्द्र कुमार को लेकर अपने भाई असगर अहमद कांग्रेस (आई) के उपरोक्त कार्यकर्ताओं तथा अपने शैडो के साथ थाने पहुंचा। थाने पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मेरे सामने नहीं आया। पता चला कि बड़े दरोगा सो रहे हैं। मेरे कहने पर करीब 45 मिनट बाद बड़े दरोगा तथा खुन्नू दरोगा आए। खुन्नू दरोगा के मुंह से शराब की बदबू आ रही

थी । जब मैंने रिपोर्ट न लिखने का कारण पूछा तो बड़े दरोगा कोई उचित उत्तर न दे सके और तुरन्त बड़े मुंशी को आवाज देकर रिपोर्ट लिखने को कहा । बाद में मुझे पता चला कि पुलिस बदमाशों से मिली हुई थी । इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी । जब मैंने बड़े दरोगा से कहा कि पहले क्यों नहीं रिपोर्ट लिखी तो खुन्नू दरोगा बोले आप कौन होते हैं रिपोर्ट लिखाने वाले । मेरे कहने पर कि मैं जनप्रतिनिधि हूं तथा इस क्षेत्र का विधायक हूं । यह मेरा कर्त्तव्य है कि क्षेत्र की जनता को परेशानी न हो और यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो इसे मैं विधान सभा के आगामी सत्र में उठाऊंगा । खुन्नू दरोगा ने कहा आप जाइए विधान सभा में इसे उठाते रहिए ऐसी-ऐसो विधान सभा और विधायक बहुत देखा करता हूं । यह विधान सभा है या गुंडों की जमांत और इसी पर उत्तेजित होकर एस० ओ० ने भी कहा कि बड़े विधायक बने हो, मैंने बहुत बार देखा है विशेषाधिकार उठाने से कुछ नहीं होता । विधान सभा नपुंसक हो गई है ।

(शेम शेम की आवाजें ।)

मेरा क्या बिगाड़ लोगे अपने दम पर नौकरी करता हूं विधायक की मर्जी से नहीं । इस पर खुन्नू दरोगा ने मुझे भद्दी-भद्दी गाली देते हुए कहा कि बड़े विधायक बने हैं अभी मारकर बंद कर दूंगा सारी विधायकी निकल जायेगी ।

(शेम-शेम की आवाजें ।)

मामला बढ़ते देखकर मेरे शैडो ने बीच-बचाव किया । तब श्री लूथरा की रिपोर्ट धारा 323/506 की लिखी गई इसके बाद मैंने बड़े दरोगा से लूथरा की चोटों की डाक्टरी जांच कराने को कहा तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं अस्पताल जाकर उनकी चोटों की जांच कराइये ।

जब हम लूथरा को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डाक्टर ने बिना सिपाही पुलिस केस की डाक्टरी करने में असमर्थता प्रकट की लेकिन डाक्टर ने मानवता के नाते स्वयं थाने अपना आदमी भेजकर सिपाही को बुलवाया तब डाक्टरी जांच हुई । ज्ञातव्य रहे कि श्री लूथरा के पिता का दो वर्ष पूर्व बरेली, नैनीताल रजमार्ग पर दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था । स्वर्गीय श्री लूथरा की विधवा किसी प्रकार अपना, अपने जवान लड़के तथा 9 लड़कियों का पालन-पोषण कर रही हैं ।

दूसरे दिन अर्थात् 16-8-81 को सुबह मैं दिल्ली चला गया । मुझे दिल्ली में ही विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि मेरे थाने से आने के बाद रात में ही थाने के बड़े दरोगा व खुन्नू दरोगा सरकारी जीप लेकर रुद्रपुर ए० एस० पी०, श्री शर्मा के पास गए थे और षड़यंत्र कर रहे थे कि इस विधायक को किसी केस में फंसा दो ।

इस पूरी घटना को सदन के समक्ष मैं इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि सदन का अपमान करने वालों तथा जनप्रतिनिधियों के कर्त्तव्य पालन में बाधा डालने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए ।

(शोर)

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

यह सूचना दी गई है विशेषाधिकार की, मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य एवं आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों एवं माननीय सदन की सम्मान की रक्षा पूर्णरूप से की जायेगी। मैं इस मामले की जांच शीघ्र ही कराकर पूरी कार्यवाही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ करूंगा।

श्री अकबर अहमद—

मान्यवर, नैनीताल पुलिस व किच्छा पुलिस इस मामले पर अब भी ठीक से कार्यवाही नहीं कर रही है और इस मामले को दबाने के पूरे प्रयास कर रही है और वहां से जो एक मिनी बस चल रही थी, उसको भी बंद करवा दिया है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि नैनीताल व किच्छा की पुलिस पूरी तरह इस कोशिश में है कि जो मेरे ओर के गवाहान हैं, उनको डरा धमका कर चुप करा दिया जाए और दूसरे मेरे खिलाफ किसी प्रकार का षड़यंत्र रचाना चाहते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरी कृपया पूरी तरह से रक्षा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 66 के अन्तर्गत आपको यह सूचना मिली। माननीय सदस्य ने बड़े गम्भीर आरोप लगाए हैं। थाने के लोग यह समझते हुए कि यह विधायक हैं विधान सभा के। उस पर भी बुरी तरह अपमानित किया और उनको अपमानित किए जाने में शासक दल की ओर से उन पुलिस वालों को बल मिला है, ऐसा संकेत उसमें मिल रहे हैं।

(शोर)

एम सदस्य—

ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं।

(शोर)

श्री राम आसरे वर्मा—

चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांत रहें। विशेषाधिकार की सूचना हमें मिली आप लोगों ने उसके सम्बन्ध में जानना चाहा तो मैंने उनको पढ़कर सुना दिया। अब मैंने इस सूचना को नियम 66 के अन्तर्गत सम्बन्धित मंत्री के पास जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, सूचना गम्भीर है. आपने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी। मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन यह करूंगा कि इस बार हाउस बहुत थोड़े दिन के लिए मीट कर रहा है, इसलिए इसी दौरान इसी सत्र में इस पर विचार हो जाए, पूरी तरह से। यही आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे स्वयं मानता हूं कि जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाए हैं, बहुत ही गम्भीर हैं और व्यापक रूप में हैं। इसके लिए मैं शासन से भी कहता हूं कि वे शीघ्रता से उत्तर दें ताकि इस पर शीघ्रता से कार्यवाही हो सके।

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर)

माननीय मोहन सिंह जी आपके विशेषाधिकार का निर्णय है, इसलिए आप कृपया शांत हो जाएं।

[समय 12 बजकर 14 मिनट]

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक जागरण समाचार-पत्र के सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 6 मार्च, 1981 को लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी थी। इसमें माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि 5 मार्च, 1981 को प्रकाशित उक्त समाचार-पत्र के सम्पादकीय में "विधान सभा में विपक्ष" शीर्षक के अन्तर्गत उक्त सम्पादक ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में विपक्ष के बारे में यह प्रकाशित किया है कि "जिस तरह के झूठे मसले विरोध पक्ष के बड़े नेता विधान सभा और विधान परिषद् में उठाते हैं और लफ्फाजी से भरे भाषण देते हैं, वह इस बात का सबूत है कि या तो वे हताश हो गए हैं या वे नितान्त विवेकहीन हैं। कुछ बड़े नेताओं ने तो ऐसा लगता है जैसे झूठ बोलने का ठेका ले रखा हो, जैसे कि लोक दल के श्री मोहन सिंह। प्रमाण-हीन बातों को उठाकर बहिर्गमन कर देने से अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आने से कुछ तो होने वाला नहीं है आदि।" प्रमाण-स्वरूप 5 मार्च, 1981 के इस समाचार-पत्र की एक प्रति संलग्न करते हुए श्री मोहन सिंह का कहना था कि उक्त सम्पादकीय लेख जानबूझकर उनकी छवि जनता में धूमिल करने के उद्देश्य से ऐसे समय में लिखा गया जबकि उन्होंने विगत 3 मार्च, 1981 को एक काम रोको प्रस्ताव के जरिए गोरखपुर के दैनिक जागरण के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने और उनके समर्थन में लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा भी जागरण के मालिक व सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन का मामला विधान सभा में उठाया था और ऐसा लेख लिखकर श्री नरेन्द्र मोहन ने सदन की कार्यवाही में अनुचित हस्तक्षेप किया और प्रकारांतर से इस बात की चेतावनी दी कि उनके पत्र के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में विधान सभा में जो वक्तव्य आने वाला है, उस पर कोई विपक्षी सदस्य बोलने का दुस्साहस न करे।

श्री मोहन सिंह की उक्त शिकायत पर निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित सम्पादक के पक्ष की जानकारी हेतु उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त

[श्री अध्यक्ष]—

करने के प्रयोजनार्थ एक पत्र दिनांक 9 मार्च, 1981 को भिजवाया गया था जिसके उत्तर में उक्त सम्पादक ने अपने पत्र दिनांक 23 मार्च, 1981 में अपने विस्तृत उत्तर देने के लिए 2 अप्रैल, 1981 तक का समय मांगते हुए संक्षेप में यह निवेदन किया था कि "सदन की अवमानना करने का उनका कभी भी कोई इरादा नहीं हुआ। सदन और सदन के सभी सदस्य उनकी दृष्टि में अत्यन्त सम्मानित रहे हैं, वे उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। यदि कहीं कोई भ्रम हो तो उसके लिए उन्हें खेद है। "जागरण" सदन का सम्मान करता है और करता रहेगा।" दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को भेजे गये अपने विस्तृत पत्र में श्री नरेन्द्र मोहन, सम्पादक, दैनिक जागरण ने यह भी कहा कि उक्त अग्रलेख शीर्षक "विधान सभा में विपक्ष" का उद्देश्य माननीय सदन की अवमानना करना नहीं था और न ही किसी माननीय सदस्य का अवमान करना था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मान्यता है कि इस अग्रलेख से न तो किसी माननीय सदस्य का और न सदन का अवमान हुआ है, फिर भी यदि किसी माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि इस अग्रलेख से उनका अवमान हुआ है तो उन्हें खेद है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतन्त्र तथा संविधान की रक्षा करने की दृष्टि से समाचार-पत्रों को कुछ दायित्व माननीय सदन ने व संसद ने स्वयं प्रदान किये हैं और विधान सभा तथा परिषद् में जो विषय उठाये जाते हैं उन पर समाचार-पत्र में प्रकाशित टिप्पणी के माध्यम से की गयी समालोचना सदन का अवमान नहीं है।

अपने 1 अप्रैल, 1981 के पत्र के अन्तिम पैरा में सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन ने, जैसा कि सदन को पहले सूचित किया गया था, जहां एक ओर यह प्रार्थना की है कि समाचार-पत्र को युक्ति संगत आलोचना करने की जो छूट दी गयी है उसे बनाये रखा जाय, वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जहां तक टिप्पणी में "झूठ" शब्द का प्रयोग किया गया है, यदि उससे किसी माननीय सदस्य को कोई ठेस लगी है तो उसके लिए उन्हें खेद है।

उक्त प्रश्न पर मैंने पहले दिनांक 2 अप्रैल, 1981 तक निर्णय लेने की बात कही थी, परन्तु चूंकि "दैनिक जागरण" के सम्पादक का पूरा स्पष्टीकरण 2 अप्रैल, 1981 को ही प्राप्त हुआ और उस पर विचार करके उसी दिन निर्णय नहीं दिया जा सका, अतएव, दिनांक 4 अप्रैल, 1981 को श्री मोहन सिंह तथा श्री रियासत हुसैन ने श्री उपाध्यक्ष से, जो उस दिन पीठासीन थे, इस विषय पर उसी दिन अर्थात् 4 अप्रैल, 1981 को निर्णय देने का आग्रह किया जिस पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा था कि सदन के उठने से पहले वह माननीय सदस्यों को सुन लेंगे और इस बीच वह मामले को देख भी लेंगे। तदुपरान्त 4 अप्रैल, 1981 को अपराह्न में श्री उपाध्यक्ष ने माननीय श्री मोहन सिंह का उक्त सूचना में उल्लिखित शिकायत और उसके सम्बन्ध में सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन से प्राप्त हुए स्पष्टीकरण से सदन को अवगत कराते हुए कहा था कि उक्त सम्पादक से प्राप्त उत्तर के अन्तिम पैरा पर विचार करके इस प्रश्न पर निर्णय बाद में दिया जायेगा। उस समय उन्होंने श्री मोहन सिंह को तथा श्री रियासत हुसैन को अपने विचार प्रकट करने का अवसर भी दिया था, किन्तु इन माननीय सदस्यों ने केवल यह कहा था कि इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाना था वह सदन में पहले ही कहा जा चुका है।

मैंने माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह की शिकायत तथा समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" के सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा सदन

को कार्यवाही पर ऐसे मामलों में लिये पूर्ण निर्णयों के सन्दर्भ में गम्भीरता से विचार किया । उक्त समाचार-पत्र के सम्पादक ने खेद प्रकाश के साथ-साथ समाचार-पत्रों को संसद एवं विधान मन्डल द्वारा दिये गये युक्ति-युक्त आलोचना के अधिकार का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि उनकी सम्पादकीय टिप्पणी ऐसे आलोचना के अन्तर्गत आती है । इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि समाचार-पत्रों को स्वच्छ आलोचना का अधिकार है, परन्तु इस मामले में देखना यह है कि जो सम्पादकीय टिप्पणी दी गयी है वह स्वच्छ आलोचना है या नहीं । सदन की कार्यवाही से स्पष्ट है कि गोरखपुर में "दैनिक जागरण" के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने तथा उसके समर्थन में लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा भी "जागरण" के मालिक और सम्पादक श्री नरेन्द्र मोहन के विरुद्ध चल रहे आन्दोलन का मामला, विधान सभा में श्री मोहन सिंह द्वारा दिनांक 2 मार्च, 1981 को न कि 3 मार्च, 1981 जैसा कि माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है, विधान सभा में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में उठाया गया था और इस पर विरोध पक्ष के कतिपय माननीय सदस्यों ने विचार भी किया था । इस सन्दर्भ में दिनांक 5 मार्च, 1981 के "दैनिक जागरण" के प्रश्नगत सम्पादकीय पर विचार किया जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त सम्पादकीय का उद्देश्य केवल स्वच्छ या युक्ति-युक्त आलोचना है बल्कि वह एक पक्ष के रूप में "दैनिक जागरण" के मालिक एवं सम्पादक के सम्बन्ध में सदन में उठाये गये मामले का अप्रत्यक्ष उत्तर देने का प्रयास है, सम्भावना से किया गया नहीं कहा जा सकता ।

ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स और इस देश में लोक सभा एवं इस सदन में लिये गये निर्णयों के अनुसार तथा, या उसकी समितियों के स्वरूप, या कार्यवाही या सदस्य के रूप में किसी सदस्य के चरित्र या आचरण पर या उसके सम्बन्ध में कोई भाषण देना, या मानहानिकारक बात छापना या प्रकाशित करना सभा का विशेषाधिकार भंग तथा अवमान माना गया है और सभा या उसकी समितियों या सदस्यों पर आक्षेप करने वाले भाषणों तथा लेखों के लिये ऐसे अवमान के लिये दन्ड इस सिद्धान्त के आधार पर दिया जाता है कि ऐसे कृत्यों से "सदन के सम्मान में कमी होती है और इस प्रकार उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा पड़ती है ।" यह सही है कि उक्त सम्पादकीय सदन के विपक्ष के सदस्यों के सम्बन्ध में है और लोक सभा में तथा इस सदन के भी इस प्रकार के निर्णय हैं, जिनके अनुसार सभा के एक भाग या सभा के किसी दल विशेष के लिये मानहानिकारक शब्दों के प्रयोग को सभा का अवमान नहीं समझा जाता क्योंकि उसका प्रभाव सारे सभा पर नहीं पड़ता । किन्तु प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि उक्त सम्पादकीय विधान सभा में काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से उक्त पत्र के मालिक एवं सम्पादक के विरुद्ध उठाये गये एक मामले और उस पर सदन में किये गये कथन के परिप्रेक्ष में है । अतएव, प्राविधिक दृष्टि से उक्त सम्पादकीय सदन के विशेषाधिकार भंग तथा अवमान की परिधि के अन्तर्गत आ सकता है ।

दूसरी ओर यह भी विचारणीय है कि उक्त पत्र के मालिक एवं सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन ने खेद प्रकाश किया है । इसके अतिरिक्त अभी पिछले सत्र में इसी सदन में माननीय हुकुम सिंह द्वारा अभिसूचित एक प्रश्न पर निर्णय देते हुए मैंने कहा था कि कतिपय अवसरों पर किसी मामले को, यद्यपि वह सदन के विशेषाधिकार भंग या अवमान की परिभाषा में प्राविधिक रूप में आता है, सदन द्वारा नजरअन्दाज किया जाना या उस पर कार्यवाही न करना ही सदन की

[श्री अध्यक्ष]--

गरिमा के अनुकूल होता है और यह कि सदन की जांच प्रक्रिया का प्रयोग इस ढंग से नहीं होना चाहिये कि उसमें गैरजिम्मेदारी से कही गयी बातों को महत्व मिले ।

मैं समझता हूं कि उपर्युक्त परिस्थितियों तथा श्री नरेन्द्र मोहन द्वारा व्यक्त किये गये खेद प्रकाश को देखते हुए यह उचित होगा कि इस मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही न की जाय और इस मामले को समाप्त किया जाय । किन्तु मैं समाचार-पत्र दैनिक जागरण के मालिक एवं सम्पादक, श्री नरेन्द्र मोहन से यह अपेक्षा करूंगा कि इस सम्बन्ध में अपने द्वारा व्यक्त खेद प्रकाश को वे अपने समाचार-पत्र में प्रमुख स्थान पर प्रकाशित करें । साथ ही सभी समाचार-पत्रों के और मुख्य रूप से दैनिक जागरण के सम्पादक से यह भी अपेक्षा करता हूं कि वे इस सदन, उसकी समितियों, सदस्यों तथा सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने युक्ति-युक्त तथा स्वच्छ आलोचना के अधिकार को प्रयोग करते समय, इस सदन की गरिमा, मान एवं मर्यादा को भी ध्यान में रखें और संयम से काम लें ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आपकी तो यह रूलिंग हो गयी परन्तु आपने जो अन्तिम लाइनों में कहा कि श्री नरेन्द्र मोहन साहब अपना खेद प्रकाश किसी खास जगह एपालोजी की शक्ल में छापें । क्या नरेन्द्र मोहन साहब ने कहा है कि कौन से समाचार-पत्र में वह इसे छापेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस निर्णय के बाद मैं उनसे कहूंगा कि वह अपने खेद प्रकाश को समाचार-पत्र में छापें ।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, जालौन के विरुद्ध उठाए गए विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[समय 12 बजकर 19 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

एक और निर्णय है माननीय श्री शंकर सिंह जी के सम्बन्ध में । माननीय श्री शंकर सिंह, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 26 फरवरी, 1981 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के एक प्रश्न की सूचना दी थी । उक्त सूचना में माननीय सदस्य ने विधान सभा सचिवालय की दिनांक 16 फरवरी, 1981 को बुलेटिन संख्या 19 में, जिसमें उनकी गिरफ्तारी की सूचना परिचालित की गयी थी, का उल्लेख करते हुए यह आपत्ति की थी कि जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, जालौन ने मुझे दिनांक 6 फरवरी, 1981 को जो यह सूचित किया था कि माननीय सदस्य, श्री शंकर सिंह को कालपी-हमीरपुर मार्ग पर वाहनों को रोकने के सम्बन्ध में दिनांक 6 फरवरी 1981 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक मैजिस्ट्रेट, उरई के आदेशानुसार जिला जेल, उरई भेजा गया, यह सही नहीं है क्योंकि वास्तव में उन्हें जेल नहीं भेजा गया था और जातीय मुचलके पर छोड़ दिया गया था । माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार दी गयी गलत सूचना से अध्यक्ष की तथा माननीय सदन की प्रतिष्ठा गिरी है और उन्होंने यह मांग भी किया कि गलत सूचना भेजने तथा अध्यक्ष व सदन की प्रतिष्ठा

गिराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाय। इस औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने 26 फरवरी, 1981 को ही सदन में कहा था कि इस मामले की पूरी जानकारी प्राप्त की जायेगी। तदनुसार जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, जालौन से जानकारी प्राप्त की गयी।

इसी सन्दर्भ में दिनांक 30 मार्च, 1981 को माननीय सदस्य, श्री शंकर सिंह ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, जालौन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमानना के प्रश्न की सूचना भी दी जिनमें माननीय सदस्य का कहना था कि उक्त जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 1981 के उक्त वायरलेस सन्देश द्वारा गलत सूचना देकर सदन को गुमराह किया है। इस सूचना पर निर्णय देने के लिए भी औचित्य के प्रश्न के सन्दर्भ में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, जालौन से मांगी जानकारी का प्राप्त होना आवश्यक था।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, जालौन से पहले वायरलेस द्वारा और फिर दिनांक 20 मई, 1981 के उनके पत्र द्वारा पूर्ण रूप से वांछित जानकारी प्राप्त हुई। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, जालौन ने सूचित किया है कि दिनांक 6 फरवरी, 1981 को माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए भेजा गया तथा साथ ही साथ माननीय सदस्य की गिरफ्तारी सम्बन्धी कागजात भी तैयार कर लिए गए और यह मानकर कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट माननीय सदस्य को रिमान्ड पर जेल भेज देंगे, तत्सम्बन्धी सूचना भेज दी गयी, परन्तु न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा माननीय सदस्य को जेल नहीं भेजा गया और जातीय मुचलके पर छोड़ दिया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, जालौन द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 6/7 फरवरी, 1981 को रात्रि में समय 2·00 बजे श्री शंकर सिंह की रिहाई की गयी थी, इस प्रकार उक्त विधायक को दिनांक 7 फरवरी, 1981 को प्रातःकाल दो बजे रिहा किया गया था। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में इस सम्बन्ध में हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए यह सूचित किया है कि ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

जहां तक श्री शंकर सिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमानना के प्रश्न का सम्बन्ध है, सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में सम्बन्धित अधिकारियों ने जो सूचना दी थी वह अंशतः सही नहीं थी, परन्तु ऐसा जानबूझकर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत नहीं होता, बल्कि उनकी असावधानी एवं अनवधान ऐसा हुआ, जिसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया है।

श्री शंकर सिंह—

निर्णय देने से पहले मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय दे रहा हूं और आप कह रहे हैं, सुन लें। यह आप नई परम्परा न चालू करें।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपने उत्तर में कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा मैं जेल भेज दिया जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। उपर्युक्त स्थिति में यद्यपि यह सही है कि इस मामले में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा असावधानी बरती गयी, परन्तु इस बात को देखते हुए कि जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया गया है और सम्बन्धित अधिकारियों ने खेद प्रकाश किया है, इस मामले में अब अग्रेतर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है और इसे समाप्त किया जाय। परन्तु मैं शासन से यह अवश्य अपेक्षा करता हूं कि वह ऐसे निदेश जारी करें कि जब भी इस प्रकार की माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी या रिहाई आदि की सूचना अधिकारियों द्वारा भेजी जाय, वह तथ्यों पर आधारित हो और समुचित जानकारी करने एवं सावधानी बरतने के उपरान्त ही भेजी जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना को लिए जाने की मांग

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने भी दिया था विशेषाधिकार को..

श्री मोहन सिंह—

मुख्य मंत्री जी के खिलाफ।

(हंसी)

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैंने भी एक विशेषाधिकार का दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आज आपने इसको 10·00 बजे के लगभग दिया है, प्राप्त हुआ है।

श्री मोहन सिंह—

आप इसको सुना दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप ही के विरुद्ध वह विशेषाधिकार की सूचना है।

श्री मोहन सिंह—

सभी तो कह रहा हूं कि सुना दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं अगले एजेन्डा पर आता हूं। माननीय सदस्य पड़सी हैं, आप सी बात न करें, सदन की कार्यवाही को चलने दें।

श्री परमाई लाल, विधायक, हरदोई के घर में घुसकर शहर कोतवाल श्री महेन्द्र कुमार, दरोगा श्री श्रीराम त्रिपाठी व सिपाहियों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्री परमाई लाल, विधायक, जनपद हरदोई के घर में 16/17 जून, 1980 की रात को हरदोई के शहर कोतवाल, श्री महेन्द्र कुमार, दरोगा, सर्वश्री श्रीराम त्रिपाठी, एस0 पी0 सिंह तथा कोतवाली के तीन सिपाहियों द्वारा घुसकर गाली-गलोज करने व विधायक जी के पुत्र श्री विपिन के साथ मारपीट करने व माल लूटने आदि की घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा द्वारा कराई गई। अपराध शाखा की विस्तृत छानबीन/जांच से श्री परमाई लाल, विधायक द्वारा पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं हुए।

मुख्य मंत्री द्वारा मंडलों में मंत्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न इस सन्दर्भ में है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री ऐसे मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं जोकि मंडलायुक्तों के प्रति जिम्मेदार हों। संविधान में कोई इस तरह की व्यवस्था या व्याख्या नहीं की गई है कि मंत्री मंडलायुक्तों के प्रति जिम्मेदार हों। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्राथमरी घोषणा की कि मंडल स्तर का आवश्यक योजनाओं पर निरीक्षण करने के लिए कुछ मंडलीय समितियां होंगी और उनके अध्यक्ष मंडलीय आयुक्त होंगे, तो मंडलायुक्त के सलाहकारों को मंत्री कहना ही मंत्री शब्द और उसकी परिभाषा का उपहास करना होगा। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी आदतें गड़बड़ हैं। अभी एक मंत्री के शंडो ने अपने बयान में कहा कि वह रात को नक्खास की तरफ जाते हैं और शंडो को छोड़ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, आप इस पर मत जाइए। औचित्य का प्रश्न क्या है आपका, उस पर आइये आप।

श्री मोहन सिंह—

मेरा कहना यह है कि मंत्री मंडलायुक्तों के प्रति उत्तरदायी हैं तो उनको मंत्री कहना या मंत्री मुकर्रर करना मंत्री की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो भी मंत्री नियुक्त हुए हैं, वह संविधान और जिस तरह से उनकी नियुक्ति होनी चाहिए वैसे ही हुई है। आपने जो कहा, उस सम्बन्ध में न तो कोई

[श्री अध्यक्ष--]

नोटीफिकेशन है और न सूचना है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने मंत्रियों को नियुक्त कया है, यह उनकी अपनी व्यवस्था है कि वह कस तरह से अपना काम चलाना चाहते हैं। इसलिए मैं इसको औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

वित्त मंत्री द्वारा बजट की गोपनीयता भंग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे माननीय ब्रह्मदत्त जी जो एक वरिष्ठ मंत्री हैं, शिष्टाचार के खिलाफ अखबार वालों के सामने जब तब कुछ न कुछ भाषण दे दिया करते हैं। अभी कल ही की बात है, अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में यहां पर तो उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, केवल बजट की किताब पेश कर दी और अपने कक्ष में अखबार वालों को बुला कर एक भाषण दे दिया और साथ-साथ यह भी कह दिया कि बजट आज पास हो गया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, मैं तो यहां उस समय उपस्थित नहीं था, आप उपस्थित थे, तो क्या वह पास हो गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, उसी पर मैं आ रहा हूं कि वह पारित नहीं हुआ। लेकिन वह औचित्य का प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी जानबूझ कर जनता को गुमराह करने के लिये इस तरह की बातें करने की चेष्टा करते रहते हैं जिससे हमारे सदन की छवि बिगड़े। इसलिये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि भविष्य में इस तरह की असंगत व अप्रासंगिक बातें अखबारों का न दिया करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी भी कुछ बतलाने के लिये खड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी, थोड़े में आप बतला दें।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

समाचार पत्र जिस तरह की हेडिंग चाहें दें, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कैसे आती है। श्रीमन्, मेरे पास 4 समाचार पत्र हैं आज के स्वतन्त्र भारत ने लिखा है कि विधान सभा में अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया गया, आज, ने लिखा है कि अनुपूरक मांग पेश की गयी, पत्रिका ने लिखा है कि अनुपूरक अनुदा पास हो गया, नेशनल हेराल्ड ने लिखा है कि अनुपूरक अनुदान पेश किया गया और दैनिक जागरण ने लिखा है कि मंत्री जी ने अपने कक्ष में अखबार वालों से कहा कि अनुपूरक अनुदान पास हो गया। अब इसके लिये मैं क्या कहूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी एक वरिष्ठ और जिम्मेदार मंत्री हैं, ऐसी बातें कहने से कोई लाभ नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

[समय 12 बजकर 36 मिनट]

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत एक दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सब कार्यस्थगन प्रस्तावों पर बता रहा हूं। एक माननीय श्री खैरुलबशर का शासन द्वारा गढ़वाल के उप चुनाव को टालने के सम्बन्ध में चुनाव आयोग को लिखे पत्र के सिलसिले में है।

दूसरी श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की गत 20 अगस्त, 1981 को गुरुसराय की पुलिस द्वारा भारी गोली वर्षा करने से उत्पन्न अशान्ति के सम्बन्ध में है।

तीसरी श्री प्रदीप कुमार यादव की दिनांक 15-9-1981 का युवा जन सभा के सदस्यों व समर्थकों द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी तथा सरकारी काम-काज में अंग्रेजी के इस्तेमाल के मांगों से सम्बन्धित जलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज।

चौथी श्री शिवानन्द नौटियाल, कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री मुख्तार अनीस, श्री फखरे आलम की शासन द्वारा गढ़वाल के उपचुनाव के टालने के सम्बन्ध में चुनाव आयोग को लिखे पत्र के सम्बन्ध में।

पांचवी श्री मुख्तार अनीस की है जिस पर दस्तखत नहीं हैं।

छठीं श्री मोहन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री भीखा लाल की मंत्रियों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग से प्रशासन का गलत ढंग से प्रभावित होने के सम्बन्ध में है।

सातवां श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह की प्रदेश दस हजार शिक्षकों एवं 4 हजार चपरासियों को फालतू घोषित करने की नोटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं श्री कुबेर भंडारी की है—बिजली की कौती किये जाने से सिंचाई तथा उद्योग कार्यों में बाधा से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में।

नवीं, श्री अकबर हुसैन, श्री सूबेदार सिंह की है—पूर्वी जिलों में बाढ़से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

गढ़वाल में उपचुनाव कराये जाने की मांग पर कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो असत्य सामने आपके आया है चुनाव टालने के लिए, इस सरकार की क्या-क्या भावना है । मान्यवर, पहले ही गढ़वाल में चुनाव तेरह महीने बाद कराये गये । अब भी उस को टालने के लिए सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि वहां पर अतिवृष्टि हुई है, भू-स्खलन हुआ है, शांति-व्यवस्था ठीक नहीं है । यह बिल्कुल सत्य से परे बात है । डेढ़ महीने से अधिक हो गया है गढ़वाल में एक बूंद वर्षा नहीं हुई है, शांति व्यवस्था पूर्णतया ठीक है । इसी तरह से वहां पर किसी प्रकार की भी कोई सड़क टूटी नहीं है, भू-स्खलन नहीं है । सूखे के कारण यह सरकार जहां चुनाव टालने की बात कर रही है, वहीं पर वहां के लोगों को राहत देने की बात आ रही है, यह वहां की जनता को गुमराह करने की बात है ।

(श्री खैरुल बशर का नाम पुकारे जाने पर)

यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है । संसदीय अधिकार से वंचित....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री खैरुल बशर--

मेरा कहना यह है कि प्रजातन्त्र में जनता के प्रजातांत्रिक अधिकार हैं...।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव के बारे में कहिये....

श्री खैरुल बशर--

उसी पर बोल रहा हूं । वहां पर जो बाढ़ की बात बताई गई है, उससे स्पष्ट है कि यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और पिछले चुनाव जो मई में हुये उस महीने की 11 करोड़ जनता की चीनी सब इलाहाबाद ले जाई गई ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

किससे लिखवाकर लाये हो ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जायं....

श्री खैरुल बशर--

मेरी बात अभी आई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । मैं आदेश दे रहा हूं आप बैठिये ।

(श्री मुख्तार अनीस का नाम पुकारने जाने पर)

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

शुरू में ही कुछ भ्रम दूर करने के लिए मैं आपकी आज्ञा से कुछ बता देना चाहता हूं । जो कुछ भी पत्राचार हुआ है यह चीफ/इलेक्टोरल आफिसर, उत्तर प्रदेश या रिटर्निंग आफिसर, गढ़वाल और इलैक्शन कमीशन के बीच हुआ है । सरकार की ओर से अभी कोई चीज इलैक्शन कमीशन को नहीं लिखी गयी ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

मैं मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं । सदन को असत्य बात बता रहे हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इलेक्शन कमीशन

(व्यवधान)

(शोर)

इस चुनाव में व्यापक पैमाने पर सत्ताधारी दल ने बूथ कैपचरिंग और भ्रष्टाचार

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा उससे कुछ भ्रम हो गया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से यह बता दें कि क्या इलेक्शन पोस्टपोन करने से लिए कोई लैटर, पत्र राज्य सरकार की ओर से लिखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

कह दिया उन्होंने ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । जो भी पत्राचार हुआ है चीफ इलैक्टोरल आफिसर उत्तर प्रदेश और इलैक्शन कमीशन के बीच हुआ है और रिटर्निंग आफिसर और इलैक्शन कमीशन के बीच

(व्यवधान)

(शोर)

मैं स्पष्ट कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे) ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय रियासत हुसेन साहब, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, पूरी चीज तो मुझे कह लेने दीजिये । मैं पूरा निराकरण कर दूंगा । उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी इलेक्शन कमीशन से कोई इस विषय पर पत्राचार नहीं किया गया है । पोस्टपोनमेंट के सम्बन्ध मे भी सरकार की ओर से अभी नहीं लिखा गया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तब तो स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांत रहें । बैठ जायं ।

एक सदस्य--

जब जवाब आपको सही मिल गया तो क्यों उछल रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के सो-काल्ड स्पष्टीकरण से ऐसा आभास हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन आफिसर और इलेक्शन आयोग के बीच कोई पत्राचार हुआ है, इसकी सूचना मुख्य मंत्री को है । इसीलिये आपको जानकारी है । आप स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य मंत्री होने के नाते आप वहां पर चुनाव कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसी माह 19 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें मेरी जानकारी है कि कैंडीडेट्स को भी बुलाया है । यहां के चीफ इलेक्ट्रोल आफीसर को भी बुलाया है । इसलिये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है उसमें कोई टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

शासन अपना पक्ष बतलावे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें और शांति रखें ।

(कई सदस्य के एक साथ बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री मोहन सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप बैठ जायं फिर मैं आपको सुनूंगा ।

(श्री मोहन सिंह बैठ गये ।)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास में कोई जुडीशियली सर्विस आदमी ही चीफ इलेक्टोरल आफिसर हुआ करता था लेकिन आज इस पद पर एक आई० ए० एस० अधिकारी रखा गया है जो आपके मातहत है । मैं जानना चाहता हूं कि उस आई० ए० एस० आफिसर, चीफ इलेक्शन आफिसर ने पत्र लिखते समय शासन से या सम्बन्धित मंत्री से कुछ विचार विमर्श किया था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या सुझाव उनको दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह चाहे शासन हो, चाहे कोई और अधिकारी हो, कौन किसको पत्र लिख रहा है और क्या लिख रहा है यह हमारे सदन का विषय नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह गंभीर बात है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कार्य स्थगन प्रस्ताव पर मैं काफी सुन चुका हूं ।

(व्यवधान)

इसके अधिक नहीं सुना जा सकता है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

सदन की मर्यादा का ख्याल रखें माननीय अध्यक्ष खड़े हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें ।

श्री मुख्तार अनीस--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

आज जो कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है..

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया दूसरे माइक पर बोलिये, आपका माइक काम नहीं कर रहा है?

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, आज कार्यस्थगन प्रस्ताव इसलिए आया क्योंकि समाचार पत्रों में छपा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने चनाव आयोग को लिखा ह कि अधिक वर्षा के कारण और शांति व्यवस्था के कारण अभी गढ़वाल में चुनाव कराना संभव नहीं है । केवल इसी मुद्दे पर स्पष्ट कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी स्पष्टीकरण दिया कि हमारे शासन की ओर से चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं गया है । जो पत्राचार हुआ है वह यहां के चुनाव अधिकारी और चुनाव आयुक्त के बीच हुआ है । स्पष्टीकरण के उपरान्त माननीय नेता विरोधी दल ने यह बात रखी कि यह स्पष्टीकरण आ जाय कि क्या उत्तर प्रदेश शासन गढ़वाल में चुनाव कराने के लिए तैयार है कि नहीं ? इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट दे दें ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि चुनाव आयुक्त ने मीटिंग बुलाई है ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी मैंने निवेदन किया कि इस माह की 19 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने बैठक हो रही है । जो भी निर्णय इलेक्शन कमीशन का होगा, वह हमें मान्य होगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था उस पर आपने कहा आपको नहीं बुलाया गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो 19 तारीख को मीटिंग है, उसमें यहां के इलेक्टोरल आफिसर को अपना यह सुझाव देकर भेजेंगे, यह बता दें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

चीफ इलेक्टोरल आफिसर स्वतंत्र ह वह शासन के तहत नहीं है, वह इलेक्शन कमीशन के तहत है । एक बात जो आपने बताई कि वह जुडिशियल सर्विस का होता है तो मैं सूचना देना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक जडीशियल आफिसर को रिकमेंड किया था इलेक्टोरल आफिसर के लिए चकि उनको सर्विस के केवल दो

वर्ष से कम थे और इलेक्शन कमीशन से उनकी स्वीकृति नहीं आई। तो इन परिस्थितियों में यह नियुक्ति हुई है। अन्य प्रदेशों में जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की नियुक्तियां हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें। मैंने इस पर काफी सुन लिया है। कृपया आप लोग बैठ जायं।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मेरी भी कुछ बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लेता हूं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसमें इस तरह का काम नहीं चल सकता, आप सदन को चलने दीजिए।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

अब मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेता हूं।

(व्यवधान)

मैं इसके लिए तिथि मुकर्रर करूंगा। यह एलेक्शन कमीशन की नीति का मामला है। (व्यवधान) यह नहीं हो सकता है। इस सिलसिले में गढ़वाल के बारे में श्री खैरुल बशर का जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, उसको और अन्य कार्य-स्थगन प्रस्तावों को मैं अस्वीकृत करता हूं।

(व्यवधान के मध्य श्री हरीकिशन श्रीवास्तव कुछ कहते हुए अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया और कुछ क्षण उपरान्त वापस आ गये।)

श्री मोहन सिंह--

हम लोगों ने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं इसके विरोध म अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रदीप कुमार यादव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन के बाहर चले गये तथा कुछ देर के बाद पुनः वापस आ गये ।)

श्री सुरेन्द्र बशर--

मुख्य मंत्री को दिल्ली से यह आदेश हुआ है ..

(व्यवधान)

कई सदस्य--

अध्य जी यह क्या हो रहा है ?

श्री मोहन सिंह--

मेरा प्रदेश के मंत्रियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रस्ताव है, कृपया उस पर दो मिनट मुझे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष--

सब को कह चुका हूं कि अस्वीकार हुए हैं । अब बैठिये ।

(व्यवधान)

(बाहर निकाल दीजिए, बाहर निकल जाइये की आवाजें)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, हमें केवल एक मिनट आप कहने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

(और इसी के मध्य विरोधी पक्ष के अनेक सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र बशर, शिवा नन्द नौटियाल, विद्या सागर नौटियाल, कुंवर सिंह नेगी, फखरे आलम, हरी किशन श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार यादव आदि अपने आसनों से उठकर सदन-रिपोर्टर्स की मेज के सामने आकर जोर-जोर से एक साथ बोलने लगे जो व्यवधान के मध्य सुनाई नहीं दिया तथा निम्नलिखित नारे लगे।

'इन्कलाब जिन्दाबाद' मुख्य मंत्री उत्तर दें आदि)

(व्यवधान) (घोर व्यवधान)

[विरोध पक्ष के कुछ सदस्यों की ओर से जो रिपोर्टर्स टेबिल के सामने खड़े थे, निम्न नारे लगाते रहे--

"मुख्य मंत्री उत्तर दें,"

"चुनाव होकर रहेंगे,"

"गढ़वाल में चुनाव कराइये,"

"गढ़वाल की जनता जिन्दाबाद" ।]

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत हो जायं ।

(व्यवधान)

(शासन पक्ष की ओर से भी कुछ नारे लगाये जा रहे थे जो सुना ही दे रहे थे ।)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शांत हो जायं ?

[शासन पक्ष की ओर से 'इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद' के नारे लगाये जा रहे थे ।] [लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के तथा विरोध पक्ष के कुछ अन्य सदस्यों की ओर से पुनः निम्न नारे लगाये गये--

"जनता की सरकार नहीं चलेगी,"

"लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी ।"]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांति रखें ।

[इसके उपरान्त विरोध पक्ष के कुछ सदस्य जो खड़े थे, सदन के बीच रिक्त स्थान पर बैठ गये ।]

श्री विद्यासागर नौटियाल--

आप इन्दिरा गांधी को लेकर गढ़वाल में आ जाइये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरी ओर से विरोधी दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करें और उन्हें समझायें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आप उन्हें निवेदन तो कर लेने दें ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप पहले उनसे अपने-अपने स्थान ग्रहण करने के लिए कह दें ।

श्री कंवल बशर--

मान्यवर, पहले हमको बोलने दीजिये । बड़ा गम्भीर मामला है । हमको बोलने दीजिए ? हम अपनी भाषा में बोलेंगे, अपना वक्तव्य देंगे । हमें बोलने दीजिए ?

श्री अध्यक्ष--

आप अपने-अपने स्थान पर जायं ।

(इसके उपरान्त विरोध पक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए वे अपनी सीट पर चले गये । यह प्रश्न कल भी आया था गढ़वाल के चुनाव के सम्बन्ध में लेकिन वह किसी और रूप में था। लेकिन आज समाचार पत्रों में यह सूचना छपी है कि गढ़वाल में चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ लोगों को अशांति हो गई है । हम मुख्य मंत्री जी से केवल एक उत्तर चाहते हैं कि शासन इस स्थिति में है या नहीं कि वे चुनाव कराने को तैयार हैं ? चुनाव न करायें यह तो इलेक्शन वाले अधिकारी कह सकते हैं, यह उनकी इच्छा पर है लेकिन हम तो शासन से जानना चाहते हैं कि क्या वे इलेक्शन कराने को तैयार हैं या नहीं ? इलेक्शन न कराने का कारण यह आया कि वर्षा के कारण भू-स्खलन हुआ और जगह-जगह सड़कें टूट गई हैं । हम आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल एक बात जानना चाहते हैं कि वे यह स्पष्ट कह दें कि वे गढ़वाल में चुनाव कराने को तैयार हैं अथवा नहीं । दो में से एक बात वे कह दें ?

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, जो मुझे अर्ज करना था, वह मैंने बहुत पहले ही अर्ज कर दिया है ।

(शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग क्यों खड़े होते हैं, आपका कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बंशल बशर--

हमारा प्रस्ताव है हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने का दायित्व केवल अध्यक्ष का ही नहीं है और अगर यह अध्यक्ष का ही केवल दायित्व है तो सदन कभी भी व्यवस्थित ढंग से नहीं चल सकता है । यह इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का दायित्व है कि सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग दें और जब तक माननीय सदस्य अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, सदन का व्यवस्थित ढंग से चलना असम्भव है ।

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करूंगा, विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं, आपका यह सदन, जब से प्रारम्भ हुआ, अपने मर्यादित रूप में चल रहा है, आप इसको आगे भी मर्यादित रूप में चलने दें । कृपया इस बात को भी ध्यान में रखें कि सरकारी कार्य भी होना है । जहां तक विरोध पक्ष को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का प्रश्न है, उसको भी ध्यान में रख कर मैं इस सदन को गौरवपूर्ण ढंग से चलाना चाहता हूं और विरोध पक्ष को पूरा अवसर भी देता हूं । अगर कहीं आप यह देख कि आपको, अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति करने में कहीं कोई अड़चन पड़ रही है, तो आप कोई कदम उठा सकते हैं, लेकिन सदन का जो कार्य है, उसमें आप सभी को अपना सहयोग देना चाहिए और सदन को मर्यादित ढंग से चलने देना चाहिए । मैं माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा, शब्द 'नेता' लगा होने के कारण, उनका यह दायित्व है कि वे अपने दल के सदस्यों को समझायें । वे अपने प्रभाव का प्रयोग करके उनका सहयोग दिलवायें । जब ऐसा होगा तभी यह सदन सुचारु रूप से चल सकेगा ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, आपको यदि कोई कष्ट हुआ उसके लिए हम लोगों को भी बहुत कष्ट है । हम सभी सदस्य इस सदन की गरिमा बनाये रखना चाहते हैं और उसमें सबसे बड़ा योगदान हम स्वयं करना चाहते हैं । अभी जब माननीय नेता विरोधी दल को आपने निर्देश दिया तो उनके कहने पर हम सभी सदस्य अपनी-अपनी सीट पर आकर बैठ गये । मूल प्रश्न यह है कि इलेक्शन कमीशन, कोई चुनाव कराये या न कराये, वह कोई तिथि निश्चित करे या न करे, मगर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे । चूंकि आज समाचार-पत्र में विपरीत बात आई है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री अपना उत्तरदायित्व अदा कर दें कि क्या उत्तर प्रदेश शासन गढ़वाल में चुनाव करने की स्थिति में है या नहीं ? यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उसका उत्तर न दें, तो मान्यवर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हम क्या करें ? हम अपने उत्तरदायित्व का पालन करें या न करें ? या केवल दस्तखत कर दें और अपनी तनख्वाह लेकर घर चले जायं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट मेरा सुझाव सुन लें, यद्यपि मेरा प्रस्ताव नहीं था, लेकिन इससे आपको निर्णय देने में सुविधा होगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब आपने मुझको एक लोभ दे दिया है ताकि मुझको निर्णय देने में आसानी हो जाय, इसलिए आप अपना सुझाव एक मिनट में दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा सुझाव यह है कि जो जो यहां पर विवाद चल रहा है, उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि संविधान यह कहता है कि एलेक्शन कमीशन जो भी तारीख तय करेगा, वह राज्य सरकार की सलाह से करेगा, क्योंकि राज्य सरकार को अपनी एजेंसी के माध्यम से चुनाव कराना है । राज्य सरकार का स्पष्ट क्या रुख है चुनाव कराने के बारे में ? वह आज की परिस्थितियों में चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं ? मान्यवर, बिना उनकी राय के चुनाव कमीशन कोई भी तिथि निश्चित नहीं कर पायेगा । अगर मंत्री जी आश्वस्त कर दें या कह दें नहीं,

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

तो भी जो हमें करना होगा वह हम करेंगे । हम केवल इतना जानना चाहते हैं । हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं ।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपके नेता सदन खड़े हुए हैं और आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो एलेक्शन कमीशन का निर्णय होगा वह सरकार को स्वीकार है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग सुनने तो दीजिए ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित नेता विरोधी दल और विरोधी दल के माननीय सदस्यों से मेरा एक निवेदन है कि प्रथम वाक्य के बाद दूसरा वाक्य भी वह सुनने की सामर्थ्य रखें । एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य कोई सुनना ही नहीं चाहते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

वर्मा जी कृपया शांत रहें, आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

चीफ एलेक्टोरल आफिसर या रिटर्निंग आफिसर शासन से बिलकुल स्वतन्त्र और निष्पक्ष हैं । एलेक्शन कमीशन पर हमारा पूरा विश्वास है । तो इसमें हमको किसी कड़ी से संदेह करने की कोई प्राइमाफेसी गुन्जाइश नहीं रहती ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मुख्य मन्त्री इस सदन के उत्तरदायी हैं या चुनाव आयुक्त के ? अगर वह इस सदन के उत्तरदायी हैं, तो शासन की तरफ से चुनाव की क्या तैयारियां हो चुकी हैं ?

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी से केवल यह उत्तर दिलवा दीजिए कि यह सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं ?

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री संतराम बशर—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी से केवल यह उत्तर दिलवा दीजिए कि यह सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप बैठ जायं । आप जितना पूछ सकते थे, जितना कह सकते थे, जितनी जानकारी आप लेना चाहते थे, लेने का प्रयत्न किया ।

श्री भीखा लाल—

मुख्य मन्त्री जी जितना टाल सकते थे, टाला ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

हरियाणा की पुलिस मुख्य मन्त्री जी, गढ़वाल में बुला सकते हैं तो वहां के मौसम के बारे में क्यों नहीं बता सकते ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद जो मुख्य मन्त्री को उत्तर देना था, दे दिया । मैं इस प्रस्ताव को पहले ही अस्वीकार कर चुका हूं । अब मैं अगले आइटम पर आता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, आपने बहुत प्रयास किया, जितना संरक्षण मिल सकता था, पूरी कोशिश विपक्ष के प्रश्न का मुख्य मन्त्री से उत्तर दिलाने का आपने प्रयास किया किन्तु मुख्य मन्त्री अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं इसलिए कि वह गढ़वाल से घबड़ाये हुए हैं, वह उत्तर नहीं देना चाहते हैं । अब मेरे पास कोई चीज नहीं है सिवाय इसके कि हम सदन का त्याग करें ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन का त्याग कर चले गए ।)

(विपक्ष के सभी सदस्य सदन से उठकर चले गए ।)

श्री त्रिवेनी--

मोहन सिंह आप पर यह विश्वास नहीं करेंगे आप इधर चले आइए ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ख्याल है जो नोटिस है उसी पर मोहन सिंह को अनुमति दिया है ।

श्री अध्यक्ष --

उस पर नहीं, सामान्य चर्चा पर ।

श्री मोहन सिंह--

अच्छा है सफाई दे दें कि यह लोग भ्रष्ट नहीं हैं । कार्य-स्थगन पर विचार करना चाहते हैं कर लेने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष --

उस पर नहीं, अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा पर बोलना है मैं एक सूचना दे दूं जो कार्यसूची है उसके हिसाब से यह बहस पौने 4 बजे तक चलेगी उसके बाद मतदान होगा ।

श्री मोहन सिंह--

यह अनुपूरक अनुदान वार्षिक बजट पास होने के बाद दुबारा रखा है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मैंने दिया था ।

श्री अध्यक्ष --

वह सब समाप्त हो चुके ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

झांसी जनपद में गुरु सराय की पुलिस ने जो अत्याचार किया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सदन का कार्य प्रारम्भ हो गया है, चलने दें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

3 दिन से दे रहा हूं ।

श्री मित्रसेन--

अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जाएं । श्री यादव जी आप बैठ जायं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । सदन व्यवस्थित रूप से चल रहा है, चलने दें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय, मेरी प्रार्थना आप सुन लें। झांसी में 21 अगस्त को, जो घटना घटी उसमें कार्य स्थगन में कल और आज सूचना दिया है। उस घटना के सम्बन्ध में मैं अपना मत रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष --

वह अस्वीकार हो चुका है। इसलिए दूसरे रूप में उसको देखें जिसको हम देखेंगे।

श्री मित्र सेन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमावली के नियम 194, जो अनुपूरक अनुदान के सम्बन्ध में है, उसको देखें।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जायं। कार्य-मंत्रणा समिति में कब यह लिया जाएगा, इस पर चर्चा हुई है। कार्य-मंत्रणा समिति ने एक निर्णय लिया, उसके सम्बन्ध में यहां सदन में प्रस्ताव हुआ और उसको सर्वसम्मति से यहां स्वीकार किया गया इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मित्र सेन--

नियमावली में जो प्राविधान है, उसको क्या आपने निलम्बित कर दिया है?

श्री अध्यक्ष---

सदन ने निर्णय ले लिया तो उसके वही अर्थ हुए।

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जायं, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री अकबाल हुसैन--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जायं। आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं। इसलिए यह अशोभनीय है। आपका लिखा नहीं जाएगा। आप बैठ जायं। आप जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जाएगा।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अकबाल हुसैन—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें । मोहन सिंह जी आप प्रारम्भ करें ।

1981-82 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

[समय 1 बजकर 25 मिनट]

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपना वार्षिक बजट पेश करने के बाद दो-दो अनुपूरक अनुदानों की मांगें इस सदन के समक्ष रखी हैं । इससे बड़ी विफलता, भावी योजना के आकलन की कमजोरी का इससे बड़ा सबूत और नहीं होगा । जिन चीजों का वार्षिक योजना में, बजट में प्राविधान नहीं हो सकता और धन की कमी से परम आवश्यक और जनहित के काम रुके रहे होते हैं उनके लिए ऐसा अनुपूरक अनुदान पेश किया जाता है । लेकिन जैसा

(इस समय 1 बजकर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

कि पिछली बार मैंने कहा था, पिछली अनुपूरक मांगें जब इस सदन में पेश की गई थीं और संख्या सुर के आधार पर पास कराई गई थीं उनमें अधिकांश फिजूल-खर्ची और अय्याशी को बढ़ाने वाली थीं । इस बार, जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, इसका अवलोकन करने पर पता चलता है कि केवल प्रशासनिक और अनुत्पादक खर्च, फिजूलखर्ची और अटयाशी बढ़ाने वाली मदें माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस आदरणीय सदन के समक्ष रखीं हैं ।

माननीय वित्त मन्त्री को अपनी योजना के कार्यान्वयन करने के सम्बन्ध में अनेक दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ रहा है और जब भी यह दिल्ली को सरकार के पास हाथ फैल कर भीख मांगने जाते हैं तो दिल्ली से उत्तर मिलता क्योंकि इंटरनेशनल है कि हम आपको अपनी ओर से पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं । मानीटरिंग फंड, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक उनको पैसा देने की स्थिति में नहीं है और वह इनको पैसा देने की स्थिति में नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाने पर विचार करे । दूसरी तरफ फिजूलखर्ची और अय्याशी पर रोक लगाने और प्रशासनिक खर्चे कम करने के बजाय नित्य नये 2 खर्चे बढ़ रहे हैं । मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं । रोज, आजकल माननीय मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य दे रहे हैं कि विद्युत् संकट है, पूरे प्रदेश में बिजली कटौती की जायगी । जब अखबार वालों ने कहा कि शीत ताप नियंत्रक बंद करिये तो उन्होंने कहा कि मेरा एयर कंडीशन बंद हो गया । मुख्य मंत्री जी का एयर कंडीशन बंद हो गया लेकिन, जो लघु इकाई मंत्री हैं, उनको अपने कक्ष में बैठकर काम करने में दिक्कत होगी । आपने अनुदान की राशि में 6 लाख रुपये मांगे हैं इसलिये कि जो मंत्री इस परिसर में रहते हैं, उनके सभी कक्ष शीत ताप नियंत्रित कर दिये जायं । यह फिजूलखर्ची का एक नमूना है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात आपने कही है कि जो आपका वायुयान है जिसको मुख्य मंत्री जी स्कूटर की तरह प्रयोग करते हैं और हर शनिवार और रविवार को किसी प्रशासनिक काम से नहीं, किसी ऐसे काम से नहीं जो योजना से सम्बन्धित हो और जिस पर दिल्ली सरकार से वार्ता करनी हो ऐसे काम से नहीं, बल्कि अपने परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिये हर शनिवार और रविवार दिल्ली में बिताते हैं। अनुदान की मांगों में रख दिया गया है कि एक हेलीकाप्टर दस्यु उन्मूलन अभियान में लगा दिया गया है और दो ही हेलीकाप्टर हैं इसलिये एक चेतक हेलीकाप्टर जरूरी है। जिससे जब वह दिल्ली की तरफ जाएं तो माननीय वित्त मंत्री देवरिया की तरफ भी जा सकें। दो हेलीकाप्टर की और आवश्यकता किन परिस्थितियों में पड़ी इसका कोई औचित्य अनुपूरक अनुदान में नहीं दिया गया है। अभी तक तो दो हेलीकाप्टर से शासन का काम चल रहा था। अब तीसरे के खरीदने की जो बात कही गयी है, इसके लिए साढ़े छः लाख रु0 की मांग की गयी है। इसके लिए और भी खर्चे होंगे जो लाखों में आयेंगे। एक पायलेट होगा, उसका खर्चा, उस हेलीकाप्टर के मेन्टीनेन्स का खर्चा तथा उस पर पेट्रोल का भारी खर्चा आदि तो इस तरह से उस पर लाखो रुपये का हर साल का और खर्चा आयेगा, जिसकी कोई निश्चित राशि नहीं कही जा सकती है।

इसके साथ–साथ दो लाख रुपया एयर रेडार पर खर्च करने जा रहे हैं, तो इस तरह के अनावश्यक खर्चे होने जा रहे हैं। अभी मान्यवर, गढ़वाल पर चर्चा हो रही थी। हमारे मा0 पर्वतीय विकास मंत्री लोक सभा के उम्मीदवार हैं। उनके ऊपर इस बात को लेकर निरंतर तरह–तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं कि वह अपने पद और शक्ति का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने विवेकाधीन कोष की राशि की तादाद बढ़ा दी। मैं आपसे इस सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सदन की कमेटी बनायी जाए, जो माननीय मंत्री जी अपने विवेकाधीन कोष की राशि को अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं और उसको फिर बढ़ाने की मांग की है। अगर उनको अपने पार्टी के लोगों की मदद करनी ही है तो पार्टी का एक फंड होता है, जो चंदे से इकट्ठा किया जाता है, उसमें से दें और इस प्रकार जो आम गरीब जनता का पैसा गलत ढंग से खर्च हो रहा है, इस पर रोक लगाई जाय, तो मैं समझता हूं कि संचित निधि से उस राशि को बढ़ा कर उसको विवेकाधीन कोष के नाम पर बांटा जाए, यह अनुदान के साथ भारी अन्याय है।

मान्यवर, एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। यह जो आपका ताल्लुकेदार कालेज है लखनऊ का, सम्भवतः आप भी जानते होंगे, यह बड़े–बड़े लोगों का स्कूल है। इसमें जितने भी शासन के बड़े–बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पत्नियां व रिश्तेदार वहां पर तरह-तरह के कंडर पर काम भी करते हैं। इस कालेज के पास अपना करोड़ों रु0 का फंड है, लेकिन इसको विगत दो–तीन वर्षों से इसके काम करने के तौर–तरीकों पर, इसके क्रिया–कलापों पर तमाम शंकाएं प्रकट की जा रही हैं और यह भी शिकायत है कि वह तमाम पैसा गबन कर रहा है। लेकिन इतना सब होते हुए भी आपने उसको 2 लाख रुपया अनुदान के रूप में आकस्मिकत निधि से दे दिया। ऐसा क्यों किया गया। इसके पीछे भी एक राज है। हमारे यहां एक विशेष सचिव हैं, श्री पी0 के0 मित्तल। इनकी पत्नी को वहां पर लेक्चरार के रूप में अभी नौकरी मिली है। श्री मित्तल का अभी ऐज कलेक्टर, बनारस ट्रांसफर हुआ है और आश्चर्य की बात यह भी सामने आयी कि श्री मित्तल की पत्नी, जो ताल्लुकेदार में अभी एक माह पूर्व ही लेक्चरार हुयी हैं, उनको एक वर्ष की छुट्टी पी0 एच0 डी0 करने

[श्री मोहन सिंह--]

के लिए, बनारस में जाने के लिए दे दी गयी हैं और जब इनको डिग्री प्राप्त हो जायेगी, तब श्रीमती, मित्तल फिर अपने स्थान पर लखनऊ आ जायेंगी और श्री मित्तल भी सचिवालय आ जायेंगे, तो इस प्रकार का खिलवाड़ शासन द्वारा किसी एक विशिष्ट परिवार के लिए हो रहा है और उस कालेज में, जहां पर विशिष्ट प्रकार के वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और उनके परिवार के लोगों का पालन-पोषण हो रहा है। उस कालेज को आसानी से इतना अधिक रुपया गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का दिया जा रहा है, तो इस प्रकार साफ तौर पर संचित निधि से एक प्रकार का मजाक नहीं किया जा रहा है तो और क्या है ? दूसरे मान्यवर, पी० ए० सी० पुलिस फोर्स के लिए, उसके नियंत्रण के लिए दस्यु उन्मूलन और बाढ़ उन्मूलन के लिए आपने एक करोड़ 88 लाख रुपये की मांग की है, जो आपके पास पहले से बनी हुई फोर्स है, उसके ऊपर इल्जाम है कि वह कोई काम नहीं कर रही है। अभी गोण्डा में बाढ़ आयी, सेना बुलायी गयी, बस्ती बाढ़ से घिरी हुई है, वहां के विधायक सदन की 'सिटिंग' को अटेण्ड करने नहीं आ सके। जब बाढ़ नियंत्रण का काम होता है, सेना भेजते हैं, दंगा होता है तो सेन्ट्रल सिक्यूरिटी फोर्स को बुला लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पी० ए० सी० के बारे में अनेकों भावनायें व्यक्त की गयीं। भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की, जो पी० ए० सी० है, उसमें साम्प्रदायिक जातियों के प्रवेश के कारण वह साम्प्रदायिक हो गयी है। उस फोर्स के रख-रखाव पर 1 करोड़ 88 लाख रु० की मांग रखी गयी है। मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के खजाने के साथ मजाक और खिलवाड़ है।

अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन पद्धति चला रहे हैं। 19 लाख रु० हर जिले में जीप गाड़ी के लिये रखा गया है, एक अफसर को अधिकारी मुकर्रर होगा। चूंकि उनको आंकड़े कलेक्ट करने होते हैं इसलिए उसको एक चपरासी चाहिये, एक बंगला चाहिये और एक गाड़ी चाहिये। इसके लिये 19 लाख रुपया आपने मांगा। मैं समझता हूं कि जब जिलाधिकारी के पास गाड़ी है, ए० डी० एम० के पास भी गाड़ी है, जिला विकास अधिकारी और सी० डी० ओ० मुकर्रर कर रखे हैं और उनके पास भी गाड़ी का प्राविधान है, डिप्टी डेवलपमेण्ट कमिश्नर के लिये भी गाड़ी की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विकास के, जो अधिकारी हैं, उनके लिये सभी सुख-सुविधा की व्यवस्था कर रखी है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार आप गांवों का पैसा काटकर इस्टेब्लिशमेन्ट और स्टाफ पर खर्च करने जा रहे हैं। यह आपकी फिजूलखर्ची का उदाहरण है।

आप बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं। इस प्राधिकरण की क्या आवश्यकता है ? यदि आपकी रुचि बुन्देलखण्ड के विकास के ऊपर है

एक सदस्य--

पिछड़ा इलाका है।

श्री मोहन सिंह--

पिछड़ा इलाका तो बलिया भी है।

मैं केवल यह कह रहा हूं 20 करोड़ रु० में से अधिकांश पैसा प्रशासकीय खर्च में जायगा। यदि यह 20 करोड़ रुपया, जिसको आप विकास प्राधिकरण

बनाकर खर्च करने जा रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पहले से मण्डलीय विकास निगम नहीं है ? झांसी में मण्डलीय विकास निगम बहुत पहले से 1974 से बना हुआ है । उसकी पूंजी दो-ढाई करोड़ रुपया है । यदि आप उसी की पूंजी में इस 20 करोड़ रु० को लगाकर इजाफा कर देते तो अच्छा करते । 20 करोड़ का प्राविधान अलग मण्डल बनाकर कर दिया । इसमें आधा रुपया अप्रासंगिक खर्चों पर अनावश्यक रूप से खर्च हो जायगा ।

पिछली बार यादगारे सुलहकुल मनायी गयी । पिछली बार भी अनुदान स्वीकार किया गया । उसमें प्रधान मंत्री, गृह मन्त्री और उनके अधिकारी वहां पहुंचे थे । मैंने एक हिसाब बताया था कि करीब 20 लाख रु० खर्च हुआ होगी । लेकिन आपने उसको डिनाई किया कि केन्द्र सरकार का इसमें खर्च हुआ ही नहीं । आपने एक लाख इकहत्तर हजार रुपये एडवान्स मांगे थे और फिर 1 लाख 56 हजार रुपये मांगे हैं । यादे सुलह कुल को सम्पन्न हुए बहुत दिन हो गये हैं । आपने वार्षिक बजट के समय पहले ही इस सम्बन्ध में अनुदान की मांग की थी, उस समय भी आपने मांगा था और इस समय भी आपने इसमें यादगारे सुलहकुल के बारे में मांग को रखा है, उसके साथ ही कहा है कि मुरादाबाद में दंगा हो गया, बहुत से लोग कट गये। लोगों के कट जाने से वैमनस्यता पैदा हो गई तो उसमें आपसी सौजन्य पैदा करने के लिए आप वहां पर एक प्रदर्शिनी आयोजित करेंगे और उस पर 56 हजार रुपया खर्च किया जा रहा है । प्रदर्शिनी में पहले श्री अम्मार रिजवी की तस्वीर हुआ करती थी, हमारे मुख्य मन्त्री जी को गिरा हुई तो उनको हटा दिया और चाहा कि अबकी श्री काशीनाथ मिश्र जी की तस्वीर सामने आये । प्रदर्शिनी में होता क्या है, केवल कुछ मंत्रियों और प्रधान मंत्री के चित्र लगाये जाते हैं, उसके बाद बहुत हुआ तो दिवंगत संजय गांधी के चित्र प्रकाशित कर दिये जायेंगे परन्तु अल्पसंख्यक जनता की जो अपनी समस्यायें हैं, वह अपनी जगह पर गम्भीर होती जा रही हैं, उनके बारे में, उनकी समस्याओं को सुलझाने के बारे में पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा जाता है । केवल दिखावटी कामों में, नौटंकीबाजी वाले कामों में हमारे खजाने का रुपया निरन्तर खर्च होता चला जा रहा है । इस पर मान्यवर, मुझे सख्त एतराज है । आपके संसाधन सीमित हैं, आपने कहा कि 71 करोड़ रुपया अपने राज्य कर्मचारियों पर खर्च करना पड़ेगा यदि पे-कमीशन की रिपोर्ट आ गई या एनामली कमेटी की संस्तुति स्वीकृत कर ली जाये तो ।

आपके प्रदेश के सारे उद्योग-धन्धे ठप होते चले जा रहे हैं । आपने सारे उद्योग-धन्धों में 50 फीसदी की कटौती कर दी, हिण्डालको को भी काटा । लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जब उद्योग-धन्धे रुक जायेंगे, औद्योगिक प्रगति रुकेगी । इस प्रदेश की तो आपको एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलेगी, आपको चुंगी से पैसा नहीं मिलेगा । हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उद्योग-धन्धों का बहुत बड़ा योगदान है । विद्युत आपूर्ति निरन्तर शोचनीय होती जा रही है । आपके प्रदेश को जितना कोयले का कोटा मिलना चाहिये उसे केन्द्र सरकार ने कम कर दिया । इसी प्रकार से इस्पात, स्टील, रा-मैटिरियल तथा कच्चा माल है, इन सब को कम कर दिया जिसके कारण औद्योगिक संचालन में आपको दिक्कत हो रही है । दिल्ली सरकार को जितने वैगन कोयले के देने चाहिये, वह नहीं दे रही है । न केवल विद्युत आपूर्ति में बल्कि कच्चे माल की सप्लाई के अभाव में प्रदेश के उद्योग धन्धे ठप्प होते जा रहे हैं ।

[श्री मोहन सिंह--]

हमारे प्रदेश की संचित निधि में कर की रकम के रूप में किसानों के मेहनत का पैसा आता है परन्तु अपने क्रिया-कलापों से आप उसे बढ़ाते चले जा रहे हैं । हमारे प्रदेश के खजाने में एक नया पैसा देने को कोई किसान तैयार नहीं । आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, किसानों की कमर टूटती जा रही है । ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश का किसान जो है, वह सिकुड़ता चला जा रहा है । सरकार को अपनी फजूलखर्ची कम करनी चाहिये । लेकिन मुझको कहते हुए अफसोस हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुरादाबाद को एक डिवीजन बनाया जिसके कारण प्रशासनिक खर्चे बढ़े । आपने पहले भी इसके लिये अनुदान की राशि मांगी थी । इस अनुदान में भी कुछ अधिकारीगणों के आवास के लिये तथा मोटर गाड़ी के लिए आपने अनुदान की राशि की मांग की है । मैंने उस समय भी कहा था कि कानपुर को आप जिला बना दें, आपको पैसा देना पड़ेगा, इतनी बड़ी धनराशि के खर्च को कम करना पड़ेगा । लेकिन आपने आश्वासन तो दे दिया कि हम नई तहसील नहीं बनायेंगे, मोहन सिंह को उत्तर मिल गया कि बरहद तहसील नहीं बनेगी लेकिन मुख्य मंत्री के चुनाव क्षेत्र का जिला है, वहां एक बारा तहसील बन गई । प्रशासनिक खर्चा नित्य बढ़ाते जा रहें हैं ।

एक जिलाधिकारी श्रीमती नीरा यादव । उनके क्रिया कलापों के बारे में कोई आपत्ति नहीं है, जौनपुर में बड़ा अच्छा काम किया, उनके बारे में खबर छप गई अखबारों में, मेरे बारे में भी छपी लेकिन चूंकि वह जिलाधिकारी थीं इसलिए 25 लाख रुपया दे दिया कि उनकी बड़ी मानिहानि हुई है । हम लोगों की तो होनी नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले और प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए लोगों के बारे में समाचार पत्रों में टिप्पणियों और स्पष्टीकरण तो होते ही हैं लेकिन उनको 25 लाख रुपया दे दिया .....

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं अभी समाप्त कर रहा हूं । मैं आपकी बत्ती से बहुत डर जाता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो स्वयं मोहन हैं । इसलिए कभी-कभी लाल बत्ती जलती है ।

(हंसी)

श्री मोहन सिंह--

25 हजार रुपया दे दिया । उत्तर प्रदेश में हर तहसील का एक माली होगा । इसके लिए सर्वेक्षण करा लिया गया है । यह बात समझ में नहीं आती कि तहसीलदार को आराम तभी मिलेगा जब उनके बंगले पर चपरासी होगा, उनके बंगले की सजावट के लिए एक माली होगा । इसके लिए 11-12 माली, चपरासी मुकर्रर करने जा रहे हैं । 19 लाख रुपया इसके लिए मांगा है हमारे खजाने का । मैं कुछ उदाहरण दे कर कहना चाहता हूं कि यह जो अनुदान की राशि मांगी गई है, इसमें अधिकांश फिजूलखर्ची और प्रशासनिक खर्चा है, जनहित के कार्यों में कुछ मांगों को छोड़ कर कोई भी मांग नहीं है । इसलिए मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि उनकी इस राशि की मांग जो है, इसको सम्पूर्ण रूप से अस्वीकार करें और वित्त मंत्री को निदेश दें कि यह फिजूलखर्ची न कर के जो बड़े-बड़े लोग

हैं, जिन पर बकाया है, उन से आय के स्रोत ढूंढे और हमको बतायें कि कितना पैसा उससे इनको मिला इसके बाद इनको मौज मस्ती के लिए हम कुछ दे देंगे ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

एक जिज्ञासा है मान्यवर, अनुदान संख्या 1 के बारे में कोई बात है ?

श्री मोहन सिंह—

वह भी बतायेंगे । मान्यवर, जब अपने सब खर्चे बढ़ा लेते हैं तो उस फजूलखर्ची को दबाने के लिये नेता विरोधी दल को एक टुटही गाड़ी दे देते हैं । पहले अपनी चादर देखें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दोनों अपनी-अपनी चादर देख लें और हाउस का काम चलने दें ।

(1 बज कर 47 मिनट)

श्री मित्र सेन—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने जो बातें कहीं अनुदान के सम्बन्ध में, उसी से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूं । वित्त मंत्री ने जो धनराशि मांगी है उसके सम्बन्ध में अगर आप देखें तो श्रीमन् जो पुस्तक मिली है उससे स्पष्ट होता है कि जितनी धनराशि जो विगत पार्लियामेन्ट के चुनाव क्षेत्र रहे, उनमें खर्च की जा रही है, उसके हिसाब से गढ़वाल के चुनाव क्षेत्र को आप देखें, तो उसमें केवल जो होमगार्ड्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाने के लिए जो धन मांगा है, जो खर्च किया गया है वह है केवल एक लाख 81 हजार यह धनराशि मान्यवर, स्पष्ट करती है कि गढ़वाल के चुनाव में जो अनियमितता बरती गई, जो फिजूलखर्ची की गई, जो घूस की बदौलत वोट लिए गए, इससे सब स्पष्ट हो जाता है ।

इसी प्रकार मान्यवर, पुलिस विभाग पर जो खर्च किया गया है, सब इन्स्पेक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए 2 सेन्टर मुरादाबाद में, एक और सीतापुर में भी कायम किया है । वहां एक आई० जी० 0, 3 डी० आई० जी० और एस० एस० पी० प्रिंसिपल है । मेरे ख्याल से 60 हजार का खर्चा की बचत है लेकिन सीतापुर में 600 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और साज-सज्जा आदि पर खर्च करेंगे, तो उसका सारा खर्च निकालेंगे कहां से ? यह प्रशासन, जो धनराशि है उसका दुरुपयोग किस तरह से करेगा ? अनुदान तो इसलिए दिया गया है कि जहां हम इस धनराशि को ले रहे हैं वहां कुछ रिटर्न भी हों । ऐसी योजनाओं को लागू करना चाहिये ।

यह धनराशि यदि हमारे गरीब पिछड़े क्षेत्र में लगाई जाती तो विकास के कार्यों में तो निश्चित रूप से कोई उपलब्धि होती । प्रशासन के विकेन्द्रीकरण में जो नियोजन विभाग से इतनी बड़ी धनराशि लगाई जा रही है, जहां पर कि कमिश्नर, डी० एम० और समितियां काम करती रहती हैं लेकिन उनके काम करने के लिए और जो प्रशासनिक कर्मचारी बढ़ाये जा रहे हैं तो इस तरह से हमारा पैसा केवल साज-सज्जा या ऐय्याशी या प्रशासनिक कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी में खर्च किया जा रहा है । विकास के काम इस योजन के अन्तर्गत कम हैं, जो कि अधिक होने चाहिए, जो खर्च इस अनुदान में दिखाये गए हैं उनसे हमारी संचित निधि की धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है और यह सिर्फ हम लोगों के

[श्री मित्र सेन—]

हो साथ नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है । मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इसका पुनरीक्षण करें । हमें बराबर यह देखने को मिलता है कि अनावश्यक खर्चे बढ़ रहे हैं ।

पर्वतीय विकास गढ़वाल के लिये पर्वतीय विकास मंत्री के विवेकाधीन कोष के लिए धनराशि बढ़ा दी गई है क्योंकि वहां चुनाव होने हैं और यह पैसा चुनाव पर खर्च करना है । इसी प्रकार गृह मंत्री को 50 हजार रु० विवेकाधीन कोष में दे दिया गया है । अनुपूरक अनुदान का सब पैसा पार्लियामेन्टरी चुनावों में खर्च किया जा रहा है जहां तो यह जीते हैं या जहां इनको चुनाव लड़ना है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने क्षेत्र में एक विकास खंड का निर्माण किया है, जिसमें लाखों रुपये खर्च किया जा रहा है । इस तरह से जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर हमें आपत्ति है और इसके साथ ही साथ मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे इस हाउस में जहां हम बैठते हैं यहां से सैकड़ों गैलरी फैन और पंखे गायब हो गए हैं । यही नहीं, यहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री जी के कक्ष में जो राड लगाये गए हैं उसमें मुश्किल से 100 रु० का खर्च आता होगा लेकिन उसमें भी 400–500 रु० के फर्जी बिल दिखाये गए हैं । इस प्रकार से हर तरफ अनावश्यक खर्च किया जा रहा है । श्रीमन, इसी तरीके से संस्कृतिक प्रोग्राम में भी कत्थक नृत्य के ऊपर दो लाख रु० दे दिया गया है । एक तरफ तो हमारी गरीब जनता भूखों मरती है और दूसरी तरफ इतनी फिजूल खर्ची की जाती है । इसी तरीके से हमारे सूचना विभाग को दिया गया है । उसमें एक प्रोग्राम आता है रेडियो पर जिसके लिए दो लाख रु० दिया गया है । इस प्रकार यह सब अनावश्यक रूप से रुपया खर्च किया जा रहा है । यदि वह प्रोग्राम रेडियो पर न आये तो उससे प्रदेश की जनता का कोई अहित होने वाला नहीं है । मान्यवर, मैं अन्त में माननीय वित्त मंत्री से पुनः कहना चाहूंगा कि वह इसका पुनरीक्षण करके, इसको पुनरीक्षित करके फिर से उसका अवलोकन करें ।

श्री अध्यक्ष––

मान्यवर, आपका समय खत्म हुआ ।

[1 बज कर 55 मिनट]

श्री मुईद अहमद––

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया और उसके कटौती में, उसके विरोध में माननीय मोहन सिंह ने जो अपने विचार रखे, उसको देखने से यह पता चलता है कि यह उनकी आदत वही पुरानी है कि यह खर्चा बढ़ रहा है, यह नहीं होना चाहिए । यह जो अनुपूरक बजट रखा गया है लगता है इसमें उनको हवाई जहाज नजर आया और उसके लिए उन्होंने ऐय्याशी और लफ्फाजी का आरोप लगाया । और बड़े–बड़े लोगों को सुविधा देने का आरोप लगा कर इस तरह सदन के सामने सब को गुमराह करने की कोशिश की और बजट की असल बात को सामने नहीं रखा । मैंने भी बजट को पढ़ा है । इसी बजट में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों को तमाम सुविधायें देने की बात रखी गयी है । हरिजन व अनुसूचित जनजाति के लोगों की तरक्की का कार्यक्रम भी इस बजट में रखा गया है । इसके लिये 40·1 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग की गयी है । माननीय सदस्य इस बात को भूल गये कि पहली बार 40·1 करोड़ रुपय की मांग का पिछड़े हुए लोगों के लिए की गयी है और

उनको ठीक से व्यवसाय में लगाने की बात सोची गयी है । माननीय मोहन सिंह जी इस बात को तो भूल गये लेकिन हेलिकाप्टर की बात बतला दी और कह दिया कि शासन की तरफ से कोई सही काम नहीं किया जा रहा है । यह पहला साहसिक कदम है जो इस शासन की तरफ से उठाया गया है । अभी कुम्भ का मेला आ रहा है, वहां काफी भीड़ इकट्ठा होगी । शासन की जिम्मेदारी है कि इस बजट में मेले का सही इन्तजाम करने के लिये रकम रखी जाय जिससे वहां सही ढंग की व्यवस्था हो सके । शासन की तरफ से इस मद में कुछ रुपया रखा गया है । लेकिन माननीय सदस्य की नीयत इस सम्बन्ध में सही नहीं मालूम होती । वे शायद चाहते हैं कि वहां किसी तरह की गड़बड़ी व दंगा फसाद हो जाय । लेकिन सरकार का यह फर्ज है कि वहां का सही इन्तजाम करने के लिए वह वहां अपनी फोर्स को भेज ताकि वहां किसी तरह की कोई गड़बड़ी न फैल हो सके ।

इसी तरह से आई० आर० डी० की तरफ भी शासन ने ध्यान दिया है और इस कम्पोनेंट प्लान के तहत 106 विकास खंडों में पूर्ण रूपेण विस्तृत विकास का कार्यक्रम होना है । श्री मोहन सिंह जी इस बात को भूल गये । इसी तरह से पी० ए० सी० के गठन की बात रखी गयी है । अगर इतनी बड़ी संस्था के अन्दर एकाध गड़बड़ी कुछ लोग करते हैं तो उसके लिये सारे फोर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । उत्तर प्रदेश की यह एक बहुत बड़ी फोर्स है । उसके कर्मचारी जहां भी जाते हैं सराहनीय और अच्छा काम करते हैं । अगर उसका एक दो कर्मचारी बुरा हो तो उससे पूरा संगठन ही बुरा नहीं हो जाता । शासन की तरफ से पी० ए० सी० के गठन के लिये अनुपूरक बजट रखा गया है इस पर भी आपको एतराज है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे कोई एतराज नहीं है ।

(हंसी)

श्री मुईद अहमद—

माननीय, मेरा मतलब आपके माध्यम से श्री मोहन सिंह से कहने का है । मैं श्री मोहन सिंह जी से ही यह बात कहता हूं । बुन्देलखंड के विकास के लिये भी इस बजट में रकम रखी गयी है । सब लोग जानते हैं कि बुन्देलखंड सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है । वहां पीने के लिये पानी लाने के लिये भी कोसों और मीलों तक जाना पड़ता है । वहां लोगों के लिये रोजगार का कोई अवसर नहीं है । कोई भी कल कारखाना वहां नहीं है । अगर ऐसे पिछड़े इलाके की तरक्की के लिये अलग कमिश्नरी का गठन किया गया है तो ऐसा प्राविधान करके सरकार ने कोई गलत बात नहीं की है । प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है जिसके विकास के लिये कदम उठाया जाना चाहिये लेकिन मैं इस बात को निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूर्वी क्षेत्र से कहीं अधिक बुन्देलखंड का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है । इसीलिये मैंने झांसी डिवीजन के गठन की बात कही थी । बुन्देलखंड में कमिश्नरी की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित किया गया, उसको अलग से कमिश्नरी बना कर वहां के विकास के लिए योजना बनाई जा रही है । यह भी सरकार की विकास की तरफ एक अच्छा कदम है ।

हर जगह पर जहां-जहां अच्छी बातें थीं हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने उन्हें नहीं दर्शाया । उनके बारे में भी उन्हें कुछ कहना चाहिए । अगर कोई गलती हो

[श्री मुईद अहमद---]

तो उस में सुधार की बात करनी चाहिए, हैल्दी क्रिटिसिज्म के साथ सुधार करने की बात होनी चाहिए। देहरादून जनपद में मिनी सिमेन्ट प्लान्ट की बात इसी अनुपूरक बजट में की गई है। सिमेन्ट की कमी देश और प्रदेश में है, जो सिमेंट हम पैदा कर रहे हैं उससे अधिक मांग बढ़ती जा रही है, सप्लाई से ज्यादा डिमान्ड बढ़ रही है, गावों में अधिक व्यक्ति सिमेन्ट के लिये दरखास्त दे रहे हैं, गांवों में हर आदमी सिमेन्ट की आवश्यकता महसूस करता है। इसलिए इस बढ़ती हुई सिमेन्ट की मांग को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सिमेन्ट प्लान्ट लगाये जायं, प्रोडक्शन बढ़ाया जाय। इसके लिए बजट की जरूरत पड़ती है। इससे प्रदेश के किसानों को, मजदूरों को राहत मिलेगी, जो पिछड़े लोग हैं वे काम पर लग सकेंगे। इस प्रकार की योजना इस अनुपूरक बजट के माध्यम से बनाई गई है जिसका मैं खुले दिल से समर्थन करता हूं और जो बात माननीय मोहन सिंह ने कही है उसका विरोध करता हूं।

[2 बज कर 1 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जो अनुपूरक अनुदान कल पेश हुआ उसको देखने का मौका मिला। उससे यह बात साबित होती है कि सरकार अपने बयानों, भाषणों, बातचीत से तो बहुत चिन्तित दिखाई देती है प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए लेकिन अनुदानों को देखने से यह पता लगता है कि सरकार की नीतियां एकमात्र अपव्यय की, फिजूल खर्ची की रही हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण इस अनुदान से दिये जा सकते हैं। अभी माननीय यादव जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विवेकाधीन कोष का सिलसिला बढ़ा दिया गया है। यह बात सही है जैसा कि सदन में आरोप लगाया जा चुका है कि अपने दलीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन तन्त्र का किस तरह से घिनौना दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है? इसका उदाहरण इस अनुपूरक अनुदान में दिखाई देता है। माननीय पर्वतीय विकास मंत्री एक उम्मीदवार हैं निर्वाचन क्षेत्र के। 1980-81 का जब बजट पेश हुआ था तो उसमें उनको विवेकाधीन कोष के लिए 15,000 रु0 दिया गया था। अप्रैल आते-आते उनको 20,000 रुपये कन्टेन्जेन्सी से दिया गया क्योंकि उम्मीदवार बनाये गये थे। क्योंकि अभी चुनाव शेष रह गया है इसलिए यह विवेकाधीन कोष का पैसा अपने चुनाव के उपयोग के लिए बांटा जा सके। इसलिए यह पैसा उनको दिया जा रहा है।

गृह मंत्री के लिए भी विवेकाधीन कोष की स्थापना की जा चुकी है ताकि कोई आहत होगा, कोई मरेंगे तो उनको रुपया दिया जायगा। विवेकाधीन कोष उन लोगों के लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो दीन-हीन हैं। इस तरह पुलिस के द्वारा प्रताड़ित व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसके लिए कोई मानक बनाने की जरूरत है ताकि उसी के आधार पर पैसा बांटा जा सके। यदि पुलिस की गलती से व्यक्ति मरेगा, आहत होगा, सरकार के द्वारा उसको सहायता देने के लिए आधार होना चाहिए। सरकार ने मितव्ययता की बात की है। इसमें दिया हुआ है कि मंत्रियों के कमरे एयर कन्डीशन्ड करने के लिए हम ढाई लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। एक तरफ बिजली संकट की बात करते हैं, संसाधन बढ़ाने की,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मितव्ययता, फिजूलखर्ची रोकने की बात करते हैं दूसरी तरफ इस प्रकार धन का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि मेहनत से काम मंत्रिगण कर सकें, इसलिए उनके कमरों को एयर कंडीशन्ड करने जा रहे हैं। इनके लिये आप ढाई लाख रुपये की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यहां प्रदेश में गांवों में लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, कृषि चौपट हो रही है लेकिन आपको कमरों को एयर कंडीशनिंग करना जरूरी है। हम यहां पर बैठकर पैसे की स्वीकृति करते हैं तो हमको यह भी देखना है कि उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है यह नहीं। 22 लाख रुपये का प्राविधान आप सहकारिता विभाग के जो कोआपरेटिव स्टोर्स हैं और उनके लिये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके लिये करने जा रहे हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कोआपरेटिव भंडार किस तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन कर रहे हैं? मैंने सीतापुर में कुछ कोआपरेटिव भंडार की जांच करवाई तो पता चला कि जितने भी ये भंडार हैं, उन्होंने महीने की आखिरी तारीख यानी 27–28 तारीख को चीनी और मिट्टी का तेल उठाया। मैं यह जानना चाहता हूं कि 27–28 तारीख को चीनी और मिट्टी का तेल लेने के बाद कौन सा ऐसा प्रशासनिक तंत्र इफीसियेन्ट है जो सब जगह उसको गांवों तक पहुंचा दे।

आज भी गांवों में न चीनी मिल रही है और न मिट्टी का तेल मिल रहा है। आप अपने-अपने क्षेत्र की कल्पना करके देख लीजिये। इनके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। सरकार खुद इस बात को जानती है कि इस सहकारिता विभाग में कितना भ्रष्टाचार है लेकिन शासन तंत्र चलाने वाले लोगों के हाथ रंगे हुये हैं इसलिये वे कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने एक सरकुलर निकाला है जिसमें लिखा है कि सहकारिता विभाग के उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि कोई शिकायत होगी तो वह ए0 आर0 को लिखा जायेगा अन्यथा वह निरस्त हो जायेगी। सरकार ने पहले कहा कि हम प्राइवेट कोटेदारों से चीज छिपाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिये कोई न कोई एजेन्सी होनी चाहिए। अभी सरकार की ओर से एक बयान प्रकाशित हुआ है और उसमें कहा गया है कि हम कोआपरेटिव के माध्यम से काम करवायेंगे। हम तो यह चाहते हैं कि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को सारी चीजें मुहैया करवायें।

एक नई व्यवस्था की जा रही है। 45 जीपें खरीदी जा रही हैं और उससे जी0 आर0 पी0 को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज साढ़े पांच महीने हो गये हैं टुन्डला में हैंड ग्रिनेड मिला था, उसकी जांच की मांग की गई थी, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। हमने उसके सम्बन्ध में आरोप लगाया था और आपने उस मामले को सी0 बी0 आई0 को भेजने के आदेश दिये होंगे। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमान्डेंट के पास भी जीपें हैं। उनको आपने महीने में 22 लीटर पेट्रोल खर्च करने की अनुमति दी है। अब आप कल्पना करें कि 22 लीटर पेट्रोल में वह कितने दिन गाड़ी चलायेगा? आप देखेंगे कि गाड़ी खड़ी रहती है। ड्राइवर चपरासी का काम कर रहा है। आप नये सिद्धान्तों को खोज कर रहे हैं, नई जीपों का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन किसी के बारे में समीक्षा नही कर रहे हैं।

अब मैं परिवहन विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। इसको 3.30 करोड़ रुपया और देने की व्यवस्था की जा रही है। यह कंटिन्जेंसी से दिया जा रहा है। इस विभाग के बारे में सबको मालूम है कि समय पर गाड़ियां नहीं चलती हैं, पुरानी गाड़ियां रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, लोग रूट की गाड़ी

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

कैंसिल कर दी गई हैं, किराया बढ़ा दिया गया है । इन सबके बारे में आप समीक्षा नहीं कर रहे हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र, सीतापुर में आई हास्पिटल है । सीतापुर आई हास्पिटल का जो नेहरू चिकित्सा शोध संस्थान है उसके लिए 3 लाख रु0 दिये जा रहे हैं । ठीक उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन सरकार ने कभी देखा कि जिस काम के लिए रुपया दिया जा रहा है उसका उपयोग ठीक से हो रहा है । कभी उस पैसे का आडिट कराने की कोशिश की ? आप अस्पताल के ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं लेकिन उसका आडिट भी होना चाहिए ? आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और मंत्रीगण भी इस बात को जानते हैं कि वहां पर कोई सेवा शर्तें नहीं हैं । आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वहां पर के कर्मचारी को चार रु0 रोज मिलते हैं । अभी वहां पर दो डाक्टर निकाल दिये गये । निकालने के नोटिस उनको मिले तक नहीं बल्कि उनके दरवाजों पर चस्पा कर दिया गया । वहां पर लोग हड़ताल में हैं । मैंने कहा कोई आदमी मंत्री जी या आई0 ए0 एस0 का वहां जाकर देखें जो सेवा शर्तें अस्पताल की हैं, उनसे वह सहमत हो जांय तो मैं उनकी हड़ताल का विरोध करूंगा । वहां पर कोई सेवा शर्तें नहीं हैं, तो जो वहां का प्रबन्ध है, वह तानाशाही का है, उस पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हैं । उनकी सेवा शर्तें ठीक करा दीजिये ताकि डाक्टर फिर से काम कर सकें, उनके हिसाब का आडिट कराइये लेकिन इसके बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया । दूसरी तरफ उनको पैसा देते चले जा रहे हैं । जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारे लिए यह भी देखना जरूरी है कि क्या उसका उपयोग ठीक से हो रहा है । आपने किंग जार्ज मेडिकल कालेज को नेशनलाईज कर दिया । आज आवश्यकता इस बात की है कि सीतापुर आई हास्पिटल को अपने कब्जे में ले ताकि वहां की व्यवस्था ठीक हो सके ।

मैं सरयू नहर परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं यह योजना 1975-76 में बनी थी जो लागत उस समय थी उससे तिगुना खर्च आज उसका बढ़ गया है । काम समय पर न होने का यही परिणाम होता है कि कास्ट बढ़ती चली जाती है, जो नये एस्टीमेट्स हैं उनको प्राधिकृत अधिकारी से, कांपिटेंट आथिरिटी से सेक्शन भी नहीं मिली है उसके बावजूद हम पैसा खर्च करते जा रहे हैं, तो यह कौन सा वित्तीय अनुशासन है । वित्तीय अनुशासन का तात्पर्य तो यह है कि जो हमारे संस्थान हैं, जो प्लानिंग कमीशन हैं उनसे जब तक एस्टीमेट स्वीकृत न हो जांय, खर्च नहीं होना चाहिये ।

इसमें आप पन्तनगर विश्वविद्यालय को पैसा देने जा रहे हैं लेकिन जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है, वह हमारे सचिवालय के दरवाजे पर धरना दिये हुए हैं उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं । उनकी मांग है कि जो माई भतीजावाद वहां चल रहा है, वह बन्द हो । एक नियम बना दिया गया कि 65 परसेन्ट से कम नम्बर जो पायेगा उन्हें दुबारा एडमिशन नहीं दिया जायेगा । लेकिन जब कोई नियम बना है तो वह सब पर समान रूप से लागू होना चाहिये । विद्यार्थी कहते हैं कि 150 लोगों को निकाल दिया गया लेकिन उनमें से कुछ को रख लिया गया है ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके औरों से कम मार्कस हैं । आप एक नियम बना दें कि पहले इतने मार्क वालों को लिया जायेगा चाहे 50 परसेन्ट हो या 55 परसेन्ट हो । मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । छात्रों की मांग है कि उपकुलपति को हटाया जाय लेकिन उनको जाकर कोई आश्वासन दे कि हम जांच करेंगे वह नहीं किया जाता है और पैसा उनको देते जा रहे हैं ।

नये टैक्स लगाने की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। बड़ी मात्रा में ग्रामीण रोजगार योजना पर पैसा खर्च किया जा रहा है। योजना कोई बुरी नहीं है अगर सही माने में अनुपालन किया जाय। लेकिन इस बात को सब जानते हैं कि इसका कार्यान्वियन भी गांवों में प्रारम्भ नहीं हुआ है। अभी तक कितने लोगों को नये रोजगार दिये गये किसी को मालूम नहीं है। अभी मात्र चयन हो रहा है और एक वर्ष होने जा रहा है। कभी आपने कहा कि क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनेगी, वह नहीं बनी। फिर पता चला कि वी० डी० ओ० की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। तो एक अफसर की सदारत में होने वाली बैठक में कैसे जाकर कोई विधायक बैठेगा? तो इस तरह से वहां पर सुझाव देने से स्थानीय विधायक वंचित रहेंगे। अब तक काम नहीं हुआ है, कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पैसा यहां देने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार सही कदम उठावे, जिससे जिला प्रशासन चुस्त हो। इन बातों के साथ यह जो बातें रखी गई हैं, उनका मैं विरोध करता हूं।

(2 बज कर 16 मिनट)

*सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशीनाथ मिश्र)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मोहन सिंह और राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा इस बजट की की गई समीक्षा को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस प्रदेश के अन्दर जो भी जनहित के कार्य हो रहे हैं उनकी तरफ इन माननीय सदस्यों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। मोहन सिंह इस बात से सहमत होंगे, उनकी भी यहां हुकूमत रही है, तो सत्ता में रहते हुये सदन के सामने जो हम बजट पेश करते हैं, उसको पेश करते समय हम बहुत सी देवी आपदाओं का अन्दाजा नहीं कर सकते हैं, इससे कभी भी उससे हमारा खर्च ज्यादा हो जाता है। अभी आपने देखा पूर्वी जिलों में बाढ़ और पश्चिमी जिलों में सूखे से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। जनता के जो प्रश्न हैं उसके बारे में बहस अभी आधा घन्टा पहले शुरू हुई। दो ढाई लाख रुपया यदि कहीं निर्माण में खर्च हो जाते हैं तो उसकी फिजूलखर्ची आपको दृष्टिगत हो जाती है, लेकिन जहां शासन के अन्दर करोड़ों रुपये विकास कार्यों पर खर्च कर रहे हैं, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती है। उस पर ज्यादा बहस न करके इस विधान सभा में बहस किस पर चलाई जाती हैं? आधे से अधिक समय गढ़वाल के चुनाव जैसे विषय पर खर्च किया जाता है। जिसका उत्तर प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता नाम तक नहीं जानती है, जिससे उसका कोई वास्ता नहीं है। विधान सभा के माध्यम से हमारा बहुमूल्य समय इस तरह से विरोधी सदस्य ऐसे विषयों पर लेते हैं। और चर्चा जन समस्याओं पर न करके अधिकांश समय ऐसी बातों पर लेते हैं। तो आपका दिमाग दो ढाई लाख की फिजूलखर्ची पर तो चला जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा 40 करोड़ रुपया जो हमने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के लिए मांगा है, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। अनेक पूर्वी जिलों में ग्रामीण विकास की तमाम योजनाएं चल रही हैं। जब इन्दिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया तो उस समय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा था कि यह तो वोट कैप्चरिंग डिवाइस है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह वोट-कैप्चरिंग डिवाइस नहीं है...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह--

यह नारा सन् 71 में उन्होंने दिया था, जब यह राजनारायण के एजेन्ट थे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दोनों एक दूसरे के बारे में बेहतर जानते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह तो आप ही जानते होंगे, लेकिन अभी हाल ही में जब आप इसी सदन में थे और आप बनारसी दास के मन्त्रिमन्डल के अन्दर बैठे थे, उनके साथ यह बैठते थे और सहकारिता की आलोचना भी कर रहे हैं और सहकारी मिलों से 10 करोड़ रुपये का गबन किस तरह से किया है, यह आप सबने देखा है।

श्री मोहन सिंह--

एक करोड़-10 करोड़ क्या एक रुपया भी उन्होंने नहीं लिया है। यह 10 करोड़ रुपया इनकी सरकार ने, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने या इन्दिरा गांधी ने लिया होगा ... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह या यहां किसी ने नहीं लिया है। यह तो विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट सतर्कता आयोग है जिसके अन्तर्गत यह मामला जांच के लिए दिया गया था, उस सतर्कता आयोग ने प्राइमाफेसी में यह पाया है, सिद्ध पाया है बनारसी दास के खिलाफ। हम तो सहकारिता के माध्यम से वितरण प्रणाली की व्यवस्था चला रहे हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो "गरीबी हटाओ" का नारा था उसके पीछे ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का प्रोग्राम है, आप हमारे देहाती क्षेत्र में किसी भी समय चले जाइये। आप देखेंगे कि कोई भी सशक्त शरीर और सबल हाथ वाला यह नहीं कहने पायेगा कि हमारे लिए काम नहीं है। हर क्षेत्र में जाब की गारन्टी और अशिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने देहाती क्षेत्रों में रोजगार योजना का प्रोग्राम बनाया है जिसके लिए हमने 40 करोड़ रुपये की मांग की है।

आप पूर्वी जिलों में जाकर देखें तो पायेंगे कि जो हाथ हंसिया पर चलते थे वे आज मशीनों पर चल रहे हैं। पूर्वी जिलों में दरियां बनाने, कालीन बनाने और कृषि में मशीनों द्वारा खेती कराने का काम हम चला रहे हैं। आज देहाती क्षेत्र में कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि हम काम तो करने को तैयार हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं है। इस प्रोग्राम को शासन चलाये और जब हम इसके लिए पैसा मांगते हैं तो एतराज उठाये जाते हैं। आज हमने इस नारे को साकार रूप देने के लिए रोटी, कपड़े और मकान देने का वचन दिया है। गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और देवरिया में सैकड़ों मकान गरीबों के लिए बनाये गये हैं। दो-दो और ढाई-ढाई हजार रुपया ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए भी दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपका तात्पर्य गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ जिलों से ही है ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

नहीं मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 884 विकास खंडों में यह योजना चल रही है । आपने यह भी देखा होगा कि आपके यहां पर भी 2 घन्टे की बिजली की कटौती करके 10 घन्टे बिजली सूखे क्षेत्र में दी जा रही है । बिजली बनाने वाले जितनी हमारी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं उनकी मरम्मत करायी जा रही है ताकि सूख क्षेत्रों में किसानों को अधिक से अधिक बिजली दी जा सके । यह सरकार चाहती है कि सारी योजनाओं के काम को पूरा किया जाय । इसके लिए ही अनुपूरक बजट पेश किया गया है । आज बांसी और देवरिया में बाढ़ की गम्भीर स्थिति है । एक ओर हल्ला मचाया जाता है कि कोई राहत का काम नहीं हो रहा है । तो वहां पर राहत पहुंचाने के लिए और सूखे क्षेत्र में सहायता के लिए हमें लाखों रुपये की आवश्यकता होती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय मन्त्री जी से, उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा, जानना चाहता हूं कि कौन सी अनुदान संख्या सूखे और बाढ़ को कवर करती है । कृपया वे उसका नाम बता दें ?

श्री काशी नाथ मिश्र—

यह सारी चीजें मूल बजट में हैं जिसमें इन मदों में खर्च होता है। (हंसी) मूल बजट के साथ साथ जितनी भी अनुपूरक मांगे हैं सब के द्वारा व्यय होता है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि उनका ध्यान केवल गन्दगी की ओर ही न जाय बल्कि जो इस सरकार द्वारा अच्छे काम हो रहे हैं, उनकी ओर भी जाय । कहीं पर मकान बन रहे हैं, कहीं पर एयर कन्डीशन्ड मकान बन रहे हैं, उनकी ओर भी ध्यान जाय । मुझे आशा है कि वे इस अनुपूरक बजट का समर्थन करेंगे ।

(2 बज कर 25 मिनट)

*श्री मुख्तार अनीस—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मनोरंजन कर मन्त्री जी ने जो अपनी अनुपूरक अनुदानें यहां पेश की हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

क्या कहा आपने, मनोरंजन मन्त्री ... (हंसी) आप शायद मनोरंजन नहीं, सूचना देखते हैं । (हंसी)

श्री मुख्तार अनीस—

यह मनोरंनन कर मन्त्री भी हैं । मान्यवर, किसी भी प्रदेश में उद्योग के विकास के लिये पहली आवश्यक चीज यह है कि वहां पर शान्ति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए । तो माननीय मन्त्री इलाहाबाद के हैं माननीय मुख्य मन्त्री भी वहीं से आते हैं, सितम्बर के पहले सप्ताह में इलाहाबाद में ही 11 लोग मारे गये हैं चाहे वे पुलिस की गोली से मरे हों या गुन्डों के जरिये मारे गये हों ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुख्तार अनीस—]

तो यह आपकी शान्ति व्यवस्था की हालत है । माननीय मुख्य मन्त्री जी बड़ी-बड़ी योजनायें प्रदेश के लिये बना रहे हैं, पर आपके यहां जब तक शान्ति व्यवस्था नहीं होगी, कोई बड़ा व्यापारी यहां आयेगा नहीं । बड़ा व्यापारी आपके यहां तभी आयेगा जब उसको यहां पर शान्ति व्यवस्था मिलेगी । जिन लोगों को आप उत्तर प्रदेश में पूंजी लगाने के लिये आमन्त्रित कर रहे हैं, वे आने को तैयार इसलिये नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप उनके लिये शान्ति व्यवस्था की कोई गारन्टी नहीं ले पा रहे हैं ।

जहां तक बिजली का सवाल है, बिजली विभाग 3-3 मन्त्रियों के सुपुर्द है और बिजली बोर्ड का एक चेयरमैन भी है । 3 मन्त्रियों के दरबार में चेयरमैन को जाना पड़ता है । विभाग के अन्दर अलग-अलग जिम्मेदारी आपने बांट दी हैं। नतीजा यह हो रहा है कि इन मन्त्रियों की कोई बात कोई सुनता ही नहीं है । आज बिजली विभाग की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब हो गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि जिन-जिन लोगों के ऊपर बिजली की लम्बी चौड़ी रकम बकाया है, उनसे आप क्यों वसूल नहीं कर पा रहे हैं । यहां पर ही एक विभाग के मन्त्री बैठे हैं, इनके ऊपर ही तमाम बकाया है । आप इनसे क्यों वसूल नहीं करते बरसात के महीने में जब कि सारे रिजरवायर्स भर जाते हैं आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो आगे चल कर गर्मियों में और सूखे के समय में आप कैसे बिजली देंगे ?

यहां पर पशुधन विभाग के बारे में भी अनुदान रखी गयी है और उनके कर्मचारियों के लिए बहुत से धन की मांग की गयी है । डेरी डेवलपमेंट के लिए भी मांग की है । करोड़ों रुपयों का घाटा आपको इन डेरीज में है । जहां जहां आपने प्लान्ट लगाया है, फेल हो रहे हैं । लखनऊ की भी हालत बहुत बदतर है । मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी पत्र लिखा । इतना आपको घाटा हो रहा है और फिर भी आप उनको अनुदान दिये चले जा रहे हैं ।

मैं माननीय योजना मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धे लगाने की बात करते हैं, रोज बड़ी लम्बी चौड़ी बातें भी किया करते हैं, पर क्या कहीं कोई ठोस काम भी हुआ है ?

आपने ग्रामीण गोदामों की बात कही है । आलू के लिए आप गोदाम बनाना चाहते हैं । लेकिन आलू का उद्योग लगाने के लिए कभी आपने नहीं सोचा । खाली गोदाम बनाने से आलू की समस्या हल नहीं होगी । सम्पूर्ण आलू क्षेत्र के अन्दर आपको आलू के उद्योग लगाने पड़ेंगे । लेकिन उसके बारे में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं । इसी तरीके से मोगफली के बारे में 3-4 स्थान ऐसे हैं जहां पर मोगफली की बहुत बड़ी काश्त है । सीतापुर, शाहजहांपुर आदि स्थानों के अन्दर मोगफली की तेल मिलें हैं । लेकिन वहां पर मोगफली की पैदावार खत्म हो गयी है । वहां पर अच्छी खाद बीज की व्यवस्था नहीं है । नतीजा क्या होता है कि जो मोगफली का काश्तकार है, वह बेकार हो रहा है । वहां की तेल मिलें बन्द हो रही हैं । इसी तरीके से डालडा मिलें जो हैं, वह भी बन्द हो रही हैं । इसी तरह से जो आपने अनुपूरक अनुदान रखा है, उसके अन्दर इन तमाम बातों के बारे में आपको विचार करना चाहिए । इसी तरह से जल निगम की बात यहां पर की गयी कि जल निगम के अन्दर करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है । लेकिन आप इन विभागों को करोड़ों रुपया देते चले आ रहे हैं । आपको इन तमाम चीजों के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

इनके बारे में कमेटी बैठानी चाहिए। जब इनका घाटा पूरा हो जाय, तब इनको पैसा दीजिए।

(2 बज कर 31 मिनट)

*श्री बिमल प्रसाद तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मोहन सिंह माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने और उधर के माननीय सदस्यों ने आलोचना की और यह सिद्ध करने की कोशिश की कि काफी फिजूलखर्ची की जा रही है। यह जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत हुए हैं इनके आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, यह सरकार फिजूलखर्ची रखकर अधिक से अधिक धनराशि विकास कार्यों पर खर्च करना चाहती है। 131.84 करोड़ के अनुपूरक अनुदान हैं। इसमें नान-प्लान के लिए 19.51 करोड़ है, बाकी सारी की सारी रकम 112.33 करोड़ विकास कार्य के लिए निश्चित की गयी है। जो सरकार अनुपूरक अनुदानों की इतनी बड़ी धनराशि कार्यों के लिए मांग कर रही है, उसका विरोध किया जाय और प्रशंसा न की जाय, तो इस पर एक ही बात कही जा सकती है कि सारी की सारी बातें केवल आलोचना के लिए की गयी हैं। मान्यवर, जैसा कि माननीय काशीनाथ मिश्र जी कह रहे थे कि आलोचना तो माननीय मोहन सिंह और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी कर रहे थे, वह अगर वास्तव में ग्रामीण अंचलों के हितैषी हैं तो उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण योजना को कार्यान्वित करने के लिए 40·10 करोड़ की जो मांग की गयी है, उसके बारे में उन्हें प्रशंसा करना चाहिए! उनको तो उसमें सुधार के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहिए था। लेकिन माननीय मोहन सिंह ने तो उस पर कुछ बोला ही नहीं। उसको तो उन्होंने छोड़ दिया। कोई सरकार यह कह नहीं सकती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे तौर से नियंत्रण कर लिया है। लेकिन आंकड़ों को अगर देखा जाय कि 1977 और 1980 के बीच में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी, उसको मजबूती के साथ इस सरकार ने सुधार किया है और सुधार करती रहेगी। मान्यवर, गढ़वाल की बात की जाती है यह निहायत दुःख की बात है, इसलिए कि गढ़वाल के निर्वाचन में जनमत ने अपना फैसला नहीं किया है। जब जनमत का फैसला सामने आयेगा तो आपकी आंखें खुल जायेंगी और जनमत का फैसला निश्चित ही कांग्रेस आई की श्रीमती इन्दिरा गांधी को प्राप्त होगा। आप इस तरह के भाषण करके गढ़वाल की जनता का वहां के जन साधारण का अपमान कर रहे हैं। मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का भाषण सुना। उन्होंने पर्वतीय विकास मंत्री, जो गढ़वाल से कांग्रेस आई के उम्मीदवार थे सारे का सारा ग्रान्ट बोट को खरीदने पर खर्च कर रहे हैं यह कितने बड़े अपमान की बात है। गढ़वाल की जनता अपने बोट का इस्तेमाल अपने विवेक से करेगी या पैसों पर वह बोट देगी ?

आज यह इस तरह की बात करते हैं लेकिन निधौली कला में क्या हुआ था, यह आप भूल गये। लेकिन म आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी होगी, उसको हम करेंगे और प्रजातंत्र को जीवित रखेंगे। श्री अन्तुले की जहां तक बात है, उनके बारे में भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीति स्पष्ट है। लेकिन चौधरी चरण सिंह के लिए किस तरह से ट्रस्ट बनाया गया लोक नायक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी—]

के लिए कैसे ट्रस्ट बनाया गया और कहां से धन आया उस पर बोलने की हिम्मत आपकी नहीं पड़ती । मान्यवर, कुछ जिम्मेदारी शासन की आती है । शासन के सामने जहां जो खर्च आवश्यक होता है उसको शासन करता है । अर्धकुम्भ मेला आ रहा है उसकी व्यवस्था के लिए शासन ने 5.62 लाख रुपये के अनुदान की मांग की है । इसकी कोई आलोचना नहीं की जा सकती है यह मुनासिब है यदि अर्धकुम्भ मेले पर अधिक और अधिक धन की आवश्यकता हो तो शासन को करना चाहिए। सुलह कुल के आयोजन पर एक लाख सवा लाख रुपया खर्च किया गया इसकी आलोचना की गई । शासन ने जो खर्च किया था उसको आपके सामने रखा । जहां जन भावना का सवाल है, पुरानी परम्पराओं से अवगत करने का सवाल है एक लाख सवा लाख की धनराशि कुछ नहीं होती । आज राष्ट्रीय एकता का विशेष महत्व है, राष्ट्रीय एकता जन जीवन की आवश्यकता है, राष्ट्रीय एकता को जागृत करने के लिए जितने आयोजन किये जायं, उस पर एक लाख क्या एक करोड़ रुपये भी शासन को खर्च करना हो तो करना चाहिये, यह प्रदेश और देश के हित में है । आज यह जन साधारण की भावना और मांग है । लेकिन अगर कोई बात हो गई तो उधर बैठने वाले शासन की कमी बताते हैं किन्तु अच्छा काम हो जाय तो उसकी भी आलोचना करते हैं । शासन से यह मांग करते हैं कि शान्ति एवं व्यवस्था को कायम करने के लिए पी० ए० सी० की बटालियन बढ़ाई जाय या पुलिस बढ़ाई जाय । जब शासन ने 2 बटालियन बढ़ाने का निर्णय लिया और उसके लिये अनुदान की मांग की तो वह फिजूलखर्ची इनको नजर में आने लगती है और यह आलोचना करने लगते हैं ।

मान्यवर, उधर के बैठने वालों का एक ही दृष्टिकोण है सही हो या गलत इनको आलोचना करनी है और मुमकिन हो तो शासन के मंत्रियों की चरित्र हत्या करने का । अभी एक मन्त्री की चरित्र हत्या की गई कहा गया कि लाखों रुपया एक मंत्री पर बिजली का बकाया है । मैं कहना चाहता हूं यह चरित्र हत्या की राजनीति आपको उल्टी पड़ेगी, यह आपको समाप्त कर देगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है । यदि आप निश्चित है तो आपको आरोप की जांच करवानी चाहिए और स्पष्ट आरोप लगाना चाहिये । मेरा निवेदन है कि आप चरित्र हत्या की राजनीति को छोड़े । सन् 77 में देश और प्रदेश की जनता ने सत्ता में आपको बैठाला लेकिन आपने सिर्फ एक काम किया, श्रीमती इन्दिरा गांधी की चरित्र हत्या कितनी की जाय । और जनता ने मतों द्वारा आपकी पार्टी की हत्या करके उधर (विरोधी पक्ष) में बिठा दिया । इसलिये चरित्र हत्या की राजनीति को आप लोग छोड़ दें । इन शब्दों के साथ इस सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने शासन में आने के बाद जितने अनुशासन लाने के प्रयास किये हैं, वह सराहनीय हैं और उनका प्रभाव आगे अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा ।

[2 बजकर 40 मिनट]

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछला बजट 31 मार्च को इस माननीय सदन ने इस आशा के साथ पास किया था कि इस साल 31 मार्च के पहले हम बजट का पारण कर रहे हैं । और शासन का वायदा था कि जितने डेवलपमेन्ट के काम होंगे और जो चल रहे हैं, वह सब समयबद्ध करके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल देकर समय के अन्दर किये जायेंगें । लेकिन खेद की बात है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर सदन ने बजट पास कर दिया था लेकिन शासन ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि जो सदन में वायदे किये हैं, उनको पूरा करना हैं और अप्रैल में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दे दी जाय । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मन्त्री, जो पी0 डब्लू0 डी0 के मिनिस्टर हो गये हैं वह यहां बैठे हैं, ने जो वायदे किये थे, उनको याद दिलाना चाहता हूं कि हर ब्लाक के ऊपर एक-एक लाख रुपया खर्च करने के लिये सुझाव मांगे जायेंगे । लेकिन माननीय सदस्य इस बात को जानने के लिये आतुर होंगे कि उस रुपये के खर्च करने के सम्बन्ध में मेरी जानकारी में कोई आज तक सुझाव नहीं मांगे गये हैं और न कोई कार्यवाही हुई है । इसलिये माननीय सदन की जो उम्मीदें और आशायें थीं शासन से कि 31 मार्च के अन्दर बजट पास कर रहे हैं तो उसका खर्च भी उसी तरीके से समयबद्ध तरीके से होगा और जो बायदा किया है, उसको पूरा करेंगे । तो वह वायदा शासन ने पूरा नहीं किया है और फिर यह बजट आ गया । इस बजट में सबसे बड़ी मद 40 करोड़ 15 लाख रुपये की ग्रामीण विकास विभाग की है । मैं खुश हूं कि 40 करोड़ की ग्रामीण योजना में और गांवों की तरक्की के लिये आपने दिया लेकिन अफसोस है कि लगभग 8 महीने हो गये हैं तबसे केवल यह बात बतायी है कि "फूड फार वर्क स्कीम" का नाम "रास्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना" हो गया है । सारे जिलों में योजना पहुंच गयी कि किस तरह इसमें पेमेन्ट होगा और कैसे गल्ले का पेमेन्ट होगा, यह बात गांवों में मालूम है । लेकिन अफसोस है कि उस योजना को कहीं प्रदेश में लागू नहीं किया गया है क्योंकि इस योजना में प्रदेश में कहीं न तो सड़क की मरम्मत हुई, न पुलिया बनी है और न इम्प्लायमेंट ही मिला है । यह योजना केवल कागज पर है ।

आपने कहा है कि हमको संशाधन जुटाने हैं । आपने इसके लिये इरीगेशन के रेटस भी बढ़ा दिये, बिजली के हार्स पावर्स बढ़ा दिये, इंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया और न मालूम किन-किन चीजों पर आप बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं । हमारे प्रदेश के जितने कर्मचारी और अधिकारी थे, वह पे कमीशन पर उम्मीद लगाये बैठे थे कि मिनिस्टर्स की कमेटी देख रही है, कुछ रिकमेंडेशन देगी और हमको कुछ मिलेगा । महंगाई कहां से कहां पहुंच गयी है । हमारे राजनीतिक दल महंगाई के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं । महंगाई के कारण चारों तरफ हाहाकार मचा है । सरकारी कर्मचारी और अधिकारी समझते थे कि हमको कुछ मिलेगा लेकिन बात वही हुयी, बकरी रात भर मिमियायी, बच्चा एक ही व्यायी। चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि 71 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा, हम देना तो चाहते हैं लेकिन मजबूरी है कि अगर कर्मचारियों को देंगे तो और जनता के ऊपर भार बढ़ेगा, इस बात को सोचना पड़ेगा । नतीजा यह हुआ जो कर्मचारी और अधिकारी उम्मीद लगाये थे कि हमको कुछ मिलेगा, वह न उम्मीद हो गये । एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम संशाधन ढूंढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सबको ना उम्मीद कर रहे हैं । महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । आपको प्रधान मन्त्री ने कहा है कि बढ़ती हुयी महंगाई को रोकना हमारे बस की बात नहीं है ।

दूसरी बात आप देखें, ला-एंड-आर्डर के नाम पर आपने इसमें काफी रुपया लिया है । आपने कहा कि हम 13 ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे । 3 पी0 ए0 सी0 की कम्पनियां बनायेंगे । कम्यूनल रायट्स की बात आपने की है । मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कम्यूनल रायट्स को खत्म करना चाहते हैं या उनको

[श्री रियासत हुसैन--]

कराना चाहते हैं। मैं आपको ताजा मिसाल दे रहा हूं। माननीय बलबीर सिंह की कांस्टीट्यूयेंसी म टांडा में जो हुआ उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां 6 ट्रक चावल ले जाने वाले आदमियों को पकड़कर गल्ला हड़प कर दिया। जब तक पता लगा कि एस० एस० आई० का परमिट शुदा गल्ला था तो रेहड़ी वालों को पकड़ कर मारा पीटा जिससे टांडा के अन्दर बवंडर खड़ा हो गया। वहां पर 3 बार फायरिंग हुयी है। पहली बार फायरिंग हुयी है। पहली बार फायरिंग हुयी और उसके बाद 15 मिनट बाद फिर फायरिंग हुयी। वह लोग लाश को ट्रक में रखकर ले जाना चाहते थे तो फिर फायरिंग हुयी। शान्ती ठेकेदार के लड़कों को मारा पीटा गया और इस तरह की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की कि सारे मामले को कम्यूनल रंग दे दिया जाय। टांडा एरिया ऐसा है कि चारों तरफ 15, 15 और 20-20 मील तक कम्यूनल रायट्स होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वहां पर मुहम्मद सफी नाम का आदमी मारा गया और 56 आदमी घायल हो गये। तो जैसे मुरादाबाद में 13 अगस्त को फर्जी हिंदू मुसलिम दंगा बनाया गया और तीन दिन तक ला-एंड-आर्डर फ्री कर दिया गया। आपकी पुलिस ने वही ड्रामा करने की टांडा में कोशिश की कि इसको हिंदू मुसलिम दंगे का रंग दे दिया जाय। तो आप कम्यूनल रायट्स रोकना चाहते हैं या भड़काना चाहते हैं? टांडा में जो कम्यूनल रायट्स नहीं था उसको कम्यूनल का रंग देने की कोशिश की गयी। आप कोई मैजिस्ट्रीरियल जांच बैठायें तो पता चले कि वाकई में वह कम्यूनल रायट्स था या नान-कम्यूनल रायट था।

आप सप्लीमेंटरी लाये हैं, ठीक है, सदन पास कर देगा लेकिन उसको खर्च तो कर दीजिये। गढ़वाल के इलेक्शन के सम्बन्ध में आज जब पूछा गया तो आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जाने। आज जब यह स्पष्ट रूप से पूछा गया कि आप श्रीमन्, गढ़वाल के इलेक्शन को कराने में क्या कह रहे हैं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी का जवाब आता है कि हम क्यों करे, वह तो इलेक्शन कमीशन जाने लेकिन आपने सप्लीमेन्ट्री बजट तो उसका बना दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार की और इससे ज्यादा नालायकी क्या हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन से इस बात पर इलेक्शन खत्म कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट ने बिना हमारे पूछे दूसरे स्टेट से पुलिस व पी० ए० सी० फोर्स क्यों मंगवा ली।

एक सदस्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य नालायक जैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष--

ऐसे शब्दों पर मैं इससे पहले भी व्यवस्था दे चुका हूं। जो शब्द संज्ञा के तौर पर इस्तेमाल किये जाये वह असंसदीय होते हैं और जो शब्द विशेषण के रूप में इस्तेमाल किये जायें वह असंसदीय नहीं हैं।

श्री रियासत हुसैन--

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे लिये इससे ज्यादा लज्जा की बात नहीं होगी। इससे हमारी इफिसिएन्सी साबित हो गयी कि हम किन कामों में इफीशिएट हैं और एलेक्शन करवाये जाने के बारे में हमको पता नहीं। श्रीमन,

इसके अन्दर प्राविजन मौजूद हैं । इन सारी चीजों पर रुपया सदन ने हमेशा दिया है । लेकिन 40 करोड़ रुपया जो काशी नाथ जी मांग रहे हैं, लेकिन जो सड़कें टूटी पड़ी हुयी हैं, उनकी मरम्मत तक ही करवा दे । जो वायदे पिछली बार हुये थे, उसके अनुसार अभी तक फावड़ा तक नहीं उठाया गया, जो मिट्टी वहां पर पड़ी हुयी थी, वह भी बह रही है । आप 40 करोड़ नहीं बल्कि 80 करोड़ रुपया मांगिये, सदन देगा, लेकिन काम करिय । अभी पैसा आपने 8 महीने पहले लिया है, उसी के वायदे के अनुसार अब तक काम नहीं हुआ, अब आगे को क्या कहा जाय । "दिलको बहलाने का ख्याल गालिब अच्छा है" तो यह सदन दिल बहलाने की एक अच्छी जगह है । मैं तो यह कहता हूं कि जो भी कुछ आप मांगते हैं, उस पैसे को यह सदन बड़ी उम्मीदों के साथ आपको मंजूर करता है, लेकिन आप किसी योजना को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते । किसी कार्य को वक्त से कराना ही नहीं चाहते हैं इसका क्या इलाज है? आज पूरा प्रदेश कहीं सूखे से तो कहीं पर बाढ़ से घिरा हुआ है । मैं तो कहता हूं काशी नाथ जी यह सारे आमाल का नतीजा है । बगैर अच्छे आमाल के भगवान की भी मदद नहीं आती है । आपके आमाल अच्छे नहीं हैं, इसलिए आज पूरा प्रदेश किसी न किसी परेशानी में मुबतिला है । इसलिये मैं आपसे खासकर दो तीन बातों पर कहूंगा कि एक तो यह कि बढ़ती हुई मंहगाई पर रोक लगाइये कर्मचारियों व अधिकारियों को जो आपने कहा देने के लिए, उसे शीघ्रता से और ईमानदारी से घोषित कीजिये तथा ला एण्ड आर्डर पर कंट्रोल कीजिये ।

फरवरी 14 को फूलन देवी का काण्ड हुआ, जिसमें अनार सिंह, श्री राम, मलखान सिंह तथा छवि राम आदि नाम के कुछ डाकू कहीं मारे गये तो कहते हैं कि बड़ा भारी तीर मार लिया । मैं तो कहता हूं कि जितने आदमी पुलिस के मारे गये, उतने ही आदमी उनके मारे गये हैं । 24 कम्पनियां वहां पर वर्क कर रही हैं, हेलीकाप्टर काम कर रहा है, बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स काम कर रही है, लेकिन डकैत अपनी जगह ज्यों के त्यों हैं । आप कहते हैं कि हमको नालायक मत कहिये । जिस दिन आप फूलन देवी को खत्म कर देंगे, जितने पुलिस के लोग मारे गये हैं, उनके घर वालों को अपनी 10-10, 15-15 दिन की तनख्वाह हम देने को तैयार हैं । सदन चाहता है कि डाकू मारे जायं । अगर आप ऐसा नहीं कर पाये तो यह सदन शोक प्रगट करेगा कि डाकुओं को मार नहीं पाये, खुद मर गये । यह बजट आप पास तो करा ही लेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिये कि सदन की क्या उम्मीदें हैं ।

[2 बज कर 57 मिनट]

*सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री प्रवीन कुमार शर्मा)—

मान्यवर, आपने अनुपूरक अनुदान के ऊपर बोलने का जो समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि आप लोग तो तोड़ ताड़ कर चले गये, अब हम कुछ थोड़े दिन तामीर कर रहे हैं, उसमें आप कुछ हाथ बटाये, आप विरोध न करें । विरोध रचनात्मक अच्छा होता है ।

दूसरी बात, ग्रामीण विकास योजना में 40 करोड़ रु0 की बात आपने कही कि हम और भी रुपया देते । हमेशा आपका रुख विरोध का रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा--]

अगर आप देखें ग्रामों में जाकर कितनी तकलीफें हैं क्या-क्या परेशानियां हैं, जो कि प्रतिदिन कोई न कोई नयी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। उनको राहत देने के लिये कोई न कोई साधन जुटाने पड़ते हैं। उसमें सहयोग देना चाहिये। विरोधात्मक रूप प्रगट करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रामीण भी हमारे ही प्रदेश के वाशिन्दे हैं। उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिये। 40 करोड़ रुपये की ग्रामीण व विकास योजना का विरोध करना माकूल बात नहीं समझता हूं।

जहां तक आपने बिजली के बारे में कहा और शंकायें व्यक्त कीं, वे आपकी शंकायें निर्मूल हैं। हम इस तरीके से लगे हुए हैं कि विद्युत प्रवाह इस समय भी मिले और बाद में "रिजरवाइर्स" में पानी भी रोक रखा है, जिससे आगे चलकर सिंचाई की परेशानी न हो।

श्री रियासत हुसैन--

कौन-कौन से "रिजरवाइर" में पानी रोक रखा है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

कभी आप वक्त देंगे तो बताऊंगा, सदन में थोड़ा ही समय है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शर्मा जी और रियासत साहब, आप लोग करीबी हैं, किसके पास कितना पानी रुका है, आपस में बैठकर बात कर लें, किन्तु सदन चलने दें।

(हंसी)

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

श्री रियासत साहब इस समय मुकम्मल हालत में हैं, मुझे खुशी है।

मेरे यहां जिला बुलन्दशहर में 4-5 दिन से बिजली में बड़ा सुधार हुआ है। मैं सदन में कह रहा हूं।

मान्यवर, वहां जो स्थिति है, मैं खुद देख कर आया हूं, बिजली की दशा में यह कहना कि सुधार नहीं हुआ है, ठीक नहीं है। जहां सूखा पड़ा है वहां बिजली की राहत दी गयी है और भी वहां सुधार होगा यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री कुबेर भण्डारी--

आपके क्षेत्र में कितने घण्टे बिजली मिल रही है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

जहां तक आंकड़ों की बात है, वह प्रारम्भ में ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में आप फैजाबाद मण्डल को ही ले लीजिये तो फैजाबाद मण्डल में कुछ चीजों में 7 प्रतिशत सुधार हुआ है। इससे मैं समझता हूं कि कानूनी व्यवस्था में सुधार हुआ है और वह निरन्तर सुधार पर है। जिन डाकुओं के नाम आपने गिनाये, वह तो ऐसे गिनाये कि जैसे कोई बड़े-बड़े योद्धाओं के नाम गिनाता है कि जैसे महाराणा प्रताप आदि। जब आपने

डाकुओं के नाम गिनाये तो लग रहा था कि जैसे आप हीरोज के नाम गिना रहे हैं । परन्तु ये उन्हीं डाकुओं के नाम गिनाये जा रहे थे जो गरीब रियाया को रात के अन्धेरे में लूटते हैं और अमानवीय चरित्र अपनाये हुये हैं । कानून व्यवस्था को कायम रखने में हमारे साथ एक परेशानी आ रही है और वह है इन्हें संरक्षण देने की । वह परेशानी यदि आप दूर कर दें तो शायद हम इनको दूर कर सकेंगे ।

जिसने कम्यूनल राइट्स की बात कही गयी उसके लिये भी आप इतिहास उठा कर देख लें कि जितने कम्यूनल राइट्स आपके जमाने में हुए, किन्तु हमने फिर भी कन्ट्रोल किया हुआ है । इस वर्ष के हमारे जो ईद और दशहरा के त्योहार हुए वो कितने अच्छे तरीके से सम्पन्न हुए । मैं समझता था कि शायद आप इसके लिये हमको बधाई देते परन्तु आपने तो नाराजगी का ही इजहार किया ।

आपने गढ़वाल के बारे में सदन में यह चीज कही कि गढ़वाल के बारे में मुख्य मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया । उन्होंने जरूर आपको उत्तर दिया था कि जो भी इलेक्शन कमीशन निर्देश होंगे, उनका पालन हम करेंगें ।

श्री रियासत हुसैन--

इलेक्शन कमीशन ने तो 30 सितम्बर तक कहा है ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप भी मेरी बात को सुनने का कष्ट करें जिसे प्वाइन्ट वाइज में दे रहा हूं । जहां आपने "नालायकी" के शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया, जरूर तम्मी हमारे अन्दर है, उसे हम तम्मी के रूप में लेते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपको इस शब्द पर एतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि बाद में उन्होंने अपने लिये भी इस शब्द का प्रयोग किया था ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपने तो उसको एक आभूषण का रूप दे दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि जो रेगिस्तानी शुतुर्मुर्ग की प्रक्रिया आपने अपनायी है, उसको आपको नहीं अपनाना चाहिये । विरोधी पक्ष की जो बातें हैं उन्हें मैं खुले दिल से ताईद करता हूं और करूंगा परन्तु रेगिस्तानी शुतुर्मुर्ग की प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहिये । मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूं ।

अन्त में मैं मान्यवर, एक चीज और आपने कही कि हमारे बहुत ही मुतरिम हैं हमारा अमाल खराब है । मैं कहता हूं कि अम्माल आपका खराब है, जो आप वहां बैठे हैं, अगर हमारा अम्माल खराब होता तो आज हम इधर न बैठे होते ।

[3 बजकर 5 मिनट]

श्री ऊदल—

मान्यवर, अनुपूरक अनुदान की प्रथा यह है कि जब मूल अनुदान से काम नहीं चलता तब अनुपूरक मांग सदन के सामने रखी जाती है। मान्यवर, इतिहास यह बताता है कि मूल अनुदान बहुत से विभागों का जिसका मैं जिक्र कर दूं कि नम्बर (1) प्रदेश में इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवालमेन्ट कारपोरेशन तथा दूसरा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। इनका 77–78, 78–79 के बजट और मूल को तथा उसके बाद पूरक अनुदानों को इसी तरह से मैं और विभागों को भी ले सकता हूं अगर देखा जाय उनके क्रियाकलापों को तो उन्होंने बचत कर दी है, सरेन्डर किया है, खर्च नहीं किया है। शुगर कारपोरेशन को कर्ज हम देते जा रहे हैं, तीन करोड़ का कर्जा उन पर हो गया है, सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके कर्जे और सूद को फिर कर्ज देकर ठीक किया जाय या बट्टे खाते में डाल दिया जाय। 136 पेज पर अप देखें, बित्त मन्त्री जी, इसमें बंगला नं0 9, माल एवेन्यू, लखनऊ में विद्युत् और सिविल कार्य निष्पादन करने में लाखों रुपया खर्च किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह बंगला कौन सा है, किसका है, इसके पहले क्या स्टेट विभाग के पास था? यदि आप कहेंगे कि नये मुख्य मंत्री का निवास स्थान हो गया है तो किसके नाम से है? बहुत से मुख्य मंत्री हुए जिन्होंने पुराने मुख्य मन्त्री निवास को अतिथि गृह के रूप लिया और अपने निजी मकान में माननीय चन्द्रभानु गुप्त, माननीय सुचेता कृपलानी जी उसके बाद माननीय बनारसी दास जी अपने पुराना किला के मकान में रहे और रामनरेश यादव कुछ दिन रहे। इसका क्या प्रयोजन है, मैं जानना चाहता हूं। काशी नाथ मिश्रा जी, रोटी–कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान। हमारे यहां एक डपोरशंख पैदा हुए थे, एक मांगो, हजार देते, हजार मांगो लाख, लाख मांगो तो करोड़। श्रीमन्, 22 जिले हमारे प्रदेश में पिछड़े हुए हैं, 40 फीसदी जनता गरीबी की रेखा से नीचे आती है, कम से कम रोटी कपड़ा और मकान का नारा तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। डपोरशंख की कोई आवश्यकता नहीं है।

आपने शान्ति व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपया मांग लिया। शान्ति और व्यवस्था की क्या हालत है, ट्रेनें लूटी जा रही हैं, बसें लूटी जा रही हैं, दिन में चलना मुश्किल हो गया है, मंत्रियों की जेब काटी जा रही है, मंत्री लूटे जा रहे हैं और एक–एक गांव में बड़े पैमाने पर लूट और हत्या दोनों हो रही हैं और इसके बाद जिस पुलिस के नाम पर मांग रहे हैं, वह क्या कर रही हैं, कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग में अमूल परिवर्तन करना चाहते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। जो ट्रेनिंग दी जाती है वह पुराने अंग्रेजों के जमाने की है।

आज के युग के लायक पुलिस नहीं है। उनकी ट्रेनिंग को बदलने के लिए, उनकी ट्रेनिंग में अमूल परिवर्तन करने के लिए क्या योजनायें आपने बदलीं? उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज पुलिस क्या कर रही है? केवल शाबाशी लेने के लिये, इनाम लेने के लिए फर्जी इनकाउन्टर कर रही है। अभी आजमगढ़ जिले में मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत 6 इनकाउन्टर किए गए। लग्घूपुर में, बड़ा गांव वाराणसी में 4 इनकाउन्टर किए गए उसमें एस0 पी0 ने इनाम भी घोषित कर दिया फिर इनाम वापस ले लिया तो इस सबके लिए आपने क्या कोई कार्यवाही की? जो पुलिस प्रशासन है, जिसको आप कम्पनियां खोलना चाहते हैं उनकी परिपाटी वही पुरानी है और घिसी पिटी है जो पुराने जमाने से चली आ रही है। मैं समझता हूं कि यह रुपया हमारा सब बेकार चला जायेगा।

इसी तरह से श्रीमन्, जितनी मदों को आपने रखा है उसमें से कुछ को छोड़कर बाकी मदें जायज नहीं हैं। अब उनको मैं किन शब्दों में कहूं जैसे कि

माननीय रियासत साहब ने नालायक शब्द कहा वैसे ही मैं भी कुछ कहना चाहता हूं लेकिन वह न कह कर सिर्फ यह कहूंगा कि वित्त मंत्री का वित्त मंत्रालय का कार्य है, बजट को देखना, वित्तीय नियमों का पालन करना, वित्तीय अनुशासन कायम रखना तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मन्त्री या वित्त विभाग का अनुशासन शासन के अन्य विभागों पर लागू है ? यही नहीं, मेरी जानकारी है कि ए0 जी0 सिर्फ 10 परसेंट का आडिट करता है । 50 फीसदी से ज्यादा खर्चा सब बेकार जाता है और इधर-उधर खर्च होता है । 20 फीसदी का एक्सेस खर्च होता है । जो विभाग बचत करते हैं उनको रुपया क्यों दिया जाता है ? मेरा निवेदन है कि आप इसके ऊपर गम्भीरता से सोचिए और जो रुपया माननीय सदन पास करता है उसको ठीक से खर्च किया जा रहा है या नहीं और विधान मन्डल को बाइपास करके जो विभाग एक्सेस खर्चा कर देते है, उनको आप देखिये । मेरा आपसे निवेदन है कि आप वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे ।

[3 बजकर 12 मिनट पर]

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग ने जो अनुपूरक धनराशि मांगी है उसमें एक नई चीज यह आई है कि पर्वतीय विकास मंत्री ने अपने विवेकाधीन कोष के लिए 30 हजार रु0 मांगा है जब कि राज्य मंत्री को 20 हजार रु0 विवेकाधीन कोष के लिए मिलता है । इन्होंने 15 हजार रु0 पहले ही बिना स्वीकृति लिए व्यय कर दिया और 15 हजार रु0 की फिर से स्वीकृति मांग रहे हैं । इन्हें पता नहीं था कि गढ़वाल में उप चुनाव में पुनः मतदान होना है तो क्या विवेकाधीन कोष की धनराशि 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रु0 कर दी गई है या सिर्फ चन्द्रमोहन सिंह नेगी जो पर्वतीय विकास मन्त्री हैं, उन्हीं के लिए यह प्राविधान हुआ है और यह जो 15 हजार रु0 की धनराशि जो अधिक मांगी जा रही है, वह इसी सरल मांगी जा रही है या इस चुनाव के बाद भी पर्वतीय विकास मंत्री को मिलेगी ? दूसरी बात यह है कि इस सरकार का शासन तन्त्र पर कोई कन्ट्रोल नहीं है ।

इनके लिए अलग से नियोजन निदेशक लखनऊ में होगा । एक गढ़वाल मंडल में होगा, एक कुमायूं मंडल में होगा तो इनका हाल यह है कि अपने कर्मचारियों व अधिकारियों पर इनका कोई अंकुश रह ही नहीं गया है । हमारे जिला चमोली में इन मंत्रियों की सेवा करते-करते वे सब थक गये हैं । इन मन्त्रियों के डर से वहां के अधिकारी लोग छुट्टी ले लेकर चले गये हैं । बलिया तो पानी में डूब रहा है और वहां के रहने वाले मंत्री श्री निर्भय नारायण सिंह महीनों से गोपेश्वर में बैठ कर अपनी आवभगत करा रहे हैं । इसी डर से वहां का डी0 एम0 हेडक्वार्टर से बाहर चला गया है । ए0 डी0 एम0 40 दिन की छुट्टी लेकर चले गये हैं । एस0 डी0 एम0 32 दिन की छुट्टी पर चले गये हैं । कोई भी अधिकारी वहां रहना पसन्द नहीं करता है । यदि मंत्री लोग अपनी फिजूलखर्ची पर प्रतिबन्ध लगा दें तो अनुपूरक बजट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी । गढ़वाल चुनाव में यहां के 11 मंत्री सारे चुनाव के दिनों में लगे रहे । प्रदेश का कोई भी मंत्री ऐसा नहीं था जो वहां 10 से 15 दिनों तक न रहा हो । वे सब अपना डी0 ए0, टी0 ए0 लेते रहे । केन्द्र सरकार के मंत्री श्री सी0 पी0 एन0 सिंह ने गोपेश्वर में उद्यान विभाग का टेलीफोन अपने बंगले में लगवा लिया और 35 हजार रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कुंवर सिंह नेगी—]

टेलीफोन बिल के रूप में देना पड़ा । मंत्री लोग हेलिकाप्टर से जायं तो कोई बात नहीं थी लेकिन श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जैसे लोग भी गोचर हवाई अड्डे पर हेलिकाप्टर से आये और वहां प्रधान मंत्री के लिये जो सभामंच बना था उसे उनको हवाई जहाज उतारने के लिये रातों रात तोड़ दिया गया । पहाड़ पर जहां हिरण, बकरी भी नहीं जा सकते, वहां उनका हेलिकाप्टर उतारा गया ।

श्री उपाध्यक्ष —

माननीय नेगी जी, आप चुनाव पर बोल रहे हैं या अनुपूरक अनुदान के ऊपर ?

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं सरकार की फिजूलखर्ची पर बोल रहा हूं, मान्यवर । मान्यवर, सारा गढ़वाल आज सूखाग्रस्त है, सारी फसल नष्ट हो गयी है और ये कहते हैं कि वहां पर अतिवृष्टि हो गयी है, भीषण बारिश से सड़कें टूट गयी हैं । इनको हमारी दशा पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है । अभी मैं केदारनाथ यात्रा पर गया था तो वहां घोड़े वालों ने मुझे बतलाया कि हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जब केदारनाथ यात्रा पर गयी थीं घोड़े वालों के बिल का पेमेन्ट नहीं किया गया है । हमारे प्रधान मंत्री की जब यह हालत है . . .।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके कहने का मतलब यह है कि अनुपूरक अनुदानों में उसका भी प्राविधान किया जाया करे ?

(हंसी)

श्री कुंवर सिंह नेगी—

अब मैं गृह विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । पी० टी० सी० के लिये सीतापुर में एक स्कूल खोलने का प्राविधान किया गया है । इसकी कोई वजह नहीं बतलायी गयी है । इसमें कहा गया है कि 1800 ट्रेनीज इस साल उसमें जायेंगे जिनमें से 1200 के लिये तो मुरादाबाद में प्राविधान है, फिर समझ में नहीं आता कि अलग से सीतापुर में एक स्कूल खोलने की क्या आवश्यकता पड़ी । असल बात तो यह है कि 3 डी० आई० जी० के पीछे एक आई० जी० होता है । केन्द्र सरकार ने श्री रमानी को ऐडहाक तौर पर आई० जी० पहले ही बना दिया था । उनके लिये 3 डी० आई० जी० का होना जरूरी है । इसलिये 600 ट्रेनीज के लिये सीतापुर वाला स्कूल खोला गया है । लेकिन मैं पूछता हूं कि इसके बाद दूसरे साल सीतापुर वाले स्कूल का क्या होगा यह तो इसलिये किया गया है कि 3 डी० आई० जी० की नियुक्ति सीतापुर में हो जायेगी तो आई० जी० की नियुक्ति बरकरार रहेगी । मेरा सुझाव यह है कि तीन पी० टी० ओ० के लिए डी० आई० जी० के बजाय एस० पी० बनायें जायं जिससे कम खर्च होगा, धन्यवाद ।

[3 बज कर 20 मिनट पर]

*श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप ने मुझे अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया ।

मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष की ओर से और हमारी ओर के जिन माननीय सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किए उनके साथ ही मैं अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । जो धन पहले दिया गया था उसको आपको खर्च करना चाहिए था उसके बाद अगर जरुरत होती तो जरुर आप इस अनुदान मांग को रखते । जहां तक मैंने देखा है, सिंचाई की मांग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की बाढ़ है जहां पर लोग पानी से घिरे हुए हैं और जो सहायता बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही है, वह बहुत ही कम है । इस सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं कि जब 1978 में बलरामपुर में बाढ़ आई और उस समय जो दुर्दशा हुई थी, उसको देखने के लिए जिनको आज सत्ता पक्ष के लोग अपनी नेता कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जिनके दिल में दर्द था, वह दिल्ली से बलरामपुर आई । 12 तारीख को बलरामपुर से हमने टेलीफोन खटखटाया । माननीय मुख्य मंत्री के जो सेक्रेटरी थे उनको टेलीफोन मिला, हमारे राजस्व सेक्रेटरी साहब को टेलीफोन मिला, लेकिन आज तक मांग नहीं मांगी गयी । हमने बहुत अनुरोध किया कि आप इन बाढ़ पीड़ितों के लिए जो चार-चार, पांच-पांच दिन से पानी में घिरे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है, हेलीकाप्टर मे फूड पैकेट गिरा दें । वे भूखे लोग हैं, कम से कम भूखे न मरने पाये । जब हम कल वहां से चले तो ऐसी खबर आई है कि कुछ लोग वहां पर भूख से इतने कमजोर हो गये थे जो पेड़ों पर बैठे थे, बिजली के खम्भों पर चढ़े हुए थे, वे गिर गये । बलरामपुर में एक नौजवान की मृत्यु हो गई । यह इस सरकार की अक्षमता है । यहां पर बार बार कहने के बावजूद आपकी तरफ से कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई । परसों यह मालूम हुआ कि हेली-काप्टर द्वारा दौरा किया गया लेकिन कहीं भी फूड पैकेट नहीं गिराये गये । यह अनुपूरक मांग रखी गयी है इसमें आपने एक नये हेलीकाप्टर खरीदने की व्यवस्था की है । हेलीकाप्टर आप जरूर खरीदिय लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए । वह आप नहीं कर रहे हैं । डुमरियागंज, इटवा, बांसी, नौगढ़, जहां आप के ही विधायक फंसे हुए हैं, इन स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों को कोई राहत नहीं पहुंच रही है । हेलीकाप्टर खरीदने की क्या आवश्यकता है । उसकी क्या उपयोगिता है जिसके लिए आप यह रुपया मांग रहे हैं ?

इसी तरह से सड़कों की बात है । हमारे प्रदेश में सड़कों की अत्यन्त दुर्दशा है इस वर्षा में हमारी सड़कें बरबाद हैं, पिछले साल बरबाद हुई थी, उनके लिए आप को रुपया दिया गया लेकिन आज भी सड़कों में कोई सुधार नहीं हुआ । महानगरियों के लिए रुपया दिया गया । लखनऊ महानगर के लिए पचास लाख रुपया दिया गया । नक्खास की एरिया है । वहां पर सड़क पर चलना दूभर हो रहा है ।

इसी तरह से ग्राम विकास के लिए अभी माननीय रियासत हुसैन साहब कह रहे थे । आज माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा किए हुये लगभग पांच महीने हो रहे हैं कि प्रत्येक ब्लाक में विकास कार्यों के लिए (व्यवधान) उस समय के पंचायती राज्य मंत्री ने यह कहा था कि हर ब्लाक के लिए एक लाख रुपया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री अकबाल हुसैन---]

दिया जायेगा उसके विकास के कार्यों के लिए । इस तरह से पूरे प्रदेश के लिए 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जायेगी, यह घोषणा की गयी थी । आज 5 महीने हो गये हैं, मुख्य मंत्री को इस पर चेतावनी भी दी जाती है कि इस माननीय सदन में जो वे घोषणा करते हैं उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाता हैं । इस तरह से जो यह घोषणा की गई थी आज तक इस तरह की कोई बैठक किसी भी ब्लाक में नहीं की गई है । माननीय सदस्य उस ब्लाक कमेटी के सदस्य हैं । किस तरह से वह पैसा ब्लाक के विकास कार्यों में खर्च किया जायेगा, इसे वह कमेटी देखेगी । मेरी जानकारी है कि आज तक किसी भी विधायक का कोई मीटिंग नहीं हुई है और कोई पैसा खर्च नहीं किया गया हैं । उसके लिए आपको पहले से ही पैसा दिया गया था जिसको खर्च करने का वादा किया था वह पूरा नहीं किया गया है । यह कौन सा औचित्य है कि जिन कार्यों के लिए आपके पास पहले से ही रुपया उपलब्ध है, उनके लिए आप पुनः अनुपूरक अनुदान मांगे ।

राष्ट्रीय एकीकरण की मद में आपने पैसा मांगा है । बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस समय मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है लेकिन इससे पूर्व के मंत्री, श्री अम्मार रिजवी मौजूद हैं, वे ही कृपया सुन लें । आपने और प्रदेश की सरकार ने उर्दू को दूसरा दर्जा देने के लिए वायदा किया था वह आप आज तक नहीं कर सके । आपके जमाने में यह बात तय हुई थी और आप चाहते थे कि प्रदेश में उर्दू जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप इन्तजाम करेंगे, वह आप नहीं कर पा रहे हैं । इसको बढ़ावा देने के लिए इन्टरनेशनल कान्फरेन्स उर्दू की करना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि उसकी क्या जरुरत है ? उसमे 9 लाख रुपया खर्च होना है । यह आपका 9 लखा गले का हार बन गये हैं । उसके तहत आप यही चाहते हैं कि उर्दू अकादमी के लोग हवाई जहाज में उड़कर अमेरिका और इंगलैंड जांय । यह यहां के पैसे का अपव्यय है । जो आपने वायदा किया था कि हम मितव्ययिता से काम लेंगे, उसको आप पूरा नही कर पा रहे हैं । यह नौ लखा हार उर्दू का है, अगर इसके लिए इस तरह से पूंजी बरबाद करेंगे, गरीब लोगों का पैसा इस तरह के बरबाद करेंगे और तब हमसे अनुपूरक मांगों के रूप में इसको स्वीकार कराना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है । इस चीज को समाप्त होना चाहिए । उर्दू के विकास के लिए अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं तो स्कूलों में उसके टीचरों की व्यवस्था की जानी चाहिए, उसके साथ राष्ट्रीयकरण का मामला जुड़ा हुआ है और उसका सम्बन्ध कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है गोंडा में इस तरह की सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा मिला और वे जगह-जगह पर जागृत हो रही हैं । इसकी आड़ में कहीं पर किसी मसले को लेकर रिपोर्ट होती है, 107 का मुकदमा कायम होता है । इस तरह से दो साम्प्रदायिक लोगों के बीच की जो खायी है, वह गहरी होती चली जाती है, उसको पाटना चाहिए था लेकिन आपकी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

इसके अलावा शिक्षा के सम्बन्ध में, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी आपने कई वायदे किये हैं । स्वास्थ्य मंत्री ने कई वायदे किये थे और कहा था कि हम प्रत्येक अस्पताल में एक डाक्टर जरूर भेज देंगे । हमारे क्षेत्र में कई अस्पताल ऐसे हैं जहां एक भी डाक्टर नहीं है । ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अनुपूरक मांगों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

[3 बजकर 30 मिनट]

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं बहुत ध्यान से इस अनुपूरक अनुदानों की चर्चा को सुन रहा था । जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें दो तरह के प्राविधान करते हैं एक प्राविधान होता है योजनाओं के परीक्षण के बाद यानी उस पर जो खर्च होना है और दूसरा होता है टोकन प्राविधान जब कि योजना हमारे सामने कुछ नहीं होती जिसका परीक्षण भी हम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए टोकन प्राविधान हम कर देते हैं । मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी जो इसका विरोध कर रहे हैं वह टोकन विरोध कर रहे हैं उनका विरोध कोई सुनियोजित नहीं है ।

दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी वह यह कि जब विपक्ष के लोगों में ज्यादा समझदारी आ जाय तो उसको सरकार को चिंता करनी चाहिए । मुझे ऐसा लगा कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री हुकम सिंह—

जब आपमें समझदारी न हो तो यहां से क्या होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त—

क्या हमारी समझदारी उधार लेनी है । जो यहां पर चर्चा हुई उसका संक्षेप में जिक्र करना चाहता हूं । सबसे पहले चर्चा शुरू करते हुए हमारे माननीय सदस्य, मोहन सिंह जी ने कुछ फिजूल खर्ची के आइटम गिनाये । मैंने उनका ध्यान अनुदान संख्या 1 की तरफ दिलाया था उस पर उन्होंने कमेन्ट नहीं किया मैं भी नहीं चाहता हूं कि उस पर कुछ कहूं, उसकी वजह मैं जानता हूं । मेरे ख्याल में पहली दफा उत्तर प्रदेश में माननीय नेता विरोधी दल को मान्यता दी गयी, मैं भी नेता विरोधी दल रह चुका हूं । जिन परिस्थितियों में मैं काम करता था उससे परिचित हो कर मैंने यह व्यवस्था की है ।

मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मंडलीय स्तर पर योजना बनाने की प्रणाली पर एतराज किया । यह पहला मौका है जब इस प्रकार योजनायें बनेंगी जो कि जनता की राय से बनेंगी जिनका कार्यान्वयन जिनकी मानेटरिंग जनता और जन-प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए ।

मैं चाहता था कि माननीय सदस्य इसके लिए मुबारकबाद देते हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को कि विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली हमने अपनाई । यह हमने पहली दफे किया है कि तमाम योजना के खर्चे को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है । 30 जो रखा है वह जिला की योजनाओं के लिए है और उसमें भी हमने व्यवस्था कर दी है कि कोई माननीय सदस्य राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली है तो सारा रुपया वहीं न चला जाय और हर एक के साथ न्याय हो । हर जिले के आवंटन में 50% उसकी आबादी और बाकी 50 पिछड़ेपन चाहे स्कूल में पिछड़ापन हो, चाहे अस्पताल में पिछड़ापन हो, चाहे बिजली में पिछड़ापन हो, चाहे पीने के पानी में पिछड़ापन हो, उसके लिए खर्च होगा । हमने यह भी व्यवस्था की है कि 15 अक्तूबर तक जिलाधिकारी योजना का प्रारूप बनायेंगे, वह योजना नहीं बनायेंगे, उनको अन्तिम रूप विधायकों को देना है और उसकी जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी या कमिश्नर नहीं करेंगे बल्कि उन्हीं में से एक साथी जो मंडलीय मंत्री होंगे, वह करेंगे । जब आप सदन के बाद जायेंगे तो मालूम होगा और मेरा निवेदन है कि जिले की आवश्यकताओं

[श्री ब्रह्म दत्त--]

को ध्यान में रखते हुए वहां कौन सा हिस्सा पिछड़ा हुआ, है उसको ध्यान में रखना है। यह एक एक्सपैरीमेंट है। हम चाहते हैं कि उसमें हमें सफलता मिले। अकेले योजना बनाने का काम इसमें नहीं होगा बल्कि योजन कैसे चल रही है, क्या उसका प्रभाव हो रहा है, कहां फिजूलखर्ची हो रही है, यह देखना भी आपका कर्म होगा। यह आपकी सहमति से होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

एक मिनट। मैं आपके भाषण में व्यवधान नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन आवश्यक समझा कि एक आब्जर्वेशन पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। आपने अभी कहा कि मोहन सिंह जी ने आइटम नम्बर (1) के ऊपर, जो विधान मंडल से तल्लुक रखते हुए आपकी अनुपूरक मांग है, कोई कमेन्ट नहीं किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक स्वस्थ परम्परा का ही यहां निर्वहन किया है। विधान मंडल की मांगों पर कमेन्ट नहीं होने चाहिये। उस स्वस्थ परम्परा को जो उन्होंने कायम रखा, उसके लिए हम सबको प्रसन्न होना चाहिये और आपको भी इसको एप्रिशिएट करना चाहिए।

श्री ब्रह्म दत्त--

कमेन्ट भी में सीरियसली नहीं बैठे-बैठे ही उनसे मांग रहा था। मुझे यह भी आश्चर्य हुआ कि बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण निगम के बारे में भी थोड़ा यहां एतराज हुआ। बुन्देलखण्ड हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हिस्सा है और उसकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं मंत्री जी का थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो बजट आपने अभी तक जिलों में दिया है, उससे सीमेंट की कमी के कारण वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। तो क्या आप ऐसा भी करने की कृपा करेंगे कि उनको सीमेंट आदि आवश्यक चीजें भी उपलब्ध करायें, जिससे वह रुपया खर्च किया जा सके ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हम उसे भी करेंगे। उनको यह भी बता दूं कि विष्ट जी के सल्ट में शहीद-स्मारक के लिए भी प्राविधान किया गया है इसमें। बुन्देलखण्ड के बारे में हम लोग विशेष प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ वह क्षेत्र हमारा है। योजनाओं का एक उद्देश्य हमारा यह भी है कि हम पिछड़े हुए क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दें।

हमारे माननीय विधायक, मित्रसेन जी ने पुलिस प्रशिक्षण पर कुछ एतराज किया। मेरा इसमें यह अभिप्राय है कि पुलिस व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हमें लाना है और इसके लिए प्रशिक्षण में सुधार करने की भारी आवश्यकता है और उसके लिए धन भी चाहिये। इसलिए हमने यह किया है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में धन देने के लिए जो थोड़ा एतराज किया है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उनकी विचारधारा ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुरूप है नहीं। साथी मुख्तार अनीस ने आलू और तिलहन का काफी जिक्र किया और जल निगम के घाटे का

काफी जिक्र किया । आलू के लिए शीतगृह बनाने की व्यवस्था है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका पूरा उपयोग करने के लिए फर्रुखाबाद आदि में कोई बड़ा कारखाना लगाया जाय । जल निगम में घाटा हो सकता है, लेकिन उसका असली काम उन अभावग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना है, जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । तो इस निगम की क्षमता को आप घाटे या लाभ से न देखकर, इसके कार्यों से देखने की कृपा करें कि इसने किस हद तक पिछड़े क्षेत्रों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया है ।

रियासत हुसैन जी ने कहा कि हमारे अमल खराब हैं, इसलिए आधे प्रदेश में सूखा हो गया है और आधे में बाढ़ हो गई है । तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1979 में पूरे प्रदेश में बाढ़ आ गई थी, तो इसके मतलब यह है कि उनसे आधे अमल हमारे अच्छे हैं । हमारे कम्युनिस्ट सदस्य ने कई बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उन्होंने कहा कि वित्तीय नियमों का पालन होना चाहिए । कोशिश मान्यवर, यही की जा रही है । इसीलिए हमने 31 मार्च को जो बजट पास किया था, उसकी 15 अप्रैल तक सारी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गयी थी । साथ ही यह भी सूचित करना चाहता हूं कि पिछले 4–5 सालों में वर्ष के प्रथम 4–5 महीने में 5 से 7 परसेंट खर्च आता था, किन्तु इस वर्ष पहले चार महीने में 18/19 प्रतिशत खर्च हो गया है । मान्यवर, इन अनुपूरक अनुदानों में 19 करोड़ 51 लाख रुपया आयोजनेत्तर है और 112 करोड़ 33 लाख रुपया योजनागत व्यय के लिए है । इसमें हमने बहुत अच्छी–अच्छी योजनायें शामिल की हैं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कम्पोनेन्ट प्लान्ट और बुन्देलखण्ड आदि का जिक्र कर चुका हूं । हम यह भी चाहते हैं कि जहां पर हमारी सिंचाई की बड़ी–बड़ी योजनायें हैं, वहां पर सीमेंट के कारखाने की योजना हो अगर वहां पर लाइम स्टोन आदि अवलेबिल हो । इससे हमारा बहुत बड़ा खर्चा कम होगा । हमने इस अनुपूरक बजट में निर्बल वर्ग के लोगों को कानूनी परामर्श देने के लिए भी 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है । हमारे माननीय सदस्य को जो केदारनाथ से आते हैं यह जानकर खुशी होगी कि हमने नेशनल पार्क बनने के लिए भी 5 लाख 98 हजार रुपये की व्यवस्था की है । इससे उनका इलाका जो पहले से सुन्दर है और सुन्दर बनेगा ।

एक सदस्य––

इससे और बरबादी होगी ?

श्री ब्रह्म दत्त––

नेशनल पार्क के बनने से बरबादी होती है, मैं इससे सहमत नहीं हूं । श्रीमन्, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय मैंने वार्षिक बजट प्रस्तुत किया था उस समय लगभग 97 करोड़ 46 लाख रुपये का घाटे का अनुमान था । मुझे सदन को यह सूचना देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब हमारी वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है । फिलहाल केन्द्रीय सहायता में वृद्धि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को मिलने वाले केन्द्रीय करों में, अंश के अनुमानों में, बजट में प्रदर्शित आंकड़ों की अपेक्षा अब लगभग 49.94 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है । इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता में भी 1.84 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । हमने अपने संसाधनों से 21.70 करोड़ रुपया बढ़ाया है । इस प्रकार से कुल सुधार 73.48 करोड़ का हुआ है । लेकिन यह केवल 4 महीने की बात है ।

[श्री ब्रह्म दत्त---]

ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों में गिरावट आयी है और केन्द्र सरकार के ऋणों और प्रतिदान की राशि में 7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से गिरावट कुल 37 करोड़ रुपये की हुई है। इस प्रकार हमारे संसाधानों में शुद्ध वृद्धि कुल 36 करोड़ 48 लाख रुपये हुई है। इसलिए जो हमारा घाटा 97 करोड़ 46 लाख रुपये का था, वह अब 72.73 करोड़ हो गया है। लगभग 25 करोड़ रुपये की कमी हुई है। इसमें 11.85 करोड़ रुपया वित्तीय भाग हमारे ऊपर पड़ता है।

एक बात और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि समय पर हमारी योजनायें बन जायें। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों के जिलों की योजना अक्तूबर में बन जायं ताकि नवम्बर में प्रदेश की योजना बन सके और दिसम्बर में योजना आयोग से पारित कराई जा सके ताकि अगले साल के बजट में उनका समावेश हो सके। मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में बजट पेश होगा ताकि 15 मार्च तक पास हो जाय और 31 मार्च तक सारी वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो जायं। यह सहयोग आप लोगों से चाहता हूं। जो यहां पर विरोध पक्ष की ओर से आलोचनायें हुई हैं, उनका तो मैं स्वागत करूंगा और हमेशा इनका स्वागत होना भी चाहिये। आलोचनायें होती हैं जिससे सरकार ठीक रास्ते पर चले लेकिन वे बहुत ही समझदारी के साथ होनी चाहिए, ऐसी न हों कि जिससे सरकार का मनोबल ही टूटे।

(व्यवधान)

एक बात और निवेदन कर दूं। हमने हर जिले के लिये विकास खंडों में, स्कूलों, सड़कों और पीने के पानी आदि के लिये योजनायें बनायी हैं और जो जिले की प्लान बनेंगी, उनमें हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। जो जिले की प्लान बनें उसका आप सभी माननीय सदस्य अध्ययन करें और अपना मार्ग दर्शन देने की कृपा करें। हम यह चाहते हैं कि जो क्षेत्र अधिक पिछड़े हुये हैं उनको अधिक पैसा मिले। उनका विकास पहले हो। आप सभी स्वयं इस बात का ध्यान रखें कि पिछड़े हुये क्षेत्रों को अधिक धन मिले इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, इसमें सतारूढ़ दल का ही प्रश्न नहीं है। राजनैतिक भेद भावना से दूर रह कर, आप सभी के योगदान की आवश्यकता हमें है, ताकि हमारा विकास की योजनायें पूरी हों ताकि प्रदेश का विकास हो सके। इसके अलावा आज जो लोग यह शिकायत करते हैं कि ठीक से खर्च नहीं होता, हम यह भी चाहते हैं कि पैसा ठीक से खर्च हो। यह सब तभी हो सकता है जब आपका भी सहयोग हमें मिलता रहे।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दिये हैं। मेरा निवेदन है कि इन अनुदानों को आप पास करें।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट---

सीमेंट के अभाव के बारे में आपको क्या कहना है सीमेंट न मिलने के कारण निर्माण के सारे कार्य रुके हुये हैं।

श्री ब्रह्म दत्त---

सीमेंट की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में सीमेंट का भी कारखाना लगाने का विचार है।

[3 बज कर 47 मिनट पर]

1981-82 के प्रथम अनुपूरक अनुदनों के लिये मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल

श्री उपाध्यक्ष—

अब अनुदानों पर मतदान होगा ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1, राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 34,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(इस समय 3 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत 34,05, 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 3—मंत्रिपरिषद्

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत 80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3—मंत्री परिषद् के अन्तर्गत 80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव हूं कि अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग के अन्तर्गत 5,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग के अन्तर्गत 5,10.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्री-कर)

नियोजन एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर) के अन्तर्गत 9,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6--संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर) के अन्तर्गत 9,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

नियोजन एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8--संस्थागत वित विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 25,000 रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9--स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9--स्वायत शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 8,34,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9--स्वायत शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 8,34,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग

सिंचाई तथा परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग के अन्तर्गत 75,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 75,75,000 रुपये की अनुपुरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 12-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

नियोजन एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12--संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजी-कर) के अन्तर्गत 3,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या-17 सचिवालय

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17-सचिवालय के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--17 सचिवालय के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 12,46,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 से लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 12,46,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981—82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981—82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग

सार्वजनिक-निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 10,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981—82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 10,69,000 रुपए की अनुपूरक माग वित्तीय वर्ष 1981—82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 2,06,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981—82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 2,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981—82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 23––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)––

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 21,45,000 रुपये की अनूपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23––राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 21,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

नियोजन एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)––

मान्यवर, आपकी अनुमति एवं महामहिम राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग की वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25––गृह विभाग (पुलिस)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25––गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 3,15,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25––गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 3,15,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार)

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

माननीय, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 76,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 76,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)

उद्योग उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण के अंतर्गत 2,58,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27--उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 2,58,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36—सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,47,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की रिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,57,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,57,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग

सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग के अन्तर्गत 20,15,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43--सूचना विभाग के अन्तर्गत 20,15,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 44--श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44--श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 1,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी--)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 65,76,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 65,76,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग

सहकारिता, खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 21,77,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 21,77,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 72,43,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 72,43,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग

नियोजन एवं वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,29,68,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51—नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,29,68,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि)

कृषि मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1,46,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1,46,91,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,87,000 की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 40,15,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 40,15,43,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 56--पंचायती-राज विभाग

पंचायती राज मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 6,17,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 6,17,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 12,15,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 12,15,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग

पशुधन मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 60—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

पशुधन मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62—वन विभाग

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62—वन विभाग के अन्तर्गत 2,14,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62—वन विभाग के अन्तर्गत 2,14,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 67—विद्युत् विभाग

ऊर्जा उप मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 67—विद्युत् विभाग के अन्तर्गत 45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 67—विद्युत् विभाग के अन्तर्गत 45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य—राजस्व लेखा)

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 29,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 29,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 69—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 36,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 36 50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,47,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,47,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 67,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 67,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,21,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,21,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 85—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग— (पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति व श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग— पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 97,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 97,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 86—सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता, खादी तथा ग्रामोद्योग मन्त्री (श्री बासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86—सहकारिता विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,00,46,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86---सहकारिता विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,00,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 87--पर्वतीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

श्रीमन्, में आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87---पर्वतीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87---पर्वतीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 88---उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय

उद्योग उप मन्त्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)--

श्रीमन्, में आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88---उद्योग विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88---उद्योग विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 92---उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)-पूंजीगत परिव्यय

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा)--

श्रीमन्, में आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92---उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,75,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

संख्या 22--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) पूंजीगत परिव्यय

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 1,75,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय

कृषि मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 101--मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय

पशुधन मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 101--मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 27,79,000 रुपये की अनपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 101--मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 27,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 104--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 105--सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105--सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105--सिंचाई विभाग (बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 106--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 106--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 14,24,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 106--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 14,24,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 107--परिवहन विभाग--पूंजीगत परिव्यय

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 107--परिवहन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 107—परिवहन विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 3,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 113—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 113—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,76,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 113—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,76,30,000 रुपये की अनूपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम

उद्योग उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,95,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,95,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 117—पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 117—पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 18,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 117—पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 18,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम

सहकारिता मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,39,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,39,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम

कृषि मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 123--क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 123--क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,79,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 123--क्षेत्रीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 2,79,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम

अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

पशुधन मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 22,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 22,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 125--विद्युत् विभाग--ऋण और अग्रिम

ऊर्जा उपमंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 125--विद्युत् विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 125--विद्युत् विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 126--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 126--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 24,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 126--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 24,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 128—पर्यटन विभाग—ऋण और अग्रिम

पर्यटन मंत्री (श्री विद्याभूषण)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 128—पर्यटन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 128—पर्यटन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 4 बजकर 31 मिनट]

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री कुबेर भंडारी—

इसकी कापियां हम लोगों को नहीं मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कापी बांट दीजिए ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित हो जाने के बाद)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

कहिए।

श्री भीखा लाल--

माननीय वित्त मंत्री ने इस बजट के भाषण को समापन करते समय दो बातें कहीं, वह बहुत ही स्वागत योग्य हो सकती हैं। पहली बात तो यह कि छठीं पंचवर्षीय योजना को जिल स्तर और मंडल स्तर फिर राज्य स्तर पर इसको बनाकर दिसम्बर तक पूरा कर दिया जायगा और योजनाओं के बनने में इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि जो जिले विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वहां ज्यादा धन दिया जायेगा और जिले के अन्दर जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको ज्यादा धन दिया जायेगा। यह सिद्धान्त बहुत अच्छा है और मैं इसका स्वागत करता हूं, यदि सही रूप में इसको लागू किया जाय। इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री और मंत्रिमंडल के साथियों को आगह करना चाहता हूं कि शासन की तरफ से मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों में यह आदेश यहां से न जाय कि अमुक काम के लिए अमुक मंत्री के विकास क्षेत्र को इतना रुपया दिया जाय। नतीजा यह होता है कि जब किसी जिले में कोई काम किसी योजना के अन्तर्गत होने को होती है तो उस क्षेत्र के सम्बन्धित मंत्री के विकास क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं अपने उन्नाव जिले की बात बतलाऊं कि पिछले वर्ष हमारे यहां के लिए 10 ट्यूबवेल्स सेंक्शन हुए और यहां शासन की तरफ से हुक्म चला गया कि 5 ट्यूबवेल्स माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में लगवा दिए जायं और बाकी पांच शेष जिले में। यह चीज नहीं होनी चाहिए, वरना संतुलित विकास उस जगह का नहीं हो सकेगा। संतुलन के बजाय वहां असंतुलन हो जायेगा।

दूसरी बात यह कही गई है कि आपकी पंचवर्षीय योजना दिसम्बर में पूरी हो जायेगी और 15 जनवरी को बजट पेश करके उसे 15 मार्च तक पास करा देंगे और 31 मार्च तक ग्रान्ट रिलीज कर देंगे इसके लिए आपने सदन से पूरे सहयोग की अपेक्षा की है। हमारा व सदन का सहयोग 15 मार्च तक बजट पास कराने में आप भले ही ले लें लेकिन उसके बाद वित्त विभाग सहयोग देगा या नहीं उसकी बात आप जानें। क्योंकि आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि ग्रांट जल्दी पास करा दीजिए ताकि विकास के लिए तमाम जिलों को जल्दी पैसे भेजे जा सकें। लेकिन अभी तक 81-82 का ग्रांट जिलों में नहीं पहुंचा है। अभी मैं उन्नाव जिले में गया था तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में जाकर पूछा कि जो सड़कें स्वीकृत हैं उन पर काम क्यों नहीं शुरू हुआ, तो उन्होंने बतलाया कि सरकार की तरफ से उसके लिए रुपया सेंक्शन होकर आया ही नहीं है। सितम्बर आ पहुंचा और अभी तक वित्त विभाग से धन की स्वीकृति नहीं पहुंची। तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेन्ट आपको सहयोग देता है या नहीं, यह तो आपके सोचने व देखने की बात है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी ने जो बातें कहीं उनका स्वागत करता हूं।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 1 अरब 31 करोड़ से ज्यादा पैसा तो अनुपूरक अनुदान के जरिए ले ही लिया और उसके लिए आपने यह आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र समयानुकूल प्रमुख बजट को प्रस्तुत कर देंगे। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा कहना है कि जब तक आप आर्थिक संसाधन नहीं जुटायेंगे तब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह---]

तक प्रदेश का संतुलित विकास होना असम्भव सा ही है। आपको जान कर आश्चर्य होगा और इसके लिए मैं एक उदाहरण वित्त मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं। हमारे यहां आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए बिक्रीकर सबसे बड़ा स्रोत है लेकिन आपको जान कर आश्चर्य होगा कि केवल लखनऊ और कानपुर जैसे शहर में पिछले एक वर्ष से सर्वे का काम बन्द रहने से अपने प्रदेश का 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शासन की तरफ से बिक्री कर का सर्वे नहीं कराया जा सका है। आगे चलकर जो भी हो लेकिन जब तक बिक्री कर कानून है उसके अधीन का होना चाहिए था। आज भी बिक्री करवंचक अपनी पत्रिका निकाल कर खुले तरीके से इस बात का एलान करते हैं और अपनी पत्रिका में टेलीफोन नम्बर देकर कहते हैं कि अगर कोई बिक्रीकर अधिकारी तुम्हारे यहां सर्वे करने आवे तो तुरन्त हमें टेलीफोन से सूचित करें। लखनऊ और कानपुर शहर में इन भ्रष्ट व्यापारियों द्वारा बिक्रीकर अधिकारियों को पीटा तक गया है और उनको सर्वे का काम करने से रोक दिया गया है। मुझे यह कहते हुए अफसोस और लज्जा होती है कि आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री वहां जाकर कहते हैं कि कोई कर्मचारी सर्वे करने आवे तो उसे न करने दो और हम उसका इलाज ऊपर से करा देंगे। खुले तौर पर मंत्री लोग सर्वे का काम करने में रुकावट पैदा करते हैं तो अब इसके लिए क्या कहा जाय। जब तक हमारा आर्थिक संसाधन का स्रोत नहीं बढ़ता हम प्रदेश का विकास ठीक ढंग से नहीं कर सकते। मेरे साथी श्री भीखा लाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रदेश का संतुलित विकास होने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दबाव के बजाय जब तक संतुलित ढंग से प्रदेश में उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तब तक प्रदेश का संतुलित विकास नहीं हो सकेगा।

आपने 30 लाख रुपया दे दिया, संजय बांधी बहुधन्धीय इन्स्टीट्यूट खोल दिया है लेकिन एक ही जिले में आप योजनाएं चला रहे हैं, वही आप अपने विकास के साधनों का उपयोग करेंगे और कहते हैं कि संतुलित विकास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

5 बजे सदन अवश्य उठ जायगा।

श्री मोहन सिंह---

अवश्य उठ जायगा। तो नियम और कानून का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति करता है और ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है---आपके मन्त्रि मण्डल के सहयोगी हैं, सामूहिक जिम्मेदारी है---उनकी निन्दा आप नहीं करते हैं। इसी प्रकार बिक्री कर अधिकारी जो ईमानदारी से कर वसूल करते हैं उनको संरक्षण दीजिए जिससे आपकी व्यवस्था आगे चले।

*श्री रियासत हुसैन---

सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ने सदन का सहयोग मांगा तो सदन ने सहयोग दिया, सहायता कर दी। सहयोग तो इससे पहले भी दिया था जब 31 मार्च को बजट पास कर दिया था। परन्तु जो वायदे किए थे, उस बजट को कैसे खर्च करेंगे, वे वायदे पूरे नहीं हुए। आपने फिर 100 करोड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ज्यादा सप्लीमेन्ट्री मांग लिया । फिर सदन सहयोग दे रहा है । लेकिन आपने यह कह दिया कि एग्रीकल्चर में गुंजाइस है फरदर टैक्स की । आपने ट्यूबवेल के रेट्स बढ़ा दिए हैं, इरिगेशन के बढ़ा दिए हैं । इसके ऊपर और टैक्स लगाए जा सकते हैं । मैं यह चाहता हूं कि आपको रुपए की जरूरत है तो आपके जो एरियर्स पड़े हैं, चाहे सेल्स टैक्स हो, इक्साइज के हों, उनको रिकवर कीजिए । आपने एरियर रिकवर कर लिय तो शायद आपका बजट जो आप 15 मार्च को इन टाइम पास करने वाले हैं, वह डिफिसिट न हो कर सरप्लस हो जाय और यह श्रेय वर्मा जी के बाद आपको मिल जायगा कि आपने सरप्लस बजट पुट अप किया ।

दूसरी बात यह है कि जो असंतुलित बजट हो जाता है । आप पूरे सूबे के वित्त मन्त्री हैं । आप किसी एक जिले, किसी एक क्षेत्र के वित्त मन्त्री नहीं हैं । ट्यूब वेल पूरे सूबे के लिए एलाट हों । कहीं इलेक्शन हुआ तो पता चला कि मुरादाबाद के ट्यूबवेल कट कर रामपुर चले गये क्योंकि वहां इलेक्शन था, सिंदवारी चले गए, बरेली चले गये । बजट पूरे सूबे का है । यह गड़बड़ जो बीच में हो जाती है इसे बन्द कीजिए । यही मेरा सुझाव है ।

श्री ब्रह्म दत्त --

इस बहुत संक्षिप्त समय में जो बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुये हैं उनके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं ।

माननीय कम्युनिस्ट सदस्य ने कहा कि संशोधन चाहते हैं । छठी पंच वर्षीय योजना तो बन गई लेकिन अब जो वार्षिक योजना बनाई जा रही है वह आपके द्वारा बनेगी, आपके द्वारा क्रियान्वित की जायेगी, आपके देख रेख में उसका मूल्यांकन होगा ।

माननीय मोहन सिंह जी ने बिक्रीकर के बारे में कहा और माननीय रियासत हुसैन साहब ने एरियर का जिक्र किया । मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हर ईमानदार अफसर को संरक्षण दिया जायगा बेईमान को नहीं . . .

श्री मोहन सिंह--

मुजफ्फरनगर में पिछले साल बिक्रीकर अधिकारी को इनके सहयोगी की मदद से पैदल घुमाया गया हथकड़ी पहना कर, आज तक मुकदमा चल रहा है . . .

श्री ब्रह्म दत्त --

सारे मामले की जांच सी0 आई0 डी0 कर रही है । बिक्री कर के बारे में बताना चाहता हूं । 19 9–80 में 259 करोड़ रुपये बिक्रीकर के वसूल हुए थे, इस वर्ष 303 करोड़ हुए हैं । करों की वसूली के बारे में बताना चाहता हूं । 1977–78 में केवल 3.6 की वृद्धि हुई थी, 1978–79 में 10.4 की और 1979–80 में 6.3 की लेकिन इस वर्ष 80–81 में जो सरकार का पहला वर्ष है 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जहां तक सेल्स टैक्स की वसूली का सम्बन्ध है, पिछले 5 महीनों में, पिछले वर्ष के मुकाबले में हमने 32 प्रतिशत ज्यादा वसूल किया है । इस बात से हम सहमत हैं कि बकाये को वसूल करने

[श्री ब्रह्म दत्त--]

को कोशिश करनी चाहिए । यह बकाया ढ़ाई-तीन सौ करोड़ का है । कोई टैक्स ऐसा न लगे जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को हानि होती हो ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड, 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981

31 मार्च, 1982 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का अनुपूरक) अधिनियम, 1981 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1981-82 के लिए 1,31,83,82,000 रुपये का दिया जाना

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1982 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 1,31,83,82,000 रु० (एक अरब इकतीस करोड़, तिरासी लाख बयासी हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1982 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं ।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिए)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल ..	34,05,000	18,000	34,23,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय ..	..	26,000	26,000
3	मंत्रि परिषद ..	80,000	..	80,000
4	न्याय विभाग ..	5,10,000	..	5,10,000
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं बिक्रीकर) ..	9,90,000	..	9,90,000
8	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) ..	25,000	..	25,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग ..	8,34,87,000	5,10,000	8,3 ,97,000
11	परिवहन विभाग ..	75,75,000	..	75,75,000
12	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर) ..	3,000	..	3,000
*15	ब्याज का भुगतान ..	..	20,58,000	20,58,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

1	2		3	
17	सचिवालय	35,000	..	35,000
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	12,46,000	..	12,46,000
19	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय	1,10,000	..	1,10,000
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	10,69,000	..	10,69,000
22	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2,06,000	..	2,06,000
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	21,45,000	..	21,45,000
24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	1,46,000	..	1,46,000
25	गृह विभाग (पुलिस)	3,15,72,000	..	3,15,72,000
26	गृह विभाग (कारागार)	76,52,000	..	76,52,000
27	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	2,58,000	..	2,58,000
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	1,52,000	3,31,000	4,83,000
33	शिक्षा विभाग	15,000	..	15,000
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग	3,00,000	..	3,00,000
36	सांस्कृतिक कार्य विभाग	11,47,000	..	11,47,000
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	1,57,59,000	5,000	1,57,64,000
39	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	4,000	..	4,000
40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	1,000	..	1,000

41	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	..	2,00,000	8,76,000	10,76,000
43	सूचना विभाग	..	20,15,000	..	20,15,000
44	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	..	1,10,000	..	1,10,000
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	..	65,76,000	..	65,76,000
49	सहकारिता विभाग	..	21,77,000	..	21,77,000
50	पर्वतीय विकास विभाग	..	72,43,000	..	72,43,000
51	नियोजन विभाग	..	1,29,68,000	..	1,29,68,000
52	कृषि बिभाग (कृषि)	..	1,46,91,000	..	1,46,91,000
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	..	1,87,000	..	1,87,000
55	ग्राम्य विकास विभाग	..	40,15,43,000	..	40,15,43,000
56	पंचायतो राज विभाग	..	6,17,000	..	6,17,000
58	खाद्य तथ रसद विभाग	..	12,15,000	..	12,15,000
59	पशुधन विभाग	..	1,000	..	1,000
60	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	..	1,95,000	..	1,95,000
62	वन विभाग	..	2,14,51,000	..	2,14,51,000
67	विद्युत् विभाग	..	45,000	..	45,000
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा)	..	29,00,000	..	29,00,000
	चाई विभाग (अधिष्ठान)	..	36,50,000	..	36,50,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	26,000	..	26,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	2,47,42,000	..	2,47,42,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	67,45,000	..	67,45,000
83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	2,21,54,000	..	2,21,54,000
85	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग--पूंजीगत परिव्यय	97,70,000	..	97,70,000
86	सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय	3,00,46,000	..	3,00,46,000
87	पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय	4,24,000	1,19,000	5,43,000
88	उद्योग विभाग-पूंजीगत परिव्यय	1,20,00,000	..	1,20,00,000
92	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)--पूंजीगत परिव्यय	1,75,01,000	..	1,75,01,000
94	कृषि विभाग--पूंजीगत परिव्यय	3,01,000	..	3,01,000
98	खाद्य तथा रसद विभाग--पूंजीगत परिव्यय	..	2,000	2,000
101	मत्स्य विभाग--पूंजीगत परिव्यय	27,79,000	..	27,79,000
104	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर [पूंजीगत परिव्यय)	1,000	41,13,000	41,14,000

105	सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	1,000	..	1,000
106	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	14,24,02,000	..	14,24,02,000
107	परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय	3,30,00,000	..	3,30,0, 000
*109	राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण	..	11,23,000	11,23,000
113	आवास विभाग—ऋण और अग्रिम	1,76,30,000	..	1,76,30,000
116	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम	3,95,00,000	..	3,95,00,000
117	पर्वतीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम	18,76,000	..	18,76,000
121	सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम	2,39,51,000	..	2,39,51,000
122	कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम	50,00,000	..	50,00,000
123	क्षेत्रीय विकास विभाग—ऋण और अग्रिम	2,79,96,000	..	2,79,96,000
124	पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम	22,80,000	..	22,80,000
125	विद्युत् विभाग—ऋण और अग्रिम	25,00,00,000	..	25,00,00,000
126	परिवहन विभाग—ऋण और अग्रिम	24,00,000	..	24,00,000
128	पर्यटन विभाग—ऋण और अग्रिम	10,00,000	..	10,00,000
	योग ..	1,30,92,01,000	1,81,000	1,31,83,82,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड 2, 3, अनुसूची, खन्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का अनुपूरक) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का अनूपूरक) विधेयक, 1981 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधान सभा सदस्य, श्री मुहम्मद आजम खां की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक सूचना सदन को देनी है । जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर ने अपने टैलीप्रिंटर संदेश दिनांक 15 सितम्बर, 1981 जो इस सचिवालय में दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री मुहम्मद आजम खां, सदस्य, विधान सभा (रामपुर) दन्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में भारतीय दन्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर, 1981 को 1–30 बजे अपराह्न गिरफ्तार किये गये और उन्हें जिला कारागार, रामपुर भेजा गया है ।

एक बस के गंगा नदी में गिरने से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, हमें मालूम हुआ है कि एक बस गंगा नदी में गिर गई है और उसमें 47 लोग मर गये हैं । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, इस पर सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, उसके लिये व्यवस्था की जा रही है । यह बड़े दुख का विषय है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । चूंकि एक दिन में एक ही सूचना स्वीकार की जा सकती है इसलिये माननीय मोहन सिंह जी की सूचना जो कि उन्होंने 30 अगस्त, 1981 को बहराइच जिले के कैसरगंज थाने की पुलिस द्वारा लोक दल के कार्यकर्ताओं की निर्मम पिटाई और उनको झूठ मुकदमे में फंसाने के सम्बन्ध में दी है, स्वीकार की गई है । शेष सब अस्वीकृत की गई हैं ।

श्री मोहन सिंह--

इस पर आप वक्तव्य कब देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

यथा शीघ्र दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

यथाशीघ्र की कोई निश्चित तिथि बता सकते हैं ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी--)

अगले शुक्रवार को दे देंगे । 25 तारीख तक दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष --

सदन तो 22 तारीख तक ही है ।

आप 21 तारीख को दे दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष--

21 तारीख को वक्तव्य होगा ।

अब हम उठते हैं कल दिनांक 17-9-1981 को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 47 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

16 सितम्बर, 1981

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 259 पर।)

निर्माण कार्यों का विवरण

अ—सिंचाई विभाग

	किया गया कार्य
	चवलीटर
(1) खुदान का कार्य	11200
(2) कंक्रीट	787
(3) पत्थर के पिचिंग का कार्य	1950

ब—वन विभाग—

वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में नालों पर चेक डैम क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा छोटे-छोटे नालों के भराव का कार्य किया गया है।

स—भूमि संरक्षण विभाग—

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वन क्षेत्र के बाहर की भूमि में चेक डैम का निर्माण, ढोल बन्दी तथा परोकैरी (बाहरी किनारे) को ड्रेनों का निर्माण किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 261 पर।)

श्री मसरूर जाफरी, विधायक के शिकायती-पत्र दिनांक 1 अक्तूबर, 1980 में लगाये गये आरोप।

आरोप

1--श्री राम गोविन्द शुक्ला, वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक बड़े भ्रष्ट कर्मचारी हैं। इनकी सत्यनिष्ठा तत्कालीन वर्क्स मैनेजर, सिंचाई कार्यशाला, बरेली ने रोक दी थी।

2--इनके विरुद्ध श्री रजनीश गुप्ता, अवर अभियन्ता ने एक शिकायती-पत्र दिया था जिसकी जांच कराये जाने पर आरोप सिद्ध पाये गये।

3--श्री ए0 के0 चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (नलकूप) ने इनके स्थानान्तरण के आदेश कर दिये थे परन्तु यह मामला कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से अधिष्ठान 4 अनुभाग में जाने पर श्री शुक्ला ने दबवा दिया और पत्रावली गायब कर दी गई।

3--श्री राम गोविन्द शुक्ला ने वर्ष 1979 में अपनी पुत्री की शादी कन्नौज से की थी, इसमें उन्होंने लगभग 70 हजार रुपया अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता से वसूला था और 20 हजार रुपया नगद, फ्रिज, टी0 वी0, स्कूटर, डनलप के गद्दे, गैस का चूल्हा, स्टीरियो, टेप रिकार्डर व 20 हजार रुपये के नकद जवर दिए जिसकी पुष्टि गुप्तचर विभाग से की जा सकती है।

5--बरेली में इन्होंने एक मकान खरीदा है जिसकी रजिस्ट्री 20 हजार रुपये की बताई है जबकि मकान लगभग 50 हजार रुपये का है। मकान का मूल्य लगवाने पर इसकी पुष्टि हो जायेगी। इस रुपये का कोई हिसाब इनके पास नहीं है।

6--यह प्रत्येक माह लगभग 1,000 रुपये के यात्रा भत्ता बनाते हैं, जिसम अधिकांश फर्जी होते हैं। मण्डल के अन्य सहायकों की तुलना में इनके यात्रा भत्ता कई गुना ज्यादा है।

7--श्री शुक्ला की दो फर्में हैं। मेसर्स ए0 के0 इन्जीनियरिंग वर्क्स, बरेली, मेसर्स कान्टीनेन्टल ट्रेडर्स, बरेली, जिसका कार्य इनका लड़का श्री कमलेश शुक्ला देखते हैं। इन फर्मों द्वारा केवल बरेली मण्डल के अन्तर्गत खण्डों में फर्जी सामान की आपूर्ति का कार्य करते हैं। इस फर्म को श्री ए0 के0 रस्तोगी, अवर अभियन्ता, श्री वी0 पी0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर का वरदहस्त प्राप्त है।

8--मेसर्स कन्टीनेन्टल ट्रेडर्स, बरेली के नाम से इन्होंने कलान पाईप सेन्टर, शाहजहांपुर का ठेका, ले रखा है जिसमें निम्न कोटि का पाइप बनाकर सीमेन्ट बेचा गया है एवं बड़ा घपला किया गया है। इसकी जांच प्राविधिक परीक्षा कोष्ठ द्वारा कराई जा सकती है।

9--उपरोक्त तथ्यों की जांच गुप्तचर विभाग, टी0 ए0सी0 एवं विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्ड सीज कर तत्काल करायी जाये एवं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को तत्काल किसी दुर्गम स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाय।

श्री मित्रसेन यादव, विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1980 में श्री राम गोविन्द शुक्ला, वरिष्ठ आलेखक एवं प्रालेखक, नलकूप मन्डल, बरेली के विरुद्ध लगाये गए आरोप ।

आरोप :—

1—अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मन्डल, बरेली ने अपने आदेश संख्या 11845, दिनांक 2 दिसम्बर, 1980 के द्वारा श्री राम गोविन्द शुक्ला को अपना कार्यभार श्री एम0 एल0 गंगवार को तत्काल हस्तान्तरित करने के आदेश दिये परन्तु श्री शुक्ला ने उक्त आदेशों का पालन नहीं किया ।

2—श्री शुक्ला अपने पूर्ण सेवा काल में सदैव सन्देहास्पद व्यक्ति रहे हैं एवं इनकी सत्यनिष्ठा भी उनके उच्च अधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी ।

3—नलकूप मन्डल, बरेली में इन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर अपने पुत्र की साझेदारी में एक फर्म मेसर्स कन्टीनेन्टल ट्रेडर्स, बरेली के नाम से स्थापित करायी एवं नियम कानूनों पर पर्दा डाल कर इस फर्म के हित में कलान पाइप सेन्टर नलकूप खन्ड, शाहजहांपुर का कई लाख का ठेका बढ़ी दरों पर मंजूर कराया ।

4—इस पाइप सेन्टर पर घटिया स्तर का कार्य केवल इनके प्रभाव के कारण पास किया जा रहा है । यह सम्पूर्ण पत्रावली मन्डल में शुक्ला ही डील करते हैं ।

5—अधीक्षण अभियन्ता इनके राजनीतिक प्रभाव के कारण इनसे चार्ज करा सकने में असमर्थ हैं एवं मन्डल की सम्पूर्ण व्यवस्था इनके हाथों का खिलौना बन गई है । चार्ज न देकर पत्रावलियों को स्वयं अपने पास रखकर उन पर कार्य सम्पादित करते रहना न केवल इनकी सत्यनिष्ठा को संदिग्ध करता है । अपितु इनकी पठ धर्मिता एवं अनुशासन हीनता का स्पष्ट परिचायक ह ।

6—राजकीय अभिलेखों को बदलने एवं हेराफेरी करने में यह माहिर हैं एवं यह कर्मचारियों के कागज दबाकर इनको ब्लैक मेल करते हैं जैसा कि श्री रजनीश गुप्ता, अवर अभियन्ता ने अपने शिकायती-पत्र में स्पष्ट किया था ।

7—इन्होंने श्री ओ0 पी0 शर्मा, अवर अभियन्ता एवं सत्य देव अग्निहोत्री, मिस्त्री, नलकूप खन्ड, शाहजहांपुर से उनके कार्य के सम्बन्ध में अतिरिक्त धन की मांग की थी ।

8—श्री राम गोविन्द शुक्ला के विरुद्ध अनेक शिकायती-पत्र विधायकों एव जन-प्रतिनिधियों से शासन को प्राप्त हुए हैं जिस पर एक बार इनके कम्पलसरी रिटायरमेन्ट तक के आदेश मुख्य अभियन्ता द्वारा कर दिये गए थे पर वह पत्रावली इन्होंने दबवा दी है ।

9—इन्होंने अधिकारियों को गुमराह कर रखा है कि इनका अपने पुत्र से कोई सम्बन्ध नहीं हैं एवं जो किसी ने गोद ले रखा है इनके राशन कार्ड में उसका यूनिट है एवं न तो कोई गोदनामा रजिस्ट्री हुआ है न कोई नोटिफिकेशन ही किया गया है । इस प्रकार इनका अपने पुत्र से सम्बन्ध न होने की बात मात्र अनर्गल प्रलाप है क्योंकि इन्होंने इस प्रकार की कोई सूचना शासन को कभी नहीं दी है ।

10—इन्होंने स्थानान्तरण पर कानपुर से बरेली आते समय अपने पुत्र का यात्रा-भत्ता भी चार्ज किया था ।

11—उक्त आरोपों की जांच इनका स्थानान्तरण करके कराई जाय ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28) पर।)

वर्ष 1980-81 में स्थापित नये चिकित्सालयों की जिलेवार सूची

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पद्धति				
		आयुर्वेदिक	एलोपैथिक	होम्योपैथिक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला चिकित्सा
1	2	3	4	5	6	7
1	पिथौरागढ़	1--पियौरागढ़ (मुख्यालय)	1--रेगड़वाल	..	1--पाटी	1--चम्पावत
		2--कुटसिल	2--धौमेल	..	..	..
		3--मंजिरकाढ़ा	3--देवल	..	..	..
			4--बबीटी	कालिका	..	..
			5--हचीला	..	..	..
2	चमोली	1--देवपुरी	1--बसुकेदार	1--पांखी (गरुड़गंगा)	1--देवाल	उखीमठ
		2--किमोली	2--परकंडी	2--पेनगढ़	2--दशोली	..
		3--पगना	..	..	..	..
		4--नैल खनसर	..	..	..	..

3 अल्मोड़ा	1—अल्मोड़ा (मुख्यालय)	1—मैंसड़गांव	..	फरसाली	..
	2—स्योनानी	2—ध्याड़ी	..	..	..
		3—अरागोली	..	..	..
		4—कफड़ा	..	..	..
		5—धिवार तोला	..	..	..
		6—वजूली	..	..	..
		7—लाहूर	..	..	..
		8—सराइवेत	..	..	..
		9—धामदेवल	..	..	..
		10—वाजन	..	..	..
4 देहरादून	..	1—दूधली	..	..	..
		2—सेलाकुई	..	..	..
		3—कामला	..	..	..
		4—मुनवान	..	..	..
5 नैनीताल	1—नैनीताल (मुख्यालय)	1—नथुवाखान	..	1—धारी	1—भीमताल
		2—धनियालोट	..	2—कोटाबाग	..
		3—हिम्मतपुरी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
			4—रायपुर	..	..	..
			5—करनपुर	..	..	..
			6—डालकनिया	..	..	..
			7—प्रतापपुर	..	..	..
			8—नौसर	..	..	..
			9—लालकुआं	..	..	..
6	उत्तरकाशी	1—उत्तरकाशी (मुख्यालय)	1—रैथल	मसरी	1—मोरी	..
		2—बसाड़ी	2—उत्तरी	..	2—चिन्यालीसौड़	..
		3—गंगोत्री भटवाड़ी	3—टिकोची	..	..	..
		4—भीकोट	4—गंगाऽसिघरी	..	..	..
7	टिहरी गढ़वाल	1—बेंजरियाण	1—कांडीखाल (भिलंगना)	कुन्मसिला	..	माजफ
		2—टिहरी गढ़वाल (मख्यालय)	2—इन्द्रा आरगढ़	..	..	..
			3—कांडिखाल (थौलधार)	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		4—खंडोगी	..	..	..
		5—तुकोली	..	..	..
8 पौड़ी गढ़वाल	1—पौड़ी गढ़वाल (मुख्यालय)	1—डरगी	..	यमकेश्वर	यमकेश्वर
	2—एकेश्वर	2—अगरोडा	पोखाल	..	..
	3—पोखरखाल	3—देवराजखाल	..	..	..
		4—खलपानी	..	..	..
		5—मोटाडाक	..	..	..
		6—नाथूखाल	..	..	..
		7—हीराखाल	..	..	..
		8—रामगांव	..	..	..
		9—बनचूरी	..	..	..
		10—द्वारीखाल	..	..	..
		11—डांडाखाल	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 285 पर)

गढ़वाल मंडल में अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का विवरण

जनपद	विद्यालय का नाम	जाति	कक्षा स्तर	प्रवेश क्षमता	छात्र संख्या 1980-81
1	2	3	4	5	6
1--देहरादून	1--अम्बाड़ी टी स्टेट	जनजाति	6 से 10 तक	175	157
	2--त्यूनी	जनजाति	6 से 8 तक	105	99
	3--लाखापोखरी (बालिका)	जनजाति	1 से 8 तक	230	172
2--चमोली	भीमतल्ला	जनजाति	6 से 8 तक	105	105

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 288 पर)

संलग्नक

छोटी गंडक नदी पर सठियांव से मानिकपुर तक निर्मित बांधों व उन पर हुए व्यय का विवरण

क्रम-सं0	नाम बांध	लम्बाई कि0 मी0	नदी किनारे की स्थिति	मार्च, 1981 तक की स्थिति		मार्च, 1981 तक व्यय लाख रु0
				निर्मित	गैप (शेष)	
1	2	3	4	5	6	7
1	बडवा गांव मोतीपुर भुवाल	4·500	बायां	4·500	..	4·080
2	मोतीपुर भुवाल बनकटा तिवारी	4 000	,,	4·000	..	2·030
3	पिंजरी सौ कड़का गांव	8·100	,,	8·100	..	11·540
4	मझौली चन्दोली	7·700	,,	7·700	..	12·680
5	मझौली-चन्दौली बढ़ोत्तरी	3·050	,,	3·050	..	3·740
6	मझौली-चन्दौली महोजा पिछतौली केनेक्टिंग बांध	0·900	,,	0·900	0·900	..
7	महोगा दिक्षतौली	3·400	,,	3·400	..	5·460
	योग ..	31·650	,,	30·750	0·900	39·530

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
8	चौधिया दनौर बांध	2·400	वर्षा	2·400	..	2·72
9	चौधिया दनौर बड़ोसरी बांध	0·900	,,	0·400	0·500	0·07
10	बहतीपार ब्यासी	1·300	,,	1·300	..	1·80
11	नवाबर प्याती	3·200	,,	3·200	..	3·46
12	नवलपुर अमौना	6·150	,,	6·150	..	5·64
13	चौधिया बनकटा दीक्षित सम्पर्क मार्ग	3·200	,,	2·700	0·500	0·33
14	गढ़वा परासी चकलाल बड़ोसरी	1·900	,,	1·600	0·300	0·68
15	गढ़वा परासी चकलाल	3·750	,,	3·750	..	1·93
16	परासी के चकलाल जमुकी	5·130	,,	5·130	..	..
17	चुरिया	4·900	,,	4·900	..	3·48
	योग ..	32·830	,,	31·530	1·300	20·11
	सम्पूर्ण योग ..	64·480	,,	62·280	2·200	59·64

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 290 पर)

क्रम-सं0	विकास खंड का नाम	वस्तु			
		वल्गर ह्वीट		तेल	
1	2	3(अ)		3(ब)	
1	गाजीपुर	7238	बोरी	3440	टिन
2	करन्डा	2505	,,	1085	,,
3	मुहम्मदाबाद	4083	,,	2306	,,
4	कासिमाबाद	1900	,,	1012	,,
5	बाराचवर	1825	,,	784	,,
6	देवकली	3972	,,	2005	,,
7	सादात	4605	,,	2593	,,
8	विरनो	5283	,,	2643	,,
9	मनिहारी	3885	,,	1973	,,
10	मरदह	2576	,,	822	,,
11	सैदपुर	6342	,,	5113	,,
	योग ..	44214	,,	23776	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 301 पर)

गन्डक नहर निर्माण खंड तृतीय, देवरिया

क्रम-संख्या	रीचों का नाम	मार्च, 1981 तक व्यय (लाख रु0 में) अनुबन्ध द्वारा	कार्यादेश	योग	अनुबन्ध में दिया गया दर प्रति/घनमीटर	कार्यादेश में दिया गया दर प्रति/घनमीटर
1	2	3	4	5	6	7
नदी के बायें--					रु0	रु0
1	बड़का गांव मोतीपुर भुंवाल	3·58	0·50	4·080	2·50	2·10 से 2·35
2	मोतीपुर भुवाल बनकटा तिवारी	1·50	0·53	2·030	2·25	1·94 से 2·30
3	जिरासो बड़का गांव	10·08	1·46	11·540	3·50 से 2·50	1·70 से 2·40
4	मझौली-चन्दौली	9·68	3·00	12·680	2·60	2·30 से 2·76
5	मझौली-चन्दौली बढ़ोत्तरी	2·87	0·87	3·740	2·60	2·30 से 2·76
6	महोना दिक्षतौली	5·20	0·26	5·460	2·55 से 2·70	2·25 से 2·70
	योग बायां किनारा ..	32·91	6·62	39·530	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दायां किनारा—						
7	चौथिया दनऊर	2·44	0·28	2·720	2·60 से 2·70	2·30 से 2·55
8	चौथिया दनऊर बढ़ोत्तरी	0·07	..	0·070	2·25 से 2·40	..
9	बरसीपार पयासी	1·46	0·3	1·800	..	1·98 से 2·40
10	नदोवर पयासी	2·56	0·90	3·460	2·47 से 2·50	1·98 से 2·60
11	नवलपुर अमोना	4·43	1·21	5·640	2·54 से 2·80	2·20 से 3·34
12	चौथिया बनकटा दीक्षित	0·33	..	0·330	2·20	..
	सम्पर्क मार्ग—					
13	गढ़वा परासी चकलाल	0·68	..	0·680	2.16 से 2·27	1·94 से 2·10
14	गढ़वा परासी चकलाल बढ़ोत्तरी	1·85	0·08	1·930	2·16 से 2·27	तदेव
15	परासी चकलाल चुनकी	..	..	..	..	..
16	चुरिया	3·27	0·21	3·480	2·25 से 2·18	2·02 से 2·78
	योग दायां ..	17·09	3·02	20·110		
	कुल योग ..	50·00	9·64	59·640		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ब'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 301 पर)

गन्डक नहर निर्माण खंड-तृतीय, देवरिया

क्रम-संख्या	रीच का नाम	प्रस्तावित सीलिंग का कार्य कि0मी0 में	मार्च, 1981 तक किया गया सीलिंग का कार्य कि0मी0 में	मार्च, 1981 तक शेष कार्य कि0 मी0 में	मार्च, 1981 तक व्यय लाख में
1	2	3	4	5	6
1	मझौली-चन्दौली बांध	10·76	6·22	4·54	2·87
2	नवलपुर अमौना बांध	6·15	1·50	4·65	0·82
3	गढ़वा परासी चकलाल बांध	3·80	0·80	3·00	0·36
4	चुरिया बांध	4·10	4·075	0·25	2·09
5	जिरासो बड़का गांव बांध	8·10	0·90	7·20	0·47
6	महोना दिक्षतौली बांध	3·40	2·00	1·40	4·89
7	नदावर पयासी बांध	3·20	1·80	1·40	0·82
8	चौथिया दनऊर बांध	2·40	1·00	1·40	0·45
9	बड़का गांव मोतीपुर भुवाल बांध	1·50	1·50	..	0·96
	योग ..	43·41	19·795	23·615	13·73

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 312 पर ।)

लखनऊ मंडल के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों की स्थिति

जनपद	1-6-81 तक छिद्रित नलकूपों की संख्या	1-6-81 चालित नलकूपों की संख्या	निर्माणाधीन नलकूपों की संख्या	1-6-81 को तकनीकी कारणों से बन्द नलकूपों की संख्या	विफल नककूप	परित्याग किये गये नलकूप	यांत्रिक दोषों से खराब	विद्युत् दोषों से खराब (5-9-81 की स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लखनऊ	252	180	68	1	3	4	3	14
उन्नाव	77	43	10	8	16	24	1	1
हरदोई	328	241	87	..	..	..	1	13
सीतापुर	394	305	81	4	3	7	7	16
लखीमपुर	479	399	53	4	23	27	10	4
रायबरेली	235	150	65	6	14	20	2	15
योग ..	1765	1318	364	23	59	82	24	63

नोट--जनपद सीतापुर का एक नलकूप वर्ष 1976 में पुलिस विभाग को दे दिया गया ।

अनुबंध 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 132 का उत्तर पीछे पृष्ठ 324 पर।)

क्रम-संख्या	बस संख्या	निर्धारित सीटों की संख्या	संबंधित बस स्थायी का नाम	मार्ग जिसके लिए परमिट है
1	2	3	4	5
1	यूपीएच 8015	60+15 स्टैंडिंग	श्री महमूद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद यासीन, सरायगनी, बहरिया, इलाहाबाद	इलाहाबाद-मुबारकपुर वाया सोराया (सम्पर्क प्रतिबन्ध के साथ)।
2	यूएसडी 812	52+13 स्टैंडिंग	श्री मोहम्मद मतीन खां पुत्र मोहम्मद यासीन खां, सरायगनी, बहरिया, इलाहाबाद	तदेव
3	यूपीजेड 6779	57+14 स्टैंडिंग	मजहर अहमद पुत्र महमूद अहमद, 29 स्टैनली रोड, इलाहाबाद	इलाहाबाद से मुबारकपुर (इस प्रतिबन्ध के साथ कि राष्ट्रीयकृत भाग पर सक्षम अधिकारी, लखनऊ से अनुमति प्राप्त करने के बाद गाड़ी चलेगी।
4	यूपीजेड 3253	58+14 स्टैंडिंग	मोहम्मद मतीन खां पुत्र मोहम्मद यासीन खां, सरायगनी, बहरिया, इलाहाबाद	फाफामऊ से मुबारकपुर इस प्रतिबन्ध के साथ कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर सक्षम अधिकारी, लखनऊ से अनुमति प्राप्त करने के बाद गाड़ी चलेगी।

5	यूपीजेड 4770	51+13 स्टैंडिंग	इरशाद अहमद पुत्र मोहम्मद यासीन खां, सरायगनी, बहरिया, इलाहाबाद	गुमटी नं0 40 दंदूपुर ।	
6	यूएसए 321	54+13 स्टैंडिंग	मोहम्मद इजहार पुत्र मोहम्मद यासीन खां, 55, फकीरगंज, कटरा, इलाहाबाद	तदेव	
7	यूपीआई 7473	54+14 स्टैंडिंग	मुन्नी लाल यादव पुत्र श्री रामजतन यादव, 119/10, बईका बाग, इलाहाबाद	इलाहाबाद से दादूपुर (इस प्रतिबन्ध के साथ कि राष्ट्रीयकृत भाग पर सक्षम अधिकारी की अनुमति लेने के पश्चात् चलेगी ।	
8	यूआरजी 4231	55+14 स्टैंडिंग	मुहम्मद इजहार पुत्र श्री मोहम्मद यासीन खां, सरायगनी, बहरिया, इलाहाबाद	तदेव	
9	यूपीजेड 2972	51+13 स्टैंडिंग	तदेव	तदेव	

अनुपूरक प्रश्न
विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 136 का उत्तर पीछे पृष्ठ 325 पर ।)

दिनांक 12-3-81

विषय---खादी पश्चिमी इलाहाबाद ब्रांच व मौका कि0 मी0 54 मीटर 610 पटरी दाया दिनांक 9-8-80 एवं 10-8-80 की बीच की रात ।

सेवा में अधिशासी अभियन्ता महोदय, रामगंगा प्रखण्ड, कानपुर

इससे प्रथम द्वारा नं0 1291, दिनांक 20-9-80 आंशिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका हूं निरीक्षण मौका व तहकीकात से इस नतीजे पर पहुंचा कि तारीख घटना खांदी टूटने से पहले दो-तीन दिन से भीषण वर्षा हो रही थी और तमाम निचले खेतों में वर्षा का पानी भरा था रिन्द नदी में भीषण बाढ़ आयी हुई थी और बाढ़ का पानी सड़क के बराबर दक्षिण में भरा हुआ था और सड़क उपरोक्त लिखित रसूलाबाद से कानपुर वाली के उत्तर ग्राम मऊ की सरहद तक पानी बरसा का रुका हुआ था और समस्त निचले धान, मक्का ज्वार, उरद, सन ढेंचा और बड़े धान के खेतों में भरा हुआ था यदि घटना स्थल पर खांदी भी नहीं टूटती फिर भी इस समस्त निचले रकबे की फसले बरबाद हो जाती क्योंकि रिन्द नदी में लगभग 15 दिन तक भीषण बाढ़ रही और बाढ़ समाप्त होने पर ही इसी समस्त निचले रकबे का पानी निकला ।

दुर्भाग्य से इसी समय दिनांक 9-8-80 व 10-8-80 की मध्य रात्रि में पश्चिमी इलाहाबाद ब्रांच के कि0 मी0 54 मीटर 610 पटरी दायां में खांदी टूट गयी और खांदी का पानी बरसा और नदी की बाढ़ के पानी में शामिल हो कर लेविल पानी का उठा और ऊंचे रकबे में किसी कदर भर गया और 15 रोज तक लगभग भरे रहने के बाद रिन्द नदी में बाढ़ समाप्त होने पर निकला इससे ऊंचे रकबे में ग्राम शहबाजपुर, मऊ, गोपालपुर गडरिया तहसील बिल्होर व ग्राम अलालतगंज, हीकेपुर (गडरियनपुरवा, कुशलपुरवा) व केवलेपुर (केवलेपुर खास, पितानिवादा) सुजाभपुर निवदा जयसिंह, पहाडीपुर (मधुनिवादा) तहसील डेरापुर जनपद कानपुर की ऊंचे रकबे की फसलों की क्षति हुई है उसका प्रस्ताव मुआवजा किसानवार, खेतवार ग्रामवार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

तहकीकात से उपरोक्त लिखित ग्रामों के किसानों ने निचले रकबे तथा ऊंचे रकबे समस्त के मुआवजे के लिए उज्र किया है । नहर विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था साथ ही साथ कुछ कृषकगण ने यह भी बयान किया है कि घटना स्थल पर सन् 1979 में खरीफ की फसल के समय श्री शिवसिंह ने कुछ कृषकगण से यह फुट डाईमीटर के कुलावे लगवाये थे । बयान में श्री शिव सिंह पर यह भी अरोप लगाया गया है कि इसी अवैधानिक कार्यवाही के कारण घटना स्थल पर खांदी टूट गयी और मुआवजे के भुगतान के लिए श्री शिवसिंह को जिम्मेदार ठहराया है इसमें सन्देह नहीं कि निरीक्षण मौका के समय घटनास्थल के पास तीन पाइप एक फुट डाईमीटर के पड़े खेत में मैंने भी देखे थे जिन्हे ज0 इ0 रसूलाबाद ने अपनी सुपुर्दी में लेकर कोठी नहर शहबाजपुर पर रखवा दिया है इन अवैध कुलाबों की स्वीकृति नहर विभाग द्वारा होना और नहर विभाग द्वारा घटनास्थल पर लगाने का प्रमाण रिकार्ड से साबित नहीं होता है और तहकीकात से यह संकेत अवश्य मिलता है कि घटनास्थल पर कुलाबे अवैध रूप से लगाये गये

तथा छुपाये गये थे। परन्तु श्री शिव सिंह पर इसका दोषारोपण इस बिना पर संदिग्ध है क्योंकि श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जो श्री मन्ना लाल द्विवेदी के भान्जे हैं और श्री शिव सिंह के बीच मन मुटाव व वैमनष्यता बतायी गयी है परन्तु कुलावे अवैध रूप से लगाये जाकर छपना सिद्ध है भले ही एक साल पहले किसी ने भी लगाये हों परन्तु विभाग को घटना की तारीख से पहले इस बाबत कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी सूरत में समस्त निचले रकबे के मुआवजे की मांग उपरोक्त लिखित कारण से न्याय संगत नहीं है और नहर विभाग की खांदी की टूटने से इस निचले रकबे की फसलों को क्षति हुई है। दरअसल यह क्षति भीषण बारिस व रिन्द नदी में बाढ़ का पानी रुकने के कारण हुई है इसमें सन्देह नहीं कि ऊंचे रकबे में जिसके मुआवजे की सूचियां संलग्न हैं इसकी फसलों को खांदी का पानी आने पर और लेबिल ऊंचा होने पर तथा 15 दिन तक रिन्द नदी में बाढ़ के कारण नहीं निकलने पर नुकसान हुआ है। इस विचार से मुआवजा व शरह कीमत बीज, मजदूरी जुताई, मजदूरी धान लगवायी क्षतिग्रस्त धान की फसल को दिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। क्योंकि क्षति हुई है परन्तु धान रोपने के ठीक दो से तीन सप्ताह के अन्दर हुई है इसी कारण जिन्स मुस्तर्गा की सरह पर मुआवजा की संस्तुति नहीं की जाती है और दो नम्बरान मक्का व ज्वार का मुआवजा भी शामिल है मेरे विचार से मुआवजा की सूची नियमानुसार और उचित है। बाद निरीक्षण स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता महोदय के यहां मय सूची भेजने की कृपा करें।

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 161 का उत्तर पीछे पृष्ठ 333 पर ।)

वर्ष 1980-81 में कृषि उत्थान हेतु तथा कुटीर उद्योग के लिये विमुक्त जाति के व्यक्तियों की स्वीकृति की गयी धनराशि का विवरण

क्रम-सं0	नाम	जाति	पता	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
		कृषि उत्थान 6,00,000		
1	श्री भिठाई लाल पुत्र श्री जगन	मल्लाह	ग्राम गोपालपुर सदर, गोरखपुर	1,000
2	श्री डेलई पुत्र श्री सुखराम	पासी	ग्राम वर्भला, मझरावखजनी, गोरखपुर	1,000
3	श्री लखराज पुत्र श्री रामहरष	पासी	ग्राम वगईवारी, पीपीगंज, गोरखपुर	1,000
4	श्री राम किशोर पुत्र श्री बालकरन	पासी	ग्राम साउडीह खुर्द असाजी बेलघाट, गोरखपुर	1,000
5	श्री श्रीपत पुत्र श्री कुबई	पासी	तदेव	1,000
6	श्री गसी पुत्र श्री लगन	पासी	ग्राम वधाड चौरी चौरा, गोरखपुर	1,000
		कुटीर उद्योग हेतु 3,000		
1	श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हरिहर प्रसाद	मल्लाह	ग्राम जी0 आर0 डी0 बाजार, कूड़ाघाट, गोरखपुर	1,000
2	श्रीमती गंगोतरी पत्नी श्री राम जीत	मल्लाह	धर्मशाला बाजार दक्षिणी, गोरखपुर	1,000
3	श्री गौरी पुत्र श्री राम भर दयाल	मल्लाह	ग्राम उत्तरी कोलिया, गोरखपुर	1,000

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 170 का उत्तर पीछे पृष्ठ 337 पर ।)

क्रमांक	कार्य का नाम/मद का नाम	रीच मील	भुगतान की तिथि	धनराशि
1	2	3	4	5
				रु0
1	खीरों ड्रेन की वार्षिक सफाई का कार्य	0·0 से टेल	27–5–79 26–6–79	967·00
2	भगवन्त नगर रजवहे के सेक्शन का सुदृढ़ीकरण	मील 10·2·0 से टेल	1–9–79	2,966·00
3	पुरवा ब्रांच मुख्य नहर की वार्षिक सफाई का कार्य	33·0 से 33·4	17–8–79	816·00
4	खीरी माइनर के सर्विस रोड का निर्माण	0·0 से टेल	17–8–79	1,935·00
5	उपखंड के नहरों हेतु साइन बोर्ड की आपूर्ति	..	16–10–79	4,860·00
6	पुरवा ब्रांच मुख्य नहर की सफाई का कार्य	37·5 से 37·6	5–12–79	3,260·00
7	रावतपुर माइनर की वार्षिक सफाई का कार्य	0·0 से टेल	5–12–79	977 00
8	पुरवा ब्रांच मुख्य नहर का वार्षिक सफाई का कार्य	40·0 से 43·0	6–12–79 7–12–79	5,850·00
9	आकमपुर माइनर (पुरवा ब्रांच) का सकीकरण का कार्य	35·4 से 36·0 37·4 से 38 0 38·0 से 38·4	8–12–79	2,565·00
10	बिहार माइनर की रेत के सफाई का कार्य	0·6 से 1·4 2·5 से 3·6	11–1–80	2,832·00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
				रु0
11	पुरवा ब्रांच मुख्य नहर की सफ ई का कार्य	30·0 से 42·0	12–1–80	2,496·00
12	पुरवा ब्रांच मुख्य नहर का सफाई कार्य	55·0 से 58·3	6–2–80	3,146 00
13	पुरवा ब्रांच में मिट्टी के स्पर बनाने का कार्य तथा ठेके की सफाई का कार्य	30·0 से 40.0	8–2–80 9–2–80 10–2–80 11–2–80	18,564·00
14	मलौना माइनर, बरौन्डी माइनर, खीरी माइनर, मिर्जापुर माइनर, शकतपुर माइनर की सफाई का कार्य	हेड सेटेल	13–2–80 11–3–80	4,861·00
15	मौना मऊ माइनर, उतौली माइनर, खीरी माइनर, शक्तपुर माइनर पर मिट्टी का कार्य	हेड सेटेल	14–2–80	3,600 00
16	लालगंज डी0 वाई0 का सफाई का कार्य	7·4 से 8·6	9–3–80	1,954·00
17	सेमरी माइनर की सफाई का कार्य	0·0 से 2·6	9–3–80	2,390·00
18	पुरवा ब्रांच में मिट्टी के स्पर बनाने का कार्य तथा ठेका सफाई	0 से 50·0	10–3–80 11–3–80 12–3–80 13–3–80	15,000
19	विहार माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य	हेड से टेल	13–3–80	2,641·00
20	पुरवा ब्रांच मुख्य नहर के सफाई का कार्य	30·0 से 32·0	22–3–80 24–3–80 9–10–80	9,125·00
			योग ..	90,836·00

नत्थी 'ढ़'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 187 का उत्तर पीछे पृष्ठ 342 पर)

सदस्य विधान सभा, हरिवंश सहाय,
उत्तर प्रदेश एम0एल0 ए0,
माननीय मुख्य मंत्री, भाटपर रानी,
उत्तर प्रदेश शासन, देवरिया (उ0प्र0),
लखनऊ। 8-5-80

महोदय,

आपका ध्यान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर के व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि कृपया निम्नलिखित भ्रष्टाचार की तत्काल जांच कर दोषी अधिकारी को दन्डित करने की कृपा करें।

1--सेवा प्रबन्धक महोदय के कार्यालय में कर्मचारियों का कोई भी रिकार्ड ठीक से नहीं रखा गया है जिससे कर्मचारी बाध्य होकर उनके कार्यालय का चक्कर लगाता रहता है और जो कर्मचारी साहब और बाबू को खुश कर देता है केवल उसी का काम होता है।

2--सेवा प्रबन्धक महोदय परिवहन अभियन्ता महोदय को अपने कार्यालय में बैठाकर प्रशासनिक कार्य में लिप्त रहते है, जबकि उनकी डियूटी क्षेत्रीय कार्यशाला में होनी चाहिये। कार्यालय में होने के कारण मामलों में निपटारे के वह सेवा प्रबन्धक कार्यालय के कतिपय बाबुओं के साथ, दलाली का काम करते हैं, जो कर्मचारी उन्हें खुश नहीं रख पाता है, उसे तरह-तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है।

3--यह सेवा प्रबन्धक जब से आये है चालकों का टेस्ट लेते रहे हैं और जो चालक पद में छोटे या अन्य कमियों के कारण पूर्व के टेस्ट में निकाल दिये गये थे उन्हें दो हजार रु0 प्रति चालक की दर से लेकर उन्हें पास कर दिये हैं ऐसे छोटे तथा अयोग्य चालकों से भीषण दुर्घटनायें हुई हैं जिससे विभाग को बदनामी एवं लाखों रु0 क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ रहा है।

4--सेवा प्रबन्धक के आने के बाद चोरी की घटनायें बहुत बढ़ गई है। बस्ती एवं गोरखपुर वर्डघाट, देवरिया सभी जगहों के कार्यशालाओं में अप्रत्याशित रूप में चोरियां बढ़ी है। इनके सह पर ही मोबिल आयल, डीजल की भी इतनी चोरी हुई और हो रही ह कि एवरेज बहुत ही कम ह तथा सारे सरकारी आदेश और विभागीय हिदायते बेकार हो गई है। गंभीरतापूर्वक जांच करने पर यह पता चलेगा कि यदि इन चोरियों पर रोकथाम की गई होती या की जायं तो विभाग का घाटा अप्रत्याशित रूप से कम हो जाय।

5--अभी हाल में ही क्षेत्रीय कर्मशाला, गोरखपुर से कई क्रैन्क शाफ्ट चोरी चले गये हैं जिनके छिपाने का कार्य तेजी पर है।

6--सेवा प्रबन्धक महोदय की कार से ही अधिकांश चोरियां होती हैं जिसे किसी को चेक करने की हिम्मत नहीं होती है और सामान बाजार में पहुंच जाता है, जो उनकी उपस्थिति में होता है।

7--सेवा प्रबन्धक एवं सहायक परिवहन अभियन्ता की बीवियों को खुश करके प्राइवेट आपरेटर विभाग से अपने गाड़ियों के लिए सामान प्राप्त कर लेते हैं और हर सुविधा अपनी गाड़ी के रख-रखाव का प्राप्त कर लेते हैं। कुछ विभाग के बाबू एवं दलाल 5 बजे सुबह से 1 बजे रात तक इनके घर पर ड्यूटी देते हैं और इनके भ्रष्ट कार्यों में मदद देते हैं और खासकर नौकरी दिलाने के लिए अच्छी रकम लेकर साहब को खुश कर भर्ती करते रहते हैं। आप देखेंगे कि पुराने एक बार काम कर लेने के बाद फिर इन्हें जगह नहीं मिलती, जगह केवल दलालों द्वारा लाये गये लोगों को ही मिलती है, जिसके लिये कुछ कोर्ट केस भी चल रहे हैं।

8--अभी-अभी हाल ही में सम्पन्न नीलाम की गाड़ियों का सभी सामान बदल कर उसके स्थान पर कबाड़ियों से प्राप्त कर कन्डम सामान लगाकर नीलाम सम्पन्न कराया गया है जिसमें लाखों रु0 का हेराफेरी किया जाता है। जैसे बस नम्बर 7628 और 7665 का क्रैन्क कम्प्रेशन हेड सिलेन्डर हेड हुकनागाप्ट रातोंरात गायब कर दिया गया और बेचकर पैसा प्राप्त कर लिया गया है।

9--पुराने स्टोर में जितने भी हेड और क्रैन्क रखे हुए हैं वह सब बाहरी गाड़ियों के हैं विभागीय गाड़ियों को बेचकर उसके स्थान पर कन्डम और पुराना संख्या गिनाने के लिए रख दिया गया है। लोकल परचेज में काफी घोटाला करवाया है यहां तक कि लकड़ी का पटरा मोटर पार्ट की दुकान से खरीदवाएं इस प्रकार के बहुत के भ्रष्ट कार्य इनके हैं।

10--सेवा प्रबन्धक एवं सहायक प्रबन्धक अभियन्ता के सांठ-गांठ से अभी हाल में ही पी0एच0डी0 कार्यशाला का फोरमैन लाखों रुपये की चोरी में निलम्बित किया गया तथा न जाने किस तरीके से उसे जल्दी ही बहाल कर दिया गया और बिना चार्ज लिए उसको पदोन्नति वाली जगह पर भेज दिया गया।

11--देवरिया से दो क्रेक ग्राउन्ड करने के लिए आये उसको एक को ग्राइन्ड कराया गया और दूसरे को बेचकर पैसा ले लिया गया और उसको जगह पर घटिया क्रेक स्टोर में जमा कराया गया।

12--सेवा प्रबन्धक व सहायक परिवहन अभियंता जिन्होंने आजमगढ़ से दो हेड इन्जन रीकन्डीशन कराने हेतु मंगाये उन दोनों हेडों को बाजार में बेचकर रुपया ले लिए तथा क्रेक हेड स्टोर में जमा किये हैं।

13--रोडवेज के साधनों को सेवा प्रबन्धक बेच लेते हैं इसके सबूत में एक इन्जन सी0 एम0 ई0 को भेजा गया जिसमें सी0 एम0 ई0 ने रिपोर्ट किया इस इंजन में सभी सामान घटिया है, यह कहां से आये, आफिस में सी0एम0ई0 के भेजे पत्र देखें जा सकते हैं।

14--सेवा प्रबन्धक, गोरखपुर अपने घर वर्कशाप से अपनी गाड़ी पर चोरी का सामान ले जाते हैं तथा अपने कार्यालय के लिपिक श्री कयूम के माध्यम से बेचते हैं। सबूत में यूनियन द्वारा उस बाबू के खिलाफ जितने भी शिकायत भ्रष्टाचार की की गई उस पर इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं होने दिया।

15--सेवा प्रबन्धक, गोरखपुर ने श्री आर0 एन0 एन0 श्रीवास्तव, फोरमैन, गोरखपुर जिनके खिलाफ यूनियन ने लिखित रूप से लाखों रुपये के चोरी के सामान के आरोप लगाये थे। उससे 5 हजार रुपये लेकर अपने प्रयत्न से बहाल कराके

बिना चार्ज लिए पदोन्नति वाली जगह के लिए कार्य मुक्त कर दिए और लाखों के घोटाले के सामान अन्धकार में डाल दिया गया ।

16—सेवा प्रबन्धक एवं सहायक परिवहन अभियन्ता द्वारा, जो क्रैंक सी० एस० ई० को भेजे जा रहे थे, सभी बाजार के डुप्लीकेट हैं, असली क्रैंक बेच कर रुपया ले लिए गए हैं जाँच तक क्रैंक रोका जाय ।

17—दिनांक 4-4-81 की रात्रि को, जो नीलाम की गाड़ियां कार्यशाला से निकाली जा रही थी, उन गाड़ियों का गेट पास चौकीदार को तुरन्त नहीं दिया गया चौकीदार के एतराज करने पर सेवा प्रबन्धक एवं सहायक परिवहन अभियन्ता ने कहा कि हम लोग खड़े हैं गाड़ी जाने दो गेट पास बाद में दिया जायगा । उस पर और भी फालतू सामान गया ।

18—इस सेवा प्रबन्धक को तैनाती में क्षेत्रीय कार्यशाला में इंजनों को रिकंडीशनिंग का कार्य तुरन्त बन्द कराया जाय आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य को डिपो में ही करा लिया जाय ।

19—पुराने भंडार में रखे हुए हुकों की सी० एम० ई० द्वारा जांच करायी जाये कि यह क्रैंक अः ए तो वहां से किस-किस इंजन में लगाए गए थे और सेवा प्रबन्धक के नेतृत्व में किन-किन इंजनों के नम्बर से इसको पुराने भंडार में जमा कराया गया हैं और इसमें कितने बाहरी क्रैंक हैं ।

20—सेवा प्रबन्धक द्वारा जिस चौकीदार की ड्यूटी आज साल भर से 24 घन्टे के लिए लगी है वह केवल पावं अलमूनियम ही पकड़ सकता है । सेवा प्रबन्धक, सहायक परिवहन अभियन्ता व आर० के० सिंह द्वारा लाखों रुपये के क्रेंक हेड एफ० आई० पम्प अल्यूमीनियम सोट रेडोएटर की वाटर टंकी सारे बसों की अल्यूमोनियम की खिरकी चुरा कर बाहर कैसे ले जाया गया वह चौकीदार कहां था ?

21—7659 का फियूल इन्जेक्शन पम्प सेवा प्रबन्धक, गोरखपुर सहायक परिवहन अभियन्ता के माध्यम से बेच कर पैसा प्राप्त कर लिया ।

22—सेवा प्रबन्धक, गोरखपुर ने गाड़ियों की नीलामी के समय में हजारों रुपये के पार्ट्स यह कह कर बेचा कि काम करने वाले कर्मचारियों को खाना खिलाना है थोड़ा सा दिला कर बांकी पैसा स्वयं हजम कर गये ।

23—दिनांक 4-5-81 को सहायक क्षेत्रीय कार्यशाला से सेवा प्रबन्धक एवं सहायक परिवहन अभियन्ता के नेतृत्व में दिन दहाड़े फ्यूल इंजन, बसन पम्प तथा एयर कम्प्रेसर असेम्बली गायब कर दी गयी ।

24—दिनांक 6-5-81 को सहायक विद्युत कार श्री चन्द्रिकामल पी० एन० डी० कार्यशाला, जो सेवा प्रबन्धक के साँठ-गांठ में रहते हैं, उन्होंने हजारों का सामान झोले में लेकर चौकीदार को मार कर गेट से भाग गये ।

भवदीय,

हरिवंश सहाय विधायक,

8-5-81

सी० एस० यू० पी०—51 वि० सभा 25-9-82-835 (पी० डी०) ।